Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का २२ वां दिवस [संख्या १५

सोमवार, दिनांक १८ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खनिज, शिक्षा, सहकारी, पंचायत, विकास, राजस्व, नियुक्ति, राजस्थान नहर एंव उद्योग—विभाग]

प्रश्न संख्या ३९८

पलाना कोलेरी के मजदूरों को ले आफ

३९८. **श्री मानिकचन्द सुराना** (कोलायत) : क्या मन्त्री, उद्योग एवं खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पलाना कोलेरी में जनवरी, १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९६१ के काल में मजदूरों को समय समय पर ले ऑफ़ किया गया ? यदि हां, तो १९५५ से लकर ३१ दिसम्बर, १९६१ तक का निम्न विवरण सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें:—

(क) ले ऑफ़ के दिनों की संख्या,

(ख) ले ऑफ़ का कितने मज़दूरों पर प्रभाव पड़ा,

(ग) भुगतान किये गये ले आफ़ और कम्पन्सेशन की रकम,

(घ) ले ऑफ़ के कारण कितने टन कोयला न निकल सका,

(ङ) कोयला विक्रय की दर प्रति टन, और

(च) नये भर्ती किये गये मज़दूरों की संख्या ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी हां । विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने इस प्रश्न में फीगर्स

Page No 2

(श्री मानिक चन्द सुराना)
वर्क का चार्ट मांगा जो अभी तक मुझे नहीं मिला यदि मिल जाय तो सप्लीमेन्टरी पूछने में आसानी हो।

श्री अध्यक्ष : समय होगा तो बाद में सप्लीमेन्टरी के लिये टाइम दे दिया जायगा। (अनुपूरक प्रश्नों के लिये कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३९९

श्री मोतीलाल चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४००

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह ।

एक अध्यापक पाठशालायें खोलना

४०१. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : the Education Minister be pleased to state:—

(1) Is it a fact that a 'Budget Sanction' for the opening of 22 (twenty two) new single teacher Primary Schools was sent to Panchayat Samiti, Sangod, on 25-4-1961 and that the list of the villages was forwarded to the Director of Primary Education by the Standing Committee (Education) of the Samiti and Zila Parishad Kota over a year ago?

(2) That the sanction for 12 primary schools was accorded to the Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Sangod and proposals for remaining ten was submitted to the Director by the Inspector of Schools, District Kota ?

(3) If so, why the sanction has not been made to all the schools when there is a 'Budget Provision' for them all in the Samiti already ?

उप-मंत्री, शिक्षा (निरंजननाथ आचार्य)

1. Yes.

2. Yes.

3. Yes. Sanction has now already been accorded to the Panchayat Samiti, Sangod for opening of all Primary Schools.

प्रश्न संख्या ४०२

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री छोटूराम ।

सहकारी समितियां, नीम-का-थाना

४०३. **श्री छोटूराम** (नीम-का-थाना) : क्या सहकारी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) नीम-का-थाना पंचायत समिति में कुल सहकारी समितियां कितनी हैं, और पिछले दो सालों में इस क्षेत्र के सहकारी आन्दोलन में क्या प्रगति हुई ?

(२) सन् १९६१-६२ व ६२-६३ में नीम-का-थाना पंचायत समिति के अन्तर्गत

Page No 3

(श्री छोटूराम)

सहकारी समितियों को कितना कर्ज व किस किस सहकारी समिति को कब कब मिला ?

(३) ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जिनकी १।। साल से कर्ज की दरख्वास्तें हैं और अंश के समय रुपये जमा करा दिये गये हैं ? उनको कर्ज़ क्यों नही मिला ?

(४) कितनी सहकारी समितियों के अंश के रुपये वापिस कर दिये गये हैं और कितनों की दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ?

(५) इन सहकारी समितियों को क़र्ज देने की व्यवस्था सरकार किस तरह कर रही है और कर्ज़ कब तक मिल जायगा ?

उप-मंत्री, सहकारी विभाग (श्री भीमसिंह) : (१) कुल ६४ सहकारी समितियां हैं। पिछले दो सालों में (१ जुलाई १९६० से ३० जून १९६२) सहकारी आन्दोलन में निम्न प्रकार प्रगति हुई है :

(१)	सहकारी समितियों का गठन	३१
(२)	सहकारी समितियों का पुनर्गठन ..	६
(३)	सदस्यता वृद्धि ..	२०१६
(४)	हिस्सा पूंजी में वृद्धि	३८७७६ रु०

(२) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ऐसी सात समितियां हैं। इनमें से तीन को केन्द्रीय बैंक को शीर्ष बैंक से ऋण न मिलने के कारण और चार को उन पर अवधि पार ऋण होने के कारण ऋण नहीं मिल सका है।

(४) न तो किसी समिति के अंश के रुपये वापिस किये हैं और न किसी भी समिति का अंश वापिस करने का प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

(५) शीर्ष बैंक से केन्द्रीय बैंक को ऋण प्राप्त होने पर, जिसके मिलने की संभावना आगामी ख़रीफ़ की फ़सल तक है और जिन समितियों पर अवधि पार ऋण शेष है उनके द्वारा अवधि पार ऋण चुकाए जा पर।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री छोटूराम : जिनको कर्ज नहीं मिला उनको कब तक मिल जायगा ?

श्री भीमसिंह : इसके लिये मैंने निवेदन किया, शीर्ष बैंक से केन्द्रीय बैंक को ऋण प्राप्त होने पर और बकाया वसूल होने पर ज़रूर मिलेगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : जिन सहकारी समितियों में ओवर ड्यू हो गया है, शोर्ट टर्म को मिडियम टर्म में क्यों नहीं बदल दिया जाता ?

श्री भीमसिंह : यह पृथक सवाल है, अलग से पूछिये फिर निवेदन करूंगा।

प्रश्न संख्या ४०४

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)

Page No 4

प्रश्न संख्या ४०५

श्री जयनारायण सालोदिया ।

(अनुपस्थित)

श्री जयसिंह ।

पंचायत में गबन–तहसील मालपुरा

४०६. श्री **जयसिंह** (मालपुरा) (महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सहायता की रक़म जो सरपंच, ग्राम पंचायत धोली, तहसील मालपुरा तथा सरपंच ग्राम पंचायत कलमन्डा, तहसील मालपुरा को दी गई उसका उन्होंने ग़बन किया तथा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(२) यदि हां, तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) यह सही है कि सहायता की रक़म का ग़बन का सरपंच ग्राम धोली व ग्राम पंचायत कलमन्डा द्वारा किये जाने के अभियोग हैं। इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी विभाग (एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट) व उप जिलाध्यक्ष, मालपुरा द्वारा कार्यवाही की जा रही है ?

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह कार्यवाही दोनों जगह किस प्रकार चल रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विकास विभाग ने ज़िलाधीश टौंक को लिखा। उनसे विकास विभाग का सम्बन्ध है इसलिए उन्होंने भी कार्यवाही प्रारम्भ की है और एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को भी शिकायत की गई है। वह भी कायवाही शुरू करे।

श्री भैरोंसिंह : एस० डी० ओ० द्वारा डिपार्टमेन्टल कार्यवाही हो रही है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिये एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट वर्क कर रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वे इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह जो एम्बेज़लमेन्ट हुआ क्या यह एस्टेब्लिश्ड हो चुका है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जांच हो रही है अभी तक नतीजा उपलब्ध नहीं हुआ है। उसके बिना कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : जो आपके पास शिकायत आयी है वह पर्याप्त नहीं समझते कि यह एम्बेज़लमेन्ट का केस है और इसके लिये बाक़ायदा केस रजिस्टर किया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्क्वायरी शुरू करने के लिये कहा था और इन्क्वायरी शुरू की गई।

श्री भैरोंसिंह : बिना केस रजिस्टर किये ऐसा कौनसा प्रोसीजर है जिसके अनुसार एन्टी करप्शन विभाग कार्यवाही कर सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो सकती है। एन्टी करप्शन विभाग को देने में भी कोई बाधा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसके बारे में केस रजिस्टर हो चुका है ?

Page No 5

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब तक केस दर्ज किया गया या नहीं, यह जानकारी मेरे पास नहीं है। यह मामला ज़ेरे कार्यवाही है।

श्री राधा कृष्ण गोयल (टोंक) : यह ग़बन साबित है, इस प्रकार आपने कहा है; फिर एन्टी करप्शन विभाग को देने से क्या मतलब है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा, ग़बन का उन पर अभियोग है; यानि शिकायत है उसकी जांच की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह: क्या वे दोनों व्यक्ति अभी सरपंच हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस समय इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : अभियोग लगने के पश्चात् इनवेस्टीगेशन की कार्यवाही हो रही है या इन्क्वायरी हो रही है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनवेस्टीगेशन और इन्क्वायरी की बात छोड़िये, तफ़तीश जारी है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : Pardon!

श्री रामप्रसाद लड्ढा: तफ़तीश जारी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : केस रजिस्टर हुआ है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इस अभियोग की जानकारी आपको कब मिली?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: १८-२-६३ को यह जिलाधीश को भेजा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह अभियोग कब मिला, कौनसी तारीख़ को?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने निवेदन किया १८-२-६३ को भेजा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या यह सही है कि जून, ६२ में यह अभियोग कलेक्टर को दे दिया गया, वहां जाकर उसने इसकी सच्चाई को अनुभव भी कर लिया था, जो पैसा जिस काम के लिये दिया गया था वह पैसा उस काम में न लिया जाकर ग़लत दस्तख़त करवा कर प्राप्त करवा लिये गये?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मेरी सूचना के आधार पर आपकी यह सूचना गलत है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या यह सही है कि जिस हैड मास्टर ने शिकायत की उसको एस० डी० ओ० द्वारा गिरफ्तार करवाया गया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी तो सब को है जिस हैडमास्टर ने रिपोर्ट की उस हैडमास्टर को निकाल दिया गया। राजस्थान में यह अपने क़िस्म की एक ही मिसाल होगी जिसमें किसी के सही शिकायत करने पर उसको गिरफ्तार किया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर ऐसी बात थी तो स्पेसिफ़िक जानकारी करके बताते।

Page No 6

श्री भैरोंसिंह : बताने का सवाल नहीं है। जब एम्बेज़लमेन्ट का केस आता है तो आपको तो पूरी जानकारी करनी चाहिए थी। आज के दिन तक भी वह वहां का सरपंच है या नहीं, शिकायत करने वाले के साथ क्या सलूक किया गया, यह सब जानना तो आपका काम था। आख़िर एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके हाथ में है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब हमारे पास शिकायत आई तब से कार्यवाही चालू है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या शिकायत है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिलीफ़ के काम के लिये दिये गये धन के दुरुपयोग करने की शिकायत है जो ज़ेरे कार्यवाही है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कितने का ग़बन किये जाने की शिकायत है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो जांच से ही पता लगेगा। यह सारी इन्क्वायरी का रिज़ल्ट आने से ही तो पता लगेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): क्या सरकार ने अभी तक तसल्ली करली है कि प्राइमा फेसी ग़बन हुआ है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया न कि यह तो इन्क्वायरी का विषय है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो आप करते रहें, पर आपने तसल्ली करली है या नहीं कि ग़बन हुआ है? अब किसने किया कैसे किया इसकी जांच आप करते रहें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अभी तक अन्डर कन्सीडरेशन, विचाराधीन है। अगर यह तय हो गया होता तो कि गबन हो गया है और फलां व्यक्ति ने किया है तब तो सज़ा देने का सवाल रहता। अभी यह तय नहीं हुआ है कि वास्तव में उसने ग़बन किया है या नहीं?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि एन्टी करप्शन और एस. डी. ओ. दोनों के द्वारा जांच कराई जा रही है। एस. डी. ओ. इस केस में इन्ट्रेस्टेड है और वह कल्प्रिट को बचाना चाहता है। वह चाहता है कि कल्प्रिट के ख़िलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जावे। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूं कि एस. डी. ओ के हाथ से जांच करवाना बन्द कर दें, एन्टी करप्शन विभाग को ही यह काम सौंप दें, सरपंच को सस्पेन्ड कर दें और बाद में सारी कार्यवाही चालू कर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें हर्ज क्या है?

श्री भैरोंसिंह : डुप्लीकेट इन्क्वायरी में एस. डी. ओ. सब गड़बड़ कर देगा। वह जो रिपोर्ट देगा उसमें कल्प्रिट को बचाने की कोशिश करेगा और इस तरह एन्टी करप्शन की रिपोर्ट जो आवेगी, उससे टैली नहीं करेगी।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : इसमें इन्टरफ़ियरेन्स यहां के एम्स नेताओं द्वारा हो रहा है, इसको क्या आप रोकने का प्रयत्न करेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : इस प्रकार के इन्टरफ़ियरेन्स का कोई इन्फ्ल्यूएन्स नहीं होगा। जांच करने के लिये एन्टी करप्शन को दिया गया है मामला। उसकी जो भी रिपोर्ट आवेगी उसके आधार पर जो उचित कार्यवाही होगी, की जावेगी–यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह डुप्लीकेट इन्क्वायरी क्यों आप चला रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इस समय तो कुछ नहीं कह सकता। दोनों को रेफ़र की गई है, दोनों के पास इन्क्वायरी है। यह आवश्यक है या नहीं इसको देखा जा सकता है। अकेले एन्टी करप्शन से यह इन्क्वयारी सम्पन्न हो सकेगी तो देखा जायगा।

श्री दिग्विजयसिंह : एस. डी. ओ. इन्ट्रेस्टेड हैं इसलिये एन्टी करप्शन से ही जांच कराई जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : Next.

सार्वजनिक तालाब खोदने हेतु दी गई राशि–तहसील रायपुर

४०७. श्री **मांगीलाल** (रायपुर) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या श्री लाखा, पुत्र गैना, क़ौम मैरात, साकिन विराटियां खुद तहसील रायपुर, ज़िला पाली को तहसील रायपुर द्वारा ४०००) रुपये सार्वजनिक तालाब खोदने के लिये मिल थ ?

(२) क्या यह सही है कि उसने अपने निजी पट्टे की ज़मीन में पैसे ख़र्च कर नाड़ी बना दी ?

(३) यदि हां, तो सरकार ने पैसे वसूल किये या नहीं ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

उप–मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) श्री लाखा को तहसील रायपुर द्वारा कोई रक़म सार्वजनिक तालाब के लिए नहीं दी गई।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मांगीलाल : यह रक़म सार्वजनिक तालाब के लिये दी गई थी, पर उसके लिए ख़र्च नहीं की जाकर अपने ख़ुद के लिये खर्च कर दी गई। शिकायत होने पर भी सरकार ने ५९ में दी गई रक़म अभी तक वसूल क्यों नहीं की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवदन किया कि लाखा वल्द गैना को इस प्रकार की कोई रक़म सार्वजनिक तालाब के लिये नहीं दी गई। इसलिये उसे वापिस लेने की वात नहीं पैदा होती।

श्री मांगीलाल : आपको जो सूचना दी गई है वह ग़लत है। मैं मैम्बर था और रक़म मेरे सामने दी गई थी। और उस आदमी ने दस्तख़त करके तहसील से रक़म वसूल की थी। आपने जांच नहीं की।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १४-३-६३ को शिकायत की है, उसकी जांच चालू है। पर हमारी जानकारी के अन्दर इस नाम के व्यक्ति को रक़म नहीं दी गई।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय सदस्य जो कि उस कमेटी के मैम्बर हैं और जिनके सामने रक़म दी गई।

Page No 8

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
और जिनके सामने साइन करके रक़म ले जाने वाले ले गये हैं इतनी कॉन्फ़ीडेन्स के साथ बात कही जा रही है तो आप को इसमें पूरी जांच करानी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और माननीय सदस्य अपने दिमाग में रिक्लेक्ट करें तो उनको अपनी भूल का पता चल जावेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो आपके कहने का मतलब यह है कि उनको नहीं किसी दूसरे को रक़म दी गई है ?

श्री मांगीलाल : लाखा पुत्र गैना ही वह व्यक्ति है जो अपने दस्तखत कर रकम ले गया था और उससे अपनी निजी जमीन में नाली बना ली है। पर सरकार कहती है, नहीं ले गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शिकायत १४-३-६३ को की गई है। इसकी जांच करा ई जा रही है। इस नाम का आदमी इस तरह से रकम ले जाता पाया जावेगा तो आवश्यक कार्यवाही अवश्य की जावेगी।

श्री मांगीलाल : आप यह जांच कब तक करा लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १४-३-६३ को तो शिकायत की है। जल्दी ही कर लेंगे।

राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन

४०८. श्री **दुर्गालाल बाद्दार** (हवा-महल, जयपुर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का बोर्ड नियमानुसार मीटिंग कर रहा है और वर्तमान में इस बोर्ड के कौन कौन से सदस्य एवं पदाधिकारी हैं ? विवरण सदन के समक्ष रखें।

(२) क्या स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बोर्ड ने सेक्रेट्री की नियुक्ति के लिये कोई प्रस्ताव पास किया कि जिसमें सैक्रट्री की योग्यता निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो रिजोल्यूशन की प्रतिलिपि सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

(३) क्या वर्तमान सैक्रेट्री प्रस्तावानुसार निर्धारित योग्यता रखता है ?

उप-मंत्री सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां। वर्तमान संचालकों एवं पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सेक्रेट्री की योग्यता के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। सेक्रेट्री के पद की समीक्षा बोर्ड की ५ वीं बैठक में पास हुए प्रस्ताव नं. ७ द्वारा अवश्य की गई। इसमें सेक्रेट्री के पद को सहकारी विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार अथवा आर. ए. एस. के पद के बराबर माना गया है, परन्तु राजस्थान सरकार ने उसको असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के बराबर माना। इन दोनों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी है।

(३) वर्तमान सेक्रेट्री, श्री कपूर, जो सहकारी विभाग में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार थे, को डेपूटेशन पर कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव नं. ५ तारीख १३-४-६० द्वारा सेक्रेट्री के पद पर लिया गया। प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री दुर्गालाल बादशाह : अध्यक्ष महोदय, इन्फॉर्मेशन चूंकि मुझे अभी सप्लाई की गई है, इसलिये सप्लीमेन्टरी पर मैं अभी कुछ नहीं पूछ सकूंगा। आप इसको परसों तक पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष : आज समय रहा तो अन्त में ले लेंगे।

Next.

सिकराय तहसील के अग्नि पीड़ितों को सहायतार्थ दी गई धनराशि

४०९. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सिकराय तहसील में इस वर्ष कितने अग्निकांड हुए हैं और क्या अग्नि पीडितों की सहायतार्थ कोई धनराशि दी गई है ?

(२) यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : सन् १९६२ में १४ अग्निकाण्ड हुए और पीडितों को २३१८) रुपये सहायतार्थ धनराशि अनुदान स्वरूप दी गई।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मेरी जानकारी है कि कुछ ऐसे काण्ड हैं जिनमें पैसा नहीं मिला और कागजात आपके यहां से भेजे गये पर जवाब नहीं मिला।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा मैंने निवेदन किया कि २३१८) रु० तो दे दिये हैं। बाकी कागजात पूरे आने पर और दिये जा सकेंगे।

प्रश्न संख्या ४१०

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

बंदोबस्त आयुक्त

४११. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

बन्दोबस्त आयुक्त को बन्दोबस्त के कार्य के अलावा अन्य क्या क्या जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं तथा उन जिम्मेवारियों को निभाने हेतु वेतन के अलावा कितना २ अलाउन्स मिलता है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : बन्दोबस्त आयुक्त को बन्दोबस्त कार्य के अलावा पदेन संचालक भूमि एकीकरण का कार्य भी सौंपा गया है। जिसका कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि खुदकाश्त कमिश्नर और सीलिंग का काम भी उनको सौंप दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खुदकाश्त का काम जागीर कमिश्नर के पास है।

श्री भीमसेन : सीलिंग का काम किसके पास है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेटलमेन्ट कमिश्नर से वर्क आउट कराते हैं। अलग से कोई नहीं है।

बाडमेर में कालेज

४१२. **श्री उम्मेदसिंह** (बाडमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार बाडमेर में कोई कॉलेज खोलने का विचार रखती है ?

(२) अगर हां, तो कब तक ?

(३) नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) अभी कोई विचार नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) संकटकालीन स्थिति के कारण।

खर्च में कटौती के कारण कर्मचारियों की कमी

४१३. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ): क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सन् १९६२ में सरकार ने खर्च में कटौती करने के लिये कर्मचारियों की कमी की थी ?

(२) यदि हां, तो किस किस विभाग से कितने कितने कर्मचारियों की कमी की गई ? यह कमी किस श्रेणी के कर्मचारियों की की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : (१) जी हां।

(२) इस विषय में ब्यौरेवार विवरण संलग्न है। कमी में लाए गए लगभग सभी कर्मचारियों को अन्य बरावर के पदों पर नियुक्त कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री हीराभाई : अन्य बराबर के पदों पर नियुक्त कर दिया है इसका क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष : वे आज नौकरी के बाहर नहीं हैं, पर कहीं नियुक्त हैं।

श्री हीराभाई : मैं जानना चाहूंगा कि विकास विभाग को भी उसमें लिया है तो उसके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी तक कहीं नहीं लगाया गया; उनके बारे में जांच करके लगाने की कृपा करेंगे क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : नाम बताये जावेंगे तो ठीक उत्तर दे सकूंगा। जो जानकारी दी है मैंने, वह प्राप्त जानकारी के आधार पर है।

श्री हीराभाई : नाम लिखित में भेज दिये जावेंगे तो नियुक्त व करावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जरूर करावेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उनको देख-कर निर्णय करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो परमानेन्ट हैं उनके बारे में ही आपकी यह सूची है कि एब्जोर्व किया है आपने। क्या टेम्परेरी को भी रिट्रेन्च नहीं किया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : परमानेन्ट स्टाफ का तो है ही। ठीक से नहीं कह सकता, पर ६ महीने तक भी जो टेम्परेरी काम कर चुके हैं उनको भी एब्जोर्व करने की कोशिश की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टेम्परेरी में तो यह मानकर चलें कि उनमें से तो कुछ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
को रिट्रेन्च किया ही है, परमानेन्ट को आपने सबको एब्जोर्ब कर लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : करना जरूरी नहीं है, लकिन इसलिये मैंने कहा कि उनको भी एब्जोर्ब करने की कोशिश की है। पिछली बार मुझे जहां तक याद है ७ व्यक्तियों को छोडकर बाकी सबको एब्जोर्ब किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वर्क चार्ज वालों को रिट्रेन्च कर दिया है।

कन्या माध्यमिक शाला, रामगढ़ (अलवर)

४१४. **कुमारी उमा माथुर** (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रामगढ (अलवर) कन्या माध्यमिक शाला का भवन बहुत जीर्णशीर्ण हालत में है व उसमें मरम्मत की बहुत शीघ्र आवश्यकता है ? यदि हां, तो इस भवन की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी हां, । आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष में मरम्मत करा दी जावेगी यदि आर्थिक कठिनाई न हुई तो।

कुमारी उमा माथुर : यदि आर्थिक कठिनाई रही तो फिर पाठशाला का क्या होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मरम्मत नहीं हुई तो भी टिका रहेगा।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा) : आर्थिक कठिनाई का कारण क्या है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बडा व्यापक प्रश्न है। आप और हम सब जानते हैं। और आज फाइनेन्स मिनिस्टर बतायेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : नये नये स्कूल बन रहे हैं और इस बिल्डिग के लिए कह रहे हैं कि आर्थिक कठिनाई है। यह तो मामूली सा काम है और इसको कर देना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आर्थिक कठिनाई न हुई तो अगले वर्ष हो जायेगा।

कुमारी उमा माथुर : क्या भवन का निरीक्षण स्वय मंत्री महोदय ने किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो टेक्नीकल साइड है, वह मैं समझता नहीं। आप चाहेंगी तो देख लूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : कभी सरकार ने यह भी कहा है कि आर्थिक कठिनाई से खुशहाली है ? इसकी कोई लिमिट भी होगी ? हमेशा यही चिल्लाते रहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य :चिल्लाते नहीं निवेदन करते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं तो लिमिट पूछ रहा हूं, निवेदन या किसी भी भाषा से देखें यह आर्थिक कठिनाई का संकट कब दूर होगा ?

श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : क्या बजट पास होते ही आर्थिक कठिनाई दूर हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : और बढ जायगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

पंचायत समिति पाटन की कैशबुक

४१५. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, पाटन की कैशबुक गायब कर दी गई थी ?

(२) यदि हां, तो कैशबुक गायब हो जाने की जानकारी कब हुई तथा विकास अधिकारी ने कब इसकी रिपोर्ट पुलिस को या अन्य अधिकारियों के पास भेजी ?

(३) क्या यह सही है कि इस मामले को दबाने के लिए वहां के बी० डी० ओ० ने पूरा प्रयास किया, किन्तु सरपंचों के द्वारा कलैक्टर को इसकी सूचना देकर कार्यवाही को आगे बढ़वाया गया ?

(४) यदि हां, तो कैशबुक गायब करने वाले दोषी अधिकारियों के साथ क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या यह सही है कि इस कैशबुक को गायब करने का कारण हजारों रुपयों का गोलमाल था ? यदि हां, तो पुलिस की जांच का क्या निर्णय रहा तथा विकास अधिकारी व दोषी व्यक्ति को क्या दण्ड दिया गया ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) यह सच है कि कैशबुक गायब हो गई।

(२) विकास अधिकारी को कैशबुक गायब होने की जानकारी दिनांक १४-७-६१ को हुई। उसने प्रधान जी को दिनांक १७-७-६१ को, जिला विकास अधिकारी को दिनांक ५-८-६१ को व पुलिस को दिनांक ७-८-६१ को सूचना भेज दी।

(३) इसके बारे में निश्चित तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(४) पुलिस में इस मामले की तफतीश हो रही है।

(५) अब तक की जांच से यह मालूम नहीं होता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक पंचायत समिति में कैशबुक गायब हो जाये जिसको मंत्री महोदय ने भी अपने उत्तर में स्वीकार किया है और प्रधान ने बी० डी० ओ० को इसकी सूचना नहीं दी। बी० डी० ओ० का ट्रान्सफर हो गया है और पंचायत समिति में इस तरह से गोलमाल हुआ है। आपने कहा है कि पुलिस को मामला दे दिया है और वह भी इतने दिनों बाद। ऐसे अधिकारी को दण्ड मिलना चाहिये। उसमें जितना लोन दिया गया था उसका सारा हिसाब है और जितनी भी कार्यवाही की गयी उसकी जानकारी सदन को करायी जानी चाहिये कि दोषी कौन है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करके उसको सजा दी जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने अपने भाषण में बहुत सी बातें कह दी लेकिन मुख्तसिर यह है कि जो दोषी पाया जायेगा उसको

Page No 13

(श्री रामप्रसाद लडढा)
नियमानुसार सजा दी जायेगी और दोषी के लिए कार्यवाही चल रही है। दोनों बातों का इसी प्रकार उत्तर है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या केस पुलिस में रजिस्टर कराया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: पुलिस को ७-८-६१ को लिखित में सूचना दे दी और तफतीश जारी है।

श्री भैरोंसिंह: क्या पुलिस ने केस रजिस्टर किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जो सूचना दी है उसके आधार पर ही तो केस रजिस्टर हुआ है।

श्री भैरोंसिंह: आपके डिपार्टमेन्ट को इस बात की जानकारी है या नहीं कि केस रजिस्टर है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हुआ है या नहीं, इसकी मुझे इस समय जानकारी नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल): कलेक्टर को जो इत्तला दी बी० डी० ओ० ने तो जानकारी मिलने में इतना समय क्यों लगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसकी जांच की जा रही है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

श्री हरिदेव जोशी: कैशबुक की कस्टडी के लिए बी० डी० ओ० जिम्मेदार नहीं है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कैशबुक की कस्टडी के लिये कैशियर भी जिम्मेदार है और बी० डी० ओ० भी है; सभी जिम्मेदार हैं।

श्री हरिदेव जोशी: प्राइमाफेसी आप यह मानते हैं कि कैशबुक का गायब हो जाना अपने आप में बहुत गम्भीर घटना है और उसके लिए बी० डी० ओ० और कैशियर दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार हैं; तो इसके लिए उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये और यह विषय गम्भीर है तो इसकी गम्भीरता को तो नजर-अन्दाज नहीं किया जा रहा है और इसके बारे में खूब प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से इसका पता लगे। और जो विकास अधिकारी है और कैशियर है उन सब के खिलाफ तफतीश जारी है।

श्री हरिदेव जोशी: सन् १९६१ में गायब हुई कैशबुक के बाबत तो डेफीनिट एक्शन नहीं लिया जाना, क्या अपने आप में गम्भीर चीज नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: गम्भीर एक्शन तो लिया गया, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकला-यह कहा जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह: एक्शन क्या लिया गया सिवाय इसके कि आपने पुलिस में मामला भेज दिया ? इसके अलावा क्या एक्शन लिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: एक्शन लेने के फलस्वरूप कार्यवाही हो रही है और उसमें कुछ चीजें सामने आई हैं। उन प्रासीडिंग्ज के बारे में मैं अभी सदन में नहीं कहना चाहता क्योंकि उनके बारे में कुछ कहने से इन्क्वायरी प्रेजुडिस हो सकती है। और कई प्राइमाफसी बात भी सामने आई है।

Page No 14

श्री भैरोंसिंह : जो फैक्ट्स आपके सामने आये हैं उनको ही आप बता दीजिये हम आपसे ओपीनियन नहीं पूछ रहे हैं । We don't want to know your opinion but we want to know the facts.

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कैशबुक के पेज गुमशुदा किसी जगह बरामद किये गये हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या बी० ओ० सस्पेन्डन्ड हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं किया ? वह कैशबुक प्रिजर्व करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे और हैं तो उनको सस्पेण्ड क्यों नही किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके बारे में रेस्पोन्सिबल होने के आधार पर ही उनको सस्पेन्ड किया जाये, यह आवश्यक नहीं है ? सस्पेण्ड करने के लिए और दूसरी चीजें भी देखनी पडती हैं कि डाइरेक्टली किस की गफलत से या जिम्मेदारी से या किसके क्रिमिनल इन्टेन्शन से यह हुआ और प्राइमाफेसी होने से यह कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के धारा ३९ के अनुसार जिस व्यक्ति के पास कैशबुक रहती है वह डाइरेक्टली रेस्पोन्सिबल है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह : तो जब वह डाइरेक्टली रेस्पोन्सिबिल है तो उसको सस्पेण्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जायगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कैशबुक गायब होने में अभी तक शक है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस पर तो शक नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तो फिर प्राईमाफेसी रेस्पोन्सिबिलिटी तो हो ही गयी ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप इस आवश्यक कार्यवाही की परिभाषा तो दे वें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे सर्कमस्टान्सेज के अन्दर जो कार्यवाही की जानी चाहिए वह उनके खिलाफ जल्दी की जायेगी ।

श्री विजयसिंह झाला : पुलिस में दरअसल में केस एन्टर हुआ या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका जवाब पहले में दे चुका हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या सरकार अनुभव नहीं करती है कि जानबूझ कर ढिलाई बरती गयी है ? क्या सरकार नहीं मानती कि "Justice delayed is justice denied"?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके संबंध में कार्यवाही चल रही है, उसको शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाय इसके संबंध में कदम उठाये जायेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि इस तरह से कैशबुक गायब होना और इतने दिन ढिलाई होना इससे एन्करेजमेन्ट मिलेगा

Page No 15

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

दूसरों को ? जहां से गायब नहीं हुई हैं वहां से भी गायब ही जायेंगी और इस तरह की नकल दूसरी जगह होने लग जायेगी ? उन्होंने इसकी नकल की होगी ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि यह प्रश्न १२ महीने पहले भेजा गया था और १२ महीने के बाद यहां प्रस्तुत किया गया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : Next, Shri Teja Ram Gahlot.

जागीर कमिश्नर के फैसलों के विरुद्ध राजस्व मण्डल में पेश की गई अपीलें

४१६. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९५६ से १९६२ तक कितनी कितनी अपीलें राज्य सरकार ने जागीर कमिश्नर के फैसले के विरुद्ध राजस्व मण्डल में पेश की ? सालवार बताया जावे ।

(२) ऐसी अपीलें सन् १९६२ तक कितनी फैसल हुई व फैसलसुदा अपीलों में कितनी अपीलें मन्जूर हुई व कितनी खारिज हुई ?

(३) उपरोक्त अर्से में कितनी अपीलें राज्य सरकार ने कब कब विथड्रा की व वे किन किन जागीरदारों की थीं और विथड्रा करने के क्या कारण थे ?

(४) जिन जागीरदारों के विरुद्ध की गई अपीलें राज्य सरकार ने विथड्रा की वे किन किन आधारों पर पेश की गई थी व कब कब ?

(५) जिन जागीरदारों के विरुद्ध की गई अपीलें राज्य सरकार ने विथड्रा की उन जागीरों की रेन्टल इन्कम रिजम्पशन की साल क्या थी व जागीर कमिश्नर ने अपने फैसले में उक्त जागीर की कुल कितनी आमदनी सालाना मुआवजे के लिए क्या मान कर फैसला किया था ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जागीर कमिश्नर के फैसलों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा सन् १९५८ से राजस्व मण्डल में अपीलें की गई । सन् १९५८ से १९६२ तक ३१६ अपीलें की गई जिन का सालवार विवरण निम्न प्रकार है :—

१९५८	२१
१९५९	९४
१९६०	१३३
१९६१	५३
१९६२	१५
योग	३१६

(२) सन् १९५८ से १९६२ के अर्से में २१९ अपीलें फैसल हुई जिनमें १९६ मंजूर हुई तथा २३ अपीलें खारिज हुई ।

(३) २३ जागीरों के दावों के दस्तावेजात की पुनः जांच करने पर प्रतीत हुआ कि जिन रकूमात को अपील में चैलेन्ज किया गया था वह वास्तव में जागीरदार को हुई थी । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने उनको विथड्रा कर लिया । विवरण सहित सूची संलग्न है ।

(४) विवरण सहित सूची संलग्न है ।

(५) विवरण सहित सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह बात सच है कि आपने जो उत्तर प्रश्न संख्या (३) में दिया है कि जिन रकूमात को अपील में चलेंज किया गया था वह वास्तव में जागीरदार को हुई थीं ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने उनको विथड्रा करली। आपने जो लिस्ट दी है उसमें नं० १४ पर जो जागीर है सिरीयारी की उसकी आय के विरुद्ध आपने अपील सैटलमेन्ट रेट के बारे में की और बाद में उसे विथड़ा की, वह रेट सैक्शन में सही मानी गई थी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आइटम नं १४ में जिस अपील को विथड़ा किया उसका कारण कोलम नं०८ में दिया है।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने जिस कारण को लेकर अपील की उसको सैटलमेन्ट रेट पर मिलना चाहिये था। आपने धारा ७ में विथड़ा की है व ह सही पाई गई या उस कारण के विरुद्ध विथड़ा किया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : धारा ७ की जांच के अनुसार मिल गया, ठीक पाई गई इसलिये विथड़ा की गई।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी मेरे प्रश्न को इवेड करते हैं।

धारा ७ में कंपेनसेशन दिया है। अपील पेश की कि सैटलमेन्ट के आधार पर मिलना चाहिये। जिस कारण से अपील की उस कारण के विरुद्ध अपील क्यों विथड़ा की गई इसका सरकार जवाब दे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३३-३४ केसेज को विथड़ा करने का सवाल है। मुझे यदि यह पता होता कि कौन से पर्टिकुलर केस के बारे में आप पूछेंगे तो मैं उसकी जानकारी करके आता। पर्टिकुलर केस की जानकारी पूछते तो जिस आधार पर विथड़ा किया उसकी जानकारी देता।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिन मामलों में अपील न की गई उन अपीलों को पेश करने से पहले जांच करली गई थी कि अपील करने में गुंजायश है और इस जांच के बाद अपील दायर करने का निर्णय लिया गया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्राइमाफेसी तो अपील करने की गुंजायश होने पर ही अपील की जाती है।

श्री भैरोंसिह : इस पर्टिकुलर केस में अनकंडीशनल अपील विथड़ा की थी, रीजन्स नहीं देकर विथड़ा की या रीज़न्स देकर विथड़ा की थी?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कह चुके हैं कि लिस्ट इतनी बड़ी है कि व्यक्तिगत केसेज के तौर पर नहीं बताया जा सकता। यदि आप अलग से पर्टिकुलर केस के बारे में पूछना चाहते हैं तो वैसा नोटिस देना चाहिये।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या सरकार ने अपील की उस समय राजस्थान सेटलमेन्ट रेन्ट्स रिट्रास्पेक्टिव एप्लीकेशन (वेलीडशन)

Page No 17

(श्री तेजाराम गहलोत)
एक्ट, १९५८ के अनुसार की और उस एक्ट के अनुसार इस अपील को गलत मानकर विथड्रा किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस समय तो मैं यह नहीं बता सकता।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं आश्वासन चाहूंगा कि इसकी जांच की जायगी। यह आश्वासन सदन में दें। यदि अपील का कानून के मुताबिक विथड्राअल गलत है तो उसके लिये आवश्यक कदम उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : That is all hypothetical

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आपने अभी संख्या बताई कि २३१ फैसले हुए उनमें से १९६ में अपील मंजूर हुई तो क्या गवर्नमेन्ट ने इस बात को नोटिस में लिया कि उन्होंने इस प्रकार का जागीर कमिश्नर रखा जिसके फैसलों के खिलाफ २३१ अपीलों में से १९६ अपीलें मंजूर हुई, तो क्या वह प्रो–जागीरदार फैसले नहीं करता है और उसके लिये कदम उठाये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जो फिगर्स बताये उनकी इन्क्वायरी नहीं की।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं इनसिस्ट करूंगा कि मंत्री जी इसकी जांच करावें और सदन को आश्वासन दें। व्यक्तिविशेष को फायदा देने के लिये अपील विथड्रा की गई जो कानून के अनुसार ठीक नहीं है। मैं इस बात को चेलेन्ज करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

स्टीमर चलाने के प्रयास में दुर्घटना।

४१७. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या मंत्री, राजस्थान केनाल प्रोजक्ट उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के लखवाली हैंड के प्रस्तावित उद्घाटन के सिलसिले में प्रयोगात्मक रूप से एक स्टीमर चलाने का प्रयास किया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि इस स्टीमर के उलट जाने के कारण एक मैकेनिक की मृत्यु हो गई ?

(३) यह स्टीमर किन किन अधिकारियों की उपस्थिति में नहर में चलाया गया व किसकी आज्ञा से ?

(४) इस स्टीमर का निर्माण कब, कितनी लागत से और किसके हुक्म से कराया गया ?

(५) क्या इस स्टीमर का रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया था ? यदि हां, तो कब ?

उप-मंत्री राजस्थान केनाल प्राजेक्ट (श्री दौलतराम सारण) : (१ व २) राजस्थान नहर के लखवाली हैंड के प्रस्तावित उद्घाटन के सिलसिले में प्रयोगात्मक रूप से कोई स्टीमर नहीं चलाया गया। संभवतः स्टीमर से माननीय सदस्य का तात्पर्य मोटर बोट से है। एक किश्ती (बोट) में इन्जन फिट किया गया था जिसकी ट्रायल के समय दिनांक ११-८-६२ को एक फिटर की मृत्यु हो गई।

(३) मोटर बोट की ट्रायल के समय निम्नलिखित कर्मचारी उपस्थित थ:—

१. श्री सोभागराम ओवरसियर

Page No 18

उप-मन्त्री राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट

१.	श्री दौलतराम सारण	
२.	श्री काशीराम	चार्जमैन
३.	श्री बलवंतसिंह	मैकेनिक
४.	श्री सुखदेवसिंह	मोटर ड्राइवर
५.	श्री निर्मलसिंह	हैल्पर
६.	श्री जरनेलसिंह	हैल्पर
७.	श्री मनोज प्रकाश	हैल्पर
८.	श्री मनोहरलाल	फ़िटर

श्री अर्जुनसिंह, सहायक अभियन्ता, सब-डिविजन, हनुमानगढ़ जंक्शन की आज्ञा से यह मोटर बोट ट्रायल के लिये चलाया गया था।

(४) राजस्थान नहर बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष की आज्ञा से सन् १९६१ में दो इन्जन किश्तियों में फ़िट करने के लिये मंगवाये गये थे। एक इन्जन किश्ती में व दूसरा इन्जन हनुमानगढ़ वर्कशाप में फ़िट किया गया था। एक किश्ती व इन्जन की कीमत लगभग ३०००) रुपये थी।

(५) चूंकि किश्ती उस समय तक तैयार नहीं थी, इसलिये उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि किसी ऐसी मोटर बोट का जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो उस समय तक ट्रायल नहीं किया जाता ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक चालू ही न हो तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कराया जायगा, यह स्वयं सोच सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : पानी में उतारने से पहले रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता थी या नहीं ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : प्रोसेस में थी, ठीक इन्जन फिट हो गया या नहीं, चलाने लायक हुई या नहीं; इसका यकीन न हो उससे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : वह तो आप एक्ट देख लेंगे तो पता लग जायगा कि पानी में उतारने से पहले भी परमिशन ट्रायल की लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के ट्रायल नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह धारा देखी नहीं है, देख लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने मोटर बोट बनाने के लिये सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली थी और बजट प्रावधान रखा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। राजस्थान केनाल बोर्ड के चैयरमेन को बहुत बड़े अधिकार हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि इस प्रकार की परमिशन नहीं ली ?

श्री नाथूराम मिर्धा : परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने आज्ञा नहीं दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने आज्ञा दी कि दो बोट्स तैयार करें। पानी बिखरा हुआ है, एमर्जेन्सी में इधर उधर जाना पड़ता है इसलिये इस प्रकार के बोट्स तैयार करें कि एमर्जेन्सी में जरूरत हो तो पास कर लें।

श्री भैरोंसिंह : क्या लिखित आदेश दिया गया है कि दो मोटर बोट्स तैयार की जायं और उसके लिये मशीन खरीदी जाय ?

Page No 19

श्री नाथूराम मिर्धा: लिखित आदेश देने की आवश्यकता नहीं है । वहां के हालात को देख कर छोटी-मोटी बातों के लिये इन्सट्रक्शन्स दे सकते हैं ।

श्री भैरोंसिह इन्सट्रक्शन्स कैसे देंगे? लिखें तब तो देंगे । बनिये की दुकान तो नहीं है कि बाजार से उठा कर ले आवें ।

श्री नाथूराम मिर्धा: लिखित में देन की आवश्यकता हो तो दे सकते हैं । जुबानी भी हुक्म दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : जिस अधिकारी को खरीदने का अधिकार था उसको फाइनेन्शियल पॉवर्स भी तो होंगे?

श्री भैरोंसिह : मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि जिसने खरीदी उनको पॉवर्स हैं क्या ? उनको पॉवर्स नहीं हैं और चेयरमेन ने लिखित में आज्ञा नहीं दी तो फिर कैसे खरीदी ?

श्री नाथूराम मिर्धा: चेयरमैन ने आज्ञा दी थी कि इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिये। उस समय एसिस्टेन्ट इंजीनियर वगैरह उनके साथ थे । उन्होंने शुरू कर दिया । १५०० में दो नौकाएं तैयार करने के लिये और वर्क शॉप में इंजन फिट करने के लिये ओर्डर दे दिया ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि मोटर बोट में जो मशीन लगाई गई वह इस पर्पज के लिये नहीं खरीदी गई ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मोटर बोट ही उसके लिये खरीदी गई थी ?

श्री भैरोंसिह : मैं चेलेन्ज करता हूं कि २ इंजिन इसके लिये खरीदे गये थे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पूरी जानकारी कर लें । मेरी जानकारी तो यह है कि दो इंजन इस पर्पज के लिये कोटा से मंगाये गये थे ।

श्री भैरोंसिह : मैं चम्बल की बात नहीं पूछता, खरीदने की बात पूछता हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा: मशीन खरीदने की बात ही कहां है, चम्बल से मंगाई गई थी ।

श्री जोधसिंह (गिरवा): क्या यह भी सही है कि किसी तालाब में भी यदि बोट चलायें तो लाइसेन्स लेने की जरूरत है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से हरएक बोट को किसी तालाब में चलायें तो लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत): इस मोटर बोट के डूब जाने के बाद एमर्जेन्सी के लिये कोई दूसरी सुविधा उपलब्ध कर ली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा नहीं ?

श्री मानिकचंद सुराणा : आपका एक मोटर बोट डूब गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : डूबा नहीं, उल्टा हुआ है । उसी वक्त वापिस सुल्टा हो गया। लेकिन आदमी बह कर चला गया ।

श्री मानिकचंद सुराना : मेरा प्रश्न यह है कि क्या वहां पर २ मोटर बोट्स की सुविधा उपलब्ध है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां

श्री भरोंसिंह : क्या उस आदमी को कम्पेन्सेशन दे दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां जी, उस आदमी के लिये तीन हजार रुपया कम्पेन्सेशन के नाम से जमा करवा रखा है । जो कोर्ट फैसला करेगी उतना दे देंगे ।

प्रश्न संख्या ४१८

श्री अध्यक्ष–श्री नाथूलाल करौल ।

(अनुपस्थित)

श्री हरदत्तसिंह ।

कुर्कियों की तामीलें–तहसील भादरा और नौहर

४१९. **श्री हरदत्तसिंह** (नौहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

तहसील भादरा व तहसील नौहर में इस वर्ष आषाढ से लेकर भादों की पूनम तक महकमा माल व कॉलोनाइजेशन के अधिकारियों द्वारा लगान, तावान व किश्तों की वसूली में कुल कितनी कुर्कियां जारी व तामील हुईं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): महकमा भादरा कॉलोनाइजेशन विभाग द्वारा कोई भी कुर्की इन तहसीलों में इस वर्ष जारी नहीं की गई है । इन कुर्कियों की तामील का तब कोई प्रश्न नहीं उठता ।

माल विभाग द्वारा जारी की गई कुर्कियों की व उनकी तामील के बावत इन तहसीलों में इस वर्ष स्थिति निम्न प्रकार है:—

(अ) तहसील नौहर—

(१) जारी की गई कुर्कियों की संख्या ४०१ ।

(२) तामीलशुदा कुर्कियों की संख्या ३१४ ।

(ब) तहसील भादरा–

(१) जारी की गई कुर्कियो की संख्या २० ।

(२) तामीलशुदा कुर्कियों की संख्या २० ।

श्री हरदत्त सिंह : क्या आपको यह जानकारी है कि इन कुर्कियों में किसानों के बैल और ऊंट कुर्क किये गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जानकारी नहीं है। कुर्की में जो सामान लिया जा सकता है वह कुर्क किया गया है ।

श्री हरदत्त सिंह : क्या आपको जानकारी है कि इन कुर्कियों में भादरा के बिहारीपुरा वारा से फटे हुए चिथड़े कुर्क किये गये जिनकी कुछ भी कीमत वसूल नहीं हो सकी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे इस प्रकार की सूचना नहीं है ।

श्री मानिक चंद सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, यह कुर्कियों का प्रश्न है । **इसमें तहसीलदार द्वारा wearing apparel पहनने के कपड़े, माछा, बैल, ऊंट आदि कुर्क किये जाते हैं । सरकार या मंत्री महोदय इस** प्रकार स्पेसिफिक आदेश जारी करते हैं, हालांकि नियमों में प्रावधान है, लेकिन उन नियमों का उल्लंघन होता है इसलिये सरकार नायब तहसीलदार और तहसीलदार को आदेश दे कि इन प्रोवीजन्स का स्ट्रिक्टली ध्यान रखा जाय और किसानों को बेमतलब परेशान नहीं किया जाय ।

Page No 21

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसानों को बे-मतलब परेशान न किया जाय, नियमों का पालन किया जाय, यह हर ऑफिसर का कर्त्तव्य है। फिर भी इस प्रकार की शिकायत किसानों की हमारे पास आये जिसमें किसी ऑफिसर ने नियमों का पालन नहीं किया है; तो उसके लिए नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री मानिकचंद सुराणा : शिकायत तो इस सदन में की जा रहीं है, यह हकीकत है । फिर नियमों का जहां पालन नहीं किया जाय और हर बार किसान शिकायत पेश करें, यह उनके लिए सम्भव नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई चीज प्राइमाफेसी होनी चाहिए, जिसके आधार पर कोई कार्यवाही की जा सके ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बीसों मुकदमें इस प्रकार के हर साल हम करते हैं कि किसान का ऊंट कुर्क किया गया है, काश्तकार के कपडे कुर्क किये गये हैं, बैल कुर्क कर दिया गया है और बाद में कलेक्टर उनको छोडते हैं । तो प्रश्न यह है कि किसान को हर समय जो परेशानी पैदा होती है, उसके लिए वह हर बार अपील करे और शिकायत पेश करे, यह कहां तक उचित है ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा:** किसानों को परेशानी न हो, इस बात की व्यवस्था की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : ४२० ।

श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): प्रश्न संख्या ४२० ।

श्री **योगेन्द्र नाथ हांडा** (रायसिंहनगर): ४२० भी आपके जिम्मे आया !

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इनको क्या आपने नियुक्त कर रखा है अपने लिए, अपनी केटेगरी के लिए ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई यह आप ले सकते हैं, चाहें तो ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह दोनों ही कांग्रेस पक्ष से हो रहे हैं ।

एस० डी० ओ० भीनमाल का भीनमाल एवं सांचौर में हेडक्वाटर

४२०. श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सच है कि जिला जालौर में १-९-६२ से जुडीशियरी अलग होने पर सांचौर तहसील के सारे रेवेन्यू केसेज एस० डी० ओ०, भीनमाल के पास मुन्तकिल कर दिये गये हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार स्पीडी डिस्पोजल एवं जनता की सुविधा के लिए एस० डी० ओ०, भीनमाल के भीनमाल एवं सांचौर दोनों ही जगह हैडक्वार्टर मुकर्रर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय कब तक कर दिया जावेगा ?

(२) क्या सरकार एस० डी० एम० का काम तहसील सांचौर का सांचौर हैडक्वार्टर पर करने का आदेश जारी करेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) यह सही है कि जिला जालौर में १-९-६२ से जुडीशियरी अलग होने पर सांचौर तहसील के सारे रेवेन्यू केसेज

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एस० डी० ओ०, भीनमाल के पास मुन्तकिल कर दिये गये हैं। एस० डी० ओ० आवश्यकतानुसार मुकदमें अपने हैडक्वार्टर के अलावा दूसरी जगह भी सुन सकते हैं। अतः सांचौर को भी एस० डी० ओ० का हैड क्वार्टर बनाने की जरूरत नहीं है।

(२) सरकार ऐसे कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं समझती। वैसे एस० डी० ओ०, भीनमाल ने अब तक सांचौर तहसील के सारे मुकदमों की सुनवाई सांचौर में ही की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इस आदेश की जरूरत वैसे तो नहीं समझते जैसा आप फरमाते हैं परन्तु सांचौर के लोगों की भीनमाल में पेशी होती है, उसकी क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी तक तो ऐसी कोई डिफीकल्टी नहीं आई है। जैसा मैंने निवेदन किया कि सांचौर के मुकदमों की सुनवाई सांचौर में ही की गई है। वैसे उनको अधिकार है जहां चाहे वे सुनवाई कर सकते हैं। उस अधिकार का उपयोग करते हुए भी वे सांचौर में सुनवाई कर रहे हैं और एक मुकदमें की दूसरी जगह सुनवाई नहीं हुई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भीनमाल में पेशी करते हैं, केवल सांचौर का ही प्रश्न नहीं है, कभी इधर करते हैं कभी उधर करते हैं। सांचौर का वर्क लोड है, उसको देखते हुए लोगों को परेशानी होती है। यह जानकरी करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य जानते हैं कि एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर दो जगह नहीं हो सकते।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सांचोर का जो वर्क लोड है, उसको देख कर ऐसे आदेश जारी करें जिससे जल्दी डिस्पोजल हो और जनता की सुविधा के लिये काम करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सांचोर में ही सारे मुकदमें फैसल करते हैं। आवश्यकता के अनुसार दो-चार मुकदमें, जो इमीजियेट नेचर के हों और किसी पार्टी ने जल्दी फैसला चाहा हो तो पेशी दूसरी जगह भी हो सकती है। इसके लिये मैं नहीं कह सकता। वैसे आम तौर पर ऐसा होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इसे ही शिकायत समझ लीजिये। ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स होंगे तो लोगों को सुविधा होगी और डिस्पोजल भी ज्यादा होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

तहसील सराडा के काश्तकारों की भूमि का मुआवजा

४२१. श्री **देवीलाल (सराडा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील सराडा के किन किन गांवों के काश्तकारों की भूमि रेल्वे लाइन में एक्वायर की गई है ?

(२) क्या किन्हीं गांवों के काश्तकारों को मुआवजा चुकाना बाकी है ? यदि हां, तो किन किन गांवों के काश्तकारों को ?

(३) क्या यह सही है कि रेल्वे लाइन के अन्दर तथा पास सिंचाई के जो कुएं बेकार हो गये हैं उनका भी मुआवजा नहीं चुकाया गया है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील सराड़ा में कुल ३४ गांव हैं जिनकी भूमि रेल्वे लाइन के लिये अवाप्त की गई है। ग्रामों के नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कुल १० गांवों की भूमि का भुगतान मुआवजा किया जाना शेष है। सिगटवाडा, रेपोतलाई, पालडा, देवपुरा, सुरखन्डखेडा, कुराडिया, मतोडा, सगतडी, कुन्डा और तेजपुर।

(३) जिस कदर कुए रेल्वे लाइन के अन्दर तथा पास में आए और जो बेकार हो गये उनको मुआवजा अब तक नहीं दिया जाने के कारण सूची में नीचे अंकित कर दिये गए हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री **देवीलाल** : इन गांवों की जमीन रेल्वे को कब दी गई थी ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : इसकी तो जानकारी नहीं है। शायद दो-तीन वर्ष हो गये हैं।

श्री **जोधसिंह** (गिरवां) : क्या सरकार को जानकारी है कि उनको मुआवजा नहीं मिला है ......

श्री **अध्यक्ष** : आप जनरल क्वेश्चन न पूछें। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं माननीय सदस्य। श्री देवीलाल।

श्री **देवीलाल** : इस भूमि को कितने साल हुए काश्तकारों से लिए हुए ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने कहा, दो-तीन साल।

श्री **देवीलाल** : मुआवजा अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : ऐसा है, आप लिस्ट उठा कर देखें। ३४ गांव हैं, ३४ गांवों में करीब करीब सब जगह मुआवजा मिल चुका है। दस गांवों में बाकी हैं, उसका कारण मैंने बताया कि रेल्वे विभाग को एस्टीमेट बनाने के लिए लिखा जा चुका है और एस्टीमेट आते ही पेमेन्ट कर दिया जायगा। इस प्रकार के जितने इन्डीविजुअल केसेज हैं उन केसेज के बारे में जो गवर्नमेन्ट कार्यवाही कर रही है वह कारण सहित बता दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : जो फसल खडी थी, उस फसल को बरबाद कर दिया गया। उसका मुआवजा दिया जाता है ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : उसके लिए उसमें लिखा है।

श्री **दलपतसिंह** (आबू) : अध्यक्ष महोदय, यह जनरल बात है कि जिन किसानों की जमीन सड़क में आ गई है उनको मुआवजा नहीं मिलता है और साथ ही उन किसानों से बीघोडी वसूल होती है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिय जिससे किसानों से बीघोडी वसूल न हो।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: मैंने बताया कि दस गांवों के कुछ आइटम्स बाकी हैं, जिनके बारे में मुआवजा रेल्वे से मिलना चाहिए; इसलिए देरी हुई।

श्री **दलपतसिंह** : राजस्थान के अन्दर ऐसे काफी काश्तकार हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है और......

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: यह प्रश्न रेल्वे लाइन का है।

श्री **दलपत सिंह**: मैं जनरल प्रश्न पूछ रहा हूं सराडा गांव के लिए. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि काश्तकार तीन-तीन साल से बैठे हैं, उनको जल्दी मुआवजा मिल जाना चाहिए ।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: मुआवजा जल्दी मिले, इसके बारे में सरकार सतर्क है और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मिल जाय ।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): दस दस साल से……

श्री **दलपतसिंह**: अध्यक्ष महोदय, बीघोडी आज भी किसानों से वसूल हो रही है । सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो सडक निकली, उसके अन्दर जो काश्तकारों की जमीन आ गई उनसे भी आज बीघोडी वसूल हो रही है ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: गवर्नमेंट ने आदेश दे दिये हैं कि जो जमीन सडक में आ जायगी उससे लगान वसूल न किया जाय, राइट ऑफ कर दिया……

श्री **दलपतसिंह**: अब तक क्या हो रहा है ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: पूरी बात सुन लीजिये। हो सकता है कि कहीं इस प्रकार के उदाहरण हों, लेकिन ये आदेश दे दिये गये हैं कि वह राइट ऑफ हो जायगा । अगर अब तक वसूल हो गया है, तो जो रकम लगान की आगे वसूल की जाने वाली होगी, उसमें से एडजस्ट कर दी जायगी । अगर एडजस्टमेंट का सवाल नहीं है तो रिफन्ड करने का सवाल आ सकता है । गवर्नमेंट ने स्पष्ट आदेश दे दिये हैं, अगर फिर भी पालन नहीं हुआ है, ऐसे उदाहरण आने पर सख्त से सख्त उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी ।

श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): इसमें एक प्रश्न है……

श्री **अध्यक्ष**: Order please! Shri Laxman Singh.

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): अध्यक्षमहोदय, इन किसानों को, सराड़ा तहसील वालों को, जिन्हें मुआवजा अब तक नहीं मिला है, मुआवजा देने की कब तक व्यवस्था की जायगी ?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: मैंने निवेदन किया कि जल्दी से जल्दी ।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर): जल्दी से जल्दी क्या ?

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह**: अध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी का उत्तर मेरे ख्याल से संतोषजनक नहीं है । मैं जानता हूं कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, कई महीनों से नहीं मिला है और मुआवजा जिन लोगों को नहीं मिला है उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, उप मंत्री उत्तर देते हैं 'जल्दी से जल्दी इस बारे में व्यवस्था की जायगी' । क्या जल्दी ? इसमें तो जल्दी नहीं ढिलंगाई है ।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा**: ऐसा है, जिन…

मुख्य मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाडिया): इसमें अभी रेल्वे की तरफ से लिखा हुआ आया है, इन सारे केसेज को एक्सपीडाइट

Page No 25

(श्री मोहनलाल सुखाडिया-) करने के लिए एक स्पेशल लेंड एक्वीजीशन आफिसर नियुक्त कर दिया गया है जिससे सारे मामले हल हो जायं और ढिलाई नहीं हो । सरकार इस बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके ऑर्डर्स इस्यू कर देगी और उसके बाद डिस्पोज ओफ कर देंगे ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : रेलवे ने कब लिख कर भेजा ?

श्री अध्यक्ष : Next. Shri Mahendra Singh.

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप इतनी देर शांत क्यों बैठे रहे ?

श्री हीराभाई : मैं यह पूछना चाहता हूं कि लगान के आधार पर या आमदनी के आधार पर उन लोगों को मुआवजा दिया जाता है । एक रुपये के लगान की जमीन में वे लोग अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करते हैं और जिस समय उनको मुआवजा दिया जाता है तो १० गुणा मुआवजा दिया जाता है । एक तरफ जो लोग भूमिहीन होते हैं उनको भूमि दिलाने की बात है तो दूसरी तरफ जो भूमि रखते हैं उनको बेदखल किया जाता है । इसमें सरकार की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : Next. Shri Mahendra Singh.

तहसील लाडपुरा द्वारा भूमिहीन किसानों को एलाट की गई भूमि

४२२. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा में तहसील लाडपुरा द्वारा जो जमीनें अलॉट भूमिहीन किसानों को दी गई है वह ऐसी जमीनें हैं जिस पर दूसरे किसानों का कब्जा है ? यदि हां, तो फिर ऐसी जमीन क्यों अलॉट की गई ?

(२) क्या कुछ आराजी जो अलॉट की गई है वह ऐसी भी है जिस पर जंगलात विभाग किसानों को कास्त नहीं करने देता ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं, जिस भूमि पर दूसरे काश्तकारों का कब्जा है, ऐसी भूमि किसी काश्तकार को अलॉट नहीं की गई ।

(२) वन विभाग से कागजात पटवार में हद जंगलात का डिमार्केशन नक्शा लठे में माह दिसम्बर सन् १९६२ में किया गया है जिसके अन्दर १८ काश्तकारों की १७४ बीघा भूमि अलाट शुदा हद जंगल की आ गई है । यह अलाटमेन्ट माह जून ६२ में हुआ है । वन विभाग की तहरीर पर वह अलाटमेंट केंसिल करने की कार्यवाही कलैक्टरी कार्यालय में जेरकार है जिस पर काश्तकारों से पूछ-ताछ की जा रही है ।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर साहब ने पट्टे इश्यू कर दिये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मुझे मालूम नहीं । .

कु० श्री महेन्द्रसिंह : इश्यू हो गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है, उसके बाद में मालूम पडा हो कि यह गलत हो गया है तो गलती को दूर किया जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या उसके खातेदारी राइट्स को छीनने के लिये यह इस प्रकार से किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा है कि वन विभाग की तहरीर पर वह अलाटमेंट कैन्सिल करने की कार्यवाही कलेक्टरी कार्यालय में जेरकार है। उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। इसलिये कोई राइट एक्वायर होता है उसको खत्म कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि १८ काश्तकारों की १७४ बीघा भूमि अलाट शुदा हद जंगल की आ गई है उसको कैंसल करेंगी ? इससे क्या उनको बेदखल करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायतों का इन्तकाल दर्ज करने के अधिकार

४२३. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पंचायतों को इन्तकाल दर्ज करने के अधिकार हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के तहसीलदार इन्तकाल दर्ज करने के प्रार्थना-पत्र सीधे ले लेते हैं, तथा इन्तकाल स्वयं दर्ज करके पंचायतों के इस अधिकार का हनन कर रहे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि पटवारियों तथा तहसीलदारों से सरपंचों द्वारा इन्तकाल दर्ज करने के रजिस्टर बार बार मांगे जाने पर भी नहीं दिये जा रहे हैं, जिसके कारण पिछले तीन वर्षों से कई इन्तकाल दर्ज नहीं हो सके हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) सरपंचों को इन्तकाल रजिस्टर मांगने के कोई अधिकार नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि सरपंच १३३ धारा के अन्तर्गत ऐसा कर सकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १३३, संख्या १५ में लेन्ड रेवेन्यू एक्ट है उसमें तहसीलदार जांच पड़ताल करके पंचायतों के सामने प्रस्तुत करते हैं और वे तस्दीक करते हैं और फाइनल आर्डर पंचायतें देती हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डाइरेक्ट एप्लीकेशन्स लेने का उनको अधिकार नहीं है ?

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या यह सही है कि तहसीलदार को जो पावर्स थे वे अब पंचायतों को दे दिये गये हैं और अब वह काम पंचायतें करती हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें आपको थोडी गलतफहमी मालूम होती है। इन्तकाल की दरख्वास्त पर तहसीलदार जो जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करे, उस पर फाइनल आर्डर देने का अधिकार है। स्वयं को तस्लीम करने का अधिकार नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि वे एप्लीकेशन्स तहसीलदार को दे सकते हैं, नायब तहसीलदार को दे सकते हैं और

(श्री तेजाराम गहलोत)
गिरदावर के पास कर सकते हैं? तो सरपंच को क्यों नहीं दे सकते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जरूरी नहीं है कि वे तहसीलदार को ही अर्जी दें या सरपंच को अर्जी दें। मैंने कहा पटवारी को या तहसीलदार को अर्जी देना, यह दूसरी बात है। लेकिन सरपंच अगर यह चाहे कि as a matter of right कोई एप्लीकेशन उसके पास आवे और बगैर रेवेन्यू एजेन्सी के उसके पास भेजे और कोई आर्डर करे, ऐसा नहीं है। तहसीलदार को सरपंच से अटेस्टेड करानी पडती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि गंगानगर में एक भी तहसीलदार ने इस तरह से सरपंचों से अटेस्टेड नहीं करायी है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक भी नहीं करायी है, इस बात की हमारे पास कोई शिकायत नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपको सही बात बताता हूं कि गंगानगर तहसील में किसी भी तहसीलदार ने इस तरह से अटेस्टेशन नहीं करवायी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया कि इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या अब १३५ धारा के अधिकार दिये जा रहे हैं कि जिससे यह अडचन मिट जाए और ६-६ महीने लग जाते हैं वह न लगें और समस्या जल्दी हल हो जाए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गंगानगर में तहसीलदारों के लिए यह कमाई का साधन है। एक एक हजार रुपया एक एक से वसूल करते हैं। अगर आप जांच का आश्वासन दें तो मैं साबित कर सकता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम जांच करने से कभी गुरेज नहीं करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सरकार को सरपंचों को इस प्रकार के अधिकार देने में क्या खतरा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Pardon ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे किसानों को जबरदस्त नुकसान होता है इस नुकसान को रोकने के लिए अगर यह पंचायतों को दे दें तो उनको बहुत फायदा हो सकता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इतना सरल रास्ता नहीं है जितना कि आप समझते हैं और इसके बारे में अभी जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : Next.

प्रश्न ३२४

श्री मोहनलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम।

चूरू जिले के अध्यापक

४२५. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या २ अक्टूबर, १९५९ से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण लागू होन के कारण शिक्षा विभाग ने पंचायत समितियों

Page No 28

(श्री रावत राम)
को प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को सुपुर्द किया था ? यदि हां, तो चुरू जिले में ऐसे अध्यापकों की कुल कितनी संख्या थी ?

(२) क्या यह सही है कि इन अध्यापकों की बिना राय लिए ही शिक्षा विभाग ने पंचायत समितियों की सर्विस में इन्हें भेज दिया ?

(३) क्या यह सही है कि उस समय शिक्षा विभाग ने यह आश्वासन दिया था कि जिन अध्यापकों को अब शिक्षा विभाग की सर्विस से पंचायत समिति सर्विस में भेजा जा रहा है, पंचायत समितियां अपनी ओर से जब अध्यापकों की भरती कर लेंगी उस समय उन्हें वापिस शिक्षा विभाग की सर्विस में ले लिया जायेगा ? यदि हां, तो अब जो अध्यापक शिक्षा विभाग की सर्विस में वापिस आना चाहते हैं उन्हें कब तक वापिस ले लिया जायगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। चुरू जिले में ऐसे अध्यापकों की संख्या ३७३ थी।

(२) इन अध्यापकों का स्थानान्तरण करते समय विभाग द्वारा ऐसे आदेश जारी कर दिये गये थे कि जो कर्मचारी समिति की सर्विस में न रहना चाहें वे स्थाई तथा अस्थाई कर्मचारी क्रमशः तीन तथा एक माह के अन्दर अन्दर अपना ऑप्शन दे दें।

(३) जी नहीं। कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। यह आदेश अवश्य दिये गये थे कि स्थाई तथा अस्थाई कर्मचारी जो समिति की सर्विस में न रहना चाहें वे क्रमशः तीन माह व एक माह में अपना ऑप्शन दे दें। जिन्होंने ऐसे ऑप्शन वांच्छित समय के अन्दर दे दिये थे उन्हें वापिस सरकारी स्कूलों में ले लिया गया और जो स्थानाभाव के कारण नहीं लिये जा सके उन्हें स्थान रिक्त होते ही ले लिया जावेगा। जिन अध्यापकों ने पंचायत समिति के स्कूलों में रहने का ऑप्शन दिया है उनका सरकारी स्कूलों में वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रावतराम : ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र में ऑप्शन दिया है और उनको नहीं लिया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा है कि ऑप्शन के लिये जो समय निर्धारित था उस समय में जिसने दरख्वास्तें दे दीं उनको गवर्नमेंट ने एब्जोर्ब कर लिया और जिन्होंने नहीं दीं उनका अब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही पैदा नहीं होता।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि उन अध्यापकों को आश्वासन दिया गया था कि उनको शिक्षा विभाग में वापिस ले लिया जाएगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: आश्वासन दिया ही नहीं गया।

एक माननीय सदस्य : आपने कहा है कि ऑप्शन दिया गया था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनको कहा गया था कि आपको यह ऑप्शन है आप जैसा चाहें ओप्ट कर लें। इसके अलावा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि जिस समय उनसे आप्शन मांगा गया था उस समय उनको यह कहा

Page No 29

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गया था कि अगर पंचायत समिति में जाना स्वीकार नहीं करोगे तो तुमको सरप्लस करार दे दिया जावेगा या उनको सर्विस से बाहर कर दिया जावेगा और जब उनको यह कहा गया तो उन्होंने ऐसा किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जुबानी में कहा गया था या लिखित में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जुबानी में ही फैसला किया गया था और उनके सामने रखा गया था कि अगर पंचायत समिति में जाना स्वीकार नहीं करोगे तो सरप्लस डिक्लेअर कर दिये जाओगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे ख्याल से कोई ऐसी परिस्थिति उनके सामने नहीं रखी गयी थी ।

एक माननीय सदस्य : जिनसे इस प्रकार का ऑप्शन नहीं लिया गया उनके लिए क्या नीति अपनाई गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर यह साबित हो जावे कि कोई गलती हो गई है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : मेरा यह निवेदन है कि गत वर्ष में पाली जिले में माननीय मंत्री महोदय से कहा गया था कि वहां किसी से ऑप्शन नहीं लिया गया और अब भी वहां के अध्यापकों की बराबर मांग है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा संबंध आपने बताया । मैंने उसका परीक्षण भी कराया कि क्या ऑप्शन का ज्ञान नहीं होने से ऑप्शन नहीं लिया गया । मगर परीक्षण से मालूम हुआ कि जिस प्रकार की परिस्थिति आप बता रहे हैं वैसी नहीं है ।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जिन अध्यापकों ने अपना स्पष्ट ऑप्शन पंचायत समितियों में दे दिया है और उन पंचायत समितियों ने आगे फॉर्वर्ड नहीं किया उनके बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो तथ्यों पर निर्भर करता है । जब तक कि सारे वाकयात सामने नहीं आ जायं मैं अधूरी बात पर क्या कह सकता हूं ?

श्री विजयसिंह झाला : यदि इस तरह के उदाहरण रखे जायं कि पंचायत समितियों में तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया, पर उनके ऑप्शन को फॉर्वर्ड नहीं किया गया, तो इसके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने को तैयार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो आपकी मान्यताओं पर आधारित है, इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता ।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) : क्या आप यह उचित समझते हैं कि उन्हें एक बार और मौका दिया जाय, उनसे फिर ऑप्शन मांग लिया जाय ? जो ऐसे अध्यापक हैं जिनको रूल्स रेगुलेशन्स का पूरा ध्यान नहीं है तो उनसे भूल हो सकती है । तो क्या राज्य सरकार उचित समझती है कि उनको एक बार और मौका दिया जाय ऑप्शन देने का और अपनी कठिनाइयों को आपके सामने रखने का ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: जो प्राथमिक शालाएं पंचायत समितियों को दी गई हैं उनके अध्यापकों को और कई रियायतें दे दी गई हैं ऐसी हालत में यह स्थिति पैदा नहीं होगी। फिर भी राज्य की नीति के बारे में सब बातें सामने रखी जायं तभी कह सकता हूं, अभी नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न संख्या ३९८ के सप्लीमेंटरी रह गये थे·····

बजट की प्रतियां अंग्रेजी में माननीय सदस्यों को देने संबंधी वाद-विवाद

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। बजट भाषण का जवाब देने से पहले मैं यह चाहूंगा कि यह हमारे पास रद्दी भेजी जाती है उसके मैं खिलाफ हूं, मैं ही नहीं सदन के आधे से ज्यादा सदस्य इसके खिलाफ हैं। हमारे यहां पकोडी बेचने की दुकान तो है नहीं जो वहां इसे काम में लायें। इस रद्दी से हमारे पल्ले कुछ नहीं पडता·····

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब क्या है ?

श्री सांवलियाराम : यह लेखा सब अंग्रेजी में दिया गया है, हम हिन्दी वाले असलियत से इससे वंचित रह जाते हैं, इसलिए व्यवस्था चाहूंगा कि यह सब सामग्री हमारे पास हिन्दी में पहुंचनी चाहिए। हम दुखी हैं। हिन्दी में नहीं भेजेंगे तो हम यही समझेंगे कि मंत्री महोदय चोरी छुपे काम कराना चाहते हैं। इसलिये हिन्दी में भेजी जायं। यह बडा महत्वपूर्ण मसला है····

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८ संबंधी अनुपूरक प्रश्नोत्तर

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ३९८ के सप्लीमेंटरी।

३२५ मजदूरों को सन् ५५ से ६१ तक ले ऑफ किया गया इससे कितने हजार टन कम कोयले का उत्पादन पलाना खान में हुआ ?

उप-मंत्री, खनिज (श्रीमती कमला बेनीवाल) : इसमें लिखा हुआ है कि कोल कटर्स को ले ऑफ नहीं किया गया। जिनकी जरूरत नहीं थी उनको ले ऑफ किया गया इसलिये इसका सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ३२५ मजदूरों की संख्या बताई है कि ले ऑफ किया है और "घ" के जवाब में कहते हैं कि प्रतिवर्ष इतने इतने हजार टन कोयला कम पैदा हुआ तो ५५ से ६१ तक कितना कोयला कुल कम उत्पन्न हुआ ले ऑफ की वजह से ?

उप-मंत्री, खनिज (श्रीमती कमला बेनीवाल): यह इसमें लिखा हुआ है कि कितने टन कम कोयला निकला।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बताइये न कि कितना ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह इसमें लिखा हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कुल कितनी कीमत का कम उत्पन्न हुआ ?

Page No 31

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसमें कितने टन कम हुआ, यह दिया हुआ है और प्रति टन की रेट दी हुई है; आप निकाल लीजिये कि कितनी कीमत का कम निकाला गया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १२३ हजार का कम पैदा हुआ, मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि ले ऑफ के कारण इतना कम पैदा हुआ तो मैं यह जानना चाहूंगा कि १२३ हजार का कम कोयला पैदा हुआ तो जिस अधिकारी ने ले ऑफ किया उसके खिलाफ जांच की गई है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जानबूझ कर ले ऑफ किया था क्योंकि ज्यादा कोयला डिस्पोज ऑफ कराने की व्यवस्था नहीं हो सकती थी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो इसका मतलब यह समझा जाय कि कोयले का उत्पादन इस अर्से में जानबूझ कर कम किया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप बता सकती हैं कि जिन मजदूरों की नई भर्ती की गई और जिनको ले ऑफ किया उनमें से किस किस केटेगरीज के नये भर्ती किये गये और किस किस केटेगरीज के ले ऑफ किये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : किस किस केटेगरीज के मजदूरों को ले ऑफ किया, इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं आई हैं, हालांकि मैं यह चाहती थी । पर कोल कटर्स की जरूरत थी उन्हें ले ऑफ नहीं किया, लोडिंग वालों की जरूरत नहीं थी इसलिए उन्हें ले-ऑफ कर दिया । जिनकी जरूरत थी उनको ले ऑफ नहीं किया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो बहुत ही अधूरा उत्तर है । नये मजदूरों को भर्ती किया गया है, पुरानों को निकाला गया है तो किस केटेगरी के मजदूर नये भर्ती किये गये ?

श्री अध्यक्ष : कहा है न कि कोयले की जरूरत नहीं थी......

श्री मानिकचन्द सुराणा : सारे देश में जरूरत थी तो वहां क्यों प्रॉडक्शन को कम किया गया ?

श्री अध्यक्ष : इस पर प्रश्न कीजिये न, वे साफ कह रही हैं कि हमें जरूरत नहीं थी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ९० टन कम कोयले के उत्पादन का इसमें दिया है, किस तरह आपने यह वर्क आउट किया है ? यह इस साल के उत्पादन और पिछले साल के उत्पादन का डिफरेंस है क्या ?

उद्योग एवं खनिज मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मेरे ख्याल से डिफरेंस ही होना चाहिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५८ में ३ हजार टन कोयला कम हुआ है । इसमें जांच करें कि ये फीगर्स गलत दिये हैं या वे फिगर्स गलत छपे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रेगुलर उतना का उतना हर साल उत्पादन होता हो, यह बात नहीं है । कोयले की क्वाण्टिटी कैसी होती है, कोयले का मार्केट कैसे चल रहा है, कितने

Page No 32

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दिन कोयला वहां पडा रह जाता है, इस तरह के कई फैक्ट्स हैं जिनका हर साल, हर महीने कोयले के प्रॉडक्शन पर असर पडता है और प्रोडक्शन में अन्तर आता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पर आपने कहा कि यह डिफरेंस ही होना चाहिये। पर ५८ में १२,३२८ टन दिया है और ५७ में १५,५६१ टन का हुआ है तो डिफरेंस ३ हजार टन का होना चाहिए । यह डिफरेंस किस तरह एराइव (Arrive) किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस संबंध में जानकारी की जा सकती है, इस समय तो नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप जांच कर लें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, जांच कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी !

(१२.८ म. प.)

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री मोतीलाल चौधरी (सभापति प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति १९६२-६३ के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:

(१) प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ का पहला प्रतिवेदन जो यातायात विभाग के संबंध में है ।

(२) प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ का दूसरा प्रतिवेदन जो राजस्थान स्टेट रोडवेज (यातायात का राष्ट्रीयकरण) के संबंध में है ।

(३) प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ का चौथा प्रतिवेदन जो मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के संबंध में है ।

(४) प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ का पांचवा प्रतिवेदन जो शिक्षा विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति १९६१-६२ के २१ वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में है ।

(५) प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ का छठा प्रतिवेदन जो समाज कल्याण विभाग विषयक प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ के १६ वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में है ।

सेस से छूट देने संबंधी सूचना देने पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री बृज सुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, On a point of information, Sir. आज जयपुर के एक अखबार में यह समाचार छपा है कि राजस्थान सरकार ने . .

श्री अध्यक्ष : चूंकि आपने पहले इसकी सूचना नहीं दी, आपको पढने की इजाजत नहीं दी जा सकती ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अखबार में पढा है . . .

श्री अध्यक्ष : There is no point of information involved in this.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दस एकड तक सेस से छूट देने की बात पढ कर सुनाना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : किन रूल्स के अन्तर्गत चाहेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हाउस की प्रिविलेज है

श्री अध्यक्ष : If you have any objection, please reduce it to writing and forward it on to me.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : १० एकड तक छूट रख रहे हैं . . . .

श्री अध्यक्ष : No stray objections like this.

(१२.११ म. प.)

आय-व्ययक, १९६३-६४ पर अग्रेतर

वाद-विवाद

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चार दिन की गरम और दिलचस्प बहस के बाद . . . .

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, बजट अधिवेशन के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को छोड कर और डिपार्टमेन्ट्स के संबंध में भी कई मुद्दे उठाये हैं, उन मुद्दों पर मुख्य मंत्री महोदय से संबंधित उत्तर नहीं मिला है । उनसे तो केवल उनके संबंधित विभागों के विषय में या सरकार की जो ब्रोड पॉलिसीज हैं उनके संबंध में ही उनके भाषण में सुनने को मिला । बाकी के जो पोइन्ट्स उठाये गये थे उनका जवाब उनसे नहीं आया है । यदि बाकी के मंत्री महोदयों से उन मुद्दों का जवाब नहीं मिलता है तो हमारी जो प्रिविलेजेज है कि कट मोशन्स के वक्त सरकार द्वारा दिये गये, मंत्री महोदयों के भाषणों को सुन कर कट मोशन्स में अपने आर्गूमेन्ट्स को रख सकें, इसलिये हमारी प्रिविलेजेज समाप्त होती हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने जो पोइन्ट्स उठाये हैं उनका उत्तर मिलना चाहिये और उसके बाद ही फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय का वित्त संबंधी भाषण होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठायी है कि माननीय सदस्यों ने अपनी सारी बहस के दौरान में जो बातें उठाई हैं उनका उत्तर सरकार की ओर से मिलना चाहिये । कई मंत्री महोदय अपने विभागों के संबंध में जो माननीय सदस्यों ने मुद्दे रखे हैं उन पर विचार, समय का बंटवारा इस तरह का था कि न रख सके । वित्त मंत्री को समय दिया गया है । वे अपने विभागों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे ही, अन्य पर भी डाल सकते हैं । चूंकि कई बातों का उत्तर माननीय सदस्यों को प्राप्त नहीं हो सका इस कारण जो समय पहले निर्धारित किया जा चुका था उसका पुन: बंटवारा किया जाय यह उचित प्रतीत नहीं होता है । मंत्री महोदय, उनके विभाग से संबंधित मांग आयेगी और कट मोशन्स होंगे उनके उत्तर के समय सामान्य बहस के दौरान जो माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये हैं उन पर भी वे प्रकाश डाल सकते हैं, उन मुद्दों का उस समय वे उत्तर दे सकते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि चार दिन की गरम और दिलचस्प बहस के बाद आज यह मौका मिला है कि जो जो बातें सदन में उठीं और जिनका संबंध इस बजट स्पीच से था उनके संबंध में मैं अपने कुछ विचार रखूं ।

Page No 34

(श्री बालकृष्ण कौल)

यह तो मैं खुशी से कह सकता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस बजट की बहस में काफी दिलचस्पी ली, यहां तक कि करीब एक चौथाई सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और यह भी साफ जाहिर होता है कि जो मुद्दे उन्होंने उठाये उन्होंने अपने अपने विचार को लेकर उसकी रोशनी में वे मुद्दे उठाये। अगर मैं माननीय सदस्यों के खयालात को केटेगराइज करूं तो मैं समझता हूं कि तीन हिस्सों में ये सब मुद्दे बांटे जा सकते हैं। इसलिये यहां तक तो ठीक है कि जहां तक टैक्सों का ताल्लुक था वहां वे तीनों केटेगरीज एक राय थीं। लेकिन जिस रोशनी में उन्होंने अपनी बहस की वह अलग अलग अपनी पार्टी लेवल के आधार पर थी। एक केटेगरी थी वह इस प्रपोजल के ही खिलाफ थी कि टैक्स होना चाहिये। वह टैक्स को लगाना ही गलत समझती थी और उसका कहना था कि वह आज से नहीं वह शुरू से ही, यह डवलप्मेन्ट चलना शुरू हुआ, यह प्लानिंग कमीशन ने योजना बनाई, उस वक्त से यह समझती थी कि ये ओवर एम्बीशियस प्लान्स हैं, ये प्लान्स इस देश में नहीं आने चाहियें। दूसरी केटेगरी थी· · · · ·

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह पार्टी कब बनी, योजना कमीशन के पहले या बाद में ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरी केटेगरी थी कि जिसका कहना यह था कि टैक्स नहीं लगाना चाहिये जहां तक हो, लेकिन बोरोइंग से, इधर उधर से रुपया लाकर प्लान्स को खूब अच्छा चलाया जाय, डवलपमेन्ट ज्यादा किया जाय। तीसरी केटेगरी थी जो यह मानती थी कि डवलपमेन्ट हो, अच्छा हो, किसान और मजदूर का भला हो, लेकिन टैक्स का जो रूप है, जो टैक्स के मुद्दे हैं उनमें परिवर्तन हो। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये। मैंने अभी अर्ज किया था कि जहां तक टैक्स प्रपोजल्स का ताल्लुक है इन तीनों केटेगरीज ने टैक्स प्रपोजल्स का जिस रूप में रखे गये हैं उनका अनुमोदन नहीं किया। इस बहस ने, मैं समझता हूं सरकार को काफी परेशान किया है और परेशानी की बात है खास कर उस वक्त जिस वक्त उसकी अपनी पार्टी के सदस्य इस हाउस में उन प्रपोजल्स के काफी खिलाफ बोले। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को यह मालूम हो जाय कि जब यह प्रस्ताव आपके सामने रखा था उसके रखने से पेश्तर जब सरकार के सामने यह खयाल था कि किस तरीके से अब के जो बजट में ४५० करोड का एक डेफिसिट होने जा रहा है· · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : ४१। करोड, ४.५० करोड ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ४५० लाख कहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : I am sorry ! ४५० करोड।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : २० साल का एक साथ ही डिक्लेयर कर दिया।

श्री बालकृष्ण कौल : यह गैप पूरा करना है। इस खाई को पूरा करना है। कैसे किया जाय ? क्योंकि समस्या आसान नहीं। यह भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि

Page No 35

(श्री बालकृष्ण कौल)
जो माननीय सदस्य इस हाउस में बैठे हैं उन्हीं के दिमाग में मजदूरों और किसानों का दर्द है और जो सरकार में बैठे हैं वे शायद उनको नफरत की निगाह से देखते हैं। इस सरकार में भी वे ही लोग हैं जिन्होंने मजदूरों और किसानों की सेवा पहले भी की थी और अब भी कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : विरोधियों में भी हैं जिन्होंने सेवा की है।

एक माननीय सदस्य : जरा मूड में आने दो।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मूड में तो लाओ।

श्री बालकृष्ण कौल : इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो देश सेवा करना चाहते हैं और जिन्होंने देश की सेवा की उनमें से कोई भी इस किस्म का हो जो कह सके कि किसान और मजदूर इतने मुतवल्लिल इतने रुपये वाले हो गये हैं कि जिन पर टैक्स लगाया जावे। लेकिन कभी कभी मजबूरियां आती हैं जैसा कि मैंने अपने भाषण में पहले ही अर्ज किया था। मुझे अफसोस है कि मैंरे भाषण को जिस तरीके से मैंने रखा था उस तरीके से कद्र दाना नहीं हुई।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : वह भाषण ही ऐसा था।

श्री बालकृष्ण कौल : अंग्रेजी में तो आ सकता था। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार की जो नीति है वह समाजवादी समाज रचना की है इसलिये इस लक्ष्य को रखते हुए..........

(व्यवधान)

अगर आप चाहें तो मैं बोलूं नहीं तो बैठ जाऊं।

श्री मानसिंह महार : माननीय मंत्री के पास कोई पोइन्ट न हो तो जरूर बैठ जायें।

श्री बालकृष्ण कौल : उस वक्त भी बहुत से पोइन्ट्स थे और अब भी हैं, आपको पहले ही परेशानी शुरू हो गई जो वित्त मंत्री कहने जा रहा है।

मैं अर्ज कर रहा था जिस वक्त माननीय सदस्य अपना अपना भाषण दे रहे थे वे यह समझ रहे थे कि अगर कोई इस देश में एक्यूज्ड हो सकता है तो वह वित्त मंत्री ··

एक माननीय सदस्य : आप तो बिल्कुल भोले भाले मालूम पड़ते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : तो मैं अर्ज कर रहा था सारी निगाहें, अच्छी या बुरी, उसका टार्गेट हुआ तो आपका फाइनेन्स मिनिस्टर।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गिला किसी से नहीं थी बल्कि वह हकीकत है।

श्री बालकृष्ण कौल : अब आपकी ही बारी आ रही है। जैसे एक कहावत है कि 'Empty vessel make much noise'; इसलिए इस बात का ख्याल रखते हुए मैं अर्ज कर रहा हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Loaded vessels makes the least noise..

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए मैं अर्ज कर रहा था इस किस्म की जो तकरीरें हुईं वह सदन के बाहर के लोग जो यहां बैठे हुए थे शायद उनका ख्याल रख कर के की होंगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Is it the propriety of this House to address the galleries or refer to the galleries ? Sir, want your ruling on my point of order. He cannot play galleries.

Page No 36

श्री बालकृष्ण कौल : It is only inference and not reference.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा · You are referring to......

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि जितनी तकरीरें हुई उनमें सिर्फ माननीय सदस्य 'प्ले दी गैलेरीज' कर रहे थे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It is for the Chair to stop us. He is no body to remark about our speeches. We never play the galleries. The Minister has played the gallery and he has no right to give such remarks. We resent it. He could have pointed out to the Chair and the Chair could have controlled us. He has no business to tell us that way. We are not here in the college to learn from him.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, दो मोटिव्ज हमारे पर लगाये थे एक तो Empty vessel makes much noise.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He has a loaded vessel.

श्री मोतीलाल चौधरी : दूसरा यह कहा था कि हमने गैलेरीज को एड्रेस किया। मैं चाहूंगा, ये दोनों प्रकार के वाक्य जिसके द्वारा मोटिव इम्प्यूट किया है माननीय सदस्यों पर, हाउस की परम्परा को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री द्वारा इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना बहुत अनुचित है; अतः उनको विथड्रा करने का आदेश दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि वित्त मंत्री के जो रिमार्क्स हैं जो माननीय सदस्यों के लिये किये गये हैं उनकी स्पीचेज का सबस्टैन्स कॉन्टेम्पचुअस तरीके से कहा, यह अनुचित है; इसको विथड्रा किया जाना चाहिये वरना सदन में यह एक बुरी परम्परा होगी और सदन में भाषणों का स्तर गिरेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय इस प्रकार के प्रश्न उठा कर चाहते हैं कि सदन के सदस्य उनको हस्तक्षेप करें ताकि जो वे उत्तर देना चाहते हैं न दे पायें। हमें चाहिये कि हम उनकी बात सुनें और खास तौर से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन्सीनुएशन न फैलायें ताकि किसी प्रकार की कन्ट्रोवर्सी पैदा न हो।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि किसी की नियत पर किसी प्रकार का आक्षेप न हो जो भी माननीय सदस्य यहां भाषण देते हैं वे बोनाफाइड तरीके से बोलते हैं including the Ministers also सबका ठीक तरह से जवाब, दिया जाना चाहिये। आप सीधे तौर से जिस तरह से कहना है आप कहें।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे अफसोस यह है कि किसी भी माननीय सदस्य ने, जब यहां तकरीरें हो रही थी, कुछ कहानियां सुनाई जा रही थीं, किस्से कहे जा रहे थे उस समय जब वे इन्सीन्युएशन कर रहे थे उस वक्त इन्सीन्युएशन का सवाल नहीं उठा। महाराजाओं के किस्से सुनाये जा रहे थे, और मेरे लिए कहा गया था कि मैं किसी की मानता नहीं और मेरे में अकल नहीं, उस समय किसी भी माननीय सदस्य ने एतराज नहीं उठाया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : It was open to the hon. member to raise any objection if there was any objectionable speech.

श्री बालकृष्ण कौल : I still do not think that......

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is very unfortunate that you do not think like that, but what we think, we have said before the Chair.

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, आपने हुक्म दिया वह हुक्म सिर आंखों पर। मैं अर्ज कर रहा था कि एक माननीय सदस्य ने यहां तकरीर की और उसमें एक आरोप लगाया मुझ पर। वह आरोप यह था, कुछ बकरों के टैक्स का मसला था। उसमें कहा गया था कि वित्त मंत्री ने एक सेठ को अपने कमरे में बैठा कर उससे लेन-देन करके इस पर लगने वाले कर की दर गिरा दी और यही खबरें एक हिन्दी दैनिक में फलेश आउट हुई। यह मेरे पर आरोप की बात है। मैं इस संबंध में सही स्थिति सदन के सामने रख देना चाहता हूं। जब यह बिक्री-कर शीप और गोट पर लगा तो उस समय कुछ एजीटेशन शुरू हुआ जो आम तौर पर ऐसे टैक्सों के लगने पर हुआ करते हैं और यह कहना भी गैर मुनासिब नहीं होगा कि कुछ लोग जो इस सदन के मेम्बर हैं इस एजीटेशन के पीछे थे।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): On a point of order, Sir, माननीय वित्त मंत्री ने माननीय सदस्यों के लिये 'कुछ लोग' यह कह कर पुकारा। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों के लिये 'कुछ-लोग' कह कर पुकारना अनपार्लियामेन्टरी है; अतः इन शब्दों को वापिस लेने की हिदायत फरमाई जावे।

श्री अध्यक्ष: कुछ माननीय सदस्यों के किसी एक पीपुल्स एजीटेशन में भाग लेने की बात कही है तो इसमें तो कोई गलती नहीं की।

श्री बालकृष्ण कौल : जब यह एजीटेशन शुरू हुआ तो यह मसला कैबिनेट के सामने भी आया और वहां यह फैसला हुआ कि ३ मन्त्री लोग उनको बुलाकर उनके जो प्रेसीडेन्ट वगैरह थे उनसे बातचीत करके इस झगडे को खत्म करावें। यह तो ठीक था कि वह जो मीटिंग हुई वह वित्त मंत्री के ही कमरे में हुई, पर फैसला कैबिनेट की सलाह पर हुआ था। इसलिये दो और मंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर और वित्त मंत्री मिलकर उस झगडे को निपटाने में थे और वहां जो उन्होंने फैसला किया, मजमूई तौर पर वह फैसला मान्य था सारी कैबिनेट में। यह थी असल उसकी हकीकत। लेकिन मुझे अफसोस से यह कहना पडता है कि जैसा इन्सान होता है, जैसी उसकी भावनाएं होती हैं, वैसी ही उसको चीजें दिखती हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of clarification, Sir. I want to put up before the House my contention. Only it is a letter which has been signed by Mr. Mukherji, Secy. & Md. Hasif, which I would like to read for information.

श्री अध्यक्ष : जी, अभी पढने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: वे गलत कह रहे हैं, इसलिये कहने की जरूरत है।

Page No 38

श्री अध्यक्ष: अगर वे गलत भी कह रहे हैं तो बाद में तवज्जह दिलाएं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इसको प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वे सारे प्रोटेस्ट आप एक साथ कर लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं फिर बीच में बोलूंगा, अगर वे ऐसा कहेंगे तो।

श्री अध्यक्ष: जी, आप बीच में इन्टरप्शन न करें। कभी स्पीच हो ही नहीं सकती फिर तो इस तरह।

श्री बालकृष्ण कौल: इसलिये कहा कि असल मुद्दा मालूम हो जावे सदन को।

मैं अर्ज कर रहा था। तीन किस्म की विचार धाराएं हमारे सामने आई। उनमें से एक का तो मैं क्या जवाब दूं कि टैक्स बिलकुल लगे ही नहीं। उनकी अपनी राय है कि ये टैक्स नहीं लगने चाहिये, तरक्की हो या न हो उनको इस तरक्की की चिन्ता नहीं, वे डवलपमेन्ट नहीं चाहते।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा): यह बात किसने कही थी ?

श्री अध्यक्ष: आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। क्यों इस तरह उत्तेजित होते हैं? मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह वे न उठें। यह गलत परम्परा है जो कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

श्री बालकृष्ण कौल: बिना किसी प्रकार का टैक्स लगाये जितनी तरक्की हो सके उतनी की जाय। यह एक विचार धारा है। इसलिये इसमें तथ्य न होते हुए भी मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं। इतना ही कह सकता हूं।

दूसरी विचारधारा थी जैसा मैंने अर्ज किया कि तरक्की तो होनी चाहिये प्लान और बढ़ाई जानी चाहिये। पर प्लान को चलाने के लिये टैक्स नहीं लगने चाहिये। जहां तक हो सके बोरोइंग होना चाहिये। ख्याल तो अच्छा है। पर मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि यह भी थोडे दिनों के लिये मान लिया जावे कि सारा एन्टायर रुपया बोरोइंग से आवेगा तो बोरोइंग का इन्ट्रेस्ट भी तो देना पडेगा। वह भी तो लाखों करोडों हो जाता है और फिर अब तक हमें कोई इस किस्म की तो पार्टी नहीं मिली, न कोई ईस्ट में न वेस्ट में, जो हमको इतना रुपया दे, हमको डाइरेक्टली दे कि बगैर टैक्स लगाये हमारा काम चल जायं, इन्ट्रेस्ट भी न देना पडे और हम अपना कारोबार तेजी से बढावें।

लेकिन तीसरे केटेगरी के लोग वे हैं जो यह तो मानते हैं कि टैक्स लगने चाहियें लेकिन जिस किस्म के टैक्स लगाये हैं उनका यह ख्याल था कि वे टैक्स नामुनासिब हैं क्योंकि मजदूर किसानों पर उनका बोझा पडता है। मैं कुछ थोडी सी इसकी तफसील देना चाहता हूं।

यह तो मैं मानता हूं कि ये टैक्सेज ऐसे हैं जिसका बोझा किसान पर पडता है, और जिस समय यह टैक्स का प्रस्ताव मैंने बनाया था उस वक्त यह चीज मेरे सामने भी थी। यह न माना जावे कि इस विचार को मैंने सामने नहीं रखा। पर जो और टैक्सेज जिन पर माननीय सदस्यों ने बडी अंगुश्त-नुमाई की, अंगुली उठाई और उसको भी

(श्री बालकृष्ण कौल)

ऐसा ही टैक्स माना कि जैसे कि आम किसान पर उसका बोझ पड़ने जा रहा हो। मैं अर्ज करूंगा कि इसमें मेरे ख्याल में और उनके ख्याल में अन्तर है। मैं पहले अनाज के टैक्स पर आता हूं। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि आप सोचें थोड़ी देर के लिये कि जो प्रस्ताव आपके सामने हैं अगर वे टैक्स लगें तो हर किसान पर, हर किसान की फेमिली पर उसका क्या असर, इफेक्ट, पड़ेगा। सोचने की बात है कि टैक्स तो बुरा है, यह भी मान लिया, पर उसका इफेक्ट क्या है। अगर आपने इसका हिसाब लगाया हो तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर वह गेहूं खाने वाला किसान है तो उसके ऊपर ८ नये पैसे पड़ते हैं और अगर वह बाजरा और जौ खाने वाला है तो ५ नये पैसे उस पर पड़ते हैं और पल्सेज भी मिला लें तो १० नये पैसे पड़ते हैं। इस तरीके से अगर आप देख लें तो मामूली आठ आने या रुपया का खर्चा उसका महीने का पड़ता है। मैंने जैसा अर्ज किया, कहने वाले यह भी कह सकते हैं कि वह बारह आने या रुपया भी कहां से लावें। तो दलील के लिये तो यह भी हो सकता है, पर इतनी बड़ी जोरों से मुखालफत जो इसकी सदन में हो रही थी उसके मुकाबले में देखा जावे, उस प्रपोरशन में देखा जावे तो मैं निवेदन करूंगा इस सदन से कि वह मुनासिब प्रपोरशन नहीं है।

इसी तरीके से माननीय सदस्यों का मवेशियों पर जो जोर था उस के लिये अर्ज कर देना चाहता हूं। मवेशियों के लिये मुझे इतना अर्ज करना है कि जो पहले बकरे पर स्लॉटर हाउस जाने से पहले टैक्स लगता था वह टैक्स वापस ले लिया जाता है। जैसा टैक्स का प्रस्ताव बफैलो (भैंस) और गाय के ऊपर था वह भी मैं वापस लेता हूं। (करतल ध्वनि)....

एक माननीय सदस्य : और बैल पर?

श्री बालकृष्ण कौल : बैल पर तो है ही नहीं।

अब बाकी तीसरी चीज रही जिसके ऊपर काफी बहस हुई। इसको मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जो लैण्ड रेवेन्यू के ऊपर सेस की बात थी वह वाकई लगाने से पेश्तर जब इसके हर पहलू को मैं सोच रहा था, वह पहलू जितना सोचता था उतना ही मैं परेशान होता था। मेरे दिमाग में संघर्ष था कि मैं क्या करूं। जब मैं डेफिसिट के गैप को देखता हूं और जब मैं उस गैप को भरने के लिए चीजों को ढूंढता हूं तो एक ऐसा माहौल मेरे सामने होता था कि जिससे मैं परेशान होता था और उस परेशानी में जब कोई चीज ऐसी सामने नजर नहीं आई कि जिससे यह गैप पूरा हो तो मजबूर होकर दिमाग के सुपुर्द मैंने अपने आपको किया और दिल पर काबू पाया। इसलिये यह प्रस्ताव आपके सामने रख दिया। इसलिए नहीं कि मैं मानता था कि किसान बहुत रुपये वाले हैं, बहुत खुशहाल हैं। एक बात निवेदन करना चाहता हूं, कि जब मुल्क की तरक्की होती है, जब मुल्क के सामने एमर्जेन्सी आती है उस वक्त न खुशहाली देखी जाती है, उस वक्त न आराम देखा जाता है जिस तरीके से इस चीज का मुकाबिला करने के लिये जो साधन सामने आते हैं उनको लेकर इन्सान खड़ा हो जाता है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कफन खसोट के भी ?

एक माननीय सदस्य : कफन बांध कर।

श्री बालकृष्ण कौल जिसने बांधा ही न हो तो क्या किया जाये ?

इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने यह मजबूर होकर ऐसा प्रस्ताव आपके सामने रखा। मैं जानता था कि इस प्रस्ताव का किस तरीके से आदर होगा और क्या इस्तकबाल इसको मिलेगा। लेकिन मैं आज भी आपके हाथों में हूं। आप इसका रास्ता बताइये कि मैं क्या करूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे, उन सुझावों का मैं कुछ जिक्र आपके आगे करूंगा। एक माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि यदि आप मनीलेण्डर्स पर फीस लगा देंगे और पी. डब्ल्यू. डी. कान्ट्रेक्टर्स के ऊपर फीस लगा देंगे तो आपका गैप पूरा हो जायेगा। यह बड़े जोर का प्रस्ताव चारों तरफ से उठा। मैं उन माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि आप जरा इसकी हकीकत में जायें और मुझे बतायें कि यह गैप इन टैक्सों से कैसे पूरा हो सकता है। आप माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि इस सारे राजस्थान में, इस राज्य में करीब ३२ हजार गांव हैं इन ३२ हजार गांवों में आप समझ लीजिये कि छोटे मोटे मनी-लेण्डर्स हैं। अगर इन मनी-लेण्डर्स पर भी टैक्स लगा दिया जावे तो कितनी हमारे पास रकम आ जायेगी, यह आप सोचें शान्ति से। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि लगे या नहीं, लेकिन यह मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो गैप भरने के लिये आपके सुझाव हैं उनको अगर आप वर्क-आउट करें तो गैप कैसे भर जायेगा, यह मैं आपके सामने रख रहा हूं।

दूसरा एक प्रस्ताव था कि कान्ट्रेक्टर्स के ऊपर फीस लगा दी जाये। मैं माननीय सदस्यों के सामने यह बात रख देना चाहता हूं कि ये जो कान्ट्रेक्टर्स हैं मुझे उनसे कोई प्रेम नहीं है लेकिन थोडी देर के लिये सोचिये कि ये कान्ट्रेक्टर्स के ऊपर अगर आप फीस लगाते है तो यह आखिरकार वसूली कहां से होगी—उन्हीं टेन्डर्स के कोटेशन्स में से वसूली होगी जो कि सरकार को स्वीकार करने होते हैं····

एक माननीय सदस्य : १० पर्सेन्ट रेट्स कम कर लीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : वह २० पर्सेन्ट ले लेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसका मतलब यह है कि एक हाथ से आप उनसे लें और दूसरे हाथ से उनको दें। इसलिए यह सुझाव जो आते हैं अगर उनको इम्पलीमेन्ट किया जाये तो उसकी असली हकीकत क्या होती है वह जरा सोचने की बात है····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यही नतीजा तो आपके सेल्स टैक्स का होगा। आप चीजों की कीमत बढा देंगे और प्लान के एक्सपेन्डीचर बढ जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यह बहस तो आप बाद में कर लेना। अभी क्यों ?

श्री रामानन्द अग्रवाल :—हमारे आर्ग्यु-मेन्ट्स को रिफ्यूट कर लेंगे।····

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री इतनी जल्दी ईल्ड न हों। आपको फ्लोर दे रखा है, आप बोले जाइये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो आपने सुझाव रखे उनके ऊपर काफी गौर किया और गौर करने के बाद भी मैं अभी इस नतीजे पर नहीं आया कि वह कहां तक प्रेक्टीकल होंगे कि जिससे गैप भर जाय। इसलिए कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर जोर दिया और कुछ आंकडे भी दिये और उन्होंने बताया कि सरकार ने जब तीसरी पंच वर्षीय योजना बनाई थी उस वक्त कुछ अपने रिसोर्सेज का एक जायजा दिया था और उनका तो अब भी विश्वास यही है कि उस जायजे के हिसाब से ही सरकार को चलने की जरूरत है और उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है और जो आंकडे हम इस सदन में रख रहे हैं उसमें कुछ हमारी तरफ से अन्तर है। मैं माननीय सदस्यों के आगे इतना अर्ज कर दूं कि वह जरा उन आंकडों को देखें। जब तीसरी पंच वर्षीय योजना के विषय में बातचीत हो रही थी तो उस वक्त इस सरकार ने अपने रिसोर्सेज को ८० करोड का बताया था और उसका ब्रेक-अप अगर माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं उनको बता सकता हूं· · ·

एक माननीय सदस्य : बता दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल: उसका ब्रेक-अप इस प्रकार है :

Balance on Revenue a/c	.50	crores.
Additional taxation	32.00	,,
Loans from public ..	20.00	,,
Small savings ..	10.00	,,
Unrefunded debt ..	5.50	,,
Contribution of public enterprises ..	2.00	,,
Sale of Bhakra Workshop	1.49	,,
Balance of Misc. Capital receipts ..	8.51	Crores

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : लास्ट पोइन्ट क्या बोले ?

श्री बालकृष्ण कौल: सेल ऑफ भाखरा वर्क शोप १.४९ करोड।

मई, जून में जब सरकार ने अपनी वित्तीय हालत को देखा तो मुनासिब समझा कि इस समय जो एस्टिमेट्स हैं अपनी रेवेन्यू के, रिसोसेज के उन पर विचार करके प्लानिंग कमीशन से बातचीत की जाय और उस पर फिर विचार किया गया और उस विचार से फिर दूसरे आंकडे बनाये गये वह भी माननीय सदस्य लिख लें :

Balance on Revenue a/c	1.42	crores
Additional taxation	24.00	,,
Loans from public ..	20.44	,,
Small savings ..	7.00	,,
Unrefunded debts ..	5.50	,,
Contribution of public enterprises ..	1.50	,,
Sale of Bhakra workshop	nil	
Balance of Misc. capital receipts ..	10.14	crores.

ये करीब ५० करोड के रिसोर्सेज हैं।

इस दौरान इसका जिक्र करते हुए माननीय सदस्य ने यह कहा कि जब इतने टैक्सेज लगा रहे हैं और सब आंकडे बदस्तूर ठीक चल रहे हैं तो फिर यह कहना कि प्लान रिड्यूस हो जायगा या कोई रद्दोबदल होगी इस टैक्सेशन में, मैं माननीय सदस्यों को जो अभी स्थिति है उस स्थिति के संबंध में कुछ फिगर्स दे देना चाहता हूं। बैलेन्स आंफ

(श्री बालकृष्ण कौल)

रेवेन्यू अकाउन्ट में कोई फर्क नहीं है। एडीशनल टैक्सेशन में फर्क आयेगा और लोन्स फार्म पब्लिक एंड स्माल सेविंग्ज है उतना पूरा हो जायगा जितना रखा था। अनफिंडड डेट भी उतना ही हो जायगा। पब्लिक एन्टरप्राइजेज डेढ़ करोड के होंगे · ·

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ५० लाख का घाटा हुआ।

श्री बालकृष्ण कौल : सुनते जाइये। और बैलेन्स आफ मिस्लेनियस केपिटल रिसीट्स माइनस १४.४२ हो जायगी।

अब सवाल यह आ जाता है कि क्या यह जरूरत है कि जो हम टैक्स लगाने जा रहे हैं वह टैक्स लगावें या न लगावें। मैं माननीय सदस्यों से खास तौर से उन लोगों से अर्ज करना चाहता हूं जो चाहते हैं कि प्लान रहे, जो चाहते हैं कि प्लान में वृद्धि हो, उनके आगे एक चीज है। उनको छोड दीजिये जो नहीं चाहते कि प्लान हो, मैं खास कर उन लोगों के आगे जो प्लान को बढाना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसान और मजदूर की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनकी उन्नति हो उनके सामने बात है कि हम किस तरह से इस गैप को भरें और जितना भी हम टैक्स करेंगे उतना ही हम इस रिसोर्सेज की तरफ अपनी मदद कर सकेंगे ये दो बातें काबिले गौर है लेकिन यह भी मैं मानने के लिये तैयार हूं कि जो सदन ने अपने विचार रखे य किसानों की हालत की तस्वीर सामने रखी वह भी अपनी एक जगह है। मगर सोचना इस बात को है कि अभी हम इसी हालत में रहें या इस वक्त मुसीबत उठा कर जो भी हमसे बने उसको करते हुए हम आगे बढ़ें अपने डवलपमेन्ट को लेकर ताकि जितने मुसीबत के दिन हैं, जल्दी से जल्दी खतम हों। ये दो चीजें हैं जो हर माननीय सदस्य को सोचनी हैं। इसलिये वक्त इस बात का है कि हमको एक बैलेन्स स्ट्राइक करना चाहिये इस गरीबी का और अपने इस गैप का, अपने डेवलपमेन्ट का तब तो कुछ हम कर सकेंगे नहीं तो करना मुश्किल हो जायगा। हमको यह सोचना है कि अभी जो स्थिति है इस वक्त देश की, वह कोई नार्मल स्थिति नहीं है। इस वक्त स्थिति वह है कि जो एमर्जेन्सी कहलाई जाती है। एमर्जेन्सी के होते हुए और इस तरक्की की रफ्तार को बढाने के लिये दो चीजों का समावेश करते हुए हमको सोचना है इसलिये इन सभी बातों का ख्याल करते हुए मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखता हूं।

श्रीमन्, मैंने यहां कुछ साल पहले जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट आई उसको पढा और कोशिश की इस बात पर आने की कि हम किसानों को मदद भी करें, उनकी जो गरीबी है उसका भी लिहाज करें और आगे भी बढने की कोशिश करें। तो इस सीलिंग रिपोर्ट को पढ कर मैं नहीं कह सकता कि मुझे जितना इसमें दिखाई दिया वह कितने आने तक ठीक है, लेकिन जो भी आधार है उस पर अपनी राय बनानी पडती है। उसको पढने के बाद मैं इस नतीजे पर आया हूं कि यहां करीब १० एकड के नीचे के जो काश्तकार हैं उनको माना जाता है कि वे अइकोनोमिक हैं · · · · ·

श्री विजयसिंह झाला : इर्रिगेटेड · ·

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आ रहा हूं एक एक बात पर। इसलिये इस फैसले पर हम आये कि १० एकड के नीचे जो अन-इर्रिगेटेड और चाही कहलाती है, कुओं से सींची जाती है उसको एक ही केटेगरी में रखा है। अनर्इरिगेटेड और चाही १० एकड तक है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया · · · ·

: **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह तो हमें पहले ही मालूम पड गया था। अखबारों में आ गया था।

श्री बालकृष्ण कौल :—बहुत सी चीजें आ जाती है, इसलिये · · · ·

श्री सतीशचन्द्रअग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बहुत सी चीजों में और इनमें वडा फर्क है It is a matter of tax proposals. and reduction or increase in tax proposals, if leaked out, is a very serious matter. It amounts breach of privilage of this House, because this House is competent to know first

श्री बालकृष्ण कौल : आप मेरे बाद कह सकते हैं। इसलिये · · · ·

एक माननीय सदस्य : इससे कितने बच जाते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : बहुत, करीब ८० पर्सेन्ट।

और वे होल्डिंग्ज जो दस एकड़ अन-इर्रीगेटेड, जिसमें चाही शामिल है · · · ·

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जानकारी करनी है, चाही में कौनसी चाही? या तो कुए वाली चाही, और भरतपुर में ऐसी चाही कहलाती है जो टैम्पोरेरी बांध हैं बरसात के, वह भी चाही में शामिल कर लेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : तालाबी इसमें नहीं है। सिर्फ कुएं वाली

श्री रामकिशन: तो यह क्या है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह बाद में बात कर ले। जो मैं बता रहा हूं, उसमें यह है कि दस से ज्यादा और पन्द्रह से कम, उसका साढ़े बाहर पर्सेन्ट सेस होगा · · · ·

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जरा और स्पष्ट करें, साहब।

(समझ में नहीं आया की आवाज)

श्री बालकृष्ण कौल: : जरा आप सुन लीजिये · · · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी के पास जो फ़ॉर्मूला लिखित है, उसको पढ़ कर सुनायें तो अच्छा रहेगा और समझ में भी आयेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : सुन लीजिये।

"Where the holding of a person liable to pay land revenue does not exceed 10 acres of unirrigated including barani and Chahi land—Nil

(**श्री बालकृष्ण कौल**)

(b) Where the holding of a person liable to pay land revenue exceeds 10 acres of unirrigated including barani and chahi land but does not exceed 15 acres—12-1/2 n.P. per rupee on the total amount of land revenue.

श्री रामकिशन : पर्सेन्ट या नया पैसा ?

श्री बालकृष्ण कौल : साढ़े बाहर नया पैसा, वही-आ जाता है।

"(c) Where the holding of a person liable to pay land revenue exceeds 15 acres of unirrigated including barani and chahi land, but does not exceed 45 acres thereof—25 nP. per rupee.

(d) Where the holding of a person liable to pay land revenue exceeds 45 acres of unirrigated including barani and chahi land, but does not exceed 90 acres thereof—33 nP. per rupee on the total amount of land revenue—

(e) Where the holding of a person liable to pay land revenue exceeds 90 acres of unirrigated including barani and chahi land—50 nP. per rupee on the total amount of land revenue."

दूसरी बात है" where a holding comprises a wholly irrigated land or partly irrigated and partly unirrigated land, such holding shall, for the purpose of sub-section (1), be determined in terms of the acres of unirrigated land as if one acre of irrigated land were equal to 3 acres of unirrigated land."

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा): इसे हिन्दी में बता दीजिये जिससे हमारी समझ में आ जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : कोई तो कह रहे थे उस वक्त ....

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : अब हिन्दी में बता दें, अंग्रेजी में बता दिया।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि दस एकड़ से नीचे की जितनी ज़मीन है, दस एकड़ जो अनइर्रीगेटेड (श्री रघुनाथ विश्नोई से) सब आ गया इसमें ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मुझे नहीं मालूम।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : No personal talks.

श्री बालकृष्ण कौल : तो उसके ऊपर कोई सेस नहीं होगा। इसी तरीके से ...

श्री मोतीलाल चौधरी : दस एकड़ में ......

श्री रघुनाथ विश्नोई : दस एकड़ इर्रिगेटेट और अनइर्रिगेटेड ?

श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये सब बातें सेक्रेट्री साहब से पूछ लेना। आपको क्यों परेशान कर रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपको बता दिया, मैं दस एकड़ की बात कर रहा हूं..

श्री मोतीलाल चौधरी : यह कौनसा एकड़ है? स्टेन्डर्ड एकड़?

श्री बालकृष्ण कौल : उस क़िस्म का नहीं, जिसमें दस मन का जिक्र है।

श्री मोतीलाल चौधरी : कौनसा है?

श्री बालकृष्ण कौल : यह मामूली एकड़ है, साधारण एकड़। तो इसके लिए ···

एक माननीय सदस्य : बीघा में बता दें, एकड़ में समझ में नहीं आये तो।

श्री बालकृष्ण कौल : सारी जगह के अलग अलग बीघे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : अजमेर का बीघा बता दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : आपके यहां का ढाई बीघा।

ीमान्, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इन सब चीज़ों का अन्दाज़ किया जाय, इनका तख़मीना लिया जाय तो ४५ और ५० लाख से ज्यादा रेवेन्यू सेस की नहीं हो सकती। तो इसलिये सोचने की बात यह है कि आपके सामने एक टैक्स का प्रस्ताव था जिसमें सरकार ने चार करोड़ का टैक्स लगाया था और पचास लाख के लिये कहा था कि किस तरह सोचा जायगा, किस तरह उसे लिया जायगा। इसलिये आज चार करोढ़ का, जो यह मैंने प्रस्ताव आपके सामने रखा है, यदि उसको देखें तो आपको मालूम होगा ···

एक माननीय सदस्य : यह पूरी तरह से नहीं समझ में आया, हिन्दी में अच्छी तरह से समझ में आयगा।

श्री बालकृष्ण कौल : आ जायगा। आ जायगा।

इसलिये मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो ब्रेकअप दिया था, और जो आपके सामने प्रस्तुत है उनको अगर आप देखेंगे तो ८५ लाख का उस चार करोड़ में से डेफीसिट ····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अब ज्यादा होगा।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : अभी तो आपने कहा ४५ लाख का आयगा।

श्री बालकृष्ण कौल : जो प्रस्ताव आपके सामने हैं, उसमें यह तरमीम की जाय तो ८५ लाख ····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : कैसे आयेगा?

श्री बालकृष्ण कौल : ८५ लाख का घाटा रहेगा; पैंतालीस, पचास लाख का जो अनुमान है, वह वसूल नहीं ··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह दो करोड़ आयगा।

श्री बालकृष्ण कौल : आप सुन तो लीजिये, पूरी बात कर लेने दीजिये। क्योंकि माननीय सदस्यों ने दौराने बहस इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की और यह भी नहीं चाहा कि जो चालीस प्रतिशत हम पंचायत या पंचायत समिति को देना चाहते थे, यहां से वसूल करके, अब हम इस वक्त उस चीज़ को स्थगित कर देते हैं ·····

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : बड़ा अच्छा किया।

श्री बालकृष्ण कौल : सरकार के पास १३५ लाख का जो मामला था, उसमें पचास लाख का इससे घाटा पूरा होता है, बाक़ी ८५ लाख का घाटा बाक़ी है और इसके अलावा, जैसा मैंने सदन के आगे रखा था, पचास लाख दूसरी मदों से वसूल करने का था जिसके लिए मैं शायद इकानामी से, दूसरे तरीक़ों से, बिल के ज़रिये उसको पूरा करने की कोशिश करता। आज यह हालत है कि इस वक्त १३५ लाख का आपके सामने डेफीसिट है। बहुत माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि साहब, जो केन्द्रीय सरकार टैक्सेज़ लगा रही है, इसका हमने अपने लेखा में ज़िक्र नहीं किया··

श्री भैरोंसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से स्पष्टीकरण चाहूंगा जिससे फिर दुबारा रिपीट न करना पड़े कि ८५ लाख का घाटा होगा, उसको पूरा करने के लिए आपका क्या ब्रेक अप है, इस सदन में स्पष्ट रूप से बतायें। यह नहीं कि इस तरह पूरा कर देंगे, इस तरह पूरा कर देंगे। जब तक ८५ लाख के बारे में स्पष्ट चित्र नहीं आता तब तक यह सन्देह हो सकता है कि अभी सरकार टैक्स माफ़ कर देगी, लेकिन जिस तरह पिछली साल ७० लाख के टैक्स लगाये थे, वह कर देगी।.

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : इसका सुबूत यह लैटर भी है।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान् ,अभी आप पूरा सुन तो लीजिये। वहीं तो मैं आ रहा हूं। मैं उसी घाटे का ज़िक्र कर रहा था, मैं उसी गैप का ज़िक्र कर रहा था जिसका माननीय सदस्य ने ज़िक्र किया था कि सैन्टर टैक्स लगा रही है उससे यह सारी चीज़ पूरी हो जायें। मैं यही निवेदन कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक एक्साइज़ का ताल्लुक़ है, हमने अपने बजट में ले लिया। जहां तक सेल्स टैक्स का ताल्लुक़ है, हमने अपने बजट में ले लिया; उसके अलावा अगर compulsory saving. ४५ या ५० पर्सेन्ट रहेगा, उसका हमारे पास क्या हिस्सा आता है यह बताना इस वक्त बहुत मुश्किल है।

एक माननीय सदस्य : अनुमान है, यह तो बता ही सकते हैं,। इसमें क्या बताना मुश्किल है?

श्री बालकृष्ण कौल: यह बताना मुश्किल है कि कितना रुपया आता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप कितना लेना पसन्द करेंगे? इसके लिये आपके पास फ़ोर्मुला है।

श्री बालकृष्ण कौल : आप फ़ाइनेन्स बिल में पढ़ लीजिये, उसमें दिया हुआ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने फ़ाइनेन्स बिल में पढ़ा है। मगर स्टेट का कितना है, यह नहीं मालूम पड़ता है।

श्री बालकृष्ण कौल : इतना मैं निवदन कर दूं कि २५ करोड़ इससे आमदनी होगी, २५ करोड़ बैठेगी। लेकिन किस प्रपोर्शन से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ़ से हमको मिलेगा यह मालूम नहीं है क्योंकि इस २५ करोड़ को स्टेट में बांटेगी इसको हिसाब में रखें तो····

एक माननीय सदस्य : स्माल सेविंग में भी रखा है।

श्री बालकृष्ण कौल : १.३० करोड़ स्माल सेविंग में रखा है।

(श्री बालकृष्ण कौल)

इसलिये मैं अर्ज़ कर रहा था कि उन्होंने १.३० करोड स्माल सेविंग में देने का पहले रखा है। इसलिये अब क्या देंगे यह बात साफ नहीं है। इसके खिलाफ देंगे या क्या देंगे ? इसलिये मैं सदन को इससे आगे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह चीज़ साफ नहीं है, जहां तक उनके रुपये हमारे यहां आने हैं। लकिन जो कुछ भी हमारे पास आवेगा फिर भी ६० लाख का घाटा है।

एक माननीय सदस्य : अभी तो आप ८५ लाख कह रहे थे ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने आपको बताया · · ·

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपको सेन्टर से कितना शेअर मिलेगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : क्या शेअर देंगे, उसको बताना मुश्किल है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह अन्दाजा लगाया कि १० एकड़ तक लोगों को टैक्स करते तो कितना रुपया आता ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने बताया कि ७०-७५ लाख ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर १० एकड़ तक आपका ७५ लाख आता है तो कुल २२५ लाख के आपने टैक्सेज लगाये हैं। अगर इसमें से ७५ लाख निकाल लिये जावें तो १५० लाख का रहता है। आपने लिखा है पंचायत समितियों में General Cess on Land Revenue, Gross Expected Yield: Rs. 225 lakhs.

श्री बालकृष्ण कौल : आपको बताता हूं। उस समय मिनिमम २५ था। आज १२।। है। वह छोटे खातेदारों से वसूल होने को था उनको भी १२।। कर दिया। इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि यह सब अनुमान है और इस अनुमान के आधार पर ही मैंने आपसे अर्ज़ किया है। इसलिये मैंने यह निवेदन किया कि ६० लाख गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से आने के बाद रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसमें से १.३० लाख है।

एक माननीय सदस्य : इसमें से ६० लाख पंचायतों के चले गये।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये यह खयाल है कि ६० लाख का घाटा · ·

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : सेन्टर से १०० करोड़ में से आपको क्या मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : वही तो बताया है कि उनको मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने कहा कि ४० करोड़ भारत सरकार के खाते में जमा होंगे · · · ·

श्री अध्यक्ष : उसके लिये ही तो कहा है उसमें राजस्थान का क्या हिस्सा होगा, यह मालूम नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मुरारजी का भाषण कभी का हो गया था, अब तक यह मालूम कर सकते थे ।

श्री बालकृष्ण कौल : मालूम करने की कोशिश की। वे बताने के लिये तैयार नहीं हैं और मैं यह कहूंगा कि वे बता भी नहीं सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास फॉर्मुला है, आप बता सकते हैं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिस समय बजट प्रस्तुत होता है उस समय बजट में आय के साधन और खर्चे के आंकड़े बताने जरूरी हैं। मगर आय के जरिये हैं उनका बजट मेमोरन्डम में जिक्र नहीं किया और आज यह कह कर चलना चाहते हैं कि उस आय का हमको अन्दाज़ नहीं लगता। अध्यक्ष महोदय, जब तक किसी को आय का अन्दाज़ न हो, कोई बजट पेश नहीं कर सकते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री से कहा जावे कि वे एस्टीमेटेड एमाउन्ट क्या है इसको बतायें। जब तक आय का मालूम नहीं है तो बजट कैसे पेश हो सकता है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) : आपका मतलब कम्पल्सरी सेविंग से है? कम्पल्सरी सेविंग के संबंध में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस बिल में अपटू ५० पर्सेन्ट हैं। जब तक अन्तिम रूप से पार्लियामेन्ट में निर्णय नहीं हो जाता है तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी राशि होगी क्योंकि इसमें यह सरटेन एक्सपेन्सेज़ को छोड़ दिया गया है। वह कम्पल्सरी सेविंग कहां से लागू करते हैं। इसमें लैण्ड रेवेन्यू पर आवेगा उसमें क़रीब ५० परसेन्ट हमारे यहां से इन्कम होगी यह उम्मीद करके चल सकते हैं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : मैं इसकी नहीं कहता हूं। आपने बजट प्रपोज़ल में टैक्सेज़ लगाये हैं वह इसीलिये लगाये हैं कि उससे घाटे की पूर्ति करनी होगी और जिस समय पार्लियामेन्ट में यह तय हो जाए और अपना हिस्सा निर्धारित कर दे और ३ करोड़ मिल जाते हैं तो हमें लाभ हो जाता है और यह सारा का सारा आपने जो टैक्सेज का प्रपोज़ल रखा है वह सुपरफ़्ल्युअस हो जाता है। आपने शोर्ट फाल का जिक्र नहीं किया है। बजट में अनुमान ही तो होते हैं, आप एस्टीमेट बनायें। आपने इसके एस्टीमेट नहीं बनाये। इसलिये शोर्टफाल का प्रपोज़ल आता है वह बेकार होता है।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पैदा किया है वह एक हाईपोथेटिकल प्रश्न है। आपने जहां...

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : पोइन्ट ऑफ़ ऑर्डर है, आप बिराजिये।

श्री अध्यक्ष : उसी पर ये जवाब दे रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो हम टैक्सेज़ लगा रहे हैं उससे शायद रुपया इतना आ जावे कि उसके मुक़ाबले में जो हमारे केन्द्र से रुपया आवे तो इन टैक्सों का क्या होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि यह एक मामूली बात है। उसे राजस्थान में ख़र्च किया जावेगा। यह तो मामूली बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप क्या यह मान कर चलते हैं कि यह सरप्लस हो जावेगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह नहीं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामानन्द को संबोधित करते हुए) आप इनको बोलने दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कम्पलसरी सेविंग के तहत ५० पर्सेन्ट लैण्ड रेवेन्यू रखा था उसके हिसाब से कितना हिस्सा राजस्थान को आया वह हमारे बजट में नहीं दिखाया गया है, वह दिखाया जाना चाहिये और आगे जाकर उसकी क्या पोज़ीशन होती है। विथड्रा करते हैं । वह यह गवर्नमेन्ट और दूसरी कोई भी गवर्नमेन्ट कर सकती है। बजट आखिर अनुमान ही तो होते हैं । इसलिये इन अनुमान पर हमारे प्रपोज़ल बजट में भी आने चाहियें ताकि यह पता रहे कि ओवर टैक्सेशन तो नहीं लग रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है , ५० लाख का तो अनकवर्ड गैप पहले से मौजूद है । तो अभी बताया गया कि उसे अनुमान से रख लें, यह कैसे हो सकता है। जब तक अन्तिम रूप से तय नहीं हो, या तो सेटल हो कर कन्वे हो जाय जो नेक्स्ट ईयर का एक्स्पेक्ट करते हैं, तो सेन्ट्रल मिनिस्टरी आफिशियली कन्वे कर दे तभी तो बजट में क्रडिट लेना वाजिब हो सकता है। हाइपोथेटिकल बेसिस पर यह कर लें कि इतना होगा, यह बजट पोइन्ट ऑफ़ व्यू से उपयुक्त नहीं। जैसे बजट स्पीच में कहा कि २५ करोड़ का होगा, उसके बाद जो अमाउन्ट कन्वे करेंगे तभी हम देखेंगे कि कितना क्रेडिट हो सकता है, उसके अनुसार चलेंगे ।

बजट स्पीच वहां २८ को हुई, यहां २८ को हुई, उनके एग्जैक्ट फिगर्स आज भी कम्युनिकेट करने मुश्किल हैं। जो आपको वित्त मन्त्री कह रहे थे कि वह यह है कि १३५ लाख का गैप रहता है, ६० लैक्स तो टैक्सेशन के बारे में, अब कोई विशेष फ़र्क पड़ा क्या, जो स्माल सेविंग से क्रेडिट लिया है अपने बजट में, वहां भी, वह स्कीम आ रही है उसका इफैक्ट पड़ेगा। तो उससे इसको माइनस करके लेना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिह : असेसमेन्ट के बेसिस पर पार्लियामेन्ट में स्पीच दी तो क्या हाइपोथ-टिकल थी ? इसी अन्दाज को वर्क आउट कर के बताया गया। ६५ करोड़ में से ४० करोड़ भारत सरकार के खाते में और २५ करोड़ स्टेट को मिलने वाला है तो भारत सरकार से पूछ कर चल सकते थे, अपनी लैण्ड रेवेन्यू की इन्कम है उसके आधार पर अन्दाज करके चलना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये मन्त्री महोदय ने कहा है कि मैंने जानने की कोशिश की है कि हमारा कितना हिस्सा होगा, पर कोई निर्धारित रकम नहीं बताई है। वहां पर जो प्रपोज़लस हैं किस हद तक स्वीकार होते हैं; जब तक स्वीकार नहीं कर लें, बिल पास नहीं हो जाय तब तक ग़लत एस्टीमेट लें तो ठीक नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिह : असेम्बली या पार्लियामेन्ट पास करे, न करे; यह अलग बात है। पर एस्टीमेट्स तो देने होते हैं।

श्री अध्यक्ष: एस्टीमेट्स वेग नहीं हो सकते, कितने प्रपोज़ल्स पार्लियामेन्ट एक्सेप्ट करेगी, यह पहले नहीं कहा जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : फिर रेवेन्यू सोर्सेज का और एक्स्पेन्डीचर का कैसे अन्दाज हुआ ?

श्री अध्यक्ष : यह तो यहीं से हुआ।

श्री भैरोंसिंह : एस्टीमेट तो बताये नहीं, जबरदस्ती टैक्सेज़ लगा दिये हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : इस तरह हमारे यहां जो गैप है, १३५ लाख का है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : स्पीच के पेज २४ पर है :

"The picture that has finally emerged as a result of the above discussions is that there is a revenue gap roughly of the order of Rs. 3 crores and adding the deficit of Rs. 1.52 crores in the Capital Account, an over all gap of Rs. 4.50 crores."

और फिर कहते हैं :—

"No apology is necessary for fresh taxation."

अब ज़रूरत नहीं है तो एपोलोजी तो मांगनी चाहिये थी।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि १३५ लाख का गैप है और इस गैप को पूरा करने के लिये जितना सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मिल जाय, उसका ख्याल कि इतना पूरा होगा, और इसके अलावा बाकी रहेगा उसके लिये मैं सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो गैप है, उसमें जहां तक मुमकिन है कुछ इकानोमी से पूरा किया जाय और अगर इकोनोमी से पूरा न हो तो फिर और भी कुछ रिसोर्सेज पैदा करने के लिये प्रयास किया जायगा, अगर ऐसे रिसोर्सेज़ हों कि सदन के सामने लाया जाय, सदन के सामने लाया जायगा।

इस वक्त स्थिति १३५ लाख के गैप की है। मुझको उम्मीद है कि माननीय सदस्यों के आगे इस क़िस्म का बजट रखा गया है और इस परिस्थिति का ख्याल करते हुए इस बैलेन्स्ड बजट को इस मौक़े पर एक डैफिसिट बजट के रूप में आपके सामने रखा है।

हां, जो सरकार ने कुछ सुविधाएं दी हैं, कोशिश की है सरकार ने कि आपके दृष्टिकोण को भी मान्यता दी जाय और जो इस वक्त परिस्थिति सामने है उसका भी मुक़ाबला किया जाय। मेरे माननीय सदस्य इसे स्वीकार करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of information, Sir. सेंट्रल गवर्नमेंट को साढे छ करोड सालाना किश्त देने का वायदा किया है क्या ? शार्ट टर्म लोन लिया है उसके सम्बन्ध में साढे छः करोड का वायदा उनको देने का है ? इस बजट से शुबाहात हो गये हैं कि अन्डर एस्टीमेट करके बहुत ज्यादा टैक्स लगाये जा रहे हैं, उसको गलत साबित करने के लिये मैं यह जानना चाहता हूं २० करोड का लोन लिया गया कि तीन साल में चुकायेंगे, दो साल तो निकल गये, इसी तीसरी प्लान में चुकाने का वायदा किया है क्या साढे छ करोड चुकाने का ? यह तथ्य है क्या ? २० करोड शोर्ट टर्म लोन के है यह थर्ड प्लेान के लिये हैं।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
१५ करोड का लोंग टर्म लोन लिया है उसका भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है ? अगर नहीं है तो सेंटर से इसका वायदा कैसे कर आये ? या यह सब बात गलत है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : मैं इसे स्पष्ट कर दूं। २० करोड के बारे में जहां तक फाइनेन्स मिनिस्टरी का सवाल है वे चाहते हैं कि इसी थर्ड फाइव ईयर प्लान म ओवर ड्राफ्ट को क्लीयर करें। जहां तक राजस्थान गवर्नमेंट का सवाल है, हमने इस बात पर जोर दिया है कि इस प्लान पीरियड में अपनी आवश्यकता और दूसरी आवश्यकता को देखते हुए सारा का सारा चुका नहीं सकते। जितना संभव है चुकायेंगे। और वह भारत सरकार, प्लानिंग कमीशन, फाइनेन्स मिनिस्टरी और राजस्थान गवर्नमेन्ट के बीच में विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : फाइनली तय तो नहीं हुआ न ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अभी बजट के पहले स्थिति थी वह रखी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वित्त मंत्रीजी ने लैंड रेवेन्यू अधिकार में संशोधन किया है उसके फलस्वरूप उसके अनुसार अब कितनी आय राज्य सरकार को होगी क्योंकि पहले आय बताई थी कुल लैंड रेवेन्यू की वह २.२५ करोड की आमदनी बताई थी। पंचायत समितियों को देने की बात कही वह रद्द कर दी। पहले आय २.२५ करोड की बताई अब कन्सेशन्स दिये हैं, उसके बाद कितनी आमदनी होगी ?

श्री बालकृष्ण कौल : इससे ५० लाख के करीब होगी।

एक माननिय सदस्य : कुल पचास लाख ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of clarification, Sir. यह जो गेप है, जो आमदनी आने वाली है उसका अन्दाजा है। एक पोइन्ट उठाया था उसका जवाब नही आया है। आपकी मार्फत सुनना चाहते हैं। वे (वित्त मंत्री) दूसरी जगह बात कर रहे हैं। ४ पर्सेन्ट जनरल टैक्स लागू था उसके अन्दर १ पर्सेन्ट बढा दिया, नोटिफिकेशन बीच में निकाल दिया और चार से पांच पर्सेन्ट कर दिया गया। हमारे यहां ४ पर्सेन्ट से ६ पर्सेन्ट आ गया। एक पर्सेन्ट नोटिफिकेशन से बढा दिया। किस सेक्शन के अर्न्तगत सेल्स टैक्स ले लिया। सदन को बतायें। यहां की ऑथोरिटी न होते हुए भी इस प्रकार नोटिफिकेशन निकाल कर टैक्स बढा दिया जाता है। चार से ६ किया है। नोटिफिकेशन के आधार पर ४ से ५ कैसे किस आधार पर कर दिया?

श्री भैरोंसिह : एक क्लेरिफिकेशन मैं भी चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय। इन टैक्सेज को लेने के बाद गैप होगा, उसको मीट करने के लिये स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में कमी होगी या और रिसोर्सेज होंगे। कम से कम स्पष्ट बता दीजिये कि कैसे इस गैप को पूरा करेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान् माननीय सदस्य ने यह कहा कि सदन को शंका है कि कहीं . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : नोटिफिकेशन बतायें पांच वाले के लिये।

श्री बालकृष्ण कौल: By Notification टैक्स न बढा दिया जाय। मैं निवेदन करूं कि फाइनेन्स बिल आ रहा है क्या अधिकार है और क्या होना चाहिये यह उस मौके

(श्री बालकृष्ण कौल)
पर उठायें तो अच्छा है। जो पहले किया था सरकार ने, सैल्स टैक्स एक्ट के अन्तर्गत जो अधिकार सदन ने दिये हैं उसके अनुसार किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसको रेफर तो कर दीजिये। हमसे कब सेन्क्शन ली, कब सवाल उठाया। सेक्शन बतायें जिसके अन्तर्गत यह किया है।

श्री अध्यक्ष : और भी माननीय सदस्यों ने शका उठायी है, चार से पांच पर्सेन्ट तक बढ़ाने के अधिकार के बारे में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यह शिकायत है कि चार से ६ किया है यहां ४ से ६ का प्रेपोजल लाये हैं। चार से पांच नोटिफिकेशन के जरिये से किया है सेक्शन बतायें कि कब अधिकार दिया है।

श्री बालकृष्ण कौल : Section 5 of Sales Tax Aot.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बताइये, समझाइये। क्या है ?

श्री बालकृष्ण कौल : सदन में खडा हूं, बाजार में तो खडा नहीं हूं, जो कुछ भी कहना आपको है, कहें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी मार्फत ही कह रहा हूं। मालूम होना चाहिये कि हाउस का क्या कायदा है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह सेक्शन देख लीजिये, आपको मालूम हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक क्लेरिफिकेशन मैं और चाहूंगा। आपने (वित्त मंत्री) यह तो बता दिया कि जो सरचार्ज लगा रहे हैं उसकी कमी होगी, लेकिन बजट भाषण में कहा था कि पंचायत समितियां सरचार्ज लगाती थीं वे नहीं लगायेंगी और हम लगायेंगे। रिलेक्सेशन के बाद पूर्ववत् जो स्थिति थी कि पंचायत समितियां सरचार्ज नहीं लगायेंगी, वह स्टेन्ड करती है या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कह चुका हूं वे लगा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : फिर काहे का टेक्स रिलीफ हुआ ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, एक बात रह गयी है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष: कानूनी मसला है यह बता दिया।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने कहा कि पंचायत समितियां लगा सकती है। आपने कोई क्रम निर्धारित किया है उस हिसाब से लगायेंगी या अपनी मर्जी से जैसा चाहे ?

श्री बालकृष्ण कौल : विथड्रा कर लिया है।

(व्यवधान एवं घंटी)

जो पहले अधिकार थे वे ही अधिकार स्वतः उनके पास हो गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : रिलीफ किस बात का हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वैधानिक स्थिति बता रहे हैं। रिलीफ की आप सोचिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने जैसा जवाब दिया। कानूनी मसला है। सैक्शन ५ है सेल्स टैक्स एक्ट का ४ पर्सेन्ट लगाने का ही अधिकार रखा है।

श्री अध्यक्ष : कानून का इन्टरप्रिटेशन क्या हो, यह इस हाउस में बहस नहीं हो सकती। मंत्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया कि ५ तक अधिकार था लगा दिया।

श्री बालकृष्ण कौल : १० तक अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : यदि गैर कानूनी है तो अदालत में जांय। यह सदन तय नहीं कर सकता है कि इसका क्या इन्टरप्रिटेशन है? (एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर) Order please.

न बहस की जा सकती है। अमुक सेक्शन के नीचे कौनसा कर लगा सकते हैं, आप कहें कि इल्लीगल है तो उसके लिए अदालत में जाकर इसको क्लीयर करवा सकते हैं।

अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद संबंधी अध्यक्षीय-व्यवस्था

अनुदानों की मांगों के ऊपर अब बहस होगी।

इस संबंध में व्यवस्था के सुझाव हैं। अगर माननीय सदस्य स्वीकार करें तो बहस के समय उन पर ध्यान रखा जाय।

जैसा विदित किया जा चुका है तीन मांगें ली जावेंगी। वे एक साथ प्रस्तुत की जावेंगी। जो समय सदन के समक्ष है उसको इस तरह से बांटने की योजना है :—

(१) कांग्रेस दल — १ घंटा।

(२) स्वतन्त्र दल — ४५ मिनिट।

(३) बाकी जितने दल हैं उनको ३०, ३० मिनिट।

जो कट मोशन्स लिये जावेंगे उनके बारे में भी जो विभिन्न दल हैं वे, उनके सदस्यगण तय कर सकते हैं कि किन किन कट मोशन्स को सदन के सामने लाना चाहते हैं और उन्हीं पर उस दिन वे माननीय सदस्य बोलें और कम से कम तीन-चार माननीय सदस्य किसी कट मोशन पर बोल सकें यह उचित होगा। वे माननीय सदस्य पांच दस मिनिट से अधिक समय न लें ताकि विभिन्न दल के माननीय सदस्य अपने विचार सदन के समक्ष रख सकें और कट मोशन्स रखने का मौका मिल सके।

आज पांच बजे से आगे भी कार्यवाही चल सकेगी। पांच बजे सरकारी पक्ष से उत्तर दिया जावेगा और कट मोशन्स पर एक साथ मत होगा और डिमान्ड पर फिर मत होंगे। माननीय सदस्य, जो समय निर्धारित किया गया है उसी में बहस जारी रखें और भविष्य के लिए यह सूचित कर दें कि कौनसे कट मोशन्स लिये जावेंगे। इससे बहस आगे बढाने में सहूलियत रहेगी। आज जैसा उचित समझें माननीय सदस्य तय कर लें और वैसा रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, कट मोशन्स के समय का सवाल पहले भी इस आधार पर नहीं हुआ कि कितना समय किस दल अथवा सदस्य

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
को दिया जाय। जिस सदस्य ने कट मोशन पर बोलना चाहा, अपनी ओर से किसी सदस्य ने कट मोशन नहीं भी दिया हो, मेजोरिटी भी क्यों न हो, उसको बोलने का अवसर नहीं मिल सकेगा। इसलिये जितने कट मोशन्स जिस माननीय सदस्य ने दिये हैं उसी हिसाब से टाइम का निर्धारण करना चाहिये। इसके लिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई गई जहां विचार किया जा सकता है। जिन दलों ने बहुत कट मोशन्स दिये हैं, विचार रखना चाहते हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो व्यवस्था आपके द्वारा हुई है, मैं समझता हूं, वह संतोष जनक है।

श्री अध्यक्ष : मैं स्पष्टीकरण कर दूं। मैं यह आपत्तिजनक मानता हूं उन्हें स्वीकार नहीं है जो मैंने व्यवस्था दी है। इस संबंध में एक दफा नहीं, दो दफा सब ही माननीय सदस्यों से विचार किया गया है और यही उपयुक्त समझा गया है। और कोई उत्तम तरीका यहां बहस करने का नहीं हो सकता है। आधा आधा घंटा छोटे २ ग्रुपों को भी हमने दिया है; जिनसे बडे ग्रुप तीन गुना वडे है, उनके बराबर समय दिया है और इससे अधिक न्याय होना संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी से भी बहुत कट मोशन्स आये हैं। अगर उनका ध्यान रखा जाय तो आपका तो नम्बर ही न आये। अतः सदन में इस तरह के आक्षेप लगाना उचित नहीं है। जो व्यवस्था दे दी गई है और जो बातें रखी गई हैं वे ठीक हैं। मैं समझता हूं सदन उसको स्वीकार करता है।

(करतल ध्वनि)

(१.४० म.प.)

मांग संख्या १४, २१ एवं ४२—वैज्ञानिक विभाग, उद्योग एवं औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६३,०२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४१,१२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४२ मुख्य शीर्षक ९६ औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१७,९०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : एक और सूचना मैं दे दूं कि मतदान किस तरह से होगा। अभी जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं उनकी संख्या २५४ है हरेक पर मतदान होना संभव नहीं। इसलिये जो माननीय सदस्य वापिस लेना चाहेंगे उनको मौका दिया जायगा और सबको साथ मे अनुमति प्रदान की जायगी। इसके बाद सारे कटमोशन्स हैं उन पर एक

(श्री अध्यक्ष)

साथ मतदान होगा ताकि स्वीकार-अस्वीकार किये जा सकें। कोई ऐसा नीति, संबन्धी कटौती का प्रस्ताव हो जिस पर कोई दल के नेता या अन्य सदस्यगण चाहें कि यह उनकी नीति संबन्धी विचार धारा है तो सांकेतिक रूप से मतदान करवा सकते हैं। एक कटौती के प्रस्ताव पर जैसी भी व्यवस्था हो उसमें वोट किये जा सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल): लोक सभा में प्रेक्टिस है कि मतदान का समय निश्चित कर दिया जाता है कि अमुक समय में मतदान होगा। अगर कोई दल मतदान करवाना चाहे तो उसके लिये समय का निर्धारण कर देना चाहिये। यह भी फरमा दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष : आज के लिये तो व्यवस्था भिन्न होगी क्योंकि आज सदन की कार्यवाही ज्यादा देर तक चलेगी। वैसे रोजाना पांच बजे तक सदन का समय रहता है, सरकार का जवाब ४ बजे शुरू हो जायगा और ४।। और ५ बजे के बीच मतदान होगा। आज ५।। या पौने छः तक होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जितने भी कटौती के प्रस्ताव आये हैं उन सब पर तो वाद-विवाद नहीं हो सकेगा, अतः उन सारे कट मोशन्स को मूव किया हुआ समझा जाय। चेयर की ओर से इस प्रकार का निर्देश होना चाहिये। पार्लियामेन्ट में भी इस प्रकार का प्रोसीजर है कि जितने भी कट मोशन्स मूव किये जाते हैं उन पर चाहे डिबेट हो या न हो सरकार की ओर से उनका उत्तर अवश्य मिलता है। ऐसी हालत में कट मोशन्स पर कोई बोले या न बोले यदि सरकार द्वारा उनके उत्तर दे दिये जाते हैं तो कट मोशन मूव करने का मतलब पूरा हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह भी है कि अगर उन सब के उत्तर नहीं दिये जा सकें तो उन माननीय सदस्यों के पास उनके लिखित उत्तर भिजवाये जा सकते हैं। यह संभव नहीं कि २५४ कटौती के प्रस्ताव हैं उनका यहां उत्तर दिया जा सके। वैसी हालत में लिखित में उत्तर पहुंच जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ज्यादातर कटौती के प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर कुछ न कुछ प्रकाश उत्तर देते समय डाला जाना चाहिये। एक सुझाव जो माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह की ओर से आया कि सभी कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए माने जायं मैं इसको बिलकुल उपयुक्त मानता हूं। सारे कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए माने जांय। सरकार की ओर से जवाब देते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि ज्यादा से ज्यादा कट मोशन्स का उत्तर दे सकते हैं तो दें ताकि माननीय सदस्यों की शंका का निवारण हो सके तो उपयुक्त होगा।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, क्या वैज्ञानिक विभाग, उद्योग और औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत इन तीनों मांगों पर रखे हुए कट मोशन्स पर एक साथ ही बोला जाय ?

तीनों मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री **हरिप्रशाद शर्मा** (पाटन) : (१) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक

Page No 56

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

विभाग में १००) रु० की कटौती की जाय (सेडाबा हनुमान के धार्मिक स्थान जो लाखेरी में स्थित है के पास माइनिंग विभाग द्वारा खदानों की इजाजत देने से जो इस स्थान को खतरा हो गया है उस पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में १००) रु० की कटौती की जाय (सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी मे अनावश्यक क्षेत्रफल माइनिंग लीज की नाम पर दे देने के कारण अन्य उद्योग के कायम नहीं कर सकने पर बहस करने हेतु।

मांग संख्या २१ :—(१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (जिसमें सीमेन्ट, कम्पनी लाखेरी में पुरानी मशीनरी के कारण अधिक ब्रेक डाउन होने से उत्पादन में गिरावट आने पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (जिसमें बूंदी जिले में लघु उद्योग के अभाव में बढती हुई बेकारी पर बहस करने हेतु)।

श्री बृजलाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : (१) मांग संख्या १४ मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खानों के एकाधिकार देने पर बहस करने हेतु)।

(2) Demand No. XIV, Major Head 27-Scientific Departments be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to arrange for prospecting for petroleum).

(३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस दिए जाने के संबंध में बहस करने हेतु)।

(४) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान का मिनरल सर्वे और जियोलोजीकल सर्वे कराने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २१

(१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (इम्पोर्ट के लिये दिए गए लाईसेन्स पद्धति पर बहस करने के लिये)।

(2) Demand No. 21, Major Head 35-Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss the mis-management of the Government with regard to the supply of coal for daily use).

(3) Demand No. XXI, Major Head 35—Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss no-availability of G. C. Sheets and Cement).

(४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिए जाने वाले कोटा के दुरुपयोग व इसमें बर्ती जाने वाली पक्षपात पर बहस करने के लिये)।

5. Demand No. XXI, Major Head 35-Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss failure of the Government to check the misuse of the facilities provided by the Government for Industrial development of the State).

Page No 57

श्री मानसिंह महार (आमेर) :

मांग संख्या १४

1. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupee one (to discuss the failure of the mining policy of the Government).

2. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupee one (to discuss the monopoly granted by the Archaeological Department to the Tourist Guide's Service with regard to elephants going to the Amber Palace).

3. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupee one (to discuss the removal of objects of arts from the museums of Rajasthan).

मांग संख्या २१

1. Demand No. XXI, Major Head 35—Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the industrialisation policy of the Government and corruption prevalent in the Department).

2. Demand No. XXI, Major Head 35—Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government to give proper attention for the development of cottage industries in Rajasthan).

3. Demand No. XXI, Major Head 35—Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Government for not maintaining a proper check on the Khadi Village Industries).

मांग संख्या ४२

1. Demand No. XLII, Major Head 96—Capital Outlay on Industrial Development be reduced by Re. 1/- (to discuss the working of State Ware Housing Corporation and Co-operative Farming Societies).

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):

मांग संख्या १४

1. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupee one (to discuss Report of Experts on Palana Lignite).

मांग संख्या २१

1. Demand No. XXI, Major Head 35—Industries be reduced by rupee one (to discuss setting of certain Industries in Bikaner City).

श्री रामकिशन (वैर):

मांग संख्या १४

(१) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की खनिज सम्पदा के उपयोग सम्बन्धी नीति पर विवाद करने हेतु)

(२) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खानों के ठेके देने सम्बन्धी दोषपूर्ण नीति तथा व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

(श्री रामकिशन)

(३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खनिज विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

(४) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १)रु० की कटौती की जाय (खनिज विभाग की दोषपूर्ण नीति से हो रही राजकीय आय में कमी को दूर करने पर बहस करने हेतु) ।

(५) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १)रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले में बालू पत्थर की खानों के ठेके देने में हुये पक्षपात पूर्ण रवैये पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २१

(६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (उद्योग प्रसार में राज्य सरकार की असफलता पर बहस करने के लिये)।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

मांग संख्या १४

1. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupee one (to discuss the necessity on starting new quaries or mining operation in certain specified area to obtain the exhaust certificate of the minerals from that quary).

2. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government in realising the full royalty of the minerals taken out of the mine).

3. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government in properly enforcing the lease conditions and the Minor Mineral Concession Rules, 1959 upon the lease holders of Jodhpur Division).

4. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupee one (to discuss the wrong policy of leasing out the lime stone areas not below 10 miles when it has been included in minor mineral).

5. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupee one (to discuss the necessity of fixing the rate of lime (Vindhian) stone to put check on its use in Building purposes).

6. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupee one (to discuss the failure of Government to abolish so called monopoly of Vindhian lime stone available in Jodhpur Division and favourism in the sanction of leases).

मांग संख्या २१

(१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय

(श्री तेजाराम गहलोत)

(राज्य सरकार लघु उद्योगों हाथी दांत को मिलने वाले कोटे का वैज्ञानिक वितरण करने में असफल रही पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने में केन्द्र द्वारा लगाये गये करों से बचाने में असफल रहने पर बहस करने हेतु)।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम):

(१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (पलाना खान के कार्य में व्याप्त अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर):

मांग संख्या १४

(१) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खनिज विभाग द्वारा राजस्थान की खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण एवं आधुनिक तरीकों से exploitation करने में असफलता पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (पलाना खान बन्द कर देने पर बहस करने हेतु)।

3. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by Re. 1/- (to discuss the need of taking over the export trade of mica by the State Government).

(४) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खानों में एकाधिपत्य समाप्त करने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

(५) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान माईनिंग कॉरपोरेशन की निष्क्रियता पर बहस करने हेतु)।

(६) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (Archaeological Department) द्वारा की जा रही खुदाइयों की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति पर बहस करने हेतु)।

(७) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (Scientific Societies and Institutes) की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति पर बहस करने हेतु)।

8. Demand No. 14, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupees two (to discuss the activities of Archaeological Department).

मांग संख्या २१

1. Demand No. XXI, Major Head 35—Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss the in-ability of the Rajasthan Government in securing industries in the State Sector to be run by the Central Government).

2. Demand No. XXI, Major Head 35—Industries be reduced by Re. 1

(श्री योगेन्दनाथ हाण्डा)

1/- (to discuss the in-ability of the Rajasthan Government in getting the large scale licensed industries started).

(३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (औद्योगिक संस्थानों (Industrial Estates) की योजना की असफलता पर बहस करने के लिये)।

(४) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (बस्सी पंचायत समिति में ग्राम उद्योग के नाम पर फैले हुए भ्रष्टाचार, गबन अनियमितता के प्रति उद्योग विभाग की लापरवाही पर बहस करने के लिये)।

(५) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (उद्योग विभाग द्वारा दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम को लागू करने में ढिलाई पर बहस करने के लिये)।

(६) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (कच्चे माल के कोटे वितरण करने की गलत नीति पर बहस करने के लिये)।

(७) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (औद्योगिक ऋण देने में अपनाई जा रही गलत नीति पर बहस करने के लिये)।

(८) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान सरकार की तेल उद्योग के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति पर बहस करने के लिये)।

(९) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान के औद्योगिक विकास में राज्य सरकार की असफलता पर बहस करने के लिये)।

(१०) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने के लिये)।

(११) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान के जिलेवार औद्योगिक सर्वेक्षण में तीव्र गति लाने की आवश्यकता पर बहस करने के लिये)।

(१२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा राजकीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास के प्रति दुर्लक्ष पूर्ण नीति पर बहस करने के लिये)।

13. Demand No. XXI, Major Head 35—Industries be reduced by Re. one (to discuss the activities of Fisheries department).

(१४) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (Co-operative Farming Societies के सम्बन्ध में सरकार की गलत नीति पर बहस करने हेतु)।

(१५) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (राजकीय क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने की ओर सरकार की दुर्लक्षपूर्ण नीति पर बहस करने हेतु)।

(श्री योगेन्दनाथ हाण्डा)

16. Demand No. 42, Major Head 96—Capital Outlay on Industrial Development be reduced by one rupee (to discuss activities of Ware-houses Corporations).

17. Demand No. 42, Major Head 96—Capital Outlay on Industrial Development be reduced by one rupee (to discuss the policy of the Rajasthan Government for Rural Industrialisation programme).

18. Demand No. 42, Major Head 96—Capital Outlay on Industrial Development be reduced by one rupee (to discuss the wrong investments by Rajasthan Government in various Commercial and Quasi-Commercial under-takings).

श्री रावत राम (सादूलपुर) :

१७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर बहस करने हेतु)।

श्री **भंवरलाल कालाबादल** (अकलेरा-सु०) :

(१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (सरकारी सहयोगों का दुरुपयोग और उद्योग के लिये दिये गये धन उद्योग के कामों में खर्च न करके सरकार को धोका दिया जाने पर बहस करने के लिये)।

(२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (उद्योग के नाम से दिया हुआ ऋण उद्योगों पर खर्च न करने पर बहस करने के लिये)।

श्री हरदत्त सिंह (नोहर) :

(१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (नोहर-सब डिविजन में कोयले की सप्लाई के अभाव व उसमें धांधली पर बहस करने हेतु)।

श्री मोतीलाल चौधरी (**डीडवाना**) :

<u>मांग संख्या १४</u>

1. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by Re. 1/- (to discuss the slow progress to develop Public and Co-operative Sector in respect of Mining Industries).

<u>मांग संख्या २१</u>

1. Demand No. XXI, Major Head 35—Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss the slow progress of Cottage and Rural Industries in Rajasthan).

2. Demand No. XXI, Major Head 35—Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss the slow progress of Public Sector and Co-operative Sector in Industries in the State).

1. Demand No. 42, Major Head 96—Capital Outlay on Industrial Development be reduced by Re. 1/- (to discuss the unbalanced investment in respect of Private and Co-operative Sectors).

श्री मगनलाल (हिंडोन) :

मांग संख्या १४

(१) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में १००) रु० की कटौती की जाय (पत्थर की खानों में रॉयल्टी व्यवस्था के साथ पर ठेकेदारी प्रथा लागू करने से मजदूरों को होने वाली हानि पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २१

(२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (खादी भण्डार के अन्तर्गत काम करने वाले बुनकरों की स्थिति पर बहस करने के लिये) ।

(३) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (उद्योग की सहकारी समितियों को दी जाने वाली अर्थ सहायता में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहस करने के लिये) ।

श्री मानकचन्द सुराना (कोलायत)

मांग संख्या १४

(१) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खनिज विभाग द्वारा खानों से राज्य की गैर कर आय बढ़ाने की असमर्थता पर बहस करन हेतु) ।

(२) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (पलाना खान की वर्तमान स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

(३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खनिज विभाग की लाईम-स्टोन की खानों के प्रति अख्तियार की हुई गलत नीति पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २१

(१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (आर्थिक व औद्योगिक सर्वेक्षण के नतीजों को सरकार द्वारा प्रचारित न कर सकने की सामर्थ्य पर बहस करने के लिये) ।

(२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (राज्य सरकार की असफल व दिशा शून्य औद्योगिक नीति पर बहस करने के लिये) ।

मांग संख्या ४२

(१) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में १००) रु० की कटौती की जाय (सहकारी कृषि समितियों के लिये किये गये अपर्याप्त प्रावधान पर बहस करने हेतु) ।

(२) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में १००) रु० की कटौती की जाय (सहकारी उपभोक्ता भंडारों के लिये अपर्याप्त धन राशि के प्रावधान किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

(३) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा राजस्थान के बाहर के उद्योगों की शेयर पूंजी में अंशदान करने की गलत नीति पर बहस करने हेतु) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):

मांग संख्या १४

१. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (पलाना खान के लिगनाइट के खनिज भण्डार का उपयोग करने में सरकारी असफलता पर बहस करने हेतु) ।

२. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खानों के लीज देने में सरकारी आमदनी को घाटा पहुंचाने पर बहस करने हेतु) ।

३. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (भोडल के होलसेल व्यापार को राजकीय क्षेत्र में लेने पर बहस करने हेतु) ।

४. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में खनिज पदार्थों का उचित सर्वेक्षण कराने में सरकार की ढिलाई पर बहस करने हेतु) ।

५. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खनिज पदार्थों के लीज होल्डरों से बकाया की वसूली में ढिलाई पर बहस करने हेतु) ।

६. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (अलवर जिले में खनिज पदार्थों की उपलब्धि की सम्भावनाओं की ओर सरकार के दुर्लक्ष पर बहस करने हेतु) ।

७. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान माइनिंग कॉरपोरेशन की निष्क्रियता पर बहस करने हेतु) ।

8. Demand No. XIV, Major Head 27—Scientific Departments be reduced by rupee 1/- to discuss the in-ability of the Government to utilise the production of Mica in Rajasthan by establishing a mica grinding plant.

मांग संख्या २१

9. Demand No. XXI, Major Head 35—Industries reduced by Re. 1/- (to discuss the in-ability of the Rajasthan Government in securing industries in the State Sector to be run by the Central Government.

10. Demand No. XXI, Major Head 35- Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss the in-ability of the Rajasthan Government in getting the large scale licensed industries started).

११. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाय (राजस्थान के औद्योगीकरण के प्रति सरकार की दुर्लक्षपूर्ण नीति पर बहस करने के लिये) ।

१२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (औद्योगिक संस्थानों (Industrial Estates) की योजना की असफलता पर बहस करने के लिये) ।

१३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर जिले के औद्योगिक विकास की ओर सरकार की दुर्लक्षपूर्ण नीति पर बहस करने के लिये) ।

१४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर शहर में बुनकरों के लिये training cum production centre चालू करने की आवश्यकता पर बहस करने के लिये) ।

१५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (बस्सी पंचायत समिति में ग्राम उद्योग के नाम पर फैले हुए भ्रष्टाचार, गबन, और अनियमितता के प्रति उद्योग विभाग की लापरवाही पर बहस करने के लिये) ।

१६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (उद्योग विभाग द्वारा दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम को लागू करने में ढिलाई पर बहस करने के लिये) ।

१७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (कच्चे माल के कोटे का वितरण करने की गलत नीति पर बहस करने के लिये) ।

१८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (औद्योगिक ऋण देने में अपनाई जा रही गलत नीति पर बहस करने के लिये) ।

१९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा राजकीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास के असफलता पर बहस करने के लिये) ।

२०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान सरकार की तेल उद्योग के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति पर बहस करने के लिये) ।

२१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने के लिये) ।

२२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान के जिलेवार औद्योगिक सर्वेक्षण में तीव्र गति लाने के आवश्यकता पर बहस करने के लिये) ।

२३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (सवाई माधोपुर की सीमेण्ट फैक्ट्री को जो जयपुर उद्योग के नाम से प्रचलित है राजकीय क्षेत्र में लाने की आवश्यकता के सम्बन्ध पर बहस करने हेतु) ।

24. Demand No. XXI, Major Head 35-Industries be reduced by rupee one (to disapprove policy of the Government to exempt Life Insurance Corporation from the operation of the Rajasthan Shops & Commercial Establishments Act).

२५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग में (१) की कटौती की जाय (राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकीय क्षेत्र में संचालित बड़े उद्योगों को प्रान्त में पर्याप्त मात्रा में लाने में असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

18. Demand No. XXI, Major Head 35-Industries be reduced by rupee 1/- (to discuss in-ability of the Rajasthan Government to establish a mica grinding plant in Rajasthan.)

मांग संख्या ४२

२७. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (राजकीय क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने की ओर सरकारी दुर्लक्ष पर बहस करने हेतु) ।

२८. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (निजी औद्योगिक विकास संस्थानों में सरकारी पूंजी लगाने की नीति पर बहस करने हेतु) ।

श्री केदार नाथ (गंगानगर):

१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (गंगानगर शूगर मिल की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (गंगानगर जिले में कोई उद्योग अभी तक खोले जाने पर बहस करने हेतु) ।

३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रू० की कटौती की जाय (लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर बहस करने हेतु) ।

४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय राजस्थान में सहकारिता के आधार पर उद्योगीकरण की व्यवस्था में कमियों पर बहस करने हेतु)

श्री सांवलिया राम (रूपवास):

१. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (खनिज विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु) ।

२. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (खनिज विभाग द्वारा दिये जाने वाले ठेकों में गडबडी पर बहस करने हेतु) ।

३. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (खनिज विभाग तथा खान मजदूरों के आपसी सम्बन्धों पर बहस करने हेतु)

(श्री सांवलिया राम)

४. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जाय (भरतपुर जिले में खनिज विभाग की बकाया पर बहस करने हेतु)।

श्री अध्यक्ष :स्वतन्त्र दल शुरू करें या जन-संघ ?

(विराम)

श्री हरिप्रसाद शर्मा

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग के संबंध में मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं उन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। वास्तव में खनिज और उद्योग प्रत्येक देश के लिये प्रगति का सबूत है। आज राजस्थान में माइनिंग विभाग है वह अपने यहां के खनिज का सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पाता जिस प्रकार की धांधलियां होती हैं, व्यक्ति विशेष को जिस प्रकार की मोनोपोली दे देते हैं उससे प्रान्त के उद्योगों की प्रगति में एक प्रकार की बाधा पहुंच रही है इसलिये मैं इस संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूं। इससे संबंधित लाखरी सीमेंन्ट फैक्टरी है, यह हमारे प्रान्त में बहुत पुराना उत्पादन है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माइनिंग लीज के नाम से जिस प्रकार बीस वर्ग मील का भाग दे दिया गया इससे हमारी स्टेट की आय को बहुत नुकसान हो रहा है। लाखेरी फैक्टरी के लिये आपने २० वर्ग मील लाइम-स्टोन की मन्जूरी दे दी। आपने कभी यह भी सोचा है कि इतने बडे क्षेत्र का उपयोग सीमेन्ट फैक्टरी कितने वर्षों में कर सकती है ? सरकार ने इतना बडा क्षेत्र दे करके अपनी आमदनी को खोया है, इससे स्टेट की आय को नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे भाग करके अगर उसको बांटा जाय तो उत्पादन भी बढ सकता है और सरकार को आय भी हो सकती है। सीमेन्ट फैक्टरी को बीस वर्ग मील का जो एरिया दे रखा है वह एक अहम मसला है। जन-लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि इसके दो भाग कर दिये जायं, दस-दस मील के दो टुकडे कर दिये जायें लेकिन इस क्षेत्र पर एक प्रकार से पूर्ण आधिपत्य कम्पनी ने कर लिया है। यह एरिया दिया है उसका उपयोग वह कितने सालों में कर सकेंगे जब कि इन चालीस सालों में पूरा उपयोग नहीं कर पाये। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति को इतना बडा एरिया दे देना एक प्रकार की मोनोपोली कायम करना है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस लीज को खत्म करके इसको दो भागों में बांट दिया जाये जैसा कि जन-लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है।

हमारा माइनिंग विभाग एक प्रकार से अकर्मण्य सा है। जब कि हमारे बजट में करोडों रुपये का घाटा है वहां उस विभाग में खर्च बढा है, आदमी बढे हैं। लेकिन हमारे प्रान्त में जो खनिज मिलता है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। यह हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में नहीं मिलता। हमारा सर्वे डिपार्टमेन्ट है वह केयरलेस है। बडे बडे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचे इसी बात का इसको ध्यान रहता है। बडे बडे क्षेत्र को देकर के जनता के साथ धोखा किया गया है। एक तो मेरा कट मोशन यह है कि

(श्री हरि प्रसाद शर्मा)
इसके दो भाग कर दिये जाये और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिले इसलिये बाकी का क्षेत्र उनको दिया जाय ।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह इस प्रकार है सेडाबा हनुमान का धार्मिक स्थान, जो लाखेरी में स्थित है, के पास माईनिग विभाग द्वारा खुदाने की इजाजत देने से इस स्थान को खतरा हो गया है । यह ठेका किसी बम्बई के सेठ को दिया गया है। यह स्थान धार्मिक स्थान के बिल्कुल नजदीक है उसकी भी लीज दे दी गई । वह पहले तो कह रहे थे कि वे तो सेम्पल लेना चाहते हैं इसके बाद उन्होंने बिल्डिग प्रारम्भ कर दी । देवस्थान इतना नजदीक है, बिल्डिग भट्टे आदि लगाने की आज्ञा किस प्रकार से मिली ? उन्होंने तो उस पर एक प्रकार से कब्जा ही कर लिया है । तो मैं कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण मसला यह है कि राजस्थान का फायदा हो सकता हो तो उस ओर ध्यान देना चाहिये ।

आज उद्योगों के नाम पर क्या स्थिति है ? मुख्य मंत्रीजी का इससे सम्बन्ध रहा है और खास तौर से लाखेरी के मजदूरों से उनका अच्छा सम्बन्ध रहा है । लाखेरी के मजदूरों को बडी उम्मीदें रही हैं उनसे । उनके भाषण हमने सुने हैं, उनके उद्गार सुने हैं जिन्होंने यह कहा था कि आज जो उद्योगों में काम करते हैं उनके रहने-सहने, खाने-पीने, नहाने-धोने, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि का इन्तजाम होना चाहिये । अपने दौरों में वे वहां आये और बडी सहानुभूति उन्होंने मजदूरों के प्रति दिखाई । किन्तु, अध्यक्ष महोदय, आज माईनिग लीज के नाम पर लम्बी-चौडी जमीनें कम्पनी को दे दी गई हैं । वहां आज यह हालत है कि कोई मजदूर मकान बनाना चाहे तो नहीं बना सकता । इसकी जांच होनी चाहिये उनके घर बार उजड गये, आज उनको जगह नहीं मिलती ।

दूसरी तरफ उद्योगों के पास उस जमीन का उपयोग करने के लिये आज तक कोई प्लान नहीं बन सकी । चालीस साल पुरानी यह फैक्टरी हो गई है, मशीनरी की हालत खराब होती जाती है, आये दिन ब्रेक-डाउन होता है । आपके अफसर जांच करने जाते हैं, वहां पहुंचते ही नहीं, उनके डाक-बंगलों में ठहर जाते हैं और उनकी मोटरों में सैर-सपाटे करते हैं ।

माईनिग विभाग में जाकर देखिये । उनको पत्र दिये जाते हैं, शिकायतें की जाती हैं, सुझाव दिये जाते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं ।

जिले का सर्वे किया जाने के लिये कहते हैं, पुराने शासन की सर्वे-रिपोर्ट पर ही ध्यान दें और अमल करें तो लोहा, ताम्बा, जस्ता इत्यादि वस्तुएं उधर मिलती हैं, उनको आप एक्सप्लोर करने का प्रबन्ध करें ।

कांच के लिये एक कमेटी आपने बिठाई उसने रिपोर्ट दी कि यहां कांच का कारखाना, खोला जाना चाहिये । बूंदी जिले में यह कितना बडा उद्योग चल सकता है । बेकारी आप इससे काफी सीमा तक मिटा सकते हैं । सारी बातें सामने हैं, पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता ।

लोहा उधर मिलता है, गहणोली के पास काला संगमरमर काफी मिलता है । उसके

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
सर्वे आदि की जरूरत है । पर हमारा यह विभाग केअरलेस है ।

आप विभाग के लिये बजट में रकम रखते हैं, पर वह उस रुपये को भी खर्च नहीं कर पाते । लाखों रुपयों का वह उपयोग नहीं कर सका । जहां ६१-६२, व ६२-६३ में ४७ लाख आप खर्च करना चाहते थे वहां वह केवल १२,१७ लाख ही खर्च कर सका है । आप इस तरह से क्या करना चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं है ।

तो मैं दो बातें आपके सामने चाहता हूं । एक तो मोनोपोली सिस्टम आप खत्म कर दें । कई ठेकों पर दे दिया जावे । इससे राजस्थान का लाभ होगा । ज्यादा पैसा रायल्टी में उसे मिलेगा, लोगों को ज्यादा काम मिलेगा, बेकारी घटेगी । मैं डालमियां फैक्टरी का उदाहरण दूं । आपने उनको काफी रियायतें दी, लाखों रुपया भी दिया । आप उन पर कुछ नहीं कर सकते । वे आपकी मदद करते हैं । चुनावों में उनकी जीपें आपके काम आती हैं, सारी फैक्टरी ने आपको उधर के चुनाव लड़ाये और जिताये ।

कुछ दिन पहले मुख्य मंत्रीजी ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि वे साइकिलों पर भी जाकर जनता की सेवा करेंगे पर वह भावना और वह जमाना गया । मेरा तो आज आप पर यह अभियोग है कि आज आप शासन की कुर्सियों पर बैठकर मजदूरों का ख्याल नहीं कर सकते । आप उनका ख्याल तो भूल गये । आपकी आत्मा तो बिक चुकी । आप चूंकि उनकी जीपों का उपयोग करते हैं, उनके साधनों और पैसों का उपयोग करते हैं अपनी इन कुर्सियों को हांसिल करने और उनको बनाये रखने के के लिये आज फिर आप मजदूरों का क्या ख्याल करेंगे ?

लाइम-स्टोन की क्वेरीज आज उनको दी जाती हैं जो आपके साथी हैं, जो आपको मदद कर सकते हैं । उस सारे एरिया पर उनकी मोनोपोली कर देते हैं, दूसरा उपयोग नहीं कर सकता, वे स्वयं सारे एरिया का उपयोग नहीं कर सकते । समय कम है, इसलिये अधिक नहीं कहना चाहता इसी प्रकार से आपने झालावाड की पत्थर की खान बड़े-बड़े लोगों को सैकडों वर्गमील दे रक्खी हैं । उन पर उनका कब्जा करा दिया है और छोटे-छोटे उद्योग वालों को प्रोत्साहन नहीं देते ।

सीमेन्ट फैक्टरी लाखेरी को आपने बीस मील का एरिया दिया है । उसको इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितने मील का एरिया दिया गया है उसमें लाइम स्टोन ही नहीं है । आबादी में है । रेवेन्यू की जगह है । वह तो वहां अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है । ग्रामपुरा आबादी के लिये तो वह कहता है, पंचायत नहीं होनी चाहिये । मजदूर भी नहीं होने चाहिये । सिर्फ उसका साम्राज्य वहां होना चाहिये । ८० पर्सेन्ट मजदूर और १० पर्सेन्ट दूसरी जनता जब कि वहां रहती है । कम्पनी इतना ही नहीं करती, जगह के लाइसेन्स देती है, पंचायत को नहीं करने देती । इसके बाद भी वहां के एरिया को रिजर्व किया जाता है उसके लिये यह कह कर कि सीमेन्ट फैक्टरी वाले वहां सिनेमा हाल बनाना चाहते हैं, हम स्टाक करना चाहते हैं, मार्शलिंग यार्ड बनाना चाहते हैं । देश में कोयले का उत्पादन

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

नहीं होता, यहां इतना आता नहीं, पर फिर भी उनको स्टाक करना है और इसके लिये हजारों बीघा जमीन अपने कब्जे में ली है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निमन्त्रण दूंगा वे स्वयं उधर पधारें। और सब स्थिति स्वयं देखें, समझें। अगर वे नहीं समझते हैं तो हम ठीक से समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ वे स्वयं समझे हुए हैं। समझकर भी अगर किन्हीं कारणों से वे नासमझ बनना चाहते हैं तो यह जनता के साथ अन्याय है।

बालाजी के स्थान पर नई नई चीजें दी गई हैं। लोगों को इससे असन्तोष है। महादेव के सेवाकुंड के ठीक नीचे बिना इजाजत बरमा लगाये जाते हैं। इससे इन पूंजिपतियों को रोका जाना चाहिए। फोरमैन आया जांच करने। उसने स्वयं ने कहा कि यह कैसे कर लिया? पर उसे वापिस लौटा दिया। अपने दफ्तर में जाकर सारी स्थिति देखी तो वह निर्बल हो गया। क्लर्क भी असमर्थ रहे। तो यह स्थिति आप सुधारें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): काला संगमरमर, कहां के लिये आपने कहा?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : गहणोती, बहुत अच्छा स्थान है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कुछ कटौती के प्रस्ताव सदन के सामने रख रहा हूं, यह देखने के लिये और यह बताने के लिये कि किस प्रकार हमारी राज्य सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अव्यवस्था रखती है और उस अव्यवस्था के कारण कितना व्यय हमको करना पडता है या यों समझिये कि हमारे इन्कम के सोर्स को ठीक तरह रियलाइज नहीं कर सकते और इसका एक मात्र परिणाम यह होता है कि हमें विशेष टैक्स लगाने के लिये बाध्य होना पडता है।

मैं यह समझता हूं कि कोई भी सरकार यह मुनासिब नहीं समझेगी कि जनता के ऊपर वाहियात टैक्स लादे जावें और जनता उनसे असन्तुष्ट रहे।

हर समझदार सरकार के लिये यह सोचना जरूरी है। आश्वासन यह दिया जाता है कि मौजूदा सरकार इस बात पर विचार करती रहती है कि टैक्स जबर्दस्ती वह रखना नहीं चाहती पर कुछ मजबूरियों के कारण टैक्स लगाये जाते हैं।

मैं यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूं और इन्स्टैन्स के लिये माइनिंग डिपार्टमेन्ट को लीजिये। इस विभाग से आपको काफी आमदनी हो सकती है और उस आमदनी को आप अगर सही तरीके से बढाना चाहें तो राजस्थान सरकार को बहुत अच्छी तरह सम्पन्न कर सकता है।

लेकिन इस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रशासनिक कुशलता चाहती है। माइन्स के लिये लीज दी जाती हैं, उनमें जिन बातों पर खास तौर से ध्यान रखना चाहिये उन पर आपकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता और इसका परिणाम यह होता है कि जो आमदनी राज्य सरकार को होनी चाहिये वह नहीं होती और बडी बडी हानियां उठानी पडती हैं। उदाहरण के लिये आप का नियम है कि माईनिंग लीजें जब आप देते हैं तो उसका

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

डेड-रेन्ट लेते हैं और उसकी रायल्टी की एक रेट तै करते हैं। अगर उसके प्राडक्शन पर की रॉयल्टी की रकम, डेड रेन्ट से अधिक हो जाती है, तो रॉयल्टी आप लेते हैं और डेड रेन्ट से कम पडती है तो डेड रेन्ट लेते हैं, जो रकम अधिक होती है वह आप लेते हैं। तो एक सीमा के बाद खनिज ज्यादा निकलता है तो कुछ रायल्टी सिस्टम मुकर्रर करते हैं।

(२.०० म. प)

इसका नतीजा यह होता है और उस रोयल्टी रियेलाइजेशन के लिये आपके पास जो मशीनरी काम करने वाली है, मैं यह समझता हूं और ऐसे इन्सटेंन्सेज अगर आप चाहें तो मैं बहुत सी खानों के बारे में और इसके मुतल्लिक जो राज्य सरकार से एग्रीमेन्ट करने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में बताने के लिये तैयार हूं, उसमें सबसे ज्यादा गडबडी आपकी होती है और ईमानदारी से जितनी रॉयल्टी वसूल होनी चाहिये उसके बारे में आप ठीक तरह से कोई व्यवस्था नहीं करते।

उदाहरण के लिये एक खान के ऊपर एक आदमी खण्डवाल का काम करता है। उसके बाद जितना रुपया उस एग्रीमेन्ट के मुताबिक जितना माल निकालने का होता है वह निकाल लेता है और विशेष माल के सिलसिले में कि कितने ट्रक माल वह बाहर ले जाता है, बाजार में बेचता है इस पर रोक-थाम करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है उसमें भी ऐसा है कि मैंने सुना है कि ऐसी कापियां आपने उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं कि उनके आधार पर तीन वाउचर्स बनाते हैं। आपका चैक करने वाला एक साधारण स्थिति का आदमी होता है। उसको मौका मिल गया तो चैक कर लेता है नहीं तो नहीं करता है। एक आदमी जो एक ट्रक रवाना करता है, उसके साथ ६-७ ट्रक्स भी रवाना कर सकता है उस कूपन के आधार पर। इसमें आपस में कंपिलक्ट होता है। उदाहरण के लिये आप इमारत के पत्थर को ले लीजिए। इसमें एक आदमी उसी पत्थर को आपको १६) रुपये ट्रक के हिसाब से दे देगा। दूसरा आदमी १८) रु० ट्रक के हिसाब से दे देगा और तीसरा १७) रुपये के हिसाब से दे देगा और कोई इससे ज्यादा कीमत भी ले लेगा तो आखिर यह फर्क क्यों? खान एक होती है, पत्थर एक सा होता है, पैसा भी उतना ही देना पडता है तो बाजार के अन्दर आपस में कम्पटीशन होता है, यह बेईमानी चलती है। तो इसका कोई न कोई कारण तो होना चाहिये और उसकी राज्य सरकार को विशेष रूप से जांच करनी चाहिये। इसका कारण एक मात्र यह है कि जो आदमी बाजार में आकर सस्ते भाव में देने की कोशिश करता है वह रुपया और किसी का नहीं चुराया बल्कि राज्य सरकार की जो रॉयल्टी वसूल होने वाली है उसको चुराने की चेष्टा करता है। उस रॉयल्टी की वसूली ठीक तरह से हो इसके लिए राज्य सरकार ने कोई ठीक तरह की व्यवस्था नहीं कर रखी है। इसमें मेरा निवेदन यह था कि जिस प्रकार आप लीज देते हैं और एग्रीमेन्ट करते हैं पार्टीज से उस रॉयल्टी कलेक्शन के सिलसिले में आप कोई ऐसा एग्रीमेन्ट कर लें, ऐसी व्यवस्था कर लें, या रॉयल्टी कलेक्शन का मैटर भी किसी इन्डीविजुअल आदमी के हाथ में रख लें, कि ५० हजार या एक लाख की रॉयल्टी

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

होती है उसका १। लाख या १।। लाख रुपया एक आदमी के हाथ में दे दें, तो बेईमानी रुक सकती है और राज्य सरकार को पैसा भी मिल सकता है। और जो रायल्टी कलैक्शन के लिए लाखों रुपये का स्टाफ आप मुकर्रर करते हैं वह एक आदमी काम कर सकता है। इस तरह से राज्य सरकार को दोनों तीनों तरफ से फायदा हो सकता है।

मैं यह देखता हूं कि हमारी यह पृथ्वी वसुन्धरा कहलाती है और इससे रत्न उत्पन्न होते हैं इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपको यह मालूम होगा कि आप अधिक से अधिक आमदनी अपनी पृथ्वी से ही, खानों से ही बहुत ज्यादा पैदा कर सकते हैं। लेकिन केवल एक व्यवस्था का प्रश्न है, उस व्यवस्था को हम नहीं कर सकते तो उसका परिणाम यह होता है कि बहुत सा रुपया जो हमको मिलना चाहिये वह नहीं मिल सकता और उस पैसे का सदुपयोग नहीं करते, हमें नुकसान उठाना पडता है और परेशान रहना पडता है। उसके दो-तीन कारण हैं।

मैं यह भी कहूंगा कि खानों में काम करने वाले लेबर्स की जो कन्डीशन है उसके ऊपर भी राज्य सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि खानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत फैक्टरीज में या दूसरी जगह काम करने वाले मजदूर हैं उनसे भी ज्यादा खराब है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार की ओर से कोई समुचित व्यवस्था की गई है ? जिस प्रकार से फैक्टरीज में और दूसरी जगह काम करने वाले मजदूरों के लिये औषधि का इन्तजाम है, उन लोगों को रहने का इन्तजाम है इन खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी कोई व्यवस्था की है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि १९ वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ तो वहां के लोगों ने विचार कर लिया था, उन लोगों को अनुभव हो गया था कि राष्ट्र की उन्नति मजदूरों की उन्नति पर ही निर्भर करती है और मजदूर तबका तरक्की करेगा तो वह एफीशियेण्ट होगा और उसकी एफीशियेन्सी के आधार पर जो कार्य करने की क्षमता होगी उससे उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इसलिए देश के प्रॉडक्शन को बढ़ाने के लिए, देश के लोगों की एफीशियेन्सी से अच्छा काम करने के लिए और देश को तरक्की के रास्ते पर चलाने के लिए राज्य सरकार का यह पहिला कर्तव्य होना चाहिए कि वह मजदूरों की हालत पर सबसे ज्यादा विचार करे और वह देखे कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उन मजदूरों को प्रदान की जाती हैं कि जिससे उनकी एफीशियेन्सी में किसी प्रकार की कमी न आ सके, जिससे वह लोग प्राडक्शन में कोई कमी न ला सकें और देश में तरक्की होती रहे। देश की उन्नति, बहबूदी और धन-ऐश्वर्य यह सब देश के प्रॉडक्शन के ऊपर डिपैण्ड करता है और प्रॉडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बैठाने के लिए आप मजदूरों का पूर्ण रूप से साथ दें। आपके पास एक नहीं बहुत से मसले हैं जिनके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। जैसा कि मैंने निवेदन किया और मेरा कटौती प्रस्ताव इस विषय पर भी है कि हमारी राज्य सरकार ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया कि

Page No 72

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)
यह जियोलाजी और माइन्स डिपार्टमेंट के सिलसिले में सर्वे का इतना महत्वपूर्ण स्थान है, कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लापरवाही बरती गयी है । मैं तो इस बात को मान कर चलता हूं कि यदि हम खानों की तरक्की

(२.७ म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

करना चाहते हैं, यदि हम इस भूगर्भ विद्या के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम हमारी राज्य सरकार को इसकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिये । मैं समझता हूं कि स्टेट्स के जमाने में या ज्यादा से ज्यादा यह समझिये कि जिस समय बरतानिया सरकार हमारे देश की हुकूमत करती थी ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन यह था कि ४५ मिनट दिये गये हैं और केवल दो ही कटमोशन्स हुए हैं । तो बरतानिया सरकार के जमाने में या स्टेट्स के जमाने में हमारे यहां इसके सिल-सिले में एक सर्वेक्षण हुआ था । उस प्रश्न के बारे में, मैं यह बताऊंगा कि सबसे अहम चीज यह होती है कि उनसे हमारे यहां के एक्सपर्टस, इन्जीनियर्स या राज्य सरकार इस बात को नहीं जानती कि पृथ्वी के किस कोने में कौन सा रत्न रखा हुआ है ? कौनसी खनिज वस्तु मिल सकती है ? उन्हें इसका ज्ञान नहीं हो तो इस क्षेत्र में हम कोई कार्य नहीं कर सकते । सर्वे का ऐसा मैटर है कि राज्य सरकार आज तक इस मसले पर खामोश रही है । क्या आप बता सकते हैं कि कितने एक्सपर्टस अपनी राज्य सरकार की ओर से सर्वे का कार्य चलाने के लिए काम कर रहे हैं ? इसमें कितने स्टैप्स आपने लिये हैं ? या राज्य सरकार यह बताने के लिए तैयार है कि हमारे राजस्थान में इतने प्रकार के रत्न मिल सकते हैं ? खनिज मिल सकते हैं, इतनी चीजें हमारी पृथ्वी में मिल सकती हैं ? यदि इस प्रकार का ज्ञान नहीं है और फिर एक तरफ हम आश्वासन यह देते हैं कि हमारी राज्य सरकार केवल प्रॉडक्शन को बढाना चाहती है, हमारी राज्य सरकार यह चाहती है कि उद्योगों के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी तरह से जनता की तरक्की हो, राज्य सरकार की तरक्की हो । आप चाहते हैं कि हमको काफी रुपया मिले तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग लें । तो मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा आमदनी के जरिये होते हैं उसके ऊपर राज्य सरकार आंख मींचकर बैठी है । मैं यह कहूंगा कि मुमकिन है कि सरकार का लोगों को सहयोग न मिले ।

पैट्रोलियम का मामला है उसमें यह लोगों की धारणा है कि राजस्थान के बहुत से बड़े भाग में पैट्रोलियम हमको मिल सकता है । बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता है कि राज-स्थान में कोशिश की जाये तो पैट्रोल जैसी चीज हमको उपलब्ध हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार के समझ में नहीं आता कि इस क्षेत्र में क्या कदम उठाये ? क्या राजस्थान सरकार इस नतीजे पर पहुंच गयी कि हम कोई रुपया लगायेंगे तो हमारे राजस्थान में पैट्रोल को प्राप्त करने के लिए तो वह बेकार जायेगा ? या राजस्थान सरकार को

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

एक्सपर्टस ने इस प्रकार की ग्रोपीनियन दे दी हो कि जिसके ग्राधार पर वे कहने को तैयार हों कि इस इन्डस्ट्री को यहां चालू करने में फायदा नहीं है या पैट्रोलियम को ग्रागे बढाने की कोशिश करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी । यदि ऐसी बात है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि देश जिस प्रकार प्रगति कर रहा है, यही देश नहीं मैं कहूंगा कि दुनियां के देश जिस प्रकार ग्रागे बढ रहे हैं उनको ग्रागे बढाने में जो ग्रमूल्य चीज मानी जाती है वह पैट्रोलियम है । जिस राष्ट्र के पास पैट्रोल ज्यादा है, जो राष्ट्र इसको ग्रपने कब्जे में रखता है उसके ग्रौर साधन कमजोर होते हुए भी, या नहीं होते हुए भी ग्रपना मान दुनियां के ग्रन्य राष्ट्रों में मनाता है । ऐसी उत्तम वस्तु, जो कुछ लोगों की राय है कि हमारे देश में उपलब्ध हो सकती है, तो मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि उस बारे में ध्यान देना चाहिये ।

मैं एक बात ग्रौर बताना चाहता हूं जो उद्योग की तरक्की के लिये, खनिज की तरक्की के लिये निहायत जरूरी होती है । मैं नम्रता से निवेदन कर दूं कि मुझे विश्वास है ग्राज हमारे मंत्री मंडल में या राज्य सरकार में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी योग्यता नहीं जिससे वे कह सकें कि देश के कोने कोने से कौनसी वस्तु उपलब्ध हो सकती है, इसका उनको ज्ञान नहीं है । यदि कोई इस प्रकार की वस्तु की जानकारी करने की कोशिश करता है तो उसको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स लेना पडता है ग्रौर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स लेने की कोशिश की जाती है ग्रौर यह जानने की कोशिश की जाती है कि कौनसी वस्तु कौनसी खान से उपलब्ध हो सकती है, निकल सकती है ग्रौर किस तरह से राजस्थान में इन्डस्ट्रीज की तरक्की हो सकती है ? लेकिन उसको प्रारम्भ में भी दिक्कत होती है, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स लेने में भी दिक्कत उठानी पडती है । मान लीजिये किसी तरह से यदि लाइसेन्स मिल गया ग्रौर मान लीजिये उसने किसी खान के बारे में मालुम कर लिया तो दूसरी दिक्कत ग्राती है इन्वेस्टमेन्ट की । इन्वेस्टमेन्ट का सवाल उसके सामने ग्राता है । गरीब ग्रादमी ईमानदारी बरतता है, परिश्रमी ज्यादा होता है बमुकाबले पूंजीपतियों के । यदि साधारण ग्रादमी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स लेकर ग्रा के सामने जाता है तो इन्डस्ट्रीज चलाने के लिये, खान खोदने के लिये, उसकी तरक्की के लिये उसके सामने पैसे का सवाल ग्राता है । ग्रापका कानून इस प्रकार का हो सकता है कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स हासिल कर लिया हो तो उसको सहायता दे सकते हैं, लेकिन क्या राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने को तैयार है कि ऐसा ग्रादमी जिसकी स्थिति साधारण हो, जिसने निरंतर परिश्रम करके प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स के जरिये यदि ग्रागे बढता है तो क्या राज्य सरकार उसको ग्रर्थ से, रुपये से या धन से सहायता देने की कोशिश करेगी ? यदि वह नहीं करेगी तो किस प्रकार इन्डस्ट्रीज की तरक्की कर सकते हैं, किस प्रकार खानों को बढा सकते हैं, ये बहुत सी बातें हैं जिन पर विचार करना जरूरी हो जाता है । मैं नम्रता से यह भी निवेदन करूंगा कि जब इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने ग्राता है जो इतना ग्रहम मुद्दा है जिस पर थोडा ध्यान दें तो संभवत: उन्नति कर सकते हैं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे ज्ञान के ग्रभाव के कारण, एक्सपर्ट्स के ज्ञान के ग्रभाव के कारण ये कठिनाइयां

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इतनी बढ़ेंगी कि हमारे लिये आगे बढ़ना कठिन हो जायगा। इसलिये हमारे मंत्रिमंडल को, विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को ज्ञान होना चाहिये। जो लोग संचालन करने जा रहे हैं उनको इन चीजों का पूरा पूरा ज्ञान होता है। मैं अर्ज करूं कि बादशाह अकबर के जमाने में उनके दरबार में ९ रत्न कहलाते थे वे वास्तव में रत्न थे जो सारी बातों की जानकारी रखते थे इसलिये रत्न कहलाने के काबिल थे। एक बार एक फकीर ने बादशाह अकबर से २ बीघा जमीन मांगी। बादशाह ने उसको दो बीघा जमीन देने का हुक्म दिया कि इस फकीर को दो बीघा जमीन दी जाती है। लेकिन जब यह मसला बादशाह के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल के सामने पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि एक फकीर बादशाह से सिर्फ दो बीघा जमीन मांगी जब कि वह गांव मांग सकता था, धन मांग सकता था, उसके बदले में सिर्फ दो बीघा जमीन मांगी तो इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। इस पर सोचने के बाद उन्होंने हुक्म दिया कि काश्मीर के केसर के खेतों को छोड़ कर हिन्दुस्थान के किसी भी हिस्से की दो बीघा जमीन ले सकता है। फकीर यह चाहता था कि उसको काश्मीर के केसर के खेतों की दो बीघा जमीन मिल जाय तो वह दुनिया का सबसे अधिक मालदार बन सकता था। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मिनिस्टर भी ऐसे हों जिनको देश की चप्पा चप्पा जमीन के बारे में मालूम होना चाहिये, उसका उनको ज्ञान होना चाहिये। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे मिनिस्टर जिनकी हम कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं उनको यह ज्ञान नहीं है। वे अपने एक्सपर्ट्स की ओपीनियन पर भी ठीक तरह से नहीं चलते। हम जब किसी बात का विरोध करते हैं, कोई मसला लेकर सदन के सामने आते हैं तो सामान्य तरीके से एक बात कह जाते हैं कि हमारे हृदय में भी सद्भावना है, हम भी जनता के हित को ख्याल में रख कर चलते हैं लेकिन हमारे सामने मजबूरियां हैं, इलाज नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य २० मिनिट ले चुके हैं, कुल ४५ मिनिट स्वतंत्र पार्टी के लिये थे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : स्वतंत्र पार्टी से केवल २ ही बोलने वाले हैं। जितना समय ये लें उसके बाद में जो समय बचे वह दूसरे वक्ता को दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं २० मिनिट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मुझे ध्यान है, मैं बहुत शीघ्र समाप्त कर रहा हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का पूरा आश्वासन दिया जाता है लेकिन मैं यह कहूंगा कि आश्वासन से, जबानी जमा खर्च से कार्य नहीं होता। आपको कर्म अच्छे करके बताने चाहिये। नाम को जाने दें। आप केवल जनता को धोखा देने के लिये कह सकते हैं कि हम सद्भावना लेकर चलते हैं लेकिन कर्म आपके वही हैं। तो दुनिया को भ्रम में डालने वाला आपका यह आवरण ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिये कि आपसे मुझे हमदर्दी है, जो कुछ कहता हूं आपके फायदे के लिये कहता हूं। इस प्रकार के आश्वासन का धोखा ज्यादा दिनों तक दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिये काफी नहीं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

होगा। अपने कर्म को आप ठीक करिये तभी कल्याण हो सकता है।

एक बात और बताना चाहता हूं। आज हम देखते हैं कि आपके यहां इम्पोर्ट लाइसेन्स दिये जाते हैं, बाहर से सामान आता है। बहुत सी जरूरी व ऐसी निहायत जरूरी चीजें हैं जिनके लिये एक्सपोर्ट लाइसेन्स दिया जाता है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम उन पर नियंत्रण करके चलते हैं, हमारी इच्छा के बगैर बाजार में ये चीजें नहीं आ सकतीं, जितना चाहेंगे देंगे, नियंत्रण करेंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए वितरण करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा, दावे के साथ कहता हूं कि आप अमल करें न करें आपके अधिकारी, सदन के माननीय सदस्य और श्रोतागण बहुत से इस बात को जानते हैं कि जो टिन और कोयला आपको मिलता है, आपके कानून के मुताबिक हो सकता है कि आप उनको दें जिनके लिये रूल्स और रेगुलेसन्स बनाये हैं। लेकिन क्या आपका कंट्रोल और नियंत्रण उन पर है? यदि है, तो क्या वजह है कि वह ब्लेक मार्केट में बिकता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं जयपुर के बाजार में, या राजस्थान के दूसरे स्थानों के बाजारों में से कौनसा ऐसा बाजार है जहां ये चीजें ब्लेक मार्केट में नहीं मिलती? ये चीजें ब्लेक मार्केट में मिलती हैं तो आप में इन चीजों के बारे में ज्ञान रखने की क्षमता नहीं है, या ज्ञान रखते हैं तो नजरंदाज करके चले जाते हैं। इसका मूल कारण यह है कि जो कोटा आपको मिलता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जब सवाल आता है तो आप जिसका खर्चा है, जिन्युआइन है उसको उतना नहीं देते जिनको देने से आपको बेस्ट युटिलाइजेशन मिलसके। आपके अधिकारियों ने अपने पिट्ठू बना लिये हैं और जिन्होंने फिक्टीशियस इन्डस्ट्रीज खोली हैं उनको कोयला और लोहा अलाट करते हैं। उनके पास इन चीजों के कंजम्पशन की जगह नहीं होती इसलिये ये चीजें बाजार में आती हैं और वहां जो कंट्रोल रेट से प्राइसेज फिक्स्ड हैं उनसे दुगुनी तिगुनी पर बिकती हैं और जिनको वास्तव में जरूरत है, जिनको मिलनी चाहिये उनको नहीं मिल कर ज्यादा कीमत पर, दुगुनी, तिगुनी कीमत पर बिकती हैं। यदि आप इस बात को जानते हैं तो या तो उन पर नियंत्रण नहीं करना चाहते या नियंत्रण करने की आपमें क्षमता नहीं है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। आज इस जयपुर में मेरे देखते देखते कितने ईटों के भट्टे हो गये? क्या आपका डिपार्टमेन्ट सिद्ध कर सकता है कि एक हजार ईटें बनाने के लिये एक महीने में कितने कोयले की जरूरत है और आप कितना कोयला उनको देते हैं और उसमें से कितना कन्ज्यूम किया जाता है? और जिसकी वजह से कोयला खर्च होता है। यदि आपने उतना ही कोयला दिया है जितनी उससे ईटें बनती हैं तब तो बात सही है। लेकिन ऐसे ईट-निर्माण के अन्दर, जिसके बारे में आपको मालूम है कि कोयले का कोटा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ईट का निर्माण हुआ है तो क्या यह मान लिया जाय कि उसने लकड़ी से ईटें बना ली हैं, और अगर यह मान लिया जाय कि कोयले से ईटें बनी हैं तो वह कोयला कहां से आया है? क्या ब्लेक मार्केट से आया है? और अगर ब्लेक मार्केट से नहीं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आया है तो फिर कहां से आया है ? यह ब्लेक मार्केट है, यह देश के लिए घातक है, यह हमारी संस्कृति के लिए घातक है । यह चोर बाजारी है, उसके इस नियंत्रण को जानते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं करते हैं तो मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप इन बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे, ये बहुत ही अहम बातें हैं, इनको ध्यान में नहीं रखेंगे, तो मैं कहूंगा कि यह बहुत घातक सिद्ध होगी ।

आज के जमाने में लकडी का भाव हर कोई जानता है, यहां तक लकडी मंहगी हो गई है कि हर आदमी ने पत्थर के कोयले से घर में रोटी बनाना प्रारंभ कर दिया है । इस तरह इसका जो कन्जम्प्शन कोटा आता है, उसके लिए मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि मध्यम श्रेणी का प्रत्येक नागरिक आज आसानी के साथ प्रोवाइड नहीं कर सकता है । मैं कहूंगा कि इसका आपके पास जवाब नहीं है । यह जवाब आप जरूर दे सकते हैं कि हमें कोटा कम मिला है । मैं मानता हूं कि कोटा कम मिला है और यही इसका जवाब मुझे मिलेगा कि कोटा कम मिला है । लेकिन जो कोटा आपको मिला है, उस सबको आप डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह नहीं कर सके । और इसका एक नहीं मैं दस केसेज दे सकता हूं, और आप चाहें तो पत्थर का ब्लेक मार्केट बता सकता हूं कि इतने हजार टन कोयला बाजार में बिक रहा है । अगर आप कोटा प्रोवाइड नहीं कर सके तो ब्लेक मार्केट के लिए कोटा कहां से आगया, ज्यादा भाव देने पर कोयला कहां से मिलता है ? जिस साधारण आदमी को कोयला सस्ती रेट पर मिलना चाहिए, उसको ज्यादा भाव देकर कहां से कोयला मिल गया । मैं कहता हूं कि आपके जो रूल्स हैं, जो नियम हैं उनके मुताबिक जितना कोटा आता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की चेष्टा करते हैं ? क्या इस बात पर आंख खोल कर विचार करना चाहते हैं कि नियमों के बीच से गली निकाल कर, रास्ता निकाल कर, जो सामान सही आदमी को मिलना चाहिए, वह सामान सही आदमी को नहीं मिलता है और गलत आदमी के कब्जे में वह सामान चला जाता है, गलत आदमी उसका सदुपयोग नहीं करता है बल्कि दुरुपयोग करता है और उसके बाद वह ब्लेक मार्केट को इस देश के अन्दर फैलाता है । इस बात को रोकने के लिए जब तक ध्यान नहीं देंगे, तब तक सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते हैं । सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा ? इसका परिणाम आप स्वयं जानते हैं, मैं हमदर्दी के दो शब्द प्रयुक्त कर सकता हूं, इसका नतीजा घातक हो सकता है, आप लोगों के लिए घातक हो सकता है, केवल यही मेरा विनम्र निवेदन है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): टाइम फिक्स्ड है ।

श्री मानसिंह महार : पार्टीज का टाइम फिक्स्ड है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार: ४५ मिनट का टाइम था, उसके हिसाब से समय मिला है।

श्री मार्नासह महार (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर इस समय माईनिंग और इंडस्ट्रीज के दो महत्वपूर्ण महकमों के बारे में चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस समय सरकार यह कहती है कि उसको करोडों का घाटा है, उसको करोडों रुपये की जरूरत है उस समय, मैं बडे अदब से निवेदन करूं, कि सरकार काश्तकारों पर या मोटे अनाज पर टैक्स न लगा कर यह माइनिंग लीज का जो तरीका है, उसको अगर बदल दे तो राजस्थान में करोडों का फायदा हो सकता है। मैं यह समझता हूं कि कहीं पर भी, आप माइन्स को ले लीजिए, आज माईनिंग वाला है उसके ठेकेदार को लाखों का फ़ायदा होता है।

मैं एक मिसाल मुख्य मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं, आप नीम-का-थाना को ले लीजिए, नीम-का-थाना में, मैं फिर कहना चाहता हूं, एक मोनोपोली कायम कर रखी है। नीम-का-थाना के अन्दर एक व्यक्ति विशेष को आपने मोनोपोली दे रखी है। वहां पर यह हालत है, उपाध्यक्ष महोदय, नीम-के-थाना में, अगर कोई दूसरा ठेकेदार वहां खडा होता है तो वहां जो पार्टी विशेष है, जो मुख्य मंत्री जी का विशेष कृपा पात्र है, मैं यह कहूंगा, डाइरेक्टली मुख्य मंत्री से कहता हूं, आप इससे बच नहीं सकते, किसी प्रकार से टालमटोल करने की कोशिश करें, लेकिन आपका एक पार्टी के ऊपर विशेष प्रेम है। इसलिए अगर कोई दूसरी पार्टी वहां किसी प्रकार का काम करती है तो उसके माल वगैरह पर वे लोग जबरदस्ती डाका डाल कर उठा ले जाते हैं। उसकी पुलिस में शिकायत की जाती है, डिपार्टमेंट में शिकायत की जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वहां पर मोनोपोली का सिस्टम हो रहा है, वह सैल्स टैक्स दे रहा है या नहीं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यह चीज है, मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कि यह बहुत भारी गलत चीज हो रही है। अगर इस प्रकार की चीजें हुई तो हम अपने आपको, इस प्रान्त को अराजकता की ओर अग्रसर कर रहे हैं, थोडे दिन में यह हालत होने वाली है। नीम-का-थाना में, आपको मालूम होना चाहिए कि एस. डी. ओ. वगैरह का वे लोग कहना नहीं मानते हैं। यह हालत आज वहां हो गई है, पर्टीक्यूलर पार्टी जो आपकी कृपा पात्र है, उनके हुक्म के गुलाम होकर हमारे एस. डी. ओ., एस. पी. वगैरह रहते हैं जो वहां जाते हैं। तो इस प्रकार जो पर्टीक्यूलर पार्टीज के साथ फ़ेवरटिज्म है, आप हमेशा त्याग की बात करते हैं, एक तरफ फर्माते ह कि देश पर चीन के आक्रमण के बादल मंडरा रहे हैं, त्याग करें। हम त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ जो फ़ेवरटिज्म, नेपोटिज्म आज है उसको आप खतम करिये। माईनिंग पालिसी आपकी है, जो आप लीज पर माइन्स देते हैं उस पर आपको रायल्टी बढानी चाहिए। लेकिन उसकी ओर आपका ध्यान नहीं है। मैंने पिछली बार भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सुझाव दिया था कि बडी बडी माइन्स, जो पंचायत सर्किल में निकलती हैं, उनके मुनाफे पर पंचायत

(श्री मानसिंह महार)

समिति को टैक्स लगाने का मौका दिया जाय लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया गया । लेकिन कहीं पर गरीब किसान, मजदूर आदमी छोटे मोटे पत्थर लायेगा तो उस पर आप टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे । इसके साथ ही पंचायत को इस प्रकार माइन्स के लिए अधिकार देने की बात आयेगी तो उसे सरकार कभी नहीं मानेगी ।

दूसरा, मैं एक कॉन्क्रीट सजेशन देना चाहता हूं । पंचायत सर्किल में जो पत्थर की खान हैं तो पंचायत को वे खानें दे दीजिये, उन खानों को पंचायत को रन करने को कहिये, जिससे पंचायत की आमदनी को सहायता मिले और पंचायत अपने एरिया में खान निकाले । इससे आज जो बहुत भ्रष्टाचार है, वह बन्द हो जायगा, और बीच के लोग, जो ठेकेदार और सरकार के कर्मचारियों के बीच में लेन देन होता है वह भी खत्म हो जायगा और पंचायत वालों के बीच लेन देन नहीं चलेगा । इसके अलावा रायल्टी ठेकेदारों से सवाई ले लीजिये, बल्कि डेढ गुनी ले लीजिये, इस प्रकार का एक्सपेरीमेंट आप करके देख लीजिये ।

मैं निवेदन कर रहा था कि अगर आप पालिसी को नहीं बदलेंगे तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो माइन्स लीज पर दी जाती है, उसको बदल दिया जाये, उसके तरीके को बदल दिया जाये और नवीन तरीके निकाले जायें तो राजस्थान की आमदनी में एक करोड का फायदा हो सकता है । मैं जानता हूं कि हमारे पडौस में जो मोरेना की खान है, वह बहुत बडी खान है उससे सरकार को बहुत फायदा नहीं होता है, बहुत कम आमदनी होती है लेकिन जो मालिक है वह लाखों करोडों का फायदा उठा रहा है । हमारी सरकार उससे पैसा वसूल करने में असमर्थ है । मैं आपको बताता हूं कि क्यों असमर्थ है ? उसकी गाडियां मंत्रियों के घरों और मंत्रियों के प्राइवेट काम में आती हैं । मैं फिर चैलेंज के साथ कहता हूं कि चुनाव के समय, जब जरूरत होती है उसके पास पर्ची भेजी जाती है और चैक पहुंच जाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के बडे बडे आदमियों के पास । इसलिए उनकी तरफदारी करना चाहते हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाये जाते हैं । किसानों के ऊपर टैक्स लगाये हैं क्योंकि आज के दिन किसान बहुत जोरों से कांग्रेस से बेरुखी अख्तियार कर रहा है, इसलिए उस पर टैक्स लगाये हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि माईनिंग पालिसी को आप बदलिये । आपकी जो इंडस्ट्रीयल पालिसी है, उसके लिए तो क्या कहूं ? उसके अन्दर इतने दबे हुए हैं, कि आपको इंडस्ट्रीयलिस्ट का नाम लेने का दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि सिर ऊंचा करके देख सकें । यदि कोई बडा पूंजीवादी या इंडस्ट्रीयलिस्ट आपके पास स्कीम लेकर आता है तो सिर नीचा करके बडे प्रेम से आपको कहना पडता है--साहब कर देंगे । मुझे दुःख है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि राजस्थान में इंडस्ट्रीज क्यों लगाई जा रही है ? ये इंडस्ट्रीज किसी उत्पादन के लिए नहीं लगाई जा रही हैं । डिप्टी मिनिस्टर मेरी बात को शायद समझ नहीं रहे हैं, लेकिन फैक्ट यह है कि कोटे का जितना माल आयेगा, कोयला, लोहे का जितना माल आयेगा, वह इन बडी इंडस्ट्रीज को

(श्री मानसिंह महार)

दे दिया जायगा । और राजस्थान में जो बडी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, उनको यह कच्चा माल मिलेगा और वहां से बेचा जायगा......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उनका कारखाना आबाद रहे, उनको आपकी बात समझने की क्या जरूरत है ?

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा था कि इंडस्ट्रीज की यह हालत है, जितना कच्चा माल आता है, वह बडे बडे इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है, छोटी इंडस्ट्रीज को नहीं दिया जाता है । बडी-बडी इंडस्ट्रीज को सरकार की तरफ से लाखों रुपये का कर्ज दिया जायेगा, जितना कच्चा माल होगा, वह दिया जायेगा । लेकिन जो फिनिश्ड प्रॉडेक्ट होगा, उस पर आपका कण्ट्रोल नहीं होगा । बडे दुःख की बात है, मैं आपसे निवेदन करूं कि लोहे की सरियों का कारखाना झोटवाडा में है उसको सरियों के लिए लोहा दे दिया जायेगा । उनको कोयला दिया जावेगा और भी किसी प्रकार की सहायता दी जावेगी । लेकिन जिस समय उसकी प्रोडेक्ट जयपुर के मार्केट में बिकेगी तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा । बेचारे गरीब लुहार जिनको आपने किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया, उनको कोई लोहा नहीं दिया, न कोयला दिया, लेकिन बाजार में जब माल आवेगा तो उन छोटे लुहारों को कम्पीटिशन करना होगा । उनको भी उसी हिसाब से बेचना होगा । हम क्या देखते हैं कि कण्ट्रोल से तो हम बडे बडे लोगों को लोहा और कोयला देते हैं और जिस समय वे सरिये बना लेते हैं और बाजार में बेचने लाते हैं तो उसको ब्लेक से बेचते हैं । तो क्या सरकार इसको देखती नही हैं और समझती नहीं है ? इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत जरूरी चीज है। अगर सरकार इसमें कदम नहीं उठाएगी तो उचित नहीं होगा ।

दूसरी चीज जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, मैं अपनी पुरानी चीज पर आता हूं, हाथियों पर । हाथी......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप हाथी पर चढ कर ही एसेम्बली में पधारें ।

श्री मानसिंह महार : मेरा समय बहुत थोडा है आप इस तरह से डिस्टर्ब न करें । चीफ मिनिस्टर ने हाथियों के मामले को बडे प्रेम के साथ बताया कि इसमें कोई बडी बात नहीं है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इसको मामूली न समझें, यह बहुत गोलमाल का मामला है और मैं इसके लिए दिल्ली तक लडे बगैर नहीं रहूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, हाथियों की कौनसी इंडस्ट्री है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हाथियों का मसला है वह कोई मामूली मसला नहीं है, यह कोई १,०००–१,५०० का मामला नहीं है । यह बहुत बडा मसला है, यह मैं चीफ मिनिस्टर को बता देना चाहता हूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हाथी दांत की इंडस्ट्री हो सकती है । हाथियों की इंडस्ट्री का क्या मामला है? समझ में नहीं आया ।

श्री मानसिंह महार : मेरा इस पर कट मोशन है । आज हाथीवालों के २३ हजार रु० हमारे यहां Tourist Guide Service में बाकी हैं और वे दे नहीं रहे हैं । और मैं फिर यह कहूंगा कि आपके कृपा पात्र लोग होने के नाते आप उनका पक्ष ले रहे हैं । Tourist Guide Service is the only recognised agency in Rajasthan. कौन से कानून से रेगुलेट करती है और कौन से कानून के मुताबिक आप दूसरों को रोक सकते हैं ? मैं यह कहूंगा कि दूसरे भी आपको १०० दे देते हैं । आप मनमाने तरीकों से काम मत करो और अगर करते हैं तो आप पर आक्षेप भी लगते हैं और जिस समय आरोप लगते हैं तो सरकार को नीचे गिरना पडता है और जनता में सरकार के प्रति जो सद्भावना होती है वह कम हो जाती है । इसलिए रुपया लेने के बाद आपको कोई अधिकार नहीं रहते कि आप Tourist Guide Service को ही यह अधिकार दें । आपको कान्सटीट्यूशन कोई अधिकार नहीं देता कि इस प्रकार की मोनोपोली आप उनको ही दे दें । यह कान्स्टीट्यूशन की अवहेलना है । अतः मैं चीफ मिनिस्टर को फिर एक बार निवेदन करूंगा कि वे इस मसले पर विचार करें ।

इसके बाद मैं एक छोटे से मसले पर आता हूं और वह है खादी भंडार की बात.........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हाथी के लिये खादी.....

श्री मानसिंह महार : खादी भंडार में लाखों का घोटाला है ।

एक माननीय सदस्य : यह जजिया कर है, इस पर इनको भाषण देने का अधिकार नहीं है ।

श्री मानसिंह महार : मैं समझता हूं कि वर्तमान भारतवर्ष में इस प्रकार का कोई जजिया कर लगाते हैं या जजिया कर निकाल कर बख्शीश करना चाहते हैं तो भारतवर्ष में उसके लिए कोई स्थान नहीं है । आज खादी आप सभी पहिनते हैं । मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि उधर बैठने वाले बडी बडी हैसियत के आदमी हैं और बडी मंहगी खादी पहिनते हैं । खादी मंहगी है । मैं यह भी जानता हूं कि अगर भारतवर्ष में कोई पक्षपात की चीज है तो खादी है । इसको प्रोत्साहन दिया जाता है और यह कहा जाता है कि यह तो कॉटेज इंडस्ट्री है, इससे बीसों को फायदा होता है । आप उन बीसों को पूछिये कि उनको क्या फायदा होता है ? आपने देखा होगा कि आपके यहां के बुनकर हैं वे दिल्ली, बम्बई और पारों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं । सिर्फ एक तबका रह गया है चौमू में । और अजमेर में बडे बडे खादी के कारखाने लगा दिए । यह आपकी इंडस्ट्री सरकार की लाखों की सहायता के बाद बनी । इसमें गरीबों के आम रास्ते की जमीन पर इसने कब्जा कर दिया । खादी संस्था ने गरीबों के आम रास्तों पर कब्जा किया । और इनमें काम करने वालों ने महल खडे कर दिये । हम लोगों को कहा करते थे मगर आज हम देखते हैं कि कई जागीरदार पैदा हो गये हैं और अगर कांग्रेस के जागीरदार हैं तो वे लोग हैं जो खादी में काम करते हैं । मैं यह मान कर चलता हूं कि यह बात राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष

(श्री मानसिंह महार)

में है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि अगर दूसरी जगह कोई गलती हो तो उसका मतलब यह नहीं कि यहां पर भी गलती करें। महात्मा गांधी ने खादी को महत्व दिया था लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि जयपुर में पान्च बत्ती के पास और Nero's के सामने जिस प्रकार खादी हम देखते हैं और उसका अतुल्य भंडार देखते हैं तो उस खादी को देख कर मालूम होता है कि बहुत अच्छी अच्छी और मंहगी चीजें खादी की वहां पर पडी हैं और जिससे उप-मंत्री की आंखें खरीदने के लिये ललचाती हैं। यह खादी पहिनने वालों के लिए है। हमारे साथी और नेता जब इस प्रकार की चटकीली-भडकीली साडियों को देखते होंगे तो उनकी आंखों में जरूर आंसू आ जाते हैं कि उनकी खादी और राजाओं की खादी में कितना अन्तर हो गया है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): आंसू खुशी के आते हैं या दुःख के।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): खादी इसी तरह से राजाओं के महलों में पहुंचा दी है।

श्री मानसिंह महार : वह आपके राजाओं के महलों में पहुंच गई है बाकी कहीं नहीं पहुंची है। राजा लोग तो आप हैं। अब मैं आपको राजा कहूंगा। मैं यह कहूंगा कि आपने राजाओं के यहां कौने कौने में खादी पहुंचा दी है? हम कभी इधर उधर जाते हैं तो देखते हैं कि जितने राजा लोग हैं, अपने परिवार के लोगों के लिये दो आना रिबेट पर खादी लेने के लिये तैयार हैं। मैं यह कहूंगा कि आप खादी को रिबेट दीजिये, मगर दीजिये मोटी खादी को। अगर इस प्रकार की खादी को देते हैं तो मैं यह, उपाध्यक्ष महोदय, कहूंगा कि हममें और पुराने जमाने में कोई फर्क नहीं है। अगर आप बुनकरों को····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आप मोटी खादी जो गांव गांव में बनती है और जो कमीज और धोती के काम आती है उसको रीबेट दे। मगर मैं यह कभी नहीं मानता कि सुपर फाइन पर आप रीबेट दें और ४०) ४०) और ५०) ५०) रु० गज के खादी के नाम पर बनावें। ऐसे कीमती वस्त्र बनाना और खादी के नाम पर बेचना खादी के नाम को शर्माना है।

मैं यह कहूंगा कि आप बापू के सिद्धान्तों पर नहीं चलते हैं। आपको बापू के सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए। अगर इस प्रकार की खादी तैयार करके आप यह कहना चाहते हैं कि बापू के सिद्धान्तों का पालन करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आप उनके सिद्धान्तों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको गड्ढे में डालते हैं। उनके सिद्धान्तों का हनन करते हैं। ४०) ४०) रुपयों की खादी···

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ऐसा कोई नहीं है, जिसको खादी पहिनने के लिये जबरदस्ती की जाती हो।

श्री मानसिंह महार : बडे अफसोस की बात है, आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं है। आप पर जबरदस्ती नहीं है तो आप मेरा कोट पहिन लीजिये। इसलिये मैं यह कहता हूं कि आप पर खादी पहिनने

(श्री मानसिंह महार)

की जबरदस्ती है। राजाओं के जमाने में जिस प्रकार ड्रेस हुआ करती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय हमारे महाराजा ने, जब इंग्लैण्ड की क्वीन आई थी, यह कहा कि राजस्थानी पोशाक, जो साफा है पहन कर आवें, सब लोग जो रिसेप्शन में आवें वे साफा पहिन कर आवें, तब हमारे माननीय मंत्रियों ने कहा कि हम नहीं पहिनेंगे। उनको राजस्थान की पोशाक पहिनने में और साफा पहिनने में शर्म आती है। फिर क्या हुआ, राजस्थानी साफे में तो उनको शर्म आई और पतलून में पहुंचे। आप राजस्थान के साफे की इस प्रकार से अवहेलना करते हैं, आप इसके दुश्मन हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आप राजस्थानी साफा बांधते हैं क्या ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मानसिंह महार (आमेर) अभी समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

मेरे लिए राजस्थानी साफा बांधने के लिए कहा गया है। मैं फिर कह दूं कि मैं इस बात का स्वागत करूंगा, मुख्य मंत्री उनके साथियों को कहें कि दो दो आने की टोपी न लगा कर साफा बांध कर आयें। आपको राजस्थान की शान को, राजस्थानी लिबास को, पहरावे को कायम रखना है तो साफे को प्रोत्साहन देना होगा, पगडी भी साफे में आ जाती है पर वह मेवाडी चिपडगंज पगडी नहीं बांधेंगे।

यही चन्द शब्द कह कर सरकार से निवेदन करूंगा कि उसे इंडस्ट्रीयल और माइनिंग की अपनी पॉलिसी को बदलना चाहिए। ये दो महकमें ऐसे हैं कि जिनसे आमदनी हो सकती है। आमदनी की तरफ ध्यान देना चाहिए और घाटे घाटे की पुकार है आपकी वह इसी से बन्द हो सकती है। इनको पूंजीपतियों से निकालिये तभी आपकी चतुराई है। यहां आपकी नगण्य आमदनी है। सेठ एवं इंडस्ट्रीयलिस्ट्स लोग इनसे लाखों करोडों रुपये कमाते हैं, वहां कुछ कीजिये, सरकारी शेअर डालिये या और कुछ कीजिये जिससे कि आपको आमदनी हो।

क्योंकि मेरी पार्टी का समय समाप्त हो गया है, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए।)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष, प्रस्तुत मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। सबसे पहले पलाना कोलेरी के संबंध में एक्सपर्टस् कमेटी की रिपोर्ट है उसे डिस्कस करना चाहूंगा। राजस्थान सरकार की तरफ से पब्लिक एण्टरप्राइजेज नाम मात्र के दो हैं। एक तो गंगानगर शुगर फैक्टरी और दूसरा पलाना लिग्नाइट। ये दो उद्योग सरकार की तरफ से चलाये जाते हैं। खासतौर से पलाना कोलेरी की जो दशा हुई है, इस खान के संबंध में सरकार जो उदासीनता बरत रही है, वह सोचनीय है। बीकानेर स्टेट के टाइम में सेकिण्ड क्लास मनेजर के तहत ७५ हजार टन कोल का प्रॉडक्शन हुआ करता था वहां अब घट कर बहुत कम हो गया है और पिछले कुछ अर्से से इस खान की इस ढंग से व्यवस्था

(श्री भीमसेन)

की जा रही है कि किसी न किसी चीज की वहां हमेशा कमी ही रहती है। सरकार इस खान की तरफ जिस तरह व्यापारी मनेजमेंट की तरफ ध्यान देता है वैसे काम नहीं कर रही है।

पहले सैकिण्ड क्लास माइन मैनेजर था वहां उसके बजाय फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर लाये, फिर भी कभी बल्लियों की कमी रहती है, कभी साइडिंग की कमी रहती है, इन कमियों को दूर करने के लिये सरकार के पास जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनके पास फोरसाइटेडनेस नहीं और काम रास्ते में ही रुक जाता है। उसका नतीजा यह है कि आज पलाना खान वन्द पडी है। अचानक आग लगने से बन्द कर दी गई, मजदूर बेकार हो गये, खान वन्द हो रही है।

विधान सभा में राजस्थान सरकार को कहते हैं कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढाइये, पार नॉन-टैक्स रेवेन्यू के बारे में सरकार कितनी उदासीन है यह इसी से पता चलता है कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढाने का साधन जो यह खान है उसके प्रति सरकार कोई ध्यान नहीं देती।

एक्स्पर्ट्स कमेटी ने सरकार को इस खान को ओपन कास्ट सिस्टम से ऑपरेट करने की सिफारिश की थी और फिर सिफारिश की थी कि बालू, पुलर्स अर्थ, दूसरा कोल और दूसरे बाइ प्रॉडक्ट्स हैं उनके लिये इन्डस्ट्रीयल प्रॉडक्शन करे। सेण्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको इसके लिए एप्रोच किया जाय कि कोलमाइन से किस तरह की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जा सकती हैं। यहां एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था हम इस संबंध में कोरस्पाण्डेन्स कर रहे हैं। चार साल इस उत्तर को दिए हुए हो गये। सरकार अभी तक लिखा पढी कर रही है। यह सरकार की उदासीनता है कि जिन साधनों से नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढाई जा सकती है उनके संबंध में किस धीमी गति से काम कर रही है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में दो करोड का प्रावधान पलाना कोलेरी के लिये रखा था, दोनों योजनाएं समाप्त हुई, तीसरी योजना का तीसरा साल शुरू हो रहा है पर आज तक बडी ढिलाई से काम हुआ है। एक्सपर्टस् कमेटी ने इंटेग्रेटेड इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट के लिये रिकमन्डेशन किया है उनके बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए, यह भी कहा कि थर्मल पावर स्टेशन लगा सकते हैं। इसके बारे में भी कहूंगा कि सतपुडा में पावर जनरेट किया जा रहा है, वहां सरकार पार्टिसिपेट कर रही है। हमारे यहां थर्मल स्टेशन कायम कर सकती है और दो लाख किलोवाट से भी ज्यादा बिजली पैदा कर सकती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि थर्मल प्लाण्ट लगेंगे तो पानी की कमी रहेगी तो इसके लिये सरकार को चाहिए कि अभी से कुछ क्रियात्मक कार्यवाही करे। वरना प्लांट लगाते समय सरकार बहाना कर सकती है कि पानी की कमी है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि जो आगे करना चाहती है उसके लिये पहले ही पूरी तैयारी कर ले। तो इस तरह मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में सरकार ने बिलकुल सुस्ती से,

(श्री भीमसेन)

ढिलाई से, काम लिया है। तो इस संबंध में यदि सरकार शीघ्र कदम उठाना चाहती है तो राजस्थान केनाल का पानी वहां लाये जिससे बीच के एरिया में लूणकरणसर आदि शहर आते हैं वहां भी पानी मिल सकेगा और थर्मल स्टेशन लगाने में भी सुविधा होगी।

दूसरा कटौती प्रस्ताव बीकानेर शहर में औद्योगिक विकास की तरफ ध्यान दिलाने के लिये है। राजस्थान सरकार की यह घोषित नीति है कि इस स्टेट का बैलेंस्ड इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट करेंगे जिससे समूचे प्रदेश का समान रूप से विकास हो सके पर जिस तरह इंडस्ट्रीज का डवलपमेंट किया जा रहा है उससे हमारे प्रान्त का बैलेंन्स बिलकुल नहीं रह रहा है। कोटा का इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट कर रहे हैं, उदयपुर का इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट कर रहे हैं। जहां तक बीकानेर का सवाल है, वहां ऊन बहुत मिलती है और वह भी बेस्ट क्वालिटी की ऊन बीकानेर में मिलती है। पर सरकार की कहने की नीति कुछ और है और करने की नीति कुछ और है। वूल इंडस्ट्री को डवलप करने के लिए कोटा में लाइसेंस दे रही है, बीकानेर में जहां अच्छी ऊन काफी अच्छी तादाद में पैदा होती है वहां ऊन के डवलपमेंट का लाइसेंस दिया न्यूजीलैण्ड से एक्स्पर्ट्स आये उन्होंने भी रिपोर्ट दी है कि बीकानेर और उधर की ऊन दुनियां की अच्छी क्वालिटी की ऊन है। लाइसेंस लेने के लिये वहां व्यापारी तैयार हैं, सरकार उनको लाइसेंस दे।

दूसरा सवाल यह है कि खादी बोर्ड की तरफ से कई संस्थाएं हैं जो ऊन का काम करती हैं। इसके लिये फिनिशिंग प्लांट की आवश्यकता है। जयपुर के लोग इंट्रेस्टेड हैं कि जयपुर में फिनिशिंग प्लांट लगाया जाये लेकिन चूंकि बीकानेर में ऊन ज्यादा पैदा होती है और अच्छी क्वालिटी की ऊन पैदा होती है इसलिए बीकानेर में फिनिशिंग प्लांट लगाया जाये इससे वहां के लोगों को फायदा होगा और फिनिशिंग के लिये दूसरी जगह ले जाने में खर्चा होता है वह भी बच जायगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि फिनिशिंग प्लांट वहीं लगाये।

बीकानेर में सरकार अव्वल तो इंडस्ट्रीज के लिये लाइसेंस देती नहीं, कोई साहसी आदमी इसके लिये कदम उठाते हैं तो उनको निराश होना पडता है। बीकानेर का इंडस्ट्रीयल एरिया वीरान पडा हुआ है, न वहां पानी है और न बिजली। एक तरफ से डीमार्केट कर दिया है कि इंडस्ट्रीयल एरिया होगा। पर वहां एक आदमी बिजली की लाईन, पाईप की लाईन कैसे ले जायगा।

अगर सरकार चाहती है कि वहां औद्योगिक विकास हो तो सरकार को वह यें सुविधाएं देनी चाहिए।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, वहां एक इंडस्ट्रीयलिस्ट ने रबर फैक्टरी कायम की। उसके अन्दर उसने पांच लाख की केपिटल लगायी। बिजली की व्यवस्था नहीं हुई उसके लिए। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के झगडे से वह इंडस्ट्री बन्द पडी है। अगर इंडस्ट्री के साथ यह व्यवहार हुआ तो कैसे राजस्थान के अन्दर उद्योग पनपेंगे। पांच लाख रु० रुका पडा है उस ओर ध्यान देने की बात है।

(श्री भीमसेन)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ग्लास इंडस्ट्री बीकानेर स्टेट के समय लगायी गयी थी, और भी उद्योगपति ग्लास इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं। पानी बिजली और इस प्रकार की छोटी मोटी सुविधाएं देने से बीकानेर में उद्योग पनप सकते हैं और वह ठीक हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये में उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देकर कदम उठाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्क्ष महोदय, खान और उद्योग के संबंध में मेरे पांच कटौती प्रस्ताव हैं जिनमें सरकार की अलग अलग नीतियों के संबंध में विवाद करने के लिए विचार प्रकट करना चाहता था लेकिन चूंकि समय की सीमा है इसलिए मैं थोडे से सुझाव ही उस संबंध में निवेदन करूंगा।

अक्सर यह देखा जाता है कि हमको जो साहित्य मिलता है वह अंग्रेजी में मिलता है। सबसे पहला मेरा एतराज तो यह है कि जब उद्योग मंत्रीजी और उप-मंत्रीजी भरतपुर आये थे तो लोगों ने कहा कि आप जो भी उद्योगों के संबंध में साहित्य देते हैं वह सब आप अंग्रेजी में देते हैं जिससे आम आदमी जो जानकारी लेने के इच्छुक हैं वे उनसे जानकारी नहीं ले पाते हैं। खनिज विभाग ने रिव्यू दिया वह भी अंग्रेजी में दिया है। मेरा यह सुझाव है कि यह सारा साहित्य हमारी अपनी भाषा में होना चाहिए क्योंकि इसको दूसरे लोग नहीं समझ सकते हैं और आपकी बातों का उनके लिए उपयोग नहीं हो सकता है। सरकार कहां कमजोरी दिखा रही है लोग उसको समझ सकें, लेकिन कई बार इसके लिए ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी और कहने के बावजूद भी सरकार निरन्तर इसकी ओर उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है।

हम देखते हैं कि सरकार ने घाटे का बजट पेश किया है। पहली पंच वर्षीय योजना और दूसरी पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने पर भी, जैसा इसमें बताया गया कि खनिज संपदा में राजस्थान सबसे संपन्न है, खानों से उत्पादन हुआ है वह ६.१९ लाख के करीब हुआ है और आमदनी हुई है वह एक करोड के आसपास हुई है। इतने उत्पादन के साधन हैं, तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं, तरह तरह के उद्योग खडे किये जा सकते हैं। सरकार ने व्यवस्था रखी है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, खनिज विभाग ने १ करोड रुपया खानों के सर्वे के लिए रखा है जब कि राजस्थान में, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है ४५ के करीब अच्छी खानें हैं, तरह तरह के उद्योग खडे कर सकते हैं और उत्पादन बढा सकते हैं। दूसरा, मिनरल कॉरपोरेशन बनाया है उसमें भी इतनी कम रकम रखी गई है कि उससे राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं। एक चीज साफ है, सरकार ने कॉरपोरेशन बनाया, जो सर्वे के लिए रकम रखी है, सरकार के मन में अगर यह बात हो कि टैक्स रेवेन्यू को खत्म कर दें तो खनिज संपदा का ठीक उपयोग करके आगामी दो तीन वर्ष में बजट में जो घाटा आता है, टैक्स लगाने पडते हैं उसमें कमी कर

(श्री रामकिशन)

सकती है। सरकार ने खुद योजना में माना है कि खानों के संबंध में दूसरी योजना तक सरकार गंभीरता से सोचती ही नहीं थी। बिजली और पानी के साधन बढाते जा रहे हैं, चाहे कोटा में हों या उदयपुर में हो, मैं इसके विवाद में नहीं पडना चाहता, लेकिन उन खनिजों का उपयोग किया जाय और ठेके दिये जायं तो राजनैतिक दृष्टि से विचार नहीं किया जाये और यह न देखा जाये कि फलां पार्टी चुनाव में चन्दा देती है इसलिए इनके लिए खानें सुरक्षित रहेंगी।

मैं लम्बे विवाद में न जाकर भरतपुर में जो स्टोन क्वेरी है उसके संबंध में कहना चाहता हूं। सवाई माधोपुर और भरतपुर में खनिज सम्पदा की दृष्टि से खास कर पत्थर के माने में, राजस्थान में जहां १ करोड रु० की कुल आमदनी हुई है, उसमें से उनके द्वारा ६० प्रतिशत इन इमारती पत्थरों से मिलता है। पुराने ठेकेदारों के ठेके समाप्त होते हैं तो सरकार ने ३० मील का एरिया, जो उनकी इच्छा का एरिया था, पुराने ठेकेदारों को दे दिया। इसके विवाद में नहीं पडना चाहता कि किस प्रकार दिया गया और किसको दिया जाना चाहिये और किसको नहीं। उसके बाद जो पत्थर का बचा हुआ क्षेत्र है उसमें न तो डिमार्केशन हुआ है और न ही पिलर्स लग पाये हैं। इसका नतीजा यह होता है कि दूसरी जो सहकारी समितियां बनी हैं वे उसको लेना चाहती हैं, पिलर्स न लगाने की वजह से यह नहीं मालूम पडता है कि ३० मील का एरिया कौनसा कहां तक है? मेरे हिसाब से, इसके लिए भरतपुर इलाके का ही थोडा सा हाल बता दूं कि इस ओर ध्यान न देने से सरकार को लगभग पांच लाख का घाटा होने वाला है। मुख्य मंत्रीजी को लगातार निवेदन किया गया, लोग मुख्य मंत्रीजी से मिले, उप-मंत्रीजी से मिले लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। यदि वह एरिया डिमार्केट हो जाता तो राज्य सरकार को यह लगभग पांच लाख का घाटा नहीं होता। मामला कितना गंभीर है, यह स्थिति है कि एक चिट्ठी है उद्योग सचिव की जो मैं पढ कर सुना देता हूं।

ए० के० राय हैं सेक्रेटरी, उद्योग विभाग के उनकी चिट्ठी है उसके संदर्भ में न जाकर यह बता दूं.......

"Though nearly eight months have passed......"

अंग्रेजी में है इसका खुलासा कह दूं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अंग्रजी में न सुनाओ।

श्री रामकिशन : मैं अपनी तरफ से नहीं रख रहा हूं।

'Though nearly 8 months have passed I understand that the demarcation of the plans of Tiwari Jhumar Lal Saroop Lal is not completed with the result that the co-operative societies are not able to apply for any portion of the area left out. It has also been alleged that this party Tiwari Jhumar Lal Sawaroop Lal is constantly changing the plans and trying to get all the area in which the Co-operative Societies are showing slightest interest. I shall be glad if you kindly

(श्री राम किशन)
instruct your sub-ordinate officers that Tiwari Jhumar Lal Swaroop Lal should not be allowed to change their original plans dated 15-6-61 which they submitted in your office. This delay in demarcation and the tactics of the party are causing an unnecessary harm to the prestige of the Government since there has been an extraordinary delay in your office demarcating the plans and fixing the pillars.......'

अब आप इसमें देखिये । इससे ज्यादा इस सरकार के लिए और क्या शर्मनाक स्थिति हो सकती है । लगातार उद्योग सेक्रेटरी लिख रहे हैं । नक्शे परिवर्तित हो रहे है । राज्य सरकार को इस प्रकार के विभाग की अनियमितताओं और बार बार कहने पर भी ध्यान न देने के कारण राजस्व का घाटा हो रहा है । ३१ दिसम्बर, १९५९ को यह चिट्ठी लिखी गई । आज तक पिलर्स नहीं लगे । आप ही देखिए कि किस प्रकार राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, किस प्रकार राजस्व की आप वृद्धि करना चाहते हैं । आप दूसरों को मौका नहीं देना चाहते । पूरी फाइल है । इसमें राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। मुख्य मंत्री या तो चुनाव में चन्दा ले लें या राजस्व की वृद्धि कर लें । हम भी चन्दा लाते हैं, हर पार्टी चन्दा लाती है । लेकिन आपने चुनावों के चन्दे की इतनी ऊंची रेट बना रखी है कि आप राजस्थान को राजस्व का घाटा दे रहे हे । माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत बार चन्दा लाये हे, मैं जब कांग्रेस में था तब से जानकारी है । आप अधिक लीजिये किन्तु इस प्रकार से स्थिति नहीं सुधरेगी । जरूर मालदारों से चन्दा लीजिये । ३० मील से बाहर का जो क्षेत्र बचा हुआ है उसके अन्दर पिलर्स नहीं लगाने के कारण राजस्थान सरकार को राजस्व का बराबर घाटा हो रहा है उस घाटे को न होने दीजिये ।

समय की कमी है । खनिज विभाग के संबंध में मेरे पास १५-२० केसेज हैं । कभी तो उद्योग सचिव चाहते हैं किन्तु विभाग नहीं चाहता, कभी विभाग चाहता है तो सचिव नहीं चाहते । इस प्रकार इन कारणों से राजस्थान सरकार को निरन्तर घाटा होता जा रहा है । यदि इस ओर अब भी ध्यान नहीं देंगे तो निरन्तर घाटा आगे भी होता रहेगा । एक तो यह निवेदन है ।

(३.०० म० प०)

दूसरा खास तौर से इन मिनरल एक्टीवीटीज में बताया गया है कि हम उन स्थानों को जल्दी से जल्दी सडकों से जोड रहे हैं, सडकें बना रहे हैं। मैं सरकार को एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं । बीड पहाडपुर की जैसी खान सब से पुरानी खान है । आगरे का किला, देहली का किला, इसी इलाके के पत्थर का बना हुआ है । रूदावली से पहाडपुर चार मील का टुकडा है जिस पर आज तक सडक नहीं बन पायी है । इसलिये वहां से जो छोटे लोग पत्थर लाते हैं वह उनके लिये महंगा पडता है केवल चार मील का टुकडा है । जिस प्रकार खनिज विभाग ने रूदावली से पहाडपुर के इस टुकडे को बनाने का प्रोग्राम विभाग ने रखा भी है कि इसको सडक से जोड देंगे लेकिन अभी तक जुडा नहीं । उसी तरह से सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, करोली में भी सेन्ड स्टोन मिलता है, लेकिन वहां पर

(श्री रामकिशन)

भी सडकों का इतना अभाव है कि वहां से ज्यादा तादाद में पत्थर लाया नहीं जा सकता। अगर हम इन जगहों पर सडक बना देते हैं तो हमारे बजट का जो घाटा है तीन चार साल में ही इस सेन्ड-स्टोन द्वारा पूरा किया जा सकता है। राजस्व की आमदनी जो खनिज विभाग को है १ करोड रुपये की उसमें से ६० लाख रुपये की आय केवल इस तरह की क्वेरीज से मिलती है।

उद्योगों के संबंध में मैं निवेदन करूं, उद्योग विभाग और भ्रष्टाचार इन दोनों का इतना आपसी संबंध है कि ऐसा मालूम पडता है कि उद्योग और भ्रष्टाचार साथ साथ ही जन्मे हैं और साथ ही पनप रहे हैं। इसकी मिसालें तो काफी हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा मामला सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। सूरतगढ और हनुमानगढ के साल्ट पिट्स के ठेके की बात चली जिसके लिये एक पार्टी दो हजार रुपया देती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को अवगत होना चाहिये उनकी पार्टी के लिये केवल तीस मिनट हैं।

श्री रामकिशन : मुझे मालूम है। साल्ट पिट्स का जो ठेका हनुमानगढ और सूरतगढ में दो हजार रुपये में दे रखा था, उसकी मयाद खत्म हो गई, उसके लिये एक पार्टी ने लिखा कि मैं बीस हजार रुपया साल का देने के लिये तैयार हूं उसको जवाब दे दिया जाता है कि इसका ठेका हो चुका है। उधर उसकी मयाद बढा दी जाती है, दुबारा उसी को पांच साल के लिये बढा देते हैं। इसके अलावा मेरे पास इस संबंध में लम्बी चौडी फाइल है लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सब नहीं कह सकता। सब रिप्रेजेन्टेशन चिट्ठियां; उस पर विभाग का जवाब, टेलीग्राम्स आदि सब मेरे पास हैं। उसी को फिर पांच साल के लिये ठेका दे दिया गया दो हजार रुपये में। जब कि उसके लिये बीस हजार और चालीस हजार रुपये तक देने के लिये लोग तैयार थे। यह मेरा निवेदन है सूरतगढ हनुमानगढ के साल्ट पिट्स के ठेके के बारे में। इस तरफ उद्योग विभाग नहीं ध्यान दे रहा और इससे हमारे राजस्व की आमदनी निरन्तर गिरती जा रही है।

तीसरा निवेदन यह है कि हमने छोटे उद्योगों के विकास के लिये ६ करोड रुपया रखा है लेकिन उसकी हालत क्या है कि सरकार तो छोटे उद्योगों को चौपट करती जा रही है। मैं मिसाल के तौर पर निवेदन करूं हमारे यहां पीतल बनाने वाले १०५ व्यापारी हैं। उनको अलग अलग कोटा मिलता है वह कोटा जो मिलता है उसका ब्लेक करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता। अब सरकार द्वारा किया क्या गया है कि १०५ व्यापारियों को जो जस्ता और ताम्बा मिलता था वह सिर्फ राजस्थान में तीन मिलों को दे दिया गया। एक तो ए. मुकर्जी मिल, दूसरा जोधपुर रोलिंग मिल इनको दे दिया गया। इनको १९०० टन सालाना कोटा मिलता है। एक टन पर एक हजार रुपये का लाभ है इस तरह से १९ लाख रुपया होता है यह १९ लाख रुपया जो १०५ व्यापारियों को मिलता था वह इन तीन मिलों को मिल रहा है। इसकी एक वजह है कि हमारे मुख्य मंत्री जिनके पास यह उद्योग विभाग है उनको अवकाश नहीं अपनी पार्टीबाजी से कि वे इस को अच्छी तरह से देख नहीं पाते। मेरा मुख्य

(श्री रामकिशन)
मंत्रीजी से एक निवेदन है। मुख्य मंत्री उसको मानेंगे। उन्होंने इतना ज्यादा काम ले रखा है कि उनसे वह होता नहीं। या तो वे अपने डिप्टी मिनिस्टर को पूरा अधिकार दे दें इन कामों को करने का या अन्य किसी मंत्री को।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) आप तो कहिये ना।

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्री महोदय को पार्टी बाजी से अवकाश नहीं, इसलिये उनके ध्यान में नहीं रहते हुए इतने बड़े घोटाले हो जाते हैं। इस तरह से १९ लाख का फायदा केवल तीन मिलों को दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में भी रोलिंग मिल्स हैं लेकिन उनको कोटा नहीं मिलता। वे बाजार से लेते हैं। इसी प्रकार यहां भी किया जा सकता है। आप रोलिंग मिल को कोटा देते हैं उससे मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन पीतल तो उनके पास भी जायेगा, उसमें किया क्या है? व्यापारियों ने सरकार को लिख दिया कि हम ३ रु.७७ न. पै. किलो के हिसाब से शीट बनाने के लिये तैयार हैं जब कि मिलों को ४ रु० ६६ न० पै० में दे का दिया गया है। इससे क्या होगा कि बरतन मार्केट में तेज बिकेंगे और यह सब बोझ गरीब खरीददार पर पड़ेगा। जब कुछ व्यापारियों ने रिप्रेजेन्टेशन किया कि ३ रु० ७७ न० पै० किलो में ८० न० पै० पर-किलो फायदा रह जाता है तो भी सरकार द्वारा इन बातों पर ध्यान दिया जाकर तीन मिलों को सारा कोटा सुपुर्द कर दिया। इससे बड़े लोगों को नफा कमाने का मौका मिला। यह आम नीति है कि इससे छोटे व्यापारियों को जहां फायदा पहुंचाने को कहा जाता है वहां इसके विपरीत आचरण होता है। इस तरह से आप खनिज और उद्योग विभाग के ठेके की देख भाल करें तो न तो आपको टैक्स लगाने की जरूरत पड़े। इसी तरह हिन्डौन माधोपुर इन सभी जगह पर इसी प्रकार की हालत है। सभी जगह पत्थर है यहां पर भी कोई काम करना चाहते हैं लेकिन कोई न कोई इन्ट्रेस्टेड हो जाते हैं। या तो व्यापारी या राजनैतिक नेता, इनकी वजह से हमारे उद्योगों को नुकसान हो रहा है और साथ ही राजस्व में घाटा हो रहा है। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में गंभीरता से सोचें और खनिज उद्योगों की विकास की संभावना है उसका पूर्णतया फायदा उठावें हमारे राज्य की आय बढ़ाने में।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां चमड़ा रंगने का काम, वन-सम्पदा से लाख-उत्पादन आदि का काम बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। भरतपुर के पास आगरा में आप देखिये चमड़े का भारी उद्योग हो गया। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री तो हर साल एक बार कलकत्ता तो जरूर पधारते हैं बड़े बड़े सेठों से मिलने के लिये, चन्दा लेने के लिये वे वहां जाकर कहते तो यह हैं कि हमारे राजस्थान में उद्योग खोलिये लेकिन होती है वहां राजनैतिक सौदेबाजी। अगर हम हमारे राज्य में बाहर के लोगों को उद्योग खोलने के लिये प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो अन्य राज्यों को इस प्रकार की जानकारी उनकी भाषा तामील, तेलगू या हिन्दी में देनी चाहिये कि हमारे यहां फलां फलां खनिज सम्पदा है कोई भी आकर कारखाना लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा अन्य राज्यों के व्यापारी आयेंगे। दक्षिण में जाते हैं तो कहा जाता है कि आपके यहां बहुत खनिज सम्पदा है, अंग्रेजी में साहित्य

(श्री रामकिशन)

होता है इसलिये वे पढ नहीं पाते। अगर उस साहित्य को तामील या उनकी भाषा में छापा जाय तो बहुत से लोग मिल सकते हैं। भारत में अंग्रेजी पढे लिखे लोग जिनकी संख्या नगण्य है, गल लंगोट यानी टाई आदि बान्धे फिरते हैं उनकी भाषा में यदि साहित्य होता है तो वह कुछ व्यक्तियों के विकास के लिये सहयोग दे सकते हैं, जनता का विकास उससे नहीं हो पाता।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): अध्यक्ष महोदय, मेरे इस मांग पर छः कटौती के प्रस्ताव हैं। वे मैं क्रमशः एक एक पेश करना चाहता हूं। पहला मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि जब तक लीज होल्डर एक माइन जो उसके पास है उसका एक्जास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे देता तब तक उसको दूसरी खान खोदने के लिये नहीं दी जाय। होता क्या है कि राजस्थान में हम लीज होल्डर्स को बहुत खानें देते जा रहे हैं। एक एक आदमी को दस माइल का एरिया दे दिया जाता है तो वह क्या करता है कि ऊपर का माल निकाल लेता है और नीचे के माल को जिसको निकालने में ज्यादा खर्चा होता है उसको छोड देता है और दूसरी खान का लीज ले लेता है। इससे होता क्या है कि ऊपर का माल निकाल लेता है जो आसानी से निकल जाता है और नीचे का माल छोड देते हैं। इस तरह से काम करने से माइन्स का जो मैटेरियल है वह वेस्ट जाता है और आखिर जाकर वह घाटा हमारी सरकार को लगता है। इस कटौती प्रस्ताव के जरिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मिनरल माइन्स कन्सेशन रूल्स में इस प्रकार का प्रावधान करें कि जिन होल्डर्स के पास लीज है वह उसी हालत में समाप्त समझा जाय जब वह एक्जास्ट सर्टिफिकेट विभाग से प्राप्त कर ले तभी उसको नई खान का ठेका देना चाहिये। जब विभाग का टेकनिकल ऑफिसर यह लिख दे कि अब खान में किसी प्रकार की गुंजाइश माल निकलने की नहीं है तभी जाकर दूसरी खान का ठेका दिया जाय।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव है वह यह कि हमारी सरकार खानों से जो रॉयल्टी मिलती है वह पूरी वसूल नहीं करती है। अपने यहां से जो लिटरेचर मिला है उसके पेज ९ पर है जैसा कि माइन्स डिपार्टमेन्ट ने बताया है कि जहां मेजर मिनरल्स के अन्दर १.१० पर्सेन्ट माइनर मिनरल्स में ३३ प्रतिशत रॉयल्टी इन्क्रीज हुई है। जब हमारे माइनर मिनरल्स के लीजेज की संख्या बढती है तो खनिज पदार्थ ज्यादा निकलते हैं लेकिन रायल्टी का पर्सेन्टेज इन्क्रीज नहीं होता है।

"Revenue from major minerals has recorded more than two-fold increase and from minor minerals, it has been nearly 38%"

उपाध्यक्ष महोदय, जब कि मेजर मिनरल का काम बहुत कम है और उनकी देख रेख भारत सरकार के नियमानुसार होती है, फिर भी मेजर मिनरल में सरकार की आमदनी बढी है, मैं जानना चाहता हूं कि इसके मुकाबले में माइनर मिनरल, जो पूरी तरह आपके अधिकार में हैं, जिनकी देख रेख आपके अपने बनाये हुए नियमों के अनुसार होती है, उनमें रॉयल्टी की आमदनी क्यों नहीं बढी? इसका एक कारण जो मैं समझ सका हूं यह है कि सरकार की माइनर मिनरल देने की

(श्री तेजराम गहलोत)
नीति गलत है । मैं इसका उदाहरण दूं । जोधपुर में लाइम स्टोन की लीजों की पहले रियासतों के जमाने में क्या आमदनी थी और आज क्या है ? गोटन लाइम स्टोन की जो लीज पहले रियासत के वक्त थी उसकी मोनोपोली थी और उससे उस वक्त १८१ हजार की वसूली होती थी । आज वह घट कर ९६ हजार ही रह गई है । आज भी वही मोनोपोलिस्ट है पर उसकी रॉयल्टी घटा कर ९६ हजार ही कर दी । यह है एक नमूना । दूसरा सोजत रोड में इसी चूने की लीज है, उससे आमदनी मोनोपोली के वक्त रियासत के समय १,१०,५५१) थी और आज उसे भी घटा कर ६४,०००) ही कर दिया है । यह है इस सरकार की नीति ।

कहने का मतलब यह है कि सरकार अपनी रेवेन्यू इस तरफ बढाने की नीयत नहीं रखती पर अपने चन्द आदमियों के हितों का ज्यादा ध्यान रखती है, उनको अधिक से अधिक फायदा दिलाना चाहती है ।

इसमें भी एक बात है, अगर सरकार इसी तरह की रायल्टी कम करके सब व्यक्तियों को वहां काम करने की भी छूट दे देती तब भी खनिज पदार्थ निकालने में लोगों को प्रोत्साहन मिलता और रॉयल्टी कम करने के बावजूद राज्य को अधिक आमदनी होती । पर दूसरों को भी सरकार नहीं लेने देती । एक तरफ रॉयल्टी जिनकी पहले से थी उससे भी कम कर रही है दूसरी तरफ इन दो आदमियों के अलावा तीसरा आदमी उस एरिया में घुस नहीं सकता, इस तरह की मोनोपोली बनाये रखने में यह सरकार ज्यादा इन्ट्रेस्टेड है ।

इसलिये मैं इस कटौती प्रस्ताव के जरिये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो इस लाइम स्टोन की मोनोपोली बना रखी है दस मील के एरिया का नियम का बहाना लेकर, उसको अविलम्ब तोडे ताकि हमारे प्रान्त में ज्यादा से ज्यादा माल निकाला जा सके और अधिक से अधिक लोगों को इसमें भाग लेने का अवसर मिल सके । बेकार लोगों को काम मिल सके, गरीब अपना मकान बनाने के लिये पत्थर ले सकें ।

अब मेरा तीसरा प्रस्ताव यह है कि हमारी सरकार ने अप्रधान खनिज के नियम बनाये हैं जिसमें एक अधिकार अपने हाथ में लिया कि दस मील से कम किसी को नहीं दे सके । मेजर मिनरल में यह दस मील का नियम है, अधिक से अधिक एक व्यक्ति इतना ले सकता है । दस मील से अधिक नहीं ले सकता । पर कम से कम ८० एकड तक देते हैं जिसमें लोगों को लाखों और करोडों का इन्वेस्टमेंट करना पडता है । ऐसी स्थिति में माइनर मिनरल में जिसमें बगैर इन्वेस्टमेंट के भी एक आदमी वहां मामूली सी रकम से काम कर सकता है उस के लिये दस बीस और तीस मील तक के एरिये दे रक्खे हैं, दस मील से कम नहीं देते । यह एक तरह से मोनोपोली नहीं है तो क्या है ? यह मोनोपोली इस तरह से संविधान के भी विरुद्ध है । माइनर मिनरल में छोटे छोटे हिस्से होने चाहिये और हर आदमी को इसमें मौका मिलना चाहिये । फिर जब तक इस क्षेत्र में कम्पीटीशन नहीं होगा तब तक न तो मिनरल प्रॉडक्शन में वृद्धि होगी न मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस में तरक्की होगी, न सरकार को अधिक रॉयल्टी मिलेगी, न मजदूरों को ही अधिक काम मिलेगा ।

(श्री तेजाराम गहलोत)

फिर इस तरह से मोनोपोली होने से मजदूरों का वे एक्सप्लोइटेशन भी करते रहेंगे और अपने नफे के माफिक मुंह मांगे दाम पर माल बेचेंगे । इसमें जनता का शोषण होगा । (समय-सूचक घंटी) इसलिये निवेदन करूंगा कि इस नियम को बदला जावे ।

इसके साथ ही जोधपुर के लाइम स्टोन को प्रोटेक्शन देने की बात कही जाती है इस कारण से कि यह बहुत ऊंची क्वालिटी का है और यह आर्म्स एम्यूनिशन फैक्टरियों में काम आता है, इसलिये १० मील का प्रोटेक्शन करते हैं । अगर वास्तव में सरकार की नीयत दस मील का एरिया देने के पीछे यही है तो उस लैसी पर यह शर्त लगाई जावे कि तुम जो हो इस माइन का माल बिल्डिंग मैटिरियल के लिये नहीं बेच सकते, तब तो यह प्रोटेक्शन की बात समझ में आ सकती है, नहीं तो व्यर्थ है । पर हम देखते हैं कि उस लैसी पर इस तरह का कोई प्रतिबन्ध सरकार नहीं लगाती और वह दस मील का एरिया लेकर किसी भी काम में लेता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का प्रोटेक्शन फिर किस लिये दिया जाता है। मैं साफ कहूंगा कि यह जो प्रोटेक्शन है व्यक्तिगत स्वार्थों को दिया जाता है। गत वर्ष हमारी सरकार ने अटपटा में लीज़ मन्ज़ूर की। मार्च में मन्ज़ूर की। अप्रेल में पार्टी ने काम शुरू किया। छः महीने तक काम करता रहा। उसका काम करना सरकार के ध्यान में नहीं आया। कई हज़ार रुपयों की रॉयल्टी दूसरों से वसूल की गई, पर सरकार को कुछ नहीं दिया गया। सरकार के कागज़ों में सफाया है, काम किया या नहीं इसका कोई इन्दराज नहीं। तो सरकार के इस विभाग की इस तरह की लापरवाही से रेवेन्यू की चोरी होती है, हमारी स्टेट की रेवेन्यू का लौस होता है, उसका बोझा हम पर पड़ता है और जो स्वार्थी लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं उनके लिये निवेदन करूंगा कि इसको अविलम्ब बन्द किया जाय, उन पर चैक लगाई जावे।

इसके अलावा निवेदन करूंगा कि हमारे यहां का मारबल जो इन्टरनेशनल फेम का है, जिससे सरकार को अच्छी आमदनी है, जो बड़ी टैक्निक रखता है, जिसमें बड़ी कठिनाइयां हैं वह भी लीज़ में १०० स्क्वायर यार्ड या अधिक में चल सकता है तो क्या कारण है कि लाइम स्टोन के लिये दस बीस मील का आप प्रतिबन्ध लगाते हैं। मैं कट मोशन के ज़रिये मांग करूंगा कि मार्बल जिसमें लाखों का इन्वेस्टमेन्ट होता है और इतनी क़ीमती चीज होती है उसमें भी थोड़े से एरिया में काम करते हैं लोग तो इस लाइम स्टोन के व्यवसाय को भी सब के हित के लिये और हमारी सरकार की रॉयल्टी बढ़ाने के लिये खोल दें और इस पर से यह दस मील का प्रतिबन्ध हटादें तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पलाना की खान में फ़ैली हुई अव्यवस्था और पलाना की खान को बन्द किये जाने के विरोध में मैंने अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस सदन में इस विषय को लेकर एक बार नहीं, अनेक बार वाद-विवाद हो चुका है और सदन के अनेकों सदस्यों ने बराबर सरकार का ध्यान

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

इस ओर आकर्षित किया है कि पलाना की खान के काम को सुचारु रूप चलाया जावे। इसकी व्यवस्था को सुधारा जावे और ज्यादा से ज्यादा मज़दूरों को काम में लगाया जावे, और अधिक से अधिक मिक़दार में यहां से उपलब्ध होने वाले कोयले का उपयोग किया जावे। इसके उत्तर में सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन मिलता रहा कि सरकार इसके बारे में जागरुक है, सचेष्ट है और उनके ध्यान में है और उनके पास ऐसी योजनाएं हैं, जिनसे कि इस लिग्नाइट का पूरी मिक़दार में उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस खान के प्रशासन में बड़ी अव्यवस्था है और हाल में यह बन्द कर दी गई है। इससे एक नहीं, अनेकों सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। यदि सरकार ने अपने आश्वासनों के मुताबिक इस ओर ध्यान दिया होता तो आज शायद स्थिति कुछ और होती। इस खान के माध्यम से हम हज़ारों लोगों की रोज़ी और रोटी का प्रबन्ध कर सकते हैं। आज हमारा राज्य बेकारी से लड़ रहा है, ग़रीबी से लड़ रहा है, और भूख से लड़ रहा है। हमारी इस लड़ाई में यह खान बहुत सहायक हथियार के रूप में हमें मिला होता।

इतना ही नहीं, आज वहां पर थर्मल पावर स्टेशन होता जो भाखरा और चम्बल की लाइन को जोड़ने में कड़ी के रूप में हमारे सामने होता। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया।

पलाना से जो लिग्नाइट प्राप्त होता है वह ऊंची कोटि का है। देश-विदेश के वैज्ञानिकों ने जांच करके अपनी रिपोर्ट में इसे स्वीकार किया है और यह थर्मल पावर स्टेशन के काम में लाया जा सकता है, ईंटों के भट्टों के काम में लाया जा सकता है और रोज़मर्रा की दैनिक ज़रूरतों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी असेट हमारे पास होने पर भी, इतना ऊंचे दर्जे का कोयला होने पर भी आज हमको दूसरे राज्यों का मुंह देखना पड़ता है कि वह कोयला हमें सप्लाई करें। आज हमारे यहां सुदूर पूर्व बंगाल से कोयला आता है इसलिये स्वाभाविक है कि वह यहां आकर मंहगा पड़ता है। उसी कमी की वजह से हमें राज्य के सभी स्थानों पर इसकी परेशानी अनुभव करनी पड़ती है। हमारा ख्याल था कि शीघ्र ही इस खान पर ज़ोरों से काम चलेगा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बात यह हुई कि जो पहले काम चल रहा था वह भी आजकल बन्द कर दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि खान क्यों बन्द कर दी गयी ? इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आती है तो हमें यह कहना पड़ेगा कि इसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी इस विभाग के ऊपर आती है। अगर उन्होंने समय पर सोचा होता, पहले इसकी उचित रूप से व्यवस्था की होती तो आज पलाना खान को बन्द नहीं करना पड़ता। इसको बन्द करने के पीछे क्या कारण हैं वह भी मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। कई दिनों से यह साफ़ ज़ाहिर था और माइनिंग डिपार्टमेन्ट भी बराबर कह चुका था कि कई टैक्नीकल वजूहात के कारण इस खान को बन्द करना पड़ेगा और हमारा विभाग इससे अवगत था लेकिन इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि जब इसको बन्द न करना पड़े उसके

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

पहले दूसरे पिट्स खोदना शुरू कर दिया। जब कि इस खान के बन्द करने की नौबत श्राई तो उन्होंने नये पिट्स खोदने की सोची श्रौर दो पिट्स की खुदाई श्रारम्भ हुई, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उनकी खुदाई के पहले डिटेल्ड सर्वे नहीं की गयी कि यहां पर कोयला उपलब्ध होगा या नहीं। जब वह पिट्स ५० फ़ुट की गहराई तक चले गये, तो सोचा गया कि बोरिंग करके देखा जाये कि यहां कोयला उपलब्ध होगा या नहीं। श्रमूमन २०० फ़ीट की गहराई तक बोरिंग किया गया। तो इस श्रम श्रौर शक्ति को नष्ट करने के बाद में जब बोरिंग की गयी तो पता चला कि नीचे सिर्फ़ ८ फ़ुट मोटी कोयले की परत है श्रौर इस पर यह सोचा गया कि इसको खोदना बेकार था। दूसरी विभाग की योजना यह थी कि इसको एक गैलेरी के द्वारा जोड़ दिया जायेगा। जब उसको बोरिंग किया गया तो पता चला कि १६५ फ़ुट लम्बी लाइन में केवल मिट्टी है श्रौर कोयला उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिये इस योजना को भी छोड़ना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि एक योजना को छोड़कर दूसरी योजना को हाथ में लेना पड़ा उसमें हमारी मेहनत गई, श्रम का नुकसान हुश्रा, कई महीने हो गए श्रौर इसके साथ ही श्रर्थ का भी नुकसान हुश्रा। उपाध्यक्ष महोदय, इधर तो हम श्रपने राज्य के विकास के लिये बेचारे गरीबों पर टैक्स लगाकर धन इकट्ठा कर रहे हैं श्रौर उधर हमारी राष्ट्रीय श्राय का यों नुक़सान होता है। श्रगर विभाग ने सोचा होता तो यह दशा श्राज तक शायद नहीं श्राई होती। दूसरा कारण यह है कि, उपाध्यक्ष महोदय, कि इधर तो पिछले सेशन में, श्रसेम्बली के समय में जब स्टेट्स श्रण्डरटेकिंग्स पर वाद-विवाद हुश्रा था श्रौर हमारी पलाना की खान का विवाद छिड़ा था तो सरकार की श्रोर से हमें स्पष्ट रूप से यह श्राश्वासन दिया गया था कि श्रोपन कास्ट माइनिंग करने के लिए सरकार शीघ्र ही उचित क़दम उठा रही है। श्राश्वासन तो था श्रोपन कास्ट माइनिंग के लिये कि ठोस क़दम उठा रहे हैं श्रौर नतीजा हमारे सामने श्राया कि टूटी फूटी दशा में जो खान चल रही थी उसको भी बन्द करना पड़ा। यह स्कीम श्रोपन कास्ट माइनिंग की सरकार के पास वर्षों से है श्रौर सरकार वर्षों से कहती श्रा रही है कि यह श्रोपन कास्ट माइनिंग श्रारम्भ की जायेगी। श्रगर सच पूछा जाये तो यह स्कीम स्वर्गीय महाराजा गंगासिहजी के जमाने से चली श्रा रही है श्रौर जर्मनी के इन्जीनियर्स ने यह सारी की सारी स्कीम बनाई थी श्रौर श्रोपन कास्ट माइनिंग के लिए ८ लाख की मशीनरी भी मंगाई थी तो राज्य सरकार ने उन मशीनों का स्वयं उपयोग न करके इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट को चेप दी श्रौर शायद कहते हैं कि भाखरा डैम में उन मशीनों का उपयोग हुश्रा। श्रब उन्हीं मशीनों को मंगाने के लिए १॥ करोड़ रुपया ख़र्च करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं श्रभी समाप्त कर रही हूं। लेकिन श्रब भी समय है कि हम पलाना खान की श्रोर पूरा ध्यान दें श्रौर इस तरह से पलाना खान के रूप में राज्य सरकार को श्रसेट प्राप्त हुश्रा है उसमें जो बहुमूल्य सामग्री मिलती है उसको राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में लेकर उसकी श्रोर श्रधिक से श्रधिक ध्यान देना चाहिए। श्राज संकटकालीन स्थिति में कोयले का महत्व श्रौर भी ज्यादा

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
बढ़ गया है। मैं उम्मीद करती हूं कि शीघ्र ही इसकी ओर ध्यान दिया जायेगा और ओपन कास्ट माइनिंग भी शीघ्र ही शुरू की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो ग्रान्ट सदन के सम्मुख आई है उसमें साइन्टिफ़िक डिपार्टमेन्ट्स, इन्डस्ट्रीज़ और कैपीटल आउट ले ओन इन्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट, ये तीनों विभाग हैं जिसके लिए मेरी पार्टी की ओर से ५०-६० कटमोशन्स हैं। जिस प्रकार से समय बांध दिया गया है इन सारे कटमोशन्स पर हम केवल दो ही वक्ता बोलेंगे इसलिये मैं आपको इनफ़ोर्म कर दूं कि आपकी ओर से दोनों वक्ताओं में आधा आधा टाइम बांट दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की स्थिति इन महकमों की है और अखिल भारतीय स्तर को देखते हुए इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूं कि और स्टेट्स के अन्दर जहां माइनिंग और इन्डस्ट्रीज़ के ऊपर ६ पर्सेन्ट रुपया ख़र्च होता है वहां राजस्थान के अन्दर ३ पर्सेन्ट इस मद में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर, दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्दर इस मद में जो राशि थी वह ८९५ लाख थी और दूसरी योजना में ६०४ लाख थी जिसमें से ४०.१५ माइनिंग पर ख़र्च की गयी और ३६५ इन्डस्ट्रीज़ पर ख़र्च की गयी। दूसरी योजना में और अब इस योजना के अन्दर ८८५ लाख रुपया दोनों मदों में ख़र्च करने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पिछली ४० लाख रुपये की राशि जो कि प्लान के विषय में अलाटेड थी वह जिस प्रकार से ख़र्च की गयी उसमें हमारी १० लाख रुपये की मद केवल माइका ग्राइन्डिग के लिये है। १० लाख रुपया हमने एस्टेब्लिशमेन्ट ओन फ़ुलर साइल एक्टीवाइज़ेशन के लिये तजवीज़ किया था और १४.२५ लाख रुपया इक्वीपमेन्ट के लिए था और ५ लाख रुपया प्रोस्पेक्टिग इक्वीपमेन्ट के लिये था। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, न माइका ग्राइन्डिग हो सकी और फुलर सोइल एक्टीवाइज़ेशन भी नहीं लगाया जा सका जिसके विषय में एक दलील सरकार ने दी कि माइका ग्राइन्डिग के लिए हमें एक प्राईवेट पार्टी मिल गयी और वह स्टेट पेटर्न के ऊपर माइका ग्राइन्डिग फ़ैक्ट्री लगाने के लिये तैयार है। लेकिन माइका ग्राइन्डिग जैसी कोई फ़ैक्ट्री आज तक फ़ोर्स में नहीं आई। जहां तक फुलर सोइल एक्टीवाइज़ेशन का सवाल है इसके लिए कहा गया कि भारत सरकार के अन्दर इसकी अधिक आवश्यकता नहीं है। बाकी की मद में बचे हुए १५ लाख में से केवल ११ लाख रुपया ख़र्च किया गया। यह वह चित्र है कि जो दूसरी योजना का आपके सम्मुख प्रस्तुत होता है और अब तीसरी योजना के अन्दर हम सब क्या ख़र्च करने जा रहे हैं यह भी मैं आपके सम्मुख पेश करूंगा। इसमें सबसे बड़ी राशि जो ख़र्च करने जा रहे हैं वह राजस्थान माइनिंग कॉर्पोरेशन के विषय में ख़र्च करने जा रहे हैं और इस राजस्थान माइनिंग कॉर्पोरेशन ने अपने हाथ में दो काम लिये हैं; एक पलाना का और दूसरा क्लोराइड का और तीसरा प्लानिंग का। यह कॉर्पोरेशन जिसकी दुहाई और जिसके सम्बन्ध में पिछले वर्ष भी गवर्नर महोदय ने कहा और जिसकी बहुत ज्यादा मांग थी, यह कॉर्पोरेशन इसके लिए बनाया है।

Page No 96

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आज क्लोराइड की क्या स्थिति है और पलाना की क्या स्थिति है, उसके सम्बन्ध में मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है और गत अधिवेशन में भी इस सम्बन्ध में काफ़ी कहा जा चुका है और आज उसके मुक़ाबले के अन्दर पलाना की स्थिति और भी अधिक दुर्लक्षपूर्ण कर दी है, पलाना ी खान बन्द कर दी गई, यह कह कर बन्द कर ी कि वह ान ख़तरनाक हो गई और ख़तरनाक होने के कारण अब उसके अन्दर काम करना जो है वह सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं रहा इसलिये ५०० वर्कर्स रिड्यूस कर दिये, ४००० टन का प्रॉडक्शन लिग्नाइट का था वह ख़ारिज कर दिया। ३० हज़ार का स्टाफ़ रख कर इस बात को वहां के अधिकारी कह रहे हैं, वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर कह रहे हैं कि पलाना की खान इसलिये बन्द कर दी कि वहां पर पर्टिक्यूलर यूनियन का शासन है । यदि पिछले आंकड़े देखें तो समय समय पर मज़दूरों को निकाला है, उस मद में जिसमें से १० निकाले वापिस २० दूसरे रखे गये । आज ४० क्लर्कों के नाम से ६६ टैक्निशियनों के नाम से, ६४ चूनागरों के नाम से और २६ चौकीदारों के नाम से जितने चौकीदार सारे सेक्रेटेरियेट में नहीं होंगे, ३० हज़ार का मद मेन्टेन किया जा रहा है। लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह खान कैसे बन्द हो गई? क्या वास्तव में ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी कि आग लग जाने का भय था या ढहने का भय था जिसके कारण यदि यह बन्द हुई है, तो मैं चेलेन्ज से कह सकता हूं कि टैक्निकल ग़लती के कारण बन्द हुई है। जहां खान में काम चलता है वहां कोई रिस्क नहीं है, यह चेलेन्ज से कह सकता हूं । चुनारी का कुआ खोदा गया, कुछ डिफ़ैक्ट्स मिले, टैक्निकल गल्तियों के कारण बोरिंग करके नया पिट चालू करना चाहा। गड्ढा खोदा गया १६५ फ़ीट नीचे तक मिट्टी इतनी थी कि पलाना की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति हो गई और उसको बन्द करना पड़ा जिसको ख़तरे का आवरण देकर सरकार छिपाना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में राजस्थान नॉन-फैरस मेटल्स के लिये अपना एक विशेष स्थान रखता है और भारत के समस्त प्रान्तों में गौरव के साथ कहा जा सकता है कि जितना नॉन-फैरस की पोटेन्शियेलिटी राजस्थान में है उतनी सारे भारतवर्ष में नहीं है । सारे भारतवर्ष में निकलने वाली जिप्सम का ९२ पर्सेन्ट जिप्सम निकालने का गौरव राजस्थान को है, ६८ पर्सेन्ट माइका होने का गौरव राजस्थान को प्राप्त है । सारे एशिया में व दुनियां में सबसे अच्छा लिग्नाइट राजस्थान में उत्पन्न होता है और इसके अलावा और छोटी छोटी माइन्स इस प्रकार के नॉन फैरस मैटल्स के आइटम्स की हैं जिनका राजस्थान का मुकाबला दुनियां के अन्य स्थानों से किया जा सकता है । राजस्थान माइनिंग कॉर्पोरेशन ने जो तीन काम अपने जिम्मे लिये थे उनमें से दो काम फ्लोराइट्स, पलाना, और तीसरा प्लानिंग का था। एक बहुत बडी राशि १ करोड ३७ लाख के करीब उसके लिये नियुक्त है, हमारी योजना में। आज बड़े गर्व के साथ एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें सरकार ने बताया है कि हमारी लीजेज, लीजिंग लाइसेंस ५६ के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बढ गया है । क्यों नहीं सरकार इन लीजेज के काम को

Page No 97

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

स्टेट सेक्टर में लेकर माईनिंग कार्पोरेशन के जरिये एक्सपोलेरेशन करती ? जिस प्रकार की स्थिति आज लीजेज की है, जिस प्रकार का करप्शन इस में आज चल रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से कह रहा हूं, मैं लीज देने के विरोध में नहीं हूं लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि जिस प्रकार, राजस्थान सरकार आज लीजेज दे रही है, उसके लिये मैं एक उदाहरण उपस्थित करता हूं। निम्बाहेडा के जवाद का एक केस है। पार्टी का सरकार से झगडा हुआ, केस हाई कोर्ट में गया। ५६ में डिसीजन दिया लेसोर के हक में। डायरेक्टर ऑफ माइन्स एण्ड जियोलोजी ने रिकमन्डेशन भेजी कि इस लेसोर के पास ५९ हजार का कांट्रैक्ट था उसको रिड्यूस करके ५५ हजार का कर दिया जाय और रायल्टी १२॥ क्यूबिक फीट कार्ट लोड पर १॥) कर दिया जाय, लेकिन राजस्थान सरकार ने लीज राशि घटाकर ४० हजार कर दी, रायल्टी ८. १।३ क्यूबिक फीट कार्ट लोड पर कर दी। और प्ली यह दी कि क्योंकि ५३–५४ के एन्ड आफ मार्च तक जो लीज था उसकी कोस्ट ३९ हजार थी और ४ हजार रुपये डिफेंन्स के लिये आ गये हैं, इसलिये इतने पर कर दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, यहीं तक बात रहती तो मैं समझता हूं ठीक थी लेकिन कुनबापरस्ती परवान इलाही। अगले वर्ष वही लीज जब समाप्त होती है तो डायरेक्टर आफ माइन्स ६० हजार में लीज देने के लिये रिक्मन्ड करता है और यह लिख कर भेजता है कि इस क्वेरी का स्टोन बढ़िया है इसलिये ६० हजार में इसको लीज दे दिया जाये और १॥) रुपया पर क्यूबिक फीट कार्ड लोड पर रायल्टी तय कर दी जाय। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, ४५००० में उससे ४ या ५ दिन बाद ही उसको राजस्थान सरकार ने लीज पर दे दिया। इस पर माईनिंग इंजीनियर ने कहा कि रायल्टी तो कम से कम १२॥ पर क्यूबिक फीट कार्ट लोड पर १॥) रुपया कर दी जाये लेकिन रायल्टी भी १- १।३ कर दी। एक तरफ लीज घटाकर ४० हजार कर दी और दूसरी तरफ रायल्टी भी घटा दी। इस पर डायरेक्टर आफ माइन्स एण्ड जियोलोजी ने लिखा कि इस पार्टी के विरुद्ध ४० हजार रुपये बाकी हैं, गवर्नमेन्ट के साथ कोऑपरेट नहीं करता है इसलिये इसको नहीं दिया जाय। इसने पोलिशिंग फैक्टरी लगाने का भी वायदा किया था वह भी पूरा नहीं किया; लेकिन गवर्नमेन्ट ने डायरेक्टर की राय नहीं मानी। यदि यही दशा है हमारे लीजेज की तो बडा ही दुर्लक्षपूर्ण मामला है।

आज कोटा की स्टोन माइन्स की तरफ नजर डालिये। एक पर्टिक्यूलर व्यक्ति हैं जिनके पास इतना बडा एरिया तो दे दिया है लेकिन उसको वे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हीराभाई उनका नाम है। इसी तरह से सोप स्टोन गोलछा के पास बरसों से कन्टीन्यूड है। धौलपुर में निकलने वाले बहतरीन पत्थर की खान पर एक सरदार साहब २० साल से बैठे हुए हैं यह दुर्लक्षपूर्ण स्थिति आपके सामने लीजेज की है।

अब मैं कुछ इंडस्ट्रीज के संबंध में कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का इस दिशा में भी बडा ही दुर्लक्षपूर्ण रवैया है। इसके साथ साथ कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट के कुछ केसेज आपके सामने रखना चाहता हूं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जो कि घाटे के सौदे में सरकार ने फैसला हमेशा पसन्द किया है। मैं आपका ध्यान सार्दुल टैक्सटाइल मिल्स गंगानगर की तरफ दिलाना चाहता हूं। सरकार ने उसमें ११.८ लाख रुपये इन्वैस्ट किये हैं। टोटल कैपिटल का १९.९ पर्सेन्ट है। उसमें कन्सोलिडेटेड लोसेज ३४,८७,३३४ के करीब होंगे। कुल पेड-अप कैपिटल ५८.६ पर्सेन्ट। मैं चेलेन्ज करके कह रहा हूं कि सार्दुल टैक्सटाइल मिल्स को कोई लोसेज नहीं है। पहले वह ३० हजार गज कपडा तैयार करती थी उसके स्थान पर अब ७०,००० गज कपडा तैयार करती है। एक तरफ सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती दूसरी तरफ मजदूरों को बोनस नहीं देते। मजदूरों के साथ खेल खेलना चाहते हैं। मजदूरों की एक कोलोनी बनाई वैलफेयर लेबर कोलोनाजेशन। उसका रास्ता सादुंल टैक्सटाइल मिल्स में से जाता है उसको बन्द कर दिया गया ताकि मजदूर डेड दो मील का रास्ता तय करके आवें और साथ ही साथ मजदूरों को अपनी कोलोनी में रहने के लिये मजबूर किया जाता है। और केस को रिकमन्ड कराके इस कोलोनी को खरीदना चाहते हैं। यह घाटा इसलिये दिखाया जाता है कि मजदूरों को बोनस नहीं देना पडे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में ग्लास, शुगर और सीमेन्ट का प्राडक्शन बढ जाने की ओर संकेत किया था; विशेष तौर से शुगर का लक्ष्य करके, उसके संबंध में मैं भी····

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): मैंने बढने का नहीं कहा था, मैंने कहा था कि कुछ इंडस्ट्रीज के अन्दर, जैसा कि बजट स्टडी के अन्दर दिया गया है, कमी हुई है जब कि कई दूसरी इंडस्ट्रीज में बढोत्तरी हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: लेकिन शुगर के संबंध में जो गंगानगर शुगर मिल की स्थिति है, जिसके संबंध में पिछले सदन में भी कहा गया था कि वहां ज्यादा से ज्यादा घोटाले हैं। जब आप एग्जीबीशन में गये थे तब मैंने कुछ ब्लन्ट चार्जेज गंगानगर शुगर मिल के बारे में लगाये थे। कुछ करप्शन के चार्जेज इंजीनीयर के खिलाफ चेलेंज के साथ रखता हूं—करीब ६२ हजार की कुछ पर्चेजेज आर. ए. दास ने फर्जी वाउचर बनाकर मोदीखाना से खरीदी। मैंने एक पर्टीक्युलरली सेफ्ट का जिक्र किया था, जो मौजूद है, और जिसकी कास्ट प्राइस ज्यादा लगाई गई है। इसके अलावा मैंने कुछ पार्ट्स का जिक्र किया था जो मोदीखाना से खरीदे गये हैं और उन्हें अंग्रेजी कम्पनी के पार्ट्स बता कर लगाया गया है।

इसके अलावा मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गंगानगर की शुगर मिल है, जो तीन लाख का कोयला कन्ज्यूम करती है और वह बेगास को इस्तेमाल नहीं करती है, जब कि सारे भारतवर्ष की दूसरी जो शुगर मिल्स हैं वे बेगास का इस्तेमाल करती हैं और बेगास को काम में लेने के बाद उसे कार्ड बोर्ड बनाने के लिये बेच देती हैं।

आज उसकी क्या स्थिति है? शुगर के गिरते हुए पर्सेन्टेज की ओर ध्यान दिया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जाय तो उसके दो कारण हैं—एक कारण तो यह है कि रेटून और ल्यूकेन लेने के संबंध में करप्शन चल रहा है, इससे उसका पर्सेन्टेज गिरता है। दूसरा कारण मैंने बताया था कि आज गन्ने के अन्दर बीमारी पैदा हो चुकी है। तीसरा सजेशन दिया था कि सारे भारतवर्ष की शुगर मिल्स की ओर ध्यान दिया जाये तो आपको मालूम होगा कि हर शुगर मिल के पास अपना फार्म होता है। वे अपने फार्म के अन्दर इम्प्रूव्ड सीड पैदा करती हैं और इम्प्रूव्ड सीड को उस क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन गंगानगर शुगर मिल ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण शुगर मिल है, जिसके पास अपना कोई फार्म नहीं है। एक एग्रीकल्चरल फार्म है, वह भी घाटे में चल रहा है। करीब चालीस-पचास मुरब्बा धरती उसके नीचे है, लेकिन उसका आउट लेट बडा पूअर है, जो इस शुगर मिल के लिये पर्याप्त नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय मैं कुल पचास सैकिंड लूंगा।

मैं अब आपको इसका परिणाम बता दूं कि अभी इस शुगर मिल ने एक सर्क्यूलर जारी किया है और वह सारे प्रधानों और एम. एल. एज. के पास भेजा है। उसमें कहा है कि हमारी गन्ना क्रसिंग कैपेसिटी अब छः सौ टन से एक हजार टन होगई है, लेकिन हमारे यहां दो सौ टन से ज्यादा गन्ना पैदा नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्राडक्शन का पर्सेन्टेज गिरा है और जो क्वालिटी है, वह बीमारी से डीजेनरेट हो चुकी है। इसलिये जब तक इस शुगर मिल के पास अपना फार्म नहीं होता तब तक यह शुगर मिल एक्सेसफुल नहीं होती। इसलिये सरकार का इस पर स्ट्रिक्ट विजिलेंस कायम किया जाय और रेटून की जगह रेटून ही लिया जाय और ल्यूकेन के टाइम पर ल्यूकेन लिया जाय। जब तक यह नहीं किया जायगा तब तक यह चीज नहीं हो सकती है।

श्री रावतराम (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव जो है, वह छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये है। उपाध्यक्ष महोदय, छोटे उद्योगों के लिहाज से हमारा प्रदेश पिछडा हुआ माना जाता है। पिछले कुछ अर्से से राजस्थान में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने बराबर प्रयत्न किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पिछले कुछ अर्से से जितने बडे उद्योगों के लिये सरकार ने धन दिया है, उतना छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिला है और इसका कारण यह है कि राजस्थान में जो लोग गांवों में धन्धा करते थे छोटे २ धंधे हमारे जो लोग करते थे और उसके द्वारा गांव के लोगों को रोटी-रोजी मिलती थी, उस पर एक भारी असर पडा है। मैं सरकार से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है, इन्हें बडे उद्योगों को पनपाना चाहिये, जरूरत है उनकी भी, लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि आज हमारे गांवों में जो छोटे धंधे थे, वे मिट जायेंगे और उनकी वजह से हजारों लाखों लोग बेरोजगार और बेकारी के शिकंजे में फंस जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इन धंधों को पनपाने के लिये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने कुछ सोसाइटियां बनाई हैं, कुछ चमडे के धंधे के लिये सोसाइटियां

(श्री रावतराम)

बनाई हैं, कुछ बुनकरों की सोसाइटियां बनाई हैं। इस तरह से कई सोसाइटियां हैं लेकिन आज यह होता है कि उन सोसाइटियों को समय पर लोन नहीं मिलता है, उनको सलाह नहीं मिलती है कि जो पैसा मिलता है, वह पैसा किस तरह खर्च होना चाहिये। और वह जो पैसा है, जिससे उद्योग-धंधे पनप सकते हैं और लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उस तरह से वह पैसा खर्च नहीं होता है क्योंकि जो मेम्बर होते हैं सोसाइटियों के वे आपस में वह पैसा बांट लेते हैं। इस तरह उसके पीछे जो मूल भावना होती है उन उद्योग धंधों को पनपाने के लिये वह सही तरीके से उन उद्योगों को नहीं पनपाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि राजस्थान में जो बुनकरों का धंधा था, वह बड़े पैमाने पर चल रहा था। राजस्थान के गांवों में हरेक गांव में आपको बुनकर मिलेंगे, हरएक गांव में इस तरह के धंधे करने वाले लोग आज भी है लेकिन पिछले कुछ अर्से से यह हुआ कि जो धन्धा है बुनाई का, वह एक प्रकार से मिट गया है। आज वे लोग बेकार हैं और कोई रोजगार नहीं कर सकते। उनके सामने इस तरह की कई कठिनाइयां आई हैं—उनको सूत नहीं मिलता है, वे जो कपड़ा बुन कर तैयार करते हैं उसके लिये मार्केट नहीं मिलता। इसका नतीजा क्या हुआ कि आज लोग खेती पर डिपैन्ड करने लग गये हैं और कोई दूसरा तरीका उनके सामने नहीं रहा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जमीन पर, हम सब जानते हैं, बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है और गांवों में लोगों के पास बहुत कम जमीन काश्त के काबिल रह गई है। ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह धंधे करने वाले लोग आज जमीन पर आश्रित हैं और कोई दूसरा धन्धा उनके पास नहीं है जिससे वे गुजारा कर सकें तो मैं समझता हूं कि यह सोचनीय बात होगी क्योंकि आने वाले टाइम में उन लोगों के सामने एक भयंकर परिस्थिति आयेगी। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह के लोग हैं जो बुनाई का धंधा करते हैं, इस तरह के लोग हैं जो चमड़े का धंधा करते हैं, उनकी ओर ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह से, मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे बीकानेर डिविजन में आज ऊन का धंधा बहुत बड़े पैमाने पर चल सकता है और इस धंधे से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन आज यह होता है कि सारी की सारी हमारी कच्ची ऊन बाहर जाती है और बाहर से माल बन कर आता है। उसकी खपत यहां होती है। तो मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर से इन धंधों को प्रोत्साहन देना चाहिये, इन धंधों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं तो आज गांव में बेरोजगारी और बेकारी बढ़ती जा रही है और वह दिनों-दिन बढ़ती जायगी।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, इस बुनकरी के धंधे को व्यवस्थित करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये, जिससे उनको ज्यादा लाभ मिल सके। इसके लिये सरकार का हाथ कर्घा बोर्ड जो है, वह काम करता है लेकिन समय का अनुभव हमें बताता है कि वह राजस्थान में उन लोगों को धंधा नहीं दे सकता है क्योंकि जो तरीका है, उस तरीके से यह हो सकता है कि कुछ लोगों को लाभ हुआ है, कुछ लोगों को काम जरूर मिला है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो

(श्री रावतराम)

लोग मूल रूप से धंधा करते हैं, हजारों लोग इस धंधे से रोटी-रोजी कमाते हैं, उन लोगों को लाभ नहीं मिला है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें बडी बडी इन्डस्ट्रीज के साथ साथ ये छोटे उद्योग धन्धे, जो गांवों में एक प्रकार से समाप्त होते जा रहे हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिये एक योजना-बद्ध तरीके से उनकी सर्वे करानी चाहिये थी कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस धंधे को कर सकते हैं ? इस तरह से सर्वे कराके उन्हें इस काम में लगाना चाहिये। इससे दो फायदे होंगे। एक तो गांवों में माल तैयार होगा और इसकी वजह से गांवों में जो बेकारी की समस्या है वह दूर हो जायगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि छोटे उद्योगों को सरकार के उद्योग विभाग की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिये और इस बात के प्रयत्न किये जाने चाहियें कि उन छोटे उद्योगों को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सहायता दे सकें, दी जावे, इस बात की कोशिश करनी चाहिये।

श्री भेरूलाल कालाबादल (अकलेरा—सु): उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे ज्यादा समय बोलने के लिये मिलता तो मैं पूरी बातों को बताता मगर फिर भी जो कुछ बातें हैं वे संक्षेप में आपके सामने रखता हूं। राजस्थान सरकार की यह मंशा थी कि हमारे उद्योगपति अच्छी तरह से यहां पर उद्योगों को चलावेंगे और इस कारण सरकार ने उनको लाखों रुपयों का ऋण दिया। मगर पूंजीपतियों ने उद्योग नहीं चलाये और उस ऋण का दुरुपयोग किया। जिन कम्पनियों को आपने कारखाने लगाने के लिये सहूलियतें और रुपये दिये, उन्होंने कहीं दूसरी जगह लगा दिये तो वे पनप नहीं रहे हैं। कोटा में मुझे मालूम है कि ९ उद्योगों को आपने मदद दी और उसमें से वहां आज तीन में काम चालू हुआ है और छः इन्डस्ट्रीज यों की यों पडी हुई हैं। लीनन, दिल्ली क्लोथ और सोडा की फैक्टरी चली है। अगर देखा जाय तो पूरी तौर से यह भी नहीं चल पाई है। मैं यह कहूंगा कि हमारे पुराने उद्योग मंत्री के समय में हमारे कोटे में उद्योग ने उन्नति की थी लेकिन यह हमारा ही दुर्भाग्य था कि हमने उनको उस वक्त कोसा। मगर उनके बाद जिन उप-मंत्री महोदय के हाथ में यह विभाग दिया था यह सोच कर दिया था कि उद्योग को वे समझते हैं और इससे उद्योग की उन्नति होगी। वे स्वयं उद्योगपति हैं। कुछ कम्पनियों को माल दिया है और वे चलती हैं। कोटा में इण्डो नाम की कम्पनी है जिसने तांबे की ईंटें बना कर ब्लैक में बेच दिया। अगर उसका काम देखें तो आपको मालूम हो जायेगा कि क्या हालत है ? फ्रेंच इन्डस्ट्रीज ने दो लाख, रुपया ऋण लगा दिया वह अब वहां से बाहर जा रही है। इसी तरह वूलन फैक्टरी को राजस्थान सरकार ने लाइसेंस दिया है। उसको राजस्थान सरकार की सिफारिश पर लाइसेंस दिया गया था, मगर अब वह भी लुधियाना जा रही है। इसके अलावा कोटा में एक मूशाभाई है। उनको जो सामान मिलता है और जो लोग वहां पर लेने के लिये आते हैं तो कहते हैं कि सामान नहीं है और बाद में कह देते हैं कि कोई लेने के लिये नहीं आया। इस तरह से वह सामान को बाहर निकाल देता है और ब्लैक से बेचता है। ऊपर के सारे अधिकारियों से मिला हुआ है और लाखों रुपये रिश्वत के देता रहता है। पहले भी एक बार तगारी बनाने के नाम पर कोटा लिया था और वह सब माल ब्लैक से बाहर भेज दिया।

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

वह अधिकारियों से मिला हुआ रहता है। समय पर लोगों को माल देता नहीं है। अवधि निकल जाने के बाद कह देता है कि कोई लेने के लिये आये नहीं। तब सरकार उसको यह अधिकार दे देती है कि जिसको चाहे वह उस सामान को बेच दे। इससे बहुत सी आमदनी हो सकती है तो फिर इसको रोक कर सरकार आमदनी क्यों नहीं करती है और फिजूल किसानों पर टैक्स लगा कर बदनामी क्यों मोल लेना चाहती है ?

मैं यह समझता कि सरकार को अगर आर्थिक हालत सुधारनी है तो इस तरह की प्रैक्टिस को रोकना चाहिये। इसी प्रकार मैं यह कहूंगा कि एक हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी है। उसने राजस्थान को अभी लिखा था कि दो लाख मन के करीब हमारे यहां कोटा पडा हुआ है। सप्लाई उसकी कहीं कराना चाहें तो सरकार फौरन लिस्ट भेज दे। सरकार ने कलैक्टर के पास भेज दिया और वहां से उद्योग विभाग को भेज दिया। उन्होंने फिर लिखा कि अगर २९ तारीख तक कोटा नहीं उठाया तो हम दूसरों को दे देंगे मगर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। जो व्यापारी लोग हैं और जिनको कोटा मिला है वे इन्तजार कर रहे हैं आदेश की २९ तारीख निकल जायेगी और उससे व्यापार से होने वाली आमदनी राजस्थान सरकार को नहीं मिलेगी। इस प्रकार की लापरवाही इस विभाग में चल रही है जिससे उद्योग पनप नहीं रहे। जबकि उनको बिजली और जमीनें कम कीमत पर दी गई हैं। मकान बनाने के लिये उनको जमीनें दी गई किसी ने मकान नहीं बनाये। इसके अलावा बिजली की दरों में भी फर्क है। लिनन को ६।। पैसे यूनिट और दिल्ली क्लोथ मिल्स को जहां तक मैंने सुना है २ पैसे प्रति यूनिट बिजली सरकार देती है। सरकार इस प्रकार का नुकसान उठाकर भी देती है। इस तरह से राजस्थान के साधन जुटाने में फैक्ट्रीज काम कर रही हैं वह संतोषजनक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, समय नहीं मिलने से मैं पूरी बातें आपके सामने नहीं रख सकता। मैं बहुत रैकॉर्ड लेकर आया हूं। अगर सरकार इसमें इन्क्वायरी करे तो मैं उसके लिये तैयार हूं और कोटा में मौजूद मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कट मोशन पेश करता हूं।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है वह नोहर सब-डिविजन में कोयले की सप्लाई के अभाव व उसमें धांधली पर बहस करने हेतु है। इस बात पर मैं उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरा जिला गंगानगर कृषि प्रधान जिला है और दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान बनने के बाद ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिये कोई इन्डस्ट्री कायम नहीं की गई। कृषि की पैदावार है, जैसे कपास शुगर और ओयल सीड्स जो गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा होते हैं; मगर इसके लिये सरकार ने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसके बावजूद हमारे यहां बिना सरकारी सहायता के मेरे जिले में एक इंडस्ट्री है वह चिमनी भट्टे की है। बडे [illegible] रों में चिमनियें चल रही हैं। इसमें [illegible] कोयले की जरूरत नहीं है। [illegible] सब्सिडि चलाते हैं, [illegible]

(श्री हरदत्तसिंह)
इसके लिये कोयले की जरूरत तो रहती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि सरकार ने इसके लिये भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की। कोई भी भट्टा चलता है उसमें अधिकांश कोयला ब्लैक से खरीदा जाता है। मुझे मालूम है कि १०० वैगन कोयला कम से कम नोहर और भादरा में ब्लैक में आया है। कोई भी वैगन लेता है तो उसको पैसा ब्लैक का देना पडता है और मैं आपको बताऊं कि आपके चांदपोल बाजार में एक फर्म है जो कोयले की सप्लाई करती है। जब कभी उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि कोयले की कमी है, कभी कहते हैं कि अभी कोयला नहीं है। मगर मैं यह आपको साबित कर सकता हूं कि १०० गाडियां कोयले की ३५०) रु० प्रति गाडी ब्लैक देकर वहां पहुंचाई हैं। अगर माननीय उद्योग मंत्री इस संबंध में जांच करना चाहें तो मैं सबूत दे सकता हूं। यहां की फर्म देती है ब्लैक में। मैं तो यह चाहता हूं कि हर एक ग्राम में इस प्रकार के चिमनी भट्टा लगे और उनको उनकी जरूरत के अनुसार कोयले की सप्लाई हो। मगर हम देखते हैं कि वे लोग वैगन का अभाव बताते हैं और जब ब्लैक के पैसे देते हैं तो वह कोयला मिल जाता है। जिन क्षेत्रों में पत्थर नहीं मिलते हैं, जहां पत्थर का सर्वथा अभाव है वहां पर अच्छी पैदावार हो सकती है और मकानों में ये काम आ सकते हैं। गांवों में कच्चे मकान लोग बनाते हैं जो वर्षा में गिर जाते हैं वहां चिमनी भट्टा लगाया जा सकता है और उसके लिये कोयला सप्लाई करने में सरकार को क्या दिक्कत आती है? यदि इसकी उपेक्षा नहीं की जाए तो सरकार को लाखों रुपयों का सेलस टैक्स प्राप्त हो सकता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर तहसील में १० लाख रुपये सेल्स टैक्स के महज इस तरह से मिल सकते हैं।

(४.०० म० प०)

दूसरी बात यह है कि मैं अपनी तहसील भादरा के लिये उदाहरण देता हूं कि वहां सरकार की तरफ से एक रिकाग्नाइज्ड डीलर है, उसको पिछले १२ महीनों में एक एक गाडी सोफ्ट कोक की नहीं दी गई है जबकि सैंकडों भट्टियां वहां हलवाइयों, होटलों और दूसरों की चलती हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ब्लैक को बन्द करने के लिये जिस तरह आपने अपने जिले में सीमेन्ट की सप्लाई की बहुतायत कर दी है उसी तरह हमारे यहां भी कर दें ......

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त) : गंगानगर में कमी है क्या सीमेन्ट की ?

श्री हरदत्तसिंह : मेरे डिविजन की बात कहता हूं, नोहर में, माननीय उप-मंत्रीजी आज भी कम है, और दस रुपये से कम में सीमेन्ट का एक थैला नहीं आता है। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं।

श्री चन्दनमल वैद : १० हजार बोरी आज गंगानगर में पडी हुई हैं, कोई उठाने वाला नहीं है।

श्री हरदत्तसिंह : उठाने न उठाने का तो मैं कहता नहीं, १० रुपये से कम में सीमैन्ट की बोरी नोहर में नहीं मिलती, यह आपका भाव है या ब्लैक का ? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं कि जिस तरह आपने चूरू जिले में सीमेन्ट की सप्लाई की बहुतायत कर दी है, उसी तरह सीमेन्ट के साथ ही कोयले की भी हमारे यहां बहुतायत कर दें, हम आपको सेल्स टैक्स से मालामाल कर देंगे।

(श्री हरदत्त सिंह)

साथ ही इस ओर ध्यान दिलाता हूं कि छोटी इंडस्ट्री, सहकारी इन्डस्ट्री हमारे जिले में भी कर दीजिये नहीं तो खाली खेती पर रहने से काम नहीं चलता क्योंकिन आज जमीन पर इतना भार बढ गया है कि पढे-लिखे लोगों के पास भी खेती के सिवाय कोई काम नहीं है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : मोतीलाल चौधरी!

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे दो कट मोशन्स हैं, और दोनों ही इस संबंध में हैं कि ....

(४०३ म० प०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

राज्य में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिये आर्थिक दृष्टिकोण से उद्योग व माइनिंग दोनों क्षेत्रों में बैलेंस्ड इकोनोमी को प्रोत्साहन देने के लिये प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और कोआपरेटिव सैक्टर, इन तीनों को अच्छे स्थान पर स्थापित करने की आवश्यकता है। माननीय सभापित महोदय, मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि जब तक हम इकोनोमी फ्रीडम नहीं देंगे तब तक इकोनोमी डवलपमैन्ट नहीं कर पायेंगे। सिर्फ पोलिटिकल डवलपमैन्ट से समाजवाद देश में ला नहीं सकते। इन्डस्ट्रीज और माइनिंग इतने महत्वपूर्ण हैं कि पब्लिक सैक्टर और केआपरेटिव सैक्टर से प्राइवेट सैक्टर को बैलेंस्ड नहीं करेंगे तो हम डवलपमैन्ट नहीं कर सकते। राज्यपाल के भाषण पर जब मैं बोल रहा था तो मैंने बताया था कि इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी कहीं के इंडस्ट्रीज एन्ड माइनिंग डिपार्टमैन्ट देख लें, अमेरिका में ५०० कारपोरेशन्स ने ९५ प्रतिशत इंडस्टीज को कन्ट्रोल कर रखा है। वहां प्राइवेट सैक्टर को प्रोत्साहन देने से मोनोपोलिस्टिक कार्पोरेशन्स ने इंडस्ट्रीज को कन्ट्रोल कर रखा है, माइंस को कन्ट्रोल कर रखा है। उसके मुकाबले में पब्लिक सैक्टर का कम्पीटीशन खत्म हो गया है। सप्लाई एण्ड डिमाण्ड के आधार पर आज पब्लिक सैक्टर की बहुत सी इंडस्ट्रीज का यही हाल हुआ कि मोनोपोलिस्टिक कार्पोरेशन के हाथ में सब कुछ होने पर हर भाव को वहां के इंडस्ट्रिलिस्ट्स कन्ट्रोल करते हैं। इसलिये माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि इन तीन दृष्टिओणों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक हालत को मजबूत करने के लिये यथोशीघ्र ही कदम उठाना पडेगा ताकि जिन क्षेत्रों में पब्लिक सैक्टर नहीं हैं, कोओपरेटिव सैक्टर नहीं है तो उनमें उनको स्थापित कर सकें। यदि उन क्षेत्रों में केवल प्राइवेट सैक्टर ही डवलप करेगा तो अमेरिका जैसी स्थिति यहां पर भी पैदा हायगी।

अन्तर्राष्ट्रीय इकॉनोमिक एक्स्पर्ट्स ने माना है कि वहां अमेरिका में गलतियां हुई हैं, वहां इकॉनोमिक हालत सिर्फ ५०० फैमिलीज के साथ में चली गई हैं भले ही वहां वोटों के समाज के एडमिनिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था रखी है, पर आर्थिक व्यवस्था आज वहां चन्द फैमिलीज के साथ में है। वोटों से सामाजिक एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखें पर आर्थिक हालत बिगडने पर वह नहीं टिक सकती। हमारे राजस्थान में जो स्थिति हमारी है, उसमें बहुत गुंजाइश है और रिसोर्सेज इतने ओपन हैं कि पब्लिक सैक्टर को, कोऑपरेटिव सैक्टर को प्राइवेट सैक्टर से आगे ले जा सकते हैं। जिस तरह बिकेन्द्रीकरण और फूड प्रोडक्शन में

(श्री मोतीलाल चौधरी)

राजस्थान सबसे आगे बढा है उसी तरह से इंडस्ट्रीज और माइन्स के मामले में भी राजस्थान हिन्दुस्तान में स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि इस तरह से सोशलिस्टिक पैटर्न की स्थापना की जा सकती है।

राजस्थान में जागीरदारी और राजाओं की समाप्ति के पश्चात् फ्यूडल एलिमेन्ट कोमन मैन हो गया। हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में बोम्बे, बंगाल, गुजरात में जो इन्डस्ट्रीयलिस्ट की प्रॉब्लम्स हैं वे हमारे यहां नहीं हैं। उद्योगपतियों को प्रोत्साहित कीजिये पर उनको कन्ट्रोल मत करने दीजिये। आपने राजस्थान में उद्योगपतियों को सीमेन्ट में पूरा मोनोपोलाइज कर दिया है, दो प्राइवेट लिमिट्स को सीमेन्ट में मोनोपोलाइज करने के बाद यदि प्राइवेट सैक्टर में या कोऑपरेटिव सैक्टर में यह इंडस्ट्री नहीं खोलेंगे तो एक दिन आयेगा कि आप इन प्राइवेट कन्सर्स को किसी हालत में कम्पीट नहीं कर सकेंगे और सीमेन्ट पर इनका एक मात्र कन्ट्रोल होने से क्वालिटी भी बिगडेगी और भाव भी बढायेंगे। इसलिये सोशलिज्म के आधार पर कास्ट और क्वालिटी दोनों को कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक आर्थिक बैलेंस नहीं हो सकता।

जिन जिन क्षेत्रों में पब्लिक सैक्टर हैं, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ है और आपके अधिकारियों ने किस प्रकार की कोशिश की है। कहा गया था कि पलाना कोल माइन को डवलप करने के बाद करोडों रुपयों का राजस्थान को फायदा होगा पर आज पलाना कोल की क्या हालत है, उसकी हालत एक दम बिगड गई है। आज पलाना कोलरी में १५ पर्सेन्ट कोल निकलता है, ८५ प्रतिशत नीचे पडा रहता है। हमने फर्स्ट फाइव इयर प्लान में सैकिंड प्लान में और थर्ड प्लान में ओपन कोस्ट माइनिंग करना चाहा पर नहीं हुआ। थर्ड प्लान में इस हाउस की एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर थर्ड प्लान में रखा गया कि पलाना कोल माइन को डवलप करेंगे पर अफसोस के साथ कहना पडता है कि अभी तक ओपन कास्ट को नहीं रखा गया है। सिर्फ ४ लाख का प्रॉविजन इसमें दिया है। ४ लाख में १ करोड का प्रोजेक्ट कैसे डवलप किया जा सकता है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर सरकार लिग्नाइट को इम्प्रूव करने की हालत में नहीं है तो इसे कोऑपरेटिव सैक्टर को दें और उसमें राजस्थान सरकार पार्टनर होकर लिग्नाइट को डवलप कर सकती है। मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा कि यदि राजस्थान की इकाना भी इसको भी अलाऊ नहीं करती तो ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के हाथ में इसे देंगे तो भी आपको फायदा ही होगा। कोल का प्रॉडक्शन बढेगा। लिग्नाइट प्रॉडक्शन की बहुत बडी गुंजाइश है, आपके एक्सपर्टस ने १९५० में रिपोर्ट दी है पर आज ६२-६३ है, अब तक इसको डवलप नहीं किया, थर्ड प्लान में भी ओपन कास्ट पलाना में डवलप नहीं हुआ। मैं यह कहूं स्पष्ट रूप से कि नहीं होगा। सरकार करने को इच्छुक नहीं है, सरकार की नीति नहीं है। मोटिव नहीं कहना चाहता। एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट पहले को ही देखें। सरकार की नीति नहीं है। उसका कारण स्पष्ट है। बीकानेर पॉवर हाउस जो पलाना लिग्नाइट पर बेस्ड था, जिसका डवलपमेन्ट पलाना कोल पर था उसको भी पलाना कोल न देकर बिहार के कोल से उसको फीड किया जा रहा है। जितने पॉवर हाउस नजदीक में आते हैं, किसी को

(श्री मोतीलाल चौधरी)

भी नहीं । फर्टीलाइजर फैक्टरी को फीड नहीं करेंगे । ओपन कास्ट माइनिंग न करें, यह मानने के लिये तैयार नहीं हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एस्टीमेट कमेटी की द्वितीय रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है । आपके डिपार्टमेन्ट के लोगों से बात-चीत करके किया गया है, भारत में लिग्नाइट के जो अच्छे एक्स्पर्ट हैं उनकी जानकारी के बाद यह रिपोर्ट दी गई है और स्पष्ट किया गया है । यदि आप ओपन कास्ट करें तो करोड़ों रुपयों की आमदनी होगी ।

समय थोड़ा होने से मैं कुछ मुद्दे संक्षेप में ही कहूंगा । डीडवाना सॉल्ट है, सांभर सॉल्ट है । मुझे अफसोस है कि एक तरफ तो कहते हैं कि डीडवाना के सॉल्ट की क्वालिटी खराब है, लेकिन कुचामन और नावां का 'ए' क्लास सॉल्ट है, लेकिन आपने प्राइवेट पार्टीज को दे रखा है, अंग्रेजों के टाइम में जो क्षेत्र नेशनलाइज्ड था आप आज उसको नेशनलाइज्ड न करके प्राइवेट पार्टीज को दे रहे हैं । जिस पब्लिक सैक्टर में लाखों रुपयों की गुन्जाइश थी और मोनोपोलिस्टिक दृष्टि-कोण था, अच्छा नमक पैदा हो सकता था, प्राइवेट सैक्टर को दे रहे हैं और खराब खराब आप रख रहे हैं ।

भाखरी के लिये निवेदन करूं । यह दूसरी माइन है । यह आज तक नक्सान में नहीं गई है । चूंकि भाखरी की पट्टी मार्केट क्वालिटी में खड़ी नहीं हो सकती है, इसलिये जोधपुर और करौली में पब्लिक सेक्टर में नहीं करें । राजस्थान के अन्दर पांच जगह पट्टियां पैदा होती हैं । यही बड़ी इन्डस्ट्री है । मुख्य मंत्री स्वयं भी जानते हैं । यह ही इन्डस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है राजस्थान के अन्दर जो सबसे ज्यादा लेबर एन्गेज करती है बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन में । इससे मजदूरों को अधिक रोटी-रोजी मिलती है । बेस है लाइम । उसका बेस है पट्टी । यदि आप लाइम पर और पट्टी पर कब्जा कर लें तो क्वालिटी की दृष्टि से भी ये चीजें जनता को अच्छी मिलेंगी । अधिक लोगों को रोजी मिलेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

हनुमानगढ़ में बिक्री के लिये भट्टे खोलें ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनिट में लाइम के लिए कह दूं ।

बेस्ट लाइम अगर राजस्थान में कहीं है तो वह मूंडवा गोटन और सोजत में है । एक साल तक मूंडवा का मामला पड़ा रहा लेकिन आपने पब्लिक सेक्टर में खड़ा नहीं किया । यदि ऐसा करते तो लाखों रुपयों का फायदा होता । मूंडवा में नहीं किया, पाटन में स्टार्ट किया । पाटन में क्वालिटी मूंडवा के मुकाबले में ५० परसेन्ट लो है । यह आपके एक्स्पर्ट ओपीनियन दे रहे हैं । लीज दी है चार पांच साल की । मूंडवा गोटन और सोजत में खोलिये । इससे दो फायदे होंगे । सरकार को तो आर्थिक फायदा होगा और जनता को अच्छी क्वालिटी का लाइम मिलेगा । दो तीन बातें हैं । अब भी पब्लिक सेक्टर में काम करने की काफी गुन्जाइश है ।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

मेरे पास कई चीजों के आंकड़े हैं लेकिन मैं उनको पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। आपके शुगर केन में अब भी गुंजाइश है कोऑपरेटिव सेक्टर में; ऑइल सीड, मूंगफली, तिल, सरसों, कोटन, जीनिंग ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर में खूब अच्छी तरह से चल सकते हैं और काफी गुन्जाइश है। व्हीट के लिये मैदा फैक्टरी ग्रोअर्स कोआ-परेटिव सेक्टर में खोलें। मेज या बारले के लिये भी है। उसके बाद टोबेको में अच्छी गुन्जाइश है, अच्छी क्वालिटी है। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सेक्टर में खोल सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक बात कह कर मैं एन्ड करूंगा और वह है ऊन उद्योग। राजस्थान में ऊन हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी क्वालिटी की है और यहां अधिक इसका प्रोडक्शन भी होता है। इसका अधिक प्रोडक्शन हो, इस दृष्टि से भी कार्य किये जा सकते हैं और इसलिये पब्लिक सेक्टर में एक कारखाना खोल सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति: That will do. Shri Sarvanlal.

श्री मोतीलाल चौधरी: पब्लिक इन्डस्ट्री के लिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: That will do. Shri Sabrvanlal.

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन—सु०): सभापति महोदय, मेरे कट मोशन्स तीन हैं। समय कम मिल रहा है, इसलिये मैं संक्षेप में ही कुछ कहूंगा।

मैं मेरी तहसील हिन्डौन की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां पांच हजार हरिजन और आदिवासी रहते हैं, उनका मुख्य धन्धा खान से पत्थर निकालने का है। एक साल पहले से वह सिस्टम चला आ रहा था रॉयल्टी का, उससे वहां का मजदूर वर्ग अच्छे ढंग से अपना पालन-पोषण कर रहा था। आज के इस रॉयल्टी सिस्टम को लेते हुए और पहले मोनोपोली ठेका हुआ उसको देखते हुए पहले और आज के उत्पादन में दूना फर्क था। पता नहीं, मुख्य मंत्री जी को चुनावों के लिए मजदूरों की ओर से पैसा न मिला हो इसलिए वहां मोनोपोली बनाने का सरक्यूलर कर दिया। २२-१-६३ की ठेके की तारीख मुकर्रर कर दी। सरकार एक तरफ नारा लगाती है कि गरीबों के लिये रोजी-रोटी दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं गरीबों का गला काट रही है।

उन लोगों ने सोचा और एक मीटिंग की और बड़ी भारी तादाद में डेपुटेशन लेकर यहां आये मुख्य मंत्री के पास, लेकिन जो व्यक्ति करीब १२५ मील दूर से डेपुटेशन लेकर आये और मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहते थे लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी इतने व्यस्त थे कि उनसे मिलना उचित नहीं समझा। वे यह सोचकर आये थे कि अपनी कठिनाइयां मुख्य मंत्री के सामने रखेंगे और वे उनके दुख का निवारण करेंगे लेकिन उनको इतनी फुरसत कहां। उन्होंने उनकी दरख्वास्त ले ली और धू हो गये विचारों से बात-चीत तक नहीं की।

Page No 108

(श्री श्रवणलाल)

वहां का जो पत्थर का ठेका है उसके लिये ग्राम सभा करके प्रदर्शन किया गया और वहां का जो ठेका लेने वाला था उससे मिन्नतें कीं कि हम गरीब हैं, हमारा धंधा ही यही है, हमारे पर रहम खाइये। सरकार की कडी नजर थी, फिर भी हम लोगों ने ठेकेदार को रोका और इस तरह से २२-१-६३ को वह कैंसिल कर दिया गया। हमारी सरकार सोच रही थी कोई तारीख मुकर्रर करने की और उसके बाद हुआ यही कि १७-४-६३ को हिन्डोन के बजाय सवाई माधोपुर के ठेके के लिये तारीख मुकर्रर की गई। जो मजदूर करीब ६-६ महिने से रात-दिन खून पसीना एक करके और उसके साफ होने के बाद छः महीने के बाद पत्थर निकलना शुरू होता है तब जाकर के कुछ पैसे की आमद होती है। उस आमद के लिये पता नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां रॉयल्टी सिस्टम को लागू रखना चाहिये। इसी प्रकार जो रॉयल्टी की दरें हैं उसमें भी आपने भिन्नता रखी है करौली में जहां चार आना फुट के हिसाब से रॉयल्टी वसूल की जा रही है, हिन्डौन में ३१ न० पै० वसूल की जा रही है। जहां पत्थर आसानी से निकलता है वहां तो चार आना फ़ुट और जहां मुश्किल से निकलता है वहां ३१ न० पै० फ़ुट के हिसाब से जो रॉयल्टी लेते हैं, उसके लिय मैं निवेदन करूंगा कि यह भेदभाव नहीं होना चाहिये।

खादी ग्रामोद्योग के बारे में भी मेरा कटौती का प्रस्ताव है, उस बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इसमें अधिकतर बुनकर समाज के लोग रहते हैं, जो पढ़े-लिखे कम होते हैं। हिन्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति है वहां सिस्टम ऐसा है कि सब से पहले जहां वार्षिक अधिवेशन किया जाता है जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें अन्दर घुसने से पहले उनके साइन करा लिये जाते हैं। साइन पहले करवा लेते हैं, उसके बाद मनचाही कार्यवाही वे करवा लेते है।

३-१-६३ को एक वार्षिक अधिवेशन वहां बुलाया गया। मीटिंग की कार्यवाही शुरू नहीं हुई, दरवाज़े पर ही उन लोगों के साइन करवा कर बुनकरों की तरफ़ से एक ऐसा प्रस्ताव था जो घोटालों के बारे में था, अध्यक्ष महोदय, के सामने रखा गया। जैसे कि पांच हज़ार रुपया बुनकरों के प्रशिक्षण के लिये मिलता है वहां बुनकरों के प्रशिक्षण के लिये एक न० पै० भी नहीं दिया गया। वहां के मन्त्री और उच्च अधिकारी खा गये और बुनकरों के लिये एक भी पैसा नहीं दिया गया, उसकी लिस्ट भी मैं दे सकता हूं।

कतवारियों का आनी रुपया काटा जाता है। मान लीजिये किसी की किताब खो गई तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, नई किताब बना देते हैं और जो पहले पैसे जितने जमा हुए थे वे ख़त्म। इस तरह की धांधली वहां पर होती है। वहां पर दो, तीन, चार साल से क़रीब रुई धीरे धीरे करते पांच मन के क़रीब बढ़ गई, उसकी कीमत क़रीब तीन हज़ार रुपया होती है। मन्त्री जी उसको भी हड़प कर गये। यहां पर जयपुर के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से मिल कर बिल बनवा लिया गया और इस तरह से तीन हज़ार रुपये वे हड़प कर गये।

इसी तरह से हिन्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति के लिये मकान बनाया गया। इस पर बुनकरों ने चेलेन्ज किया कि इसकी

(श्री श्रवणलाल)

क़ीमत जो ४० हज़ार बतायी जाती है वह सही नहीं है। हम तो इसकी इन्क्वायरी इन्जीनियर से करवाना चाहते हैं, लेकिन चीफ़ इन्जीनियर ने मकान को देखकर कहा कि बीस-पच्चीस हज़ार से ज्यादा का मकान नहीं है।

इसी प्रकार जो दो आने थान पर काटे जाते हैं उसका कोई हिसाब नहीं।

तीसरा कतवारियों को प्रशिक्षण के लिये अम्बर चर्खे के लिये १,५०० रुपया मिला था उसमें से मन्त्रीजी ने एक न० पै० भी नहीं दिया। कतवारियों के नाम से फर्जी बिल लगाकर के अंगूठे करवा लिये गये, जिसकी लिस्ट सदन के सामने रख सकता हूं।

उसी प्रकार खादी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड सरकार की एक संस्था थी। अब उस संस्था के दो भाग कर दिये और एक नई संस्था बना ली ताकि वे मनमानी कर सकें। दस हज़ार जो पहली वाली संस्था को मिला था उसमें ढाई हजार रख लिया गया और बिल दे दिया गया पूरे का। उस संस्था के लिये बीस हज़ार का नुक़सान बता दिया। जब कि पहले से एक संस्था चल रही है दूसरी संस्था को खोलने की क्या ज़रूरत थी?

इसलिये ज्यादा न कह कर मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में जो भी कानूनी कार्यवाही हो वह करने की कृपा करें। और जो चुनाव में धांधली हुई है, मनमानी हुई है, जब सब सदस्य चले गये तो रात को दस बजे बाद चुनाव कराये गये, सके बारे में मन्त्री महोदय सोचेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आज वित्त मन्त्री ने इस सदन के समक्ष एक करोड़ ३५ लाख रुपयों की ग्रान्ट का बजट प्रस्तुत किया है। यह खनिज विभाग की मांग है, जो हमारे सामने है। चूंकि यह विभाग मुख्य मन्त्रीजी के पास में है और यह एक ऐसा विभाग है जिससे और अधिक आय इस राज की बढ़ सकती है तो मैं समझता हूं कि इस विभाग पर यह जिम्मेदारी है कि वह १,३५ लाख की ग्रान्ट जो इस स्टेट के फ़ाइनेन्स में हैं इस वर्ष इस विभाग की आमदनी से पूरी की जावे। इस राय को व्यक्त करते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि मैं इस विरोधी दल की और 'हां' पक्ष की भी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं।

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर मुस्तैदी से इस विभाग द्वारा काम किया जावे और इसकी नीति में परिवर्तन किया जावे तो इस विभाग की आमदनी १,३५ लाख से भी कहीं बहुत ज्यादा बढ़ सकती है।

(४.३१ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, पलाना की खान के बारे में बहुत बातें कही गईं। मैं विस्तार से उनमें नहीं जाऊंगा। मैं मुख्य मन्त्रीजी के अध्ययन के लिये एक नक्शा पेश करूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी उसका अध्ययन करें, जिसमें कहा गया है कि अब भी पलाना की खान में ६०० फ़ीट और काम किया जा सकता है। सिर्फ़ पिट्स माउथ से ३०० फ़ीट पर जाकर काम बन्द कर दिया जावे, तो टैक्नीकल रिपोर्ट यह है कि ६०० फ़ीट और ऐसी

Page No 110

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जगह रह जाती है जहां वर्क किया जा सकता है। १२ पिलर्स बाकी हैं और अगर यह बात उनको नहीं मालूम है तो वे नक्शे को देखकर जान सकेंगे कि १२ पिलरों में अब भी काम करना बाकी है। ३ पिलरों को छोड़ दें तो ९ पिलरों में काम हो सकता है। इन ९ पिलरों में काम करने में कम से कम ८ महीने का समय लगेगा और ४० हज़ार टन कोयले का उत्पादन होगा। इसकी कीमत २५) रुपया टन के हिसाब से भी लगावें तो इस खान से १० लाख की रेवेन्यू हो सकती है। मैं इस नक्शे को मन्त्रीजी के अध्ययन के लिये पेश करता हूं।

इसके साथ ही मुझे यह जानकर बहुत ताज्जुब हुआ, जब कि मुख्य मन्त्री जी के खान उप-मन्त्रीजी ने यह कहा कि ५८-५९ में कोयले की ज़रूरत नहीं थी इसलिये डिस्पोज़ल नहीं कर सकते थे। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार और आपके डाइरेक्टर ने इस बात की छानबीन की ही होगी कि वह कहां कहां बिक सकता है, उन्होंने की हो या न की हो, मुझे मालूम नहीं, पर पलाना में इन्टक की यूनियन जो काम करती है, उसने इस बात की जानकारी कलैक्टर और डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज़ औफ़िसर से मंगाई है कि वे अपने एरिया में इस कोयले की कितनी खपत कर सकते हैं और वे आंकड़े जो यूनियन ने इकट्ठे किये हैं उनके अनुसार भी कम से कम ३ हज़ार टन प्रति माह पलाना का कोयला राजस्थान में खप सकता है। जिस किस कलैक्टर ने इस बात की स्वीकृति दी है इसकी भी लिस्ट मैं पेश करता हूं कि वे इसका भी अध्ययन करें। हनुमानगढ़ में तीन हज़ार टन की मांग है, ट्रिक फिलन के लिये भी इसकी मांग है।

यह तो मैंने इसलिये कहा कि वे यहां यह न कहें कि कोयले की खपत नहीं है और यह दलील जो सरकार ने दी है इसके पीछे या तो उसकी नासमझी है या उसे गलत बताया जाता है। यह लिस्ट विस्तार में मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा; वक्त नहीं है इसलिये।

यह खान ७ फ़रवरी से सरकार ने बन्द कर दी है। आपने खान के लोगों को कम्पेन्सेशन दिया, उनको रिट्रेन्च किया। जो सीनियर थे उनको तो रिट्रेन्च किया और जूनियर आज भी काम पर लगे हुए हैं, एक मूल सिद्धान्त है कि लास्ट कम फर्स्ट गो, मजदूरों के क्षेत्र में। इस सिद्धान्त का कहीं पालन नहीं किया गया और इसका नतीजा हुआ क्या? जब आपने दस दस साल से नौकरी करने वालों को रिट्रेन्च किया तो दो लाख कम्पेन्सेशन देने में खर्च करना पड़ा। एक लाख और देंगे आप। इस तरह से राज्य का तीन लाख का नुकसान हुआ। इसकी एवज में अगर दूसरे टैम्पोरेरी को, जूनियरों को हटाया जा सकता था। कानून कहता है मजदूरों का कि लास्ट कम फर्स्ट गो। पर आप इसका पालन नहीं करते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी पार्टी का अभी १८ मिनट का समय बाकी है, सिर्फ़ रामकिशनजी बोले हैं। बाकी का समय अभी बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको दस मिनट हो गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो पांच मिनिट भी नहीं हुए होंगे। हमारी पार्टी का अभी तक पन्द्रह मिनिट का समय बाकी है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप जूनियरों को निकालते, आपको कम्पेन्सेशन नहीं देना पड़ता, और बाकी जो सीनियर रहते वे आपके काम में भी काफी मददगार साबित होते। सम्भव है, मुख्य मन्त्रीजी के पास और अनेकों विभाग हैं, इसलिये वे इन तथ्यों को नहीं जानते हों पूरी तरह से। तो वे अब अध्ययन करें इन बातों का।

मैं निवेदन कर दूं कि आप जब तक इस समस्या में खुद दिलचस्पी नहीं लेंगे तब तक यह समस्या नहीं सुलझ सकती। मेरे पास ६१ से ६२-६३ तक के आंकड़े मौजूद हैं। आपको इसमें पांच लाख का नुकसान हुआ। आपकी यह खान ५७ तक फ़ायदे में चली। इसके बाद खान बराबर एक साल को छोड़-कर घाटे में चलने लगी। एक एक साल के आंकड़े मेरे पास हैं। और इस तरह १४ लाख का नुक़सान हो गया। ९।। लाख की आमदनी हुई और १४ लाख का नुक़सान कुल मिलाकर ५ लाख का घाटा आपके इस विभाग ने इस खान में भुगता। कोयले की खान में, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि सिर्फ़ हिन्दुस्तान में आपकी ही यह एक खान होगी जो कि घाटे में चल रही है। कोई कोयले की खान में घाटे का नुक़सान ही नहीं आता। मांग इसकी इतनी है कि कोयले में घाटा हो ही नहीं सकता; अगर होता है तो जानना चाहिये कि इसकी व्यवस्था में कहीं इनएफ़ीशियेन्सी है। इसका कारण क्या है? यहां प्रश्न के जवाब में उपाध्यक्ष महोदय इस तरह के आंकड़े सदन के सामने आये हैं कि प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक व्यय बढ़ता गया। कुछ लोगों को नई नई नौकरियां दी गई, नौकरियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती चली गई, दूसरा खर्चा व्यवस्था का बढ़ता गया, इसके बावजूद दूसरी तरफ़ कोयले का उत्पादन गिरता गया। मैं किसी पर एलीगेशन नहीं लगाना चाहता, पर यह कहना चाहता हूं कि आप गत दस साल के आंकड़ों की जांच करें। एक हाई लेवल की जांच कमीशन बिठावें और उसकी रिपोर्ट को देखें। अगर आप कहें कि हमने जांच करली है तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर उस जांच से आपने यही निष्कर्ष निकाला है कि जो हुआ सो ठीक हुआ, तो मैं यह कहूंगा कि आपका दृष्टिकोण इसमें वैज्ञानिक नहीं रहा। आप वैज्ञानिक दृष्टि से दुबारा जांच करावें। यह मैं पोलिटिकल प्रोपेगन्डा की दृष्टि से नहीं कर रहा हूं। शुद्ध व्यवसायिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से निवेदन कर रहा हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके माइन मैनेजर ने इस खान को बन्द कर दिया है बिना मन्जूरी के। ५८ में भी आपने बन्द करने से पहले इन्सपेक्टर ऑफ माइन्स से जांच करवाई थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आपने बन्द की थी, पर इस बार इस साधारण से प्रिन्सिपल को भी आपने ताक में रख दिया। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में आप देश में जो कोयले के एक्सपर्ट स हैं उनको दिखावें, वैज्ञानिकों को दिखावें, टैकनिशियनों से राय लें। आज भी वैज्ञानिकों का, टैक्निन-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

शियनों का जो उसको जानते हैं, यह दावा है कि आप उस खान को १५ दिन में चालू कर सकते हैं, बशर्ते कि आप भी उसकी प्रोपर एन्क्वायरी करालें । आप इसकी फौरन एन्क्वायरी करावें और इसको चालू करें और इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री ने, पार्लियामेन्ट के सदस्य, बीकानेर के महाराजा श्री करणीसिंहजी को जुलाई ६२ में एक चिट्ठी लिखी कि दो पिट इस खान में और खोदे जा रहे हैं । उस चिट्ठी की नकल भी मेरे पास है । मैं उसे पढ कर सुनाना नहीं चाहता क्योंकि समय अधिक नहीं है । मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि वे जुलाई की चिट्ठी देखें । आपने उनको यह इत्तला दी थी कि दो पिट्स खोदे जा रहे हैं । मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि कोई पिट आज दिन तक नहीं खोदा गया, न ६२ में खोदा गया । आपने किस आधार पर एक संसद सदस्य को गलत जानकारी दी ? इस प्रकार की गलत इन्फोर्मेशन आपकी चिट्ठी में पार्लियामेन्ट के मेम्बर के पास है । यह मामूली बात नहीं है । आपको किस अधिकारी ने यह सूचना दी और जिसके आधार पर आपने यह चिट्ठी लिखी है उससे आप जवाब तलब करिये और उसे, सख्त से सख्त कार्यवाही करके, सजा दी जानी चाहिये । इस तरह से वास्तविक स्थिति को सदन से और संसद के सदस्यों से छिपाया जाता है ।

ओपन कास्ट का जो प्रश्न है वह तो विषद् प्रश्न है और १५ मिनट के समय में चर्चा नहीं कर सकता उसकी । फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में आप सक्रिय एटीट्यूड अपनावें और फौरन इसे क्रियान्वित करें ।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की जो जनरल नीति है इस खनिज विभाग की, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बारे में जितनी इन्फोर्मेशन देते हैं उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मजबूर हैं कि हमारी सरकार मोनोपोली कैपिटल को बढावा दे रही है और मध्यम वर्ग के लोगों को बढावा नहीं दे रही है । आपका लाइम स्टोन का इतना डिपोजिट है. इसके लिये आपने सीमा लगा रखी है कि १० मील से कम का एरिया नहीं देंगे और इसकी रॉयल्टी जितनी पहले होती थी उसे आप कम कर रहे हैं और यह रॉयल्टी कम करके आपने जिन जिन को दी है इन खानों में से किसी ने भी पूरे एरिया में आज दिन तक काम नहीं किया है, उनमें से किसी ने दस एकड में काम किया है, किसी ने बीस एकड में काम किया है । बाकी सारा एरिया डिमार्केटेड उनके कब्जे में पडा है । अगर सरकार उसके टुकडे करके उसे बेचे तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि दस मील के एरिया में पांच लाख रुपयों की आमदनी सरकार को हो सकती है, जब कि आज ४० और ६४ हजार रुपया ही सरकार को मिलता है । टुकडों में बांटने से सरकार को पांच लाख की आमदनी हो सकती है । पर मैं नहीं समझ सकता कि सरकार का दृष्टिकोण इधर क्यों नहीं जाता ? इस बारे में मेरा सरकार पर यह सीधा चार्ज है कि आज राजस्थान सरकार ने राजस्थान के लाइम स्टोन की इन्डस्ट्री को, इसकी खानों को तीन आदमियों के यहां गिरवी रख दिया है और वे तीन आदमी आपकी कांग्रेस पार्टी

Page No 113

(श्री मानिकचंद सुराणा)

के मेम्बर हैं जिनमें से दो आदमी एम.एल.एज. भी हैं। आप मेरे इस रेफेरेन्स को समझते हैं और गोठन में इस लाइम स्टोन के मामले में जिस प्रकार का व्यवहार हमारी सरकार ने किया है मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तारीख १६-६-६२ को एक पार्टी को सरकार चिट्ठी लिखती है कि आपके खिलाफ स्टे आर्डर जारी किये जाते हैं कि आपको लाइम स्टोन नहीं दिया जावे। १६-६-६२ को तो आप इस पार्टी को यह चिट्ठी देते हैं और जब आपसे इसके बारे में पूछा जाता है कि यह क्यों, तो आप कहते हैं कि यह स्टे आर्डर इसलिये दिया जाता है कि सरकार का इरादा स्टेट सेक्टर में काम करने का है। इसके विपरीत १६-६-६२ को तो आप यह स्टे ऑर्डर जारी करते हैं और दूसरी तरफ ३०-८-६२ को और ३०-१०-६२ को एक पार्टी को लीज़ इसी लाइम स्टोन की एग्जीक्यूट करने की आजादी दी जाती है, उसको लीज़ में एन्टर होने की इजाजत दी जाती है। यदि आप स्टेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो हमने इसके लिये कहीं बजट में प्रोविज़न नहीं देखा, खर्चा नहीं देखा। गोठन में आपने कोई काम करने के लिये प्रोवीजन रखा है, यह मालूम नहीं होता और न इस बजट में ही कोई प्रोवीजन इसके लिये नजर आता है, जिसमें लाइम स्टोन में आप रुपया खर्च करने जा रहे हों। आप तो इस सब की आड में एक ही बात करना चाहते हैं कि यह मोनोपोली आपके आदमियों के पास रहे, आपकी पार्टी के आदमी के पास रहे, बहुत बड़े एम. एल. एज. के पास रहे, उनके भाई भतीजों के पास रहे। दूसरी जगह भी यही बात है। वह भी आपके कांग्रेसी एम. एल. ए. के पास रहे, उनके भाई-भतीजों के पास रहे। तो मैं कहता हूं सरकार के मन्त्रियों को इस तरह की एसोसियेशन से दूर रहना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी की कन्डक्ट तो इन बातों में इतनी ऊंची रहनी चाहिये कि उन पर इस तरह का कोई एलीगेशन न आ सके। पर लोग एलीगेशन लगाते हैं। हम जानते हैं कि आपको चाहे इससे फायदा नहीं उठाया हो, पर फिर भी अफवाहें उडती हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा को धक्का तो पहुंचता ही है। आपके एक्शन से ही इस प्रकार का प्रयत्न हो सकता है। इसलिये लाइम स्टोन में आपकी अपनी नीतियों में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की मैं मांग करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो ५ मिनट का समय है मेरे लिये।

श्री उपाध्यक्ष: ५ मिनट का नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ३ मिनट में खत्म कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय हो चुका है और समय इतना तंग है कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वे नहीं बोल सकेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : २ मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। इन्डस्ट्रीज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक थर्मल के बारे में एग्जेम्पशन दिया है इस वर्ष में। माननीय वित्त मंत्री महोदय के भाषण में है कि जो इलेक्ट्रिक कैमीकल्स की इन्डस्ट्रीज हैं उन पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन दूसरी इन्डस्ट्रीज से आप लेना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के उद्योग का विकास करना चाहते

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं, बाहर के बडे बडे उद्योगपतियों को यहां लाना भी चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाकर राजस्थान के उद्योगों का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं? इस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में तीन तरह की फैक्टरीज को एग्जेम्पशन दिया है; एक तो जिक है, आइरन ओर है और कास्टिक सोडा की मिल है। यदि आपने यह एग्जेम्पट किया है तो या तो सब इन्डस्ट्रीज को एग्जेम्पशन मिलना चाहिए या जिन सिद्धान्तों पर इनको एग्जेम्प्ट किया है कि यह बल्क लोड पॉवर लेती हैं तो उसी तरह से दूसरी इन्डस्ट्रीज जो कि बल्क लोड पॉवर लेती हैं उन इन्डस्ट्रीज को भी इससे एग्जेम्पशन मिलना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यही निवेदन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्षजी, सरकार जिस प्रकार से माइन्स और उद्योग विभाग से डील कर रही है मैं समझता हूं कि वह ऐसा रवैया है जैसे किसी भी खेल में जो एक्स्ट्रा खिलाडी होते हैं उनके साथ जिस तरह का रवैया होता है वही हमारे राजस्थान में इन्डस्ट्रीज और माइन्स विभाग के साथ हो रहा है। अगर प्लान में ले आउट देखें चाहे वह पहली योजना हो, दूसरी योजना हो या तीसरी; उन सब में बहुत थोडा परसेन्टेज और वह भी गिरता हुआ जा रहा है। हमने प्लान के अन्दर पैसा रखा है, वह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार यह महसूस करती है कि राजस्थान में हम बगैर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के ही अपने राजस्थान की आमदनी बढा ले जायेंगे, जो कि मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर से गलत है। राजस्थान सरकार के पास यदि अपना पैसा नहीं था तो उसे प्रयत्न करना चाहिए था केन्द्र से सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड उद्योगों को राजस्थान में लगाने का, लेकिन उसमें भी हमारी सरकार बिल्कुल असफल रही है। आज तक एक कॉपर स्मेल्टर और कोटा में प्रेसेशन इन्स्ट्रूमेन्ट के लिए–केवल इन बातों के लिए केन्द्र को एग्री करा पाये हैं जो कि फ्यूचर में कायम होनी हैं। इसके अलावा दूसरी स्टेट्स को देखें, इतने बडे बडे प्रोजेक्ट्स सारे दूसरे प्रान्तों के अन्दर गये हैं। यह क्या वजह है कि राजस्थान में चाहे पोंग डैम हुआ, राजस्थान कैनाल हुई, वह भी हमें अपने ही रिसोर्सेज के ऊपर बनाने पडे और फिर इन्डस्ट्रीज के लिये हमारे पास पैसा नहीं तो खनिज सम्पदा है तथा और चीजें हैं, इनके होते हुए भी हम केन्द्र को प्रभावित नहीं कर सके कि हमारे यहां सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड इन्डस्ट्रीज खोल दें। मैं समझता हूं, यह हमारी कमजोरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो भी हमने इन्डस्ट्रीज खोलने के लिये लाइसेन्स दिये उनको भी हम चालू कराने में नाकामयाब रहे। उसकी वजह भी यह है कि हमारी नीति में गड बड रही, चाहे वे कोटा देने के बारे में हों, चाहे कन्सेशन्स देने के बारे में हों, चाहे लाइसेन्स गलत व्यक्तियों को देने के बारे में हों। इसका नतीजा यह हुआ है कि पिछले दिनों बताया गया था कि सैकडों की तादाद में ऐसे लोग हैं कि जिनको लाइसेन्स दिया गया और बहुत थोडी तादाद में–एक दर्जन के करीब लोगों ने काम शुरू किया। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्डस्ट्रियल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एस्टेट की स्कीम हाथ में ली गयी, यह भी बिल्कुल फेल्योर रही है। आंकडे इस सदन में पहले भी आये थे, करीब ३५३ यार्ड्स तैयार हुए, उनमें से मुश्किल से ६० यार्ड्स में काम शुरू हुआ बताया गया; लेकिन एक्चुअली जो मालूम किया है तो यह पता लगा है कि केवल २५ या ३० यार्ड्स में काम शुरू हुआ है। तो यह बात इस बात को जाहिर करती है कि हमारी राजस्थान सरकार की एक्चुअली जो इन्डस्ट्रियल पॉलिसी है वह बुनियादी तौर से गलत है और बुनियादी तौर से इसको गलत आंकते हैं।

सदन में पलाना का बहुत जिक्र हुआ। मैं समझता हूं कि पलाना जैसा प्रोजेक्ट जिसकी बड़ी सम्भावना हैं और जिसके बड़े बाई-प्रोडक्ट्स निकलते हैं और राजस्थान सरकार यदि इतना इनवेस्टमेन्ट नहीं कर सकती और तमाम बाई-प्रोडक्ट्स नहीं निकाल सकती तो राजस्थान सरकार केन्द्र को मजबूर करे कि वह इनवेस्टमेन्ट करे और इसको मल्टीफेरियस प्रोजेक्ट बना कर राजस्थान में बहुत बडा प्रोजेक्ट बनावे। इस तरह से राजस्थान सरकार अभी भी कोशिश करे पलाना की तरफ, जैसलमेर की तरफ, गैसेज की तरफ और कॉपर स्मेल्टर खेतडी में चलाने की बात है इसमें ऐसा कोआर्डीनेशन नहीं मालूम पडता है स्टेट का और सेन्टर का, और हमारे अलवर जिले में एक्सप्लोरेशन और प्रोस-पेक्टिंग है लेकिन हमारे यहां के ऑफिसर्स को उसकी जानकारी नहीं है। अगर हमारे रिसोर्सेज पर उसका असर पडता है, हमारे यहां काम शुरू हो तो रायल्टी मिलेगी। जिस ढिलाई से काम हो रहा है उसमें तेजी लानी चाहिए और राजस्थान सरकार को केन्द्र को कहना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि जितना भी इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट राजस्थान सरकार कर रही है उसका भी इक्वीटेबल तरीके से डिस्ट्रिब्यूशन नहीं है और एक बहुत इन-इक्वीटेबल तरीका है जिसका नतीजा राजस्थान सरकार में अजीब टेन्डेन्सी पैदा करना होगा, कोआपरेशन पैदा करने में नहीं होगा बल्कि रीजनल डिसकौर्ड फैलाने की बात होगी। इस संबंध में मैं जिक्र करूं कि अलवर जिले में अगर आप दूसरे साधन नहीं देंगे, पॉवर नहीं देंगे तो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट नहीं हो सकता। फिर आज जैसी वहां की हालत है कि इस सरकार का अपैथेटिक एटीट्यूड इस सरकार का है, सब-एरियाज डेवलप करें यह दृष्टि-कोण नहीं है, इस वजह से वहां की यह हालत है। जो पुरानी इन्डस्ट्रीज को चलाने की कोशिश की गयी वह सब बन्द हो गयीं और अब भी राजस्थान सरकार ने बडी मुश्किल से वहां के लिए इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने का डिक्लेयर किया था अब उसको भी बंद कर दिया, वहां पर मिलिट्री आ गयी जो पहले पोलीटेक्नीक इन्स्टीट्यूट था वह मिलिट्री ने ले लिया। अब हमारी इन्डस्ट्रियल एस्टेट बन्द कर दी गयी है। जो भी इन्डस्ट्रीज वहां पर चली हैं वे दो हैं; एक तो सिरेमिक इन्डस्ट्री है और एक भारत इन्डस्ट्रीज जिसने कि मीटर वगैरह बनाने का काम शुरू किया है। उनके साथ भी सरकार का ऐसा एटीट्यूड है कि वे भी मांगेंगे, मुझे पता लगा है। वहां सिरेमिक इन्डस्ट्रीज को लीज दी ९९ ईयर्स की। मेरे पास कॉपी है ३४० रुपये साल का किराया उसका तय किया, ३४०० रुपये उसके डेवलपमेन्ट चार्जेज तय किये। उसने अपना काम शुरू कर दिया और अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से उसके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पास एक चिट्ठी जाती है जिसमें लिखा गया कि गलती से किसी दूसरे की जमीन दे दी, ११, ११। एकड जमीन है, हमने उसके ४५ हजार रुपये देने का तय किया है इसलिये सिरेमिक इन्डस्ट्रीज को कहा कि तुम ४५ हजार रुपये कम्पेनसेशन के दो। वह कहता है कि सरकार की गलती है, मेरी इसमें गलती नहीं है, हमने अपना काम शुरू कर दिया है; तो इस तरह से जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज काम करती हैं उन पर आप गजब ढाते हैं, उनको नोटिस देते हैं। जो एक-आध इन्डस्ट्री वहां पर शुरू हुई है वे भी भाग जायेंगे। छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज; जैसे मीटर बनाने का काम या इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने का काम शुरू करती हैं तो उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। वे लोन के लिये एप्लाई करते हैं तो उनको लोन नहीं दिया जाता; ऐसे लोगों को लोन मिल जाता है जो उसका यूज प्रोपरली नहीं करते, ऐसे लोगों को कोटा मिल जाता है जो ऊपर का ऊपर उडा जाते हैं। मार्केट में मीटर मिलते हैं उनसे लो रेट पर गवर्नमेन्ट को देने को तैयार है फिर भी उसको सुविधा नहीं मिलती······

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): वाटर मीटर हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं। उन्होंने गवर्नमेन्ट से यह कहा कि एमर्जेन्सी के टाइम में नो प्रोफिट नो लास बेसिस पर सरकार ले सकती है, फिर भी स पर ध्यान नहीं दिया। नये-नये लोग हैं उन्होंने छोटे-छोटे काम शुरू किये हैं।

तेल का उद्योग है, पहले उसको थोडा संरक्षण मिलता था वह भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की पॉलिसी से खत्म हो गया। अब आपकी जो सैल्स टैक्स की पोलिसी है उससे तेल-उद्योग खत्म हो जायगा, क्योंकि सरसों पर सेल्स टैक्स लगा दिया है, तिल पर लगा दिया है। पहले के मुकाबले में अब सरसों भेजना मुनासिब समझेंगे, तेल से नुक्सान होगा। तो डेवलपमेन्ट थोडा बहुत हो सकता था वह अब नहीं होगा। मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान सरकार को इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेन्ट के लिये विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिये हाउस की एक कंसल्टेटिव कमेटी मिनरल और इन्डस्ट्रीज दोनों के ऊपर सही माने में सलाह मिल सके इसके अनुसार सरकार को बनानी चाहिये ताकि ठीक तरह से ध्यान दिया जा सके और हम कुछ कर सकें। आखिर जितना भी हम थोडा बहुत खर्च करते हैं उसका भी दुरुपयोग होता है, गबन होता है उस पर सरकार हमारी आंख मूंदे रहती है तो जितना पैसा है वह नाली में बह कर चला जाता है और जनता को उसका उपयोग नहीं मिलता है।

इस सदन में कई बार जिक्र किया बस्सी पंचायत समिति की अनियमितताओं का। यह एक नेल पंच है जो १) रु० में बाजार में आता है, उसको ६६) रु० में बाजार में खरीदा है। यह एक डिजाइन कार्ड है (हाउस को दिखाते हैं) अधिक से अधिक एक आने में बाजार में आ सकता है जो ११) रु० में खरीद किया गया है। इसी तरह से यह एक दिया है मिट्टी का, एक मिट्टी का दिया ११) रु० में खरीदा गया है जो एक एक पैसे में या दो दो पैसे में बाजार में मिल सकता है। इसी तरीके से यह फिल्टर पेपर है जो बाजार में चार नये पैसे में मिलता है और ८० नये पैसे में खरीद होकर वहां पर आया है। यह पंचायत समिति का सारा रेकॉर्ड देख सकते हैं, २ लाख रुपयों का गबन इस पंचायत समिति के

Page No 117

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अन्दर है। इस गबन की शिकायत बार-बार सरकार के पास आई है, उद्योग विभाग के पास आई है, लेकिन वहां पर कोई कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट ऑफिसर या चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं वे हमारे आई. जी. साहब के सुपुत्र बताये जाते हैं, वे धौंस-डपट पर रहते हैं। वे कहते हैं कि किसी का कुछ होने नहीं देंगे। आप ताज्जुब करेंगे कि इस पंचायत समिति ने एक फर्म से ८,३४३) रु० का यह सामान खरीदा और ऑडिटर्स का यह कहना है कि १०००) रु० से ज्यादा का यह सामान नहीं है। ऐसी ऐसी फर्म्स से यह सामान खरीदा गया है जिनके कोई वजूद नहीं है। गलत नाम से टेन्डर दे देते हैं। एक फर्म ने ८.७५ न. पै. का टेन्डर दिया, दूसरे ने १५ रु० ६ न. पै. का टेन्डर दिया। जिसने १५.६ न. पै. का टेन्डर दिया उसका कोई वजूद नहीं, सत्यनारायण राधेश्याम, चांदपोल बाजार, उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिसने ८.७५ न. पै. का टेन्डर दिया उसको कहा गया कि यह बोगस फर्म है, जब कि वह फर्म मौजूद है, उसका टेलिफोन मौजूद है, उसको कह दिया कि यह बोगस है और सत्यनारायण राधेश्याम का १५.६ न. पै. का टेन्डर मंजूर किया। वहां के प्रधान हैं श्री मालीराम गुप्ता। पुराने कांग्रेसी वर्कर हैं। उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी बडी पेथेटिक और कहा कि वे इतने वर्षों से कांग्रेस के मेम्बर हैं, उन्होंने १७ चिट्ठियां लिखीं, रिमाइन्डर्स लिखे लेकिन उन पर कुछ कार्यवाही नहीं होती और इस मामले को दबाया जाता है।

तो इस तरीके से जहां दो दो लाख के गबन की बात है लेकिन ज्यादातर ऑफिसर्स इन्डस्ट्रीज विभाग, उनकी तरफ है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये हमारी सरकार से कि चाहे कोई क्यों न हो इस तरह के गबन के मामलों में सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। मालीराम गुप्ता ने कई बार लिखा कि जो क्लर्क्स और ऑफीसर्स इससे संबंधित हैं उनका वहां से तबादला कर दो, लेकिन नहीं किया गया और जब यह डिक्लेयर किया कि इन्डस्ट्रीज की ब्रान्च वहां नहीं रहेगी तो अब उनको वहां से हटाया गया है। ऐसी स्थिति में किस तरह से इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कर सकेंगे।

इन सब के साथ एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं सवाई माधोपुर की फैक्ट्री के बारे में। पहले भी कहा था कि इसका राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है। इसमें डेढ करोड का केपिटल है। विवियन बोस की रिपोर्ट के बाद श्री शान्तिप्रसाद जैन के बारे में इतने खतरनाक रिमार्क्स हैं कि जिनके कारण इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स के लोगों ने कहा है कि वे चेम्बर के प्रेसिडेन्ट नहीं रहने चाहियें। इसके लिये लोगों ने मेम्बरशिप से इस्तीफे दिये हैं, ऐसे आदमी के रहते हुए हम नहीं रहेंगे। ऐसे आदमी सीमेन्ट फैक्ट्री के मालिक हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी आवें और उनके घर में ठहरें कलकत्ता में। जिनके खिलाफ इस प्रकार के रिमार्क्स हैं यह शोभा नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के घर में ठहरना उचित नहीं है। इस फैक्ट्री का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। इन शब्दों के बाद मैं अपना भाषण खत्म करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मैं अपने सारे कट मोशन्स एक साथ मूव करूं.....

श्री उपाध्यक्ष : Please make your speech as brief as possible.

श्री केदारनाथ : यह मानते हुए कि राजस्थान स्टेट ....

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट में आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री केदारनाथ : इन्डस्ट्रीज की दृष्टि से बहुत बेकवर्ड हैं। हमारे यहां जो डेवलपमेन्ट हुआ वह अन-ईवन और अन-बेलेन्स्ड हुआ। यदि कोई इसका शिकार हुआ तो गंगानगर जिला सबसे पहले हुआ। मैं समझता हूं, सबसे पहली केज्युअल्टी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। आज तक वहां राजस्थान के इन्टीग्रेशन के बाद कोई इन्डस्ट्रियल युनिट नहीं बना। एक इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने की बात आई लेकिन उसका काम शुरू नहीं हुआ। मैं अपने आपको शूगर फेक्ट्री तक ही सीमित करता हुआ कहूंगा कि शूगर प्रोडक्शन में कमी हुई, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस पर कभी गौर नहीं किया। वहां के केन ग्रोअर्स की क्या डिमान्ड है इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उनको वक्त पर पानी नहीं मिलता है। सीडं और फर्टीलाइजर का सही वितरण नहीं होता। वहां पर स्पेशल तरीके से जो बीमारी गन्ने में पैदा हुई है उसकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

दूसरी चीज यह है कि राजस्थान सरकार ने गुजरे तीन साल पहले ऐलान किया था कि हम अपनी शूगर फेक्ट्री के मजदूरों को मेनेजमेन्ट में शेयर देंगे। मुझे याद है तीन साल पहले माननीय श्री गुलजारीलालजी नंदा ने इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि गंगानगर शूगर फेक्ट्री एक ऐसी फेक्ट्री है जहां के मजदूरों को मैनेजमेन्ट में हिस्सा दिया है, लेकिन वहां के मैनेजमेन्ट में आज तक मजदूरों को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। यदि वह यूनियन हिन्द मजदूर संघ से एफिलियेटेड होता तो वह हिस्सा न देने का कारण होता।

यदि वह ट्रेड यूनियन कांग्रेस से एफिलियेटेड होती तो मैं मानता कि सरकार ने मान्यता नहीं दी। वह यूनियन कांग्रेस यूनियन से एफिलियेटेड है, उस यूनियन के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी कांग्रेस के एक्टिव वर्कर्स हैं लेकिन उसको आज तक मान्यता नहीं दी है। हमारे इलाके की एक विशेष समस्या है कि जब कभी किसी कमेटी में किसी व्यक्ति को नोमीनेट करने का प्रश्न आता है तो हमारी केबिनेट में एक क्राइसिस पैदा हो जाती है। बांसवाडे में चीफ मिनिस्टर को इन्टरवीन करना पडा। Central ट्रंक से Co-operative Bank गंगानगर के लिये Chairman को Director पद के चुनाव की इजाजत दी गई जो डाइरेक्टर, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में इस शूगर फेक्ट्री के लिये लेते हैं, उसे डिपार्टमेंट की तरफ से न लेकर आप यूनियन की तरफ से किसी मजदूर को वहां नुमाइन्दगी करने के लिए नोमीनटकर दें ताकि आपका यह सरदर्द बन्द हो जाय और इलाके के लोग जो चीफ मिनिस्टर को तंग करते हैं, कन्सर्न्ड मिनिस्टर को तंग करते हैं, कभी किसी नेता को तंग करते हैं—उस सबकी परेशानी से बच जायेंगे। इसलिए आयन्दा के लिए यूनियन में से किसी को नोमीनेटकर दें, यूनियन को कहें कि डाइरेक्टर तुम्हारी तरफ से लिया जायगा, वह चाहे किसी का नाम डाइरेक्टर के लिये भेज दें।

(श्री केदारनाथ)

इसके अलावा आज तक शूगर वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं। यह दो साल पहले की बात है, जब इस बोर्ड की सिफारिशों को पालियामेंट ने पास किया, स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया, लेवर डिपार्टमेंट ने जिसके लिए लिखा, लेकिन आज तक इस पब्लिक सेक्टर पर वह शूगर वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं—डीअरनेस अलाउन्स के बारे में, fixation of pay के बारे में, और बोनस के बारे में । इसके अलावा उसके चीफ इन्जीनियर नये आ गये हैं, जनरल मैनेजर नये हैं, उनके टाइम में, मैं समझता हूं कि काफी सैड स्टेट एफेअर्स की स्थिति वहां पर डेवलप हो गई है । हमारे इलाके में लेबर काफी मिलता है, लेकिन वे यू० पी० से लेबर लाते हैं । वहां जो तब्दीलियां होती हैं, जो नई पोस्ट क्रियेट की जाती हैं, लेकिन जो वहां के पहले के लोग ट्रेन्ड हैं, उनको मौका न देकर वे यू० पी० से आदमी ला रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह सरकार के ध्यान में है और सरकार को लाजिमी तौर पर कार्यवाही करनी चाहिए ।

इसके अलावा मैं डिस्टीलरी के बारे में अर्ज करूं कि इस डिस्टीलरी में एक रोहदास शंकर है, उनके खिलाफ हमारी शिकायत है, हमारी यूनियन की शिकायत है, और जनरल मैनेजर की शिकायत है । उसकी कई चोरियां पकडी गई हैं। उसके ट्रान्सफर आर्डर्स हो गये हैं, लेकिन वे अभी तक एक्जीक्यूट नहीं हुए हैं । मैं समझता हूं कि चोरियां होती हैं, स्केन्डल्स होते हैं, मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें बाहर से लाकर एम्पलाय करते हैं । इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, वह शूगर केन ग्रोअर्स को प्रोत्साहन नहीं दे रहा है । आप कह सकते हैं कि गन्ने की कीमत बढ गई है, गन्ना मिलता नहीं है । मैं समझता हूं कि सरकार का यह कर्त्तव्य था कि पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए, उसकी प्रोसपेरिटी को ध्यान में रख कर केन ग्रोअर्स की प्रोब्लम्स का भी ध्यान रखना चाहिए था ।

क्योंकि अब समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं फर्टीलाइजर फैक्ट्री, हनुमानगढ के बारे में । चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया था दो दिन पहले, वह सेटिस्फेक्ट्री नहीं है, क्योंकि एक गर्जसिहपुरा में शूगर फैक्ट्री का नया प्लान्ट खोलने के लिए आज से चार साल पहले शेअर्स फ्लोट किये गये थे । वहां की पब्लिक ने दो लाख के शेअर्स खरीद लिये। उसमें शर्त यह थी कि उस योजना के लिए आधे शेअर्स सरकार खरीदेगी और आधे पब्लिक खरीदेगी । लेकिन मैं अब नहीं समझ पाता कि उस योजना का क्या हुआ, न उसके बारे में कुछ पेपर्स में दिखता है और न कभी किसी मिनिस्टर के भाषण में उसका जिक्र हुआ । इस लिए यह कहते हुए·····

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): कौनसी शूगर फैक्ट्री के लिए ?

श्री केदारनाथ : गर्जसिहपुर । इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इस इन्डस्ट्री में, शूगर फैक्ट्री में पंचायती राज्य शुरू करें, डेमोक्रेसी के एलीमेंट को शुरू करें । यह मेरी मान्यता है । दूसरे आइन्दा डाइरेक्टर का नोमीनेशन करने का हक यूनियन को मिले, इस बात की दर्ख्वास्त करता हूं । इसके अलावा हमारा इलाका हमेशा से निगलेक्टेड रहा है, यह

(श्री केदारनाथ)

हमारे इलाके ने इलेक्शन में मन्शा जाहिर करदी है, इमर्जेन्सी के टाइम में इस मन्शा को जाहिर कर दिया है । इसलिए जो राजस्थान की सरकार की गलती है, अब भी उसको सम्भाल ले । यह सरकार न समझे कि फलां आदमी को नुक्सान पहुंच जायगा । पन्द्रह-बीस आदमियों पर असर पड़ने वाला है । अगर पडता भी है तो भी राजस्थान हमारे इलाके की तरफ ध्यान देकर जस्टिस करे ।

श्री उपाध्यक्ष: सरकारी पक्ष.....

श्री सांवलियाराम (रूपवास–सु०). उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि पांच बजे तक का समय माननीय सदस्यों के लिए था बहस करने के लिए, उसके बाद का समय हमारे लिए था, कि जो मुद्दे उठाये गये हैं उनका उत्तर दे सकें। मैं समझता हूं कि....

श्री रामकिशन (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, नये हैं, पहली दफा बोल रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा: नये हैं और डिमान्ड पर बोल लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष: सरकारी पक्ष का जवाब हो ।

श्री सांवलियाराम : पांच मिनट का समय तो दिया जाय । मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय उपाध्यक्ष।

श्री सांवलियाराम : पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पांच मिनट के बाद तो आखिरी बात होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ करें । पांच मिनट ।

श्री सांवलियाराम: उपाध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग के द्वारा भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं, कि रूपवास तहसील के अन्तर्गत बांसी पहाड में एक पत्थर उत्पादन केन्द्र है वहां सीमा से अधिक इस तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि बारबार वहां ठेका उन्हीं ठेकेदारों को दे दिया जाता है, जो पहले से मोनोपोली जमाये हुए बैठे हैं । वे विभाग के द्वारा मोनोपोली जमाये हुए बैठे हैं । वहां की रहने वाली जनता सेन्ट पर-सेन्ट मजदूरी पेशा करने वाली है । ठेके के मौसम में वहां की जनता ठेका लेना चाहती है, लेकिन उनके द्वारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी बना लिये जाने पर भी उन्हें ठेका न दिया जाकर उन्हीं ठेकेदारों को दे दिया जाता है । यह बहुत ही बुरी बात है ।

इसके अलावा जो खान का एरिया है, उसकी नाप-तौल करके देखें तो मालूम होगा कि वह बढा-चढा कर काम में ले रखी है । ये सारी बातें वहां की बहुत दुःखदायी हैं । इसके अलावा जो पत्थर डालने के गोदाम हैं उनके बारे में सरकार को इसलिये बताना चाहता हूं, क्योंकि उससे सरकार को नुक्सान होता है । अगर वहां को-आपरेटिव सोसाइटी को ठेका दे दिया जाय तो उससे मजदूरों को फायदा मिले और सरकार को भी फायदा मिले और सुविधा से काम चल सके, और कोई बाधा भी नहीं आये। जिस एरिया में पत्थर डाले जाते हैं वह एरिया लाखों रुपये की कीमत का है । सरकारी

(श्री सांवलियाराम)

जमीन है, उसे मेरे ख्याल से तोन महीने हुए तब तीन हजार की कीमत में दे दी गई थी । उन ठेकेदारों ने वह रुपया, जो जमीन की कीमत थी, अदा कर दिया और उसमें पत्थर जमा कर रखे हैं । इससे सरकार को नुकसान हो रहा हैं । और साथ ही, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर गरीबों का शोषण भी हो रहा है । वहां की खान पर काम करने वाले करीब पांच सौ मजदूर हैं । उन्हें न तो सही तनख्वाह मिलती है, और न सही रेट पर मिलती है और न सही तारीख पर मिलती है । नियमों के मुताबिक उन्हें आठ दिन में तनख्वाह मिलनी चाहिए लेकिन तीन-तीन महीने हो जाते हैं उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है । इसके अलावा उन्हें गाली-गलौज और खानी पड़ती है । इस तरह का जो वहां भ्रष्टाचार है, उसको रोका जाय । इसके लिए मैं आगाह करना चाहता हूं । वहां अभी एक बात और हुई है कि जो मजदूरों का शोषण करते हैं, वे इस किस्म के गुंडे आदमी हैं जो गरीबों को पपीहा की आवाज में बोल कर बुलाते हैं और कहते हैं, तुमको समय पर उचित तनख्वाह मिलेगी, हम काम करने के टाइम निर्धारित करेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जब उनकी आवाज ठेकेदार साहब के मुनीम सुनते हैं तो वे अपनी तरफ खींचते हैं । वे किसी को मकान बनाने का पत्थर इस प्रकार से देते हैं, किसी को १००) रु० महीना मजदूरों का गला काट कर देते हैं जिससे उनको फायदा रहता है । भरतपुर में पत्थर आते हैं वंशी-महापुर से। इस तरह वहां जो अव्यवस्था हैं उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं । वहां पर मजदूरों का शोषण होता है, विभाग की सहायता से होता है । मैं यह इसलिए बताता हूं कि अधिकारी खनिज विभाग के हैं वे अपने इस डिपार्टमेंट की देख रेख सतर्कता करें से और जो लेबर के रजिस्टर हैं, उनको चेक कराया जाय ।

इसके अलावा उचित तनख्वाह उचित टाइम पर देने की व्यवस्था की जाय । इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो एक मिनट भी नहीं हुआ है ।

तो मैं सरकार का ध्यान, आपके द्वारा, इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा ? होगा यह कि जो आप यह नारा लगाते हैं कि गरीबी को देश से दूर करने जा रहे हैं, वह गरीबी आपसे दूर नहीं होगी । अगर आपको गरीबी दूर करनी है है तो पहले आप अमीरों के साथ पक्षपात किया जाता है, उसको दूर करवाइये। उसके बाद गरीबी दूर होगी । इतना कहते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री **चन्दनमल बैद** (उप-मंत्री, उद्योग): उपाध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । जो दो चार मुद्दे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में उठाये गये हैं, उनके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं । एक मुद्दा बस्सी पंचायत समिति के बारे में उठाया गया और यह आरोप लगाया गया कि उसके सम्बन्ध में कोई कार्य-वाही नहीं की जा रही है, और उसमें गम्भीर

Page No 122

(श्री चन्दनमल बैद)
तरह के एम्बेजलमेंट हो रहे हैं । मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसमें जांच की गई है, चार ऑफिसर अन्डर सस्पेन्शन हैं और इन्क्वायरी चल रही है । उन आफिसर्स को चार्ज शीट दे दी गई है । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है, जांच की गई है, इसमें कोई छिपाने की या दबाने की बात नहीं है । जो भी बात हमारी नजर में आती है, उस पर पूरी कार्यवाही की जाती है । इस बारे में यह कहना गलत है कि कार्यवाही नहीं की जा रही है । इस मामले में बहुत पहले चार ऑफिसर्स को सस्पेन्ड कर दिया गया है और इन्क्वायरी चालू है..............

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह इन्क्वायरी कब से चल रही है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह इन्क्वायरी कब से चल रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : ११-१-६३ को चार्ज शीट दी गई है ।

श्री भैरोंसिंह : इन्क्वायरी कब से चल रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : ११-१-६३, आपको बता रहा हूं........

श्री भैरोंसिंह : इन्क्वायरी कब से की गई है ?

श्री चन्दनमल बैद : उनको १८-४-६२ को सस्पेन्ड किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : और तब से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री चन्दनमल बैद : चार्ज शीट दे दी गई है और........

श्री भैरोंसिंह : १९६२ से १९६३ तक एक वर्ष के पीरियड में सिर्फ चार्ज शीट दी गई है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह जो आरोप लगाया जाता है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, उसके सम्बन्ध में बता रहा हूं कि चार ऑफिसर्स को सस्पेन्ड कर दिया गया है और इन्क्वायरी चालू है । इसलिए यह कहा गया कि मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं यह चीज सही नहीं है । यह हो सकता है कि इन्क्वायरी आठ महीने के बजाय चार महीने में हो सकती थी । यह बात ठीक है, लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि जो गम्भीर तरह के एम्बेजलमेंट हुए हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं यह सही नहीं है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि पीतल के शीट्स ऑफ सर्कल्स डीलिवर करते हैं उसके बारे में यह आरोप लगाया गया कि उसमें सरकार रौलिंग मिल्स को नाजायज फायदा दे रही है और दुकानदारों को माल नहीं देती ।

श्री रामकिशन (वैर): १९ लाख रुपयों के बारे में......

श्री चन्दनमल बैद: मैं यह बता रहा हूं कि बराबर भारत सरकार से हमारे पास इस सम्बन्ध में पत्र आते रहे हैं कि देश में कॉपर और जिन्क की कमी होने से बर्तन बनाने वालों को कॉपर और जिन्क बन्द कर दिया जावे । तो उसके अनुसार कोटे को दिनों-दिन घटाते जा रहे हैं । मगर फिर

(श्री चन्दनमल बैद)

भी हमने दुकानदारों को कोटा उपलब्ध किया है, और उनको सहूलियतें दी हैं बजाय उनको यह देना बन्द करने के । हमने रॉलिंग मिल्स को अलग और बर्तन बनाने वालों को अलग कोटा नहीं देकर दोनों का एक ही कोटे से काम चलाना चाहते हैं । पहले रॉलिंग मिल्स अपने मनमाने भाव से बेचती थी ६ या ७ रुपये भी ले लेती थी मगर अब वह अपने मन माने भावों में नहीं बेच सकती है । हमने यह सोचा कि दुकानदारों को और खरीदने वालों को यह माल सस्ते भाव से मिल जावे इसके लिये रेट्स फिक्स कर दिये । अगर मैं आपको आंकडे बताऊ तो आपको मालूम होगा कि रॉलिंग मिल्स का कोटा हमने उल्टा घटाया है क्योंकि उनके ही कोटे से दूसरे दुकानदारों को यह कोटा दिया गया है । इसलिए यह कहना कि रॉलिंग मिल्स वालों को कोटा दिया जावेगा और दुकानदार बेकार हो जावेंगे—ऐसी बात नहीं है । हमने बर्तन बनाने वालों को भी दिया है ।

मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अभी यह कहा गया है कि जो ४ रुपये की रेट फिक्स की है, वह कम है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमने दोनों पार्टीज यानि रॉलिंग मिल्स और दुकानदारों को सुन कर यह रेट फिक्स की है । इसके अलावा यह बात भी नहीं है कि भाव बंध गये सो बंध गये और उसके बाद कमी—बेसी नहीं हो । यह तो हो सकता है । अगर अभी भी बर्तन बनाने वाले यह समझते हों कि उनको ऊंची रेट पर शीट्स दिये जा हैं और उनको नीची रेट पर मिल सकते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है । मगर मैं यह कहूंगा कि जहां तक हमने इस सम्बन्ध में जो तरीका अपनाया है वह बहुत अच्छा है । हमने मिल्स के कोटे से बर्तन बनाने वालों को कोटा दिया है और मैं समझता हूं कि इसके लिये माननीय सदस्यों को उल्टी तारीफ करनी चाहिये कि बजाय बर्तन बनाने वालों को कोटा बन्द करने के हमने दिया है ।

श्री रामकिशन : रेट्स का फर्क है ।

श्री चन्दनमल बैद : वही मैं अर्ज कर रहा हूं । हमने ४.३१ नये पैसे पर—किलो के रेट्स रखे हैं ।

श्री रामकिशन: ४.६६ नये पैसे होते हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : यह एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद होते हैं । वह तो देनी ही पडती है । वह तो किसी के घर में नहीं आता है । हमने रेट्स ४.३१ नये पैसे रखी है । पहले ५ रु०, ५ll) रु० तक बेचते थे । आज हमने रॉलिंग मिल पर चैक लगा दिया है । अभी भी अगर बर्तन बनाने वाले यह समझते हों कि उन्हें सस्ती दरों पर शीट्स ऑफ सर्कल्स मिल सकते हैं तो हम उनको वाजिब रेट्स से माल दिलाने को तैयार है । लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमने एक ही कोटे से रॉलिंग मिल्स और बर्तन-बनाने वालों को खुश रखा है और सेटिस-फाई कर रहे है । पहले यह हमेशा शिकायत बर्तन बनाने वालों, ठठेरों की रही कि उनको माल नहीं मिलता है, उनको आज सबको माल मिलता है ।

श्री रामकिशन : आप यह ४.६६ नये पैसे पर-किलो चार्ज करते है, इसको कैसे चैक—अप करते है ?

श्री चन्दनमल बैद: प्रोफिट पर चैक किया है।

श्री भैरोंसिह: आपने वही मुकर्जी एन्ड कम्पनी को जिस रेट्स से माल दिया है वह आप उनके पिछले रेट्स को देखें तो आपको मालूम होगा। आपने उनको १२ आन के भाव से दिया और उन्होंने उसको ४।। के भाव से बेचा। जब शीट्स-ऑफ-सर्कल्स बन गये तो १०९ किलोग्राम ७८) रु० में दिये और अब जो देते है ४ रु० ६ आने में-यह जो रेट है बिल्कुल ब्लेक से मिलती जुलती है।

श्री चन्दनमल बैद: मैंने आपसे निवेदन किया कि यदि अभी भी कोई दुकानदार बर्तन बनाने वाला यह कहे कि भाव ऊंचे है तो हम उनको सुनने के लिए तैयार हैं और इस केस को री-ओपन करने के लिये तैयार हैं। हम यह चाहते है कि उनको सस्ते भाव में माल मिल जाय। मैं यह कहूंगा कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे यह कहा जा सके कि रॉलिंग मिल्स को फायदा पंहुचाया हो। हमने तो उसका उल्टा कोटा कम किया है और दिन ब दिन कम करते जा रहे है। भारत सरकार के पत्र के अनुसार ठठेरों को कोटा नहीं दिया जा सकता था, मगर हमने रॉलिंग मिल्स के कोटे से ठठेरों को भी कोटा दे दिया है। यह मैं समझता हूं कि हमने अच्छा कदम उठाया है। खराब कदम नहीं उठाया है।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि रॉ मेटीरियल जिन जिन फैक्ट्रीज को दिया गया है, आशा तो यही करते हैं कि वे सब उसका सदुपयोग ही करते हैं। मगर मैं यह नहीं कह सकता कि वे उसका सदुपयोग करते है या नहीं। लेकिन मैं इतना माननीय सदस्यों से अवश्य निवेदन करूंगा कि अगर किसी माननीय सदस्य की नजर में ऐसी कोई बात हो कि कोई फैक्ट्री उसका सदुपयोग नहीं करती है तो वे मुझे बतावें, हम जांच करेंगे। अगर वे हाउस में नहीं बताना चाहें तो बाद में बता सकते हैं। कोटे का मिसयूज करने वालों के खिलाफ हम हमेशा कदम उठाने के लिये तैयार रहते हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): पहले कभी आपने जांच की है या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद: पहले जितनी शिकायतें आई उन पर मैंने खुद ने जांच की है और सरप्राइज विजिट से चैकिंग किये हैं, और अब भी मैं इसके लिये तैयार हूं। आप कोई भी स्पेसिफिक इन्सटांस बतावें कि फलां इन्डस्ट्री ने कोटा और लोन का मिसयूज किया है, या कर रही है तो मैं जांच करूंगा। जब कभी इस प्रकार की बात हमारे सामने आई है तो हमने फौरन जांच की है। अगर आप इस प्रकार की बात बतायेंगे तो हम जांच करने के लिये हमेशा तैयार हैं। जयपुर और सीकर में सरप्राइज चैक किया है। यह मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि हमारी कतई भावना नहीं है कि जो कोटा और लोन दिया जाता है उसका मिसयूज हो। हमारी यही भावना रही है कि जो कोटा दिया जाता है उसका प्रोपर यूज हो।

श्री **भैरोंसिह**: आपने जयपुर के सारे इन्डस्ट्रीयल यूनिट्स देख लिये हैं ? आपके ध्यान में कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसने कोटा और लोन का मिसयूज

Page No 125

(श्री भैरोंसिंह)
किया हो ? अगर नहीं आया तो मैं आपको नाम बता दूंगा ।

श्री चन्दनमल बैद : सबका तो नहीं लेकिन बहुत सी जगह मैंने सरप्राइज विजिट की । मैंने देखा कि कुछ मिलें ऐसी हैं जिनको जो कोटा मिलता है उससे ज्यादा मिलना चाहिये और कुछ को ज्यादा मिलता है उनको उतना नहीं मिलना चाहिये । मगर अभी तक कोई यूनिट ऐसा नहीं मिला जिसने कोटे का मिसयूज किया हो । आप बता दें तो मैं जांच कर लूंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में आपने घोषणा की थी कि मिनरल का कोटा देने की समस्या को हल करने के लिये एक कमेटी बनाई जावेगी । उस कमेटी ने पिछले वर्ष में कितना काम किया ? कमेटी बना दी गई या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कोई इस प्रकार की घोषणा नहीं की थी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने ही की थी ।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने नहीं सदन के नेता ने की थी और मैं यह बता देना चाहता हूं कि वह कमेटी बन चुकी है और अपना कार्य कर रही है । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी नहीं दी है ।

श्री भैरोंसिंह : चन्द्रा इन्डस्ट्री आपने देखी है ?

श्री चन्दनमल बैद : आपने बता दिया है तो मैं देख लूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा (रायसिंहनगर): मैं माननीय मंत्री को ४० शेड्स की लिस्ट देता हूं जिसमें उन्होंने कोटा दिया उसका मिसयूज किया है और साबित कर सकता हूं ।

श्री चन्दनमल बैद : आप ४० शेड्स की लिस्ट बता रहे हैं ! यह मैं समझता हूं कि जयपुर में ४० शेड्स नहीं हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये ४० शेड्स सारे राजस्थान के हैं । आज आप उसका पता नहीं लगा सकते कि कहां-कहां कोटा दिया जाता है उसका मिसयूज होता है ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपका बहुत आभारी हूं । इसकी जांच करूंगा और जो रिपोर्ट होगी वह आपको बताऊंगा ।

एक बात और उठाई गई कोयले के बारे में। मैं मानता हूं कोयले के बारे में अभी तक हमारी स्थिति संतोषजनक नहीं थी । कोटे की भी कमी थी और वैगन सप्लाई की पोजीशन भी टाइट थी, पर पिछले कुछ अर्से में वैगन सप्लाई बढी है । और कोटा भी बढा है और यही स्थिति रही तो इस स्थिति में काफी सुधार होगा । नौहर-भादरा का सवाल उठाया गया । नौहर-भादरा में हम बराबर कोयला दे रहे हैं पर जितना सीमित कोटा था उसी माफिक हम दे रहे हैं । मैं कोशिश करूंगा कि जैसा हमारा सीमित कोटा है, वैगन सप्लाई बढी है, कोटा बढा है, और पोजीशन इम्प्रूव हो रही है । जहां जहां कमी है और मांग की गई है वहां मुहैया किया जायगा ताकि आयन्दा हमारे यहां कोयले की दिक्कत नहीं हो ।

मैं मानता हूं कि जयपुर में इन दिनों में कमी रही, फरवरी का कोटा लोड नहीं हुआ जिससे जयपुर में कोयले की कमी रही पर अब ब्रोड गेज के २५ वैगन और मीटर

(श्री चन्दन मल बैद)
गंज के ५० वैगन उपलब्ध हुए है और अप्रेल में जयपुर में कमी नहीं रहेगी और दूसरे शहरों में भी कमी नहीं रहेगी। और भी कोयला हैं वह काफी मिकदार में आने वाला है और मैं समझता हूं कि कोयले की पोजीशन भी जैसे सीमेन्ट की पोजीशन सुधरी है, सुधरेगी।

एक चार्ज मेरे ऊपर यह लगाया गया कि चुरू जिले में सीमेन्ट की पोजीशन सुधरी है और गंगानगर में सीमेन्ट की पोजीशन नहीं सुधरी। मैं खुद गंगानगर गया था और वहां मुझे एस. डी. ओ. ने बताया, पं० जवाहरलाल नेहरू की विजीट हुई उस समय एस. डी. ओ. ने मुझे बताया कि १० हजार बोरी सीमेन्ट की पडी हुई हैं। तो सीमेन्ट का राजस्थान में सुधार हुआ है। हो सकता है थोडे फैक्ट्स रह गये हों, उनके संबंध में मुझे सूचना दी जाय। मैं माननीय सदस्यों का आभारी होऊंगा और निश्चित रूप से इस बारे में सुधार करूंगा।

एक बात मैं थोडी सी अर्ज करना चाहता था कि आज मुझे सचिव विधान सभा की तरफ से नोटिस मिला है कि माननीय जन संघ के नेता ने जय इंडस्ट्री से मेरा संबंध जोडा है और उसके बारे में वे कुछ कहना चाहते है, अगर मुझे एतराज नहीं हो तो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सदन में इस बारे में जरूर वाद-विवाद हो····

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :– कितना कोटा मिला ?

श्री चन्दनमल बैद: माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इस बात का दुःख है कि मुझे यह नोटिस देकर मेरे गले पर यह तलवार लटका कर मुझे दबाना चाहते हैं पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जिनको डरा-धमका कर नाजायज फायदा उठा ले।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं अपनी ही चीज पर अडिग रहूंगा और मैं उन्हें बता दूं कि मैं किसी दवाब में आकर कोई बेजा काम नहीं करूंगा, यह निश्चित रूप से मान कर चलें।

(शोर-गुल)

मैं किसी बेजा दवाब में आकर बेजा काम नहीं करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, अगर यह बात नहीं होती तो क्यों नहीं माननीय सदस्य ने सदन में यह प्रश्न उठाया, उनको कोई नाजायज फायदा नहीं उठाने दिया जायगा·····

श्री भैरोंसिंह : जब आप डिप्टी मिनिस्टर नहीं थे तो आपके मकान पर बोर्ड लगा हुआ था, जो इंडस्ट्री आपके भाई की है, आपके भाई की इंडस्ट्री का बोर्ड मैंने देखा है, विधान सभा के माननीय सदस्यों ने देखा है।

श्री चन्दनमल बैद : अगर कोई मेरा भाई है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको राजस्थान में धन्धा करने का अधिकार नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तो आप नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री नहीं। आप बताइये कि कितना कितना कोटा दिया ? माननीय उपाध्यक्ष, मुझे बोलने का मौका दीजिये. . . .

श्री उपाध्यक्ष : This question can b rately discussed.

श्री चन्दनमल बैद : No, Sir when he has given me a written notice that he will raise the subject in the House If he did not raise the subject on the floor of the House, it is my duty to inform the House that I had been informed of the subject but it has not been discussed in the House. Why did he not raise it ? He was there in the House why then the notice was given to me ?

श्री भैरोंसिंह : टाइम नहीं मिला। अब मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे ५ मिनट का टाइम दें। मैं इस संबंध में बतादूं, माननीय उप-मंत्रीजी को जो जोश आ रहा है, उसको ठंडा कर दूं····

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order ! Order ! please ! अब समय तो हो चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह नहीं कह सकते कि······

(बहुत से माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(शोर गुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य का आक्षेप है तो वह स्पष्ट हो जाना चाहिये····

श्री चन्दनमल बैद : Yes, it is a challenge. He should have raised this subject on the floor of the House. Why did he not do it ?

माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इसके बाद और कुछ नहीं कहना है, इसके बाद में इजाजत चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : रोक साल्ट का भी नोटिस है, उसका भी कह दीजिये। उसका भी नोटिस मिला हुआ है, इसके लिये क्यों नहीं बोलते ?

श्री रामकिशन (वैर): हनुमानगढ़ साल्ट पिट्स का जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order please !

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्षजी, इस सदन में ३ डिमाण्ड्स एक साथ पेश हुई हैं। समय कम होने से मैं समझता हूं जितना वाद-विवाद का अवसर मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाया। जवाब में भी ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।

इस सदन में माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में विशेष तौर से काफी चर्चा हुई और माननीय सदस्यों का यह ख्याल है कि माइनिंग डिपार्टमेंट के जरिये हम राजस्थान में आज जो घाटा है उसकी बहुत कुछ पूर्ति कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान में खनिज संपदा हमारी एक बहुत ही महत्व-पूर्ण निधि है और समय के साथ इससे हमारे यहां की आमदनी भी काफी बढ़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, माइनिंग डिपार्टमेंट में जो कुछ किया जा रहा है उसकी एक बुक-लैट सर्कुलेट की गई है सबके पास, उससे जाहिर हुआ होगा कि मेजर मिनरल्स में जो पहले आमदनी थी उसमें हमने काफी वृद्धि की है और माइनर मिनरल्स में ३८ पर्सेंट फायदे की विगत ४ वर्षों में प्रगति हुई है। ५८ में मिनरल्स से राजस्थान में ५९,२६,२०८ रु० की आमदनी थी वह ६१-६२ में बढ़ कर ९८,५३,८०२ रु० के करीब यहां पर पहुंची है। मैं समझता हूं कि करीब ३ वर्ष की अवधि में ४० लाख की वृद्धि इस एक

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

विभाग में होना मेरे ख्याल से एक संतोषप्रद वृद्धि कही जा सकती है। माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में दो प्रकार की स्थिति है। एक तो ऐसी मिनरल्स जो आम तौर से लोगों की जानकारी में है और एक ऐसी मिनरल्स जिनके बारे में खोज करने और उस पर आधारभूत उद्योगों को राजस्थान में संगठित करने की आवश्यकता है। जहा तक राजस्थान में खनिज संपत्ति का सवाल है, दुर्भाग्य से काफी होते हुए भी पहले से सर्वेक्षण की जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। हमने इन वर्षों में सर्वेक्षण का कार्य चालू कर रखा है। भारत सरकार का ज्योलॉजिकल और मिनरल ब्यूरो है, उससे भी ज्यादा राजस्थान के बारे में सलाह, मदद ली जा रही है। उन्होंने बहुत जगह राजस्थान में अपना काम फैलाया है।

पैट्रोलियम के बारे में कहा गया है कि राजस्थान में पैट्रोलियम की काफी संभावना है। तेजी से काम होना चाहिए। शायद सदन को मालूम है कि पैट्रोलियम के संबंध में मैं भारत सरकार के सामने आज नहीं कई वर्षों से जोर देता आ रहा हूं कि राजस्थान में पैट्रोलियम के संबंध में सर्वे इंवेस्टीगेशन होना चाहिए। खुशी की बात है कि फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ भारत सरकार ने इस बात का निर्णय कर लिया है और ४ करोड़ रुपये की फॉरेन एक्स्चेन्ज उपलब्ध होगी, पैट्रोलियम की सर्वे राजस्थान में करने के लिए। इस साल जो सर्वे पार्टी आई है वह इस संबंध में मौके पर कुछ दिनों में अपनी सर्वे की शुरुआत कर रही है, और अगले वर्ष करीब-करीब एक साल बाद आशा की जाती है कि एक्च्युअल ड्रिलिंग का काम वहां शुरू किया जायगा और जानकारी पूर्ण रूप से हो जाती है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त हो कर आगे काम हो सकता है। राजस्थान में इसके बारे में सफलता मिलने की काफी आशा की जा सकती है, क्योंकि हमारे दूसरी तरफ पाकिस्तान में गैस उपलब्ध है तो उसी जोन में राजस्थान में भी पैट्रोलियम या गैस मिलना चाहिए। इसके बारे में कम संभावना नहीं हो सकती।

कॉपर स्मेल्टर के बारे में, माननीय उपाध्यक्षजी, यह सब की जानकारी में है कि बराबर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वहां पर दस-बारह हजार टन के बारे में भारत सरकार द्वारा कॉपर तैयार करने की योजना है उसको बढाई जाय और ज्यादा उत्पादन किया जाय। खुशी की बात है उन्होंने २१ हजार टन की योजना स्वीकार की है।

जिंक स्मेल्टर का काम भी तेजी से किया जा रहा है और ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि सन् ६४ में कार्य शुरू हो जाय। कॉपर स्मेल्टर और जिंक स्मेल्टर का काम शुरू होने से जो आज हमारी आमदनी है वह उससे अधिक हो जावेगी क्योंकि जो माल और निकाला जावेगा उससे अधिक रुपयों की आमदनी हो सकती है। पैट्रोलियम में सक्सेसफुल हुए तो दूसरा यह सुनहरी पत्ता होगा राजस्थान का। उससे भी ज्यादा आमदनी होने लगेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बात पर बार-बार जोर दिया गया है कि बहुत से जो खनिज पदार्थ हैं उनको राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर में चलाये तो आमदनी काफी बढ़ सकती है। मैंने इस संबंध में पहले

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

भी जब वित्त मंत्री के भाषण पर वाद-विवाद हुआ था तो निवेदन किया था कि जो बड़े उद्योग हैं, जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं यदि हमारे पास साधन हों तो उनको राज्य सरकार पूरी तरह से करे तो उपयुक्त हो सकता है। लेकिन छोटी २ जगह, एक एक खान पर राज्य सरकार के आफिसरों को भेज कर उस काम को करवाने लगे तो, मैं समझता हूं, धन का भी प्रश्न होगा, इन्तजाम का भी प्रश्न होगा। और कई समस्याएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। मार्केटिंग की भी समस्या जुड़ जाती है। कॉपर स्मेल्टर को करने की बात तो हो सकती है लेकिन कहीं माइका माइन, पत्थरों की खान का काम करने लग जाय तो सारी की सारी स्टेट के लिए यह तय करना होगा कि सारी पत्थरों की खानें, माइका की खानें और खानें हैं उनको राज्य सरकार करेगी और दूसरे नहीं करेंगे। यह संभव भी नहीं लगता है। यह उद्योग एक व्यक्ति में नहीं, सैकड़ों हजारों में फैला हुआ है और कई प्रकार के काम करते हैं, कई समस्याएं होती हैं, मार्केट की और दूसरी समस्याएं—उनको हल करते हैं। हमको यह ध्यान में रख कर चलना होगा कि इन उद्योगों को अधिक से अधिक राजस्थान में फैलायें बनिस्बत सेण्ट्रेलाइजेशन करने के।

मोनोपोली का सवाल आता है। लीज एक ही क्षेत्र के लिए एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है। उसको यह समझा जाय मोनोपोली हो गई। यह नहीं हो सकता कि वह क्षेत्र छोटा हो, कितना क्षेत्र देकर चलें, माइनिंग के लिए एक सीमा तक एक पार्टी को लीज को देना होगा जिससे डवलपमेंट हो सके। साथ-साथ इस बात को भी मानते हैं कि बहुत से उद्योग हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए, मार्केट के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्व विदित है कि स्माल स्केल इंडस्ट्री में यदि कोई व्यक्ति लगता है तो उसके लगने के बाद साल भर बाद या पांच साल बाद यह कहें कि उद्योग खत्म हो जावेगा और दूसरे को बैठा दिया जाय, यह नहीं होता है। उसको एक स्थायित्व देना होता है। वह उसमें इम्प्रूवमेंट करे। नहीं करता है तो उसके लिए विचार किया जा सकता है। माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स में प्रावधान है। एक अर्से के बाद जब गवर्नमेंट रिव्यू करे तो उसके डेड रेन्ट को रिवाइज कर सकती है। डेढ़ा या दुगुना उसको बढ़ा सकती है। जहां जैसी परिस्थिति होती है उसको लक्ष्य में रखते हुए आमदनी को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। जो वर्षों से उद्योग चलाते आ रहे हैं उनको वहां से हटा दें और नये उद्योग शुरू करें यह उचित नहीं लगता है। नये इन्वेस्टमेंट का भी सवाल आता है।

उपाध्यक्षजी, यह कहा गया लाखेरी सीमेंट वर्क्स के लिए कि लाखेरी सीमेंट वर्क्स को २०.५ स्क्वायर मील का एरिया दे दिया। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि जब बूंदी स्टेट थी तो १०१. स्क्वायर मील का एरिया दिया गया था। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट हुई, भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद कण्ट्रोलर ऑफ माइनिंग लीजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां आकर उनकी लीज को २०.५ स्क्वायर मील में सीमित किया और यह माना जाता है कि इतने सीमेंट डिपोजिट्स हैं कि ४० वर्ष तक काम चल सके। मैं समझता हूं कि चालीस वर्ष

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

तक एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए डिपोजिट हों उतने डिपोजिट्स तो एक फैक्ट्री के लिए रिजर्व करके चलना होगा जिससे वह फैक्टरी अच्छी तरह से काम कर सके। इसके साथ साथ यह भी कल्पना नहीं कर सकते कि पास-पास में एक एक पिट लगा कर फैक्ट्री खल सके। ६०० या १२०० टन की इंडस्ट्री लगाने के बनिस्बत बडी इंडस्ट्री ज्यादा इकोनॉमिक होती है। एक ही जगह बडे बडे डिपोजिट्स मिलना ताकि एक इंडस्ट्री लग सके यह बडा मुश्किल है।

इस सदन में इंडियन लाइम स्टोन के लिए कहा गया। यह कहा गया कि मोनोपोली कर दी गई। माननीय सदस्य जो सोजत से आते हैं वे इस मामले को भली प्रकार से जानते हैं। वे स्वयं भी जानते थे, पहले गुलाबसिंह नाम के व्यक्ति काम करते थे। मोनोपोली का प्रश्न नहीं है। उनकी लीज आगे चले इसके लिए उन्होंने कई बार सवाल रखे। उन की डिफाल्ट की कई मिसालें सामने थीं। उनको आगे लीज नहीं बढा सकते थे। दूसरों को लीज देने का सवाल पैदा हुआ। पहले से मोनोपोली चली आ रही हो और दूसरों को लाने का सवाल हो ऐसा नहीं है। आज भी गोटन के क्षेत्र के पास की दो दरख्वास्तें आयी हैं। हमने सोचा कि संभव हो तो उन दो को और गोटन मिला कर जॉइण्ट एण्टरप्राइज या स्टेट एण्टरप्राइज के अन्दर ला सकें–ऐसा संभव हो सकता है या नहीं। जानकारी के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि स्टेट को इस काम में नहीं उलझना चाहिए और दो लीज वाले हैं उनके लिए निर्णय किया, उनको लिख कर भेज दिया दस स्क्वायर मील के लिए कि ६४ हजार के बजाय ८२ हजार तय किये हैं, उनको उसमें लीज ग्राण्ट की जा सकती है। मूंडवा का केस है। स्टेट गवर्नमेंट खुद चलाती है। एक व्यक्ति को ठेका देकर या मोनोपोली देकर चलाई जा रही हो, ऐसा नहीं है। जिनके लिए कहा गया काफी पता किया जा चुका है, उस क्षेत्र में सीमेंट फैक्टरी लगाना चाहते हैं और उसको लगाने का परिणाम यह होगा कि जो लाइम स्टोन के डिपोजिट्स हैं, दूसरों के पास हैं, वह सीमेंट फैक्ट्री को देना होगा। एक के पास रखने में राजस्थान का हित नहीं है, और सीमेंट फैक्ट्री लगाने में हित है उसके लिए आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार कर रही है जिससे जल्दी से जल्दी यह हो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि माइनिंग डिपार्टमेंट अलग अलग खनिज पदार्थों के बारे में सर्वेक्षण करे। मैं निवेदन करूं कि सर्वेक्षण की वजह से विदित है और नोट में बताया गया है कि कई मिनरल्स के बारे में नई जानकारियां की गई हैं। राजस्थान में चित्तौड, आबू और नीम-का-थाना में इन तीन जगहों पर सीमेंट फैक्टरी लग सकती है जिससे राजस्थान को काफी आमदनी हो सके।

फ्लोराइट के बारे में काफी सर्वे की गई है। उसके साथ साथ लेड, कॉपर आदि दूसरी कई चीजों के बारे में भी बहुत सी जगह जानकारी की जा रही है। पहले यहां माईनिंग डिपार्टमेंट के अन्दर एक ही रिंग था अब २१ रिंग्स हैं जो माइन्स डिपार्टमेंट के अन्दर काम कर रहे हैं। २० ज्योलॉजिस्ट काम कर

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

रहे हैं। मेरे ख्याल से भारतवर्ष में एकाध ही स्टेट हो सकती है जहां सर्वे का काम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता हो–ऐसी जानकारी नहीं मिलती । सभी जगह के लिए भारत सरकार का इन्वेस्टीगेशन एण्ड सर्वे ब्यूरो करता है । लेकिन राजस्थान में खनिज संपदा महत्वपूर्ण है । इसलिए हमने इसकी जानकारी के लिए अपना स्टाफ लगा रखा है। खनिज का काम एक प्रकार का गेम्बलिंग भी है। खास तौर से बडे उद्योगों के लिए जिनमें लाखों रुपये सिंक भी हो सकता है और उसका परिणाम कुछ भी न निकले ऐसी भी संभावनायें हो सकती हैं। जिस प्रकार कॉपर स्मेल्टर और जिंक के लिए भारत सरकार को इंवेस्टीगेशन करते करते ५-७ साल लगे उसके बाद भी फॉरन कण्ट्रीज से बातें करते रहे कि इसमें टोटल डिपोजिट्स कितने हैं जो कितने साल चल सकते हैं ? इसी प्रकार अभी जो कुछ जानकारी है उन सारी चीजों के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है वह करने का प्रयत्न किया जाता है ।

पहले बडे बडे क्षेत्रों के अन्दर लीज थी, कोटा स्टोन के बारे में, धोलपुर के बारे में, भरतपुर के बारे में कहा गया उनमें भी एरियाज में कमी की गई और उसके आस-पास और किसी को दे सकते हैं तो उसके लिए भी आवश्यक कदम उठाये गये हैं ।

भरतपुर के लिए यह कहा गया कि वहां एरिया डिमार्केट नहीं किया गया······

श्री रामकिशन (वैर) : मैंने कहा था कि पिलर्स नहीं लगे ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : वहां १-१-६२ को डिमार्केशन हो गया और पाषाण उत्पादन सहकारी समिति १९६१ तथा खान ठेका सहकारी समिति, पाषाण उत्पादक सहकारी समिति मसलपुर को ३० अगस्त १९६२ को कुछ एरिया दिया गया । हम चाहते हैं कि इस संबंध में जहां जहां भी इस तरह का उत्पादन हो वहां दूसरों को दे सकते हैं, और जो पुराने हैं उनको एक आवश्यक सीमा तक एरिया देकर काम करवा सकते हैं।

लाइम स्टोन उद्योग के अन्दर भी एक सबसे बडा सवाल सामने आता है, वह हमारे सामने भी है; वह सवाल है वेगन्स के बारे में, वेगन्स की कमी के बारे में । इसकी वजह से आज काफी बडी तादाद के अन्दर लाइम स्टोन गोटन के अन्दर जो कि स्टेट सेक्टर में चल रहा है, निकला हुआ पडा है । अगर लाइम स्टोन बाहर जाता है तो उसी हालत में जा सकता है जब कि वेगन्स काफी मात्रा में उपलब्ध हों । अगर हम इसको छोटे-छोटे टुकडों में बांट दें, उससे ज्यादा उत्पादन होगा और ज्यादा सरकार को आमदनी होगी यह कह सकना आसान नहीं, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट के लिए वेगन्स का खास सवाल आता है । जब कुछ पार्टीज एक बडे एरिया को लेकर के वर्क आउट करना चाहती है तो करें, लेकिन एक दो ही व्यक्तियों के हाथ में यह रहे इस प्रकार की भावना किसी प्रकार भी बलशाली बने यह हम नहीं चाहते । कुछ टुकडों के अन्दर दूसरों को भी काम सौंपा जा सकता है इस बारे में भी आवश्यक कदम उठाया जा रहा है।

यहां यह भी सवाल उठाया गया छोटे छोटे काम करने के लिये जैसे किसानों के पत्थर,

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

बजरी आदि लेने में दिक्कत होती है उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि हम खुद भी इस बात पर विचार कर रहे हैं, और एक प्रकार से निर्णय भी किया हुआ है कि जो अभी छोटे छोटे ठके कंकर, बजरी मामूली चीजों के होते हैं, और जिनकी वजह से किसानों को अपनी जरूरियात को पूरी करने में तकलीफ होती है ऐसे ठेके हटा देने चाहियें। जिसकी वजह से किसानों को जो यह दिक्कत होती है वह दूर हो जाय। लीज्ड एरिया के अन्दर तो कोई नहीं ले सकता लेकिन दूसरी जगह से बजरी-कंकर जो किसान के रात दिन काम आता है, जिसके लिये किसानों को तकलीफ उठानी पडती है दूर करने के बारे में साथ साथ विचार किया जा रहा है।

राजस्थान में जैसा कि यहां बताया गया वूलन फैक्टरी के लिये हम अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं हमने भारत सरकार और जो ऊपर से ऊपर व्यक्ति हो सकते हैं उनको इस बारे में काफी जोरदार शब्दों में कहा है कि राजस्थान में वूलन प्लम्बिंग और स्पिनिंग के लिये एडीशनल कैपेसिटी सैंक्शन की जानी चाहिये, क्योंकि यहां ४२ से ४५ पर्सेन्ट तक ऊन की पैदावार होती है। मैंने सुना है एडीशनल कैपेसिटी जो थर्ड प्लान के लिये रखी थी अगर बढोतरी होती है तो राजस्थान को भी हिस्सा मिल सकता है। ऐसा मानकर चल सकते हैं।

जिन लोगों ने राजस्थान में बडे उद्योग लगाने के लिये लाइसेंस लिये हैं आज उनमें से बहुतों ने उद्योग नहीं लगाये हैं। इसके पीछे यह समझ कर चलना उपयुक्त नहीं होगा कि उन्होंने उद्योग नहीं लगाये हैं स्टेट की कुछ पालिसी की वजह से। यह बात नहीं है खास तौर से तो दिक्कत है वह स्पीन्डल्स के बारे में है। इसमें देर लग रही है। नये स्पीन्डल्स जो एलॉट किये गये हैं अगर वे पार्टीज उनको लगाने में असमर्थ हैं तो दूसरी पार्टीज जो कार्यवाही करना चाहती हैं उनको ट्रांसफर करें। स्पीन्डल्स उनके पास होकर लैप्स होने का प्रश्न ही नहीं है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान जो अलग अलग फैला हुआ है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। स्पीन्डल्स के आने में देरी के कारण हमने १२०० का यूनिट रखा है जिससे कई जगह यह लग सके बहुत से उद्योगपति आकर कहते हैं कि हमें अमुक स्थान पर लगाने दो, २५०० लगाने दो, इतना यूनिट होता है तो हम लगा सकते हैं, इसका एक्सपेन्शन ज्यादा हो सकता है डिस्पर्सल ज्यादा हो सकता है। यह इस लिहाज से दिया गया कि राजस्थान में यह जगह जगह लगें और प्रांत का हित हो।

कोटा के अन्दर जैसा कि आपको मालूम है फैल्ट इंडस्ट्री थी वूल की; उसको लुधियाना में लगाने की कोशिश की जा रही थी। उसके लिये मैंने खुद ने भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनसे बातचीत की। भारत सरकार उनके खिलाफ जो कार्यवाही हो सकती है कर रही है। राजस्थान सरकार को कोई जानकारी मिले और उसमें विलम्ब करे यह कदापि नहीं हो सकता।

आज राजस्थान के अन्दर पब्लिक सैक्टर में इंडस्ट्री लगाने की बात उठती है, मैं समझता हूं इस तीसरी योजना के अन्दर कॉपर स्मेल्टर प्लांट की योजना हमारे सामने स्पष्ट रूप से है।

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्ट्री के बारे में भी स्पष्ट है। इसके अलावा पैट्रोलियम प्रोजेक्ट भी तीसरी योजना में लिया जा रहा है। ये तीनों महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पब्लिक सैक्टर में लिये जा रहे हैं।

लिग्नाइट के बारे में हमारे सदन में दूसरे सारे प्रश्नो को देखते हुए हमने इस बात पर जोर दिया है कि लिग्नाइट प्रोजेक्ट भारत सरकार पब्लिक सेक्टर में ले तो ज्यादा ठीक होगा। भारत सरकार की तरफ से यह कहना है कि यह छोटे प्रोजेक्ट हैं कम्परेटिवली इसलिये भारत सरकार के हाथ चारों तरफ से बंधे हुए हैं। वे अपने कमिटमेन्ट्स नहीं बढाना चाहते। हम राजस्थान के स्टेट सेक्टर के अन्दर इसको चलाना चाहते हैं। आगे प्रगति के बारे में और आज की स्थिति के बारे में मिनिस्टर फॉर स्टेट एन्टरप्राइजेज हैं वे जानकारी देंगे। गंगानगर शूगर फैक्ट्री के बारे में बताया गया कि उसी प्रकार गर्जसिहपुर कोआॅपरेटिव शूगर फैक्ट्री के बारे में सरकार प्रयत्नशील रही है।

गर्जसिहपुर में और शूगर फैक्ट्री लगाने के लिये मैंने स्वयं ने कृषि मंत्री, भारत सरकार के साथ बातचीत की है और कुछ असर भी डाला है। अब शूगर की डिमाण्ड भी काफी बढ गई है। बीच में स्टॉक्स अधिक होने का सवाल खडा हो गया था जिससे चेन्ज ऑफ पॉलिसी हुई थी कि अब मिलें अधिक नहीं बढानी चाहिये, उसमें अन्तर हुआ है।

भाखरा और गग कैनाल में शूगर की प्रोडक्शन बढेगी गर्जसिहपुर में लोगों ने शूगरकेन पैदा की है इसलिये हमारे कमिटमैन्ट स्वीकार किया जाना चाहिये। हम लिख कर उनको भेजेंगे और वे स्वीकार करेंगे और कोआॅपरेटिव सेक्टर में राजस्थान में खुलने का सवाल है, ऐसा मानकर चल सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर इस बात के बारे में भी जिक्र किया गया कि टूरिस्ट एजेन्सियों का जो पिछली बार हाथियों वाला सवाल खडा हुआ था फिर हाथी का सवाल आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने खडा किया। मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में कोई मोनोपोली का सवाल नही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि टूरिस्ट ट्रैफिक और उन लोगों को सुविधा दिलाने का और ठीक से उनका इन्तजाम करने का प्रश्न है, और इस बात को लक्ष्य में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अगर एक एजेन्सी के पास जो एक्सकाशन की रिकग्नाइज्ड बॉडी है, साधन हैं तो उसको हमें रिकग्नाइज करने में कोई एतराज नहीं है। इसके अतिरिक्त भी और कोई इसके लिये तैयार हो ऐसी बॉडी, और जिनकी जानकारी माननीय सदस्य को हो, और जो भी इसके बारे में आगे एक्सकर्शन एजेन्सी लेकर काम करना चाहता हो तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिसके पास भी एक्सकर्शन एजेन्सी होगी और आगे चलाना चाहते होंगे उनको भी स्वीकृति दी जावेगी। कोई मोनोपोली जैसा प्रश्न आने वाला नहीं है: पर अगर आज एक्सकरशन एजेन्सी जैसी रिकग्नाइज्ड बॉडी नहीं रखते हैं तो होगा क्या, पांच छः लोग हाथी लेकर खडे होंगे और एक कहेगा कि मेरे हाथी पर बैठो, दूसरा कहेगा कि मेरे हाथी पर बैठो, तो वहां टूरिस्ट के सामने इस प्रकार का दृश्य उपस्थित करना उपयुक्त नहीं मालूम होता है। वे भी इसे मानेंगे। इसलिये यह व्यवस्था है और मुझे आशा है कि एक्सकर्शन के सिद्धांतो को स्टेट मानती

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
हैं इसमें मोनोपोली का सिद्धांत लाने का सरकार का इन्टेन्शन नहीं है। इसको रिकोग्नाइज्ड करने वाली ट्रैवल एजेन्ट्स की बॉडियां हैं जो इन्टरनेशनल स्टेटस की हैं। वे यह करते हैं। तो मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से कोई रुकावट नहीं आने वाली है। मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : २३ हज़ार रुपया बाक़ी है उसके बारे में।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं उस पर भी आता हूं। इसकी जानकारी पहले आई थी, उस वक्त की थी जिस से मालूम यह हुआ कि कोई इस प्रकार का रुपया बाक़ी नहीं है। सिर्फ़ चार हज़ार रुपया जो कि आर्डिनरी रुटीन में होना चाहिये वह बाक़ी है। फिर भी अगर जैसा आपने कहा कि २३ हज़ार बाक़ी है, ऐसा हो तो इसके बारे में कोई जानकारी हाथी वालों की तरफ़ से आप हमें भेजेंगे तो उसके सम्बन्ध में जो कार्यवाही करने की होगी वह की जावेगी। मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि किसी के पास एजेन्सी होने से अगर हाथी वालों के लिहाज़ से आप सारे प्रश्न को यहां रख रहे हों तो उनके बारे में निश्चित तौर से ध्यान रख कर जो आवश्यक सुविधा हो सकती है, उसको देने में सरकार पूरा सहयोग देगी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : २३ हज़ार के बजाय एक हाथी उनको दे दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : वे तो खुद दरवाज़े पर गये थे और रोक दिये गये थे।

योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आज से उनका नाम हाथी बाबू रख दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : और यह बताया कि मिलिट्री जाने से अलवर में कम्पेन्सेशन के बारे में दिक़्क़त खड़ी हुई है तो उनके लिये जहां तक मिलिट्री द्वारा पोलीटैक्निक इन्डस्ट्रीयल इन्स्टीट्यूट को टैम्प्रेरिली आकूपाई करने का सवाल है, तुरन्त यह तो मैं जवाब नहीं दे सकता कि इसका क्या आल्टरनेट हो सकता है, पर इतना कह कर चल सकता हूं कि जहां पर भी उद्योग लगाने वाले आगे आना चाहते हों उनके लिये केवल यहीं नहीं, बल्कि सदन में मैंने पहले भी बताया है कि एक्स्ट्रा इन्डस्ट्रीयल इन्स्टीट्यूट्स के लिये कुछ व्यक्ति मिलकर कोआपरेटिव तथा जोइन्ट स्टाक कम्पनी के तौर पर ८-१० आदमी अपने शेड्स बनाने के लिये ज़मीन चाहते हों तो सरकार उनको सभी आवश्यक सहयोग देगी और इसके लिये सरकार की वेल डिफ़ाइन्ड पॉलिसी है जिसके लिये स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया और गवर्नमेन्ट शेड बनाने में लोन वग़ैरह दे सकते हैं। इस पॉलिसी को इसलिये अख़्तियार किया गया है कि जहां हम गवर्नमेन्ट पैटर्न पर शेड सरकार की तरफ़ से बनाते हैं वहां बाद में लोगों को हमें ढूंढना पड़ता है। इसके बजाय तो वह ख़ुद आवे सामने तो गवर्नमेन्ट लोन और दूसरी तरह की मदद देने को तैयार हैं। और यह स्वाभाविक गति भी होगी, बजाय इसके कि शेड सरकार खुद बनाकर कहीं जावे कि वे आवें और काम करें इसमें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रो-कैमिकल थर्मल पॉवर के बारे में भी कहा गया कि उस तरह से जिसमें इलैक्ट्रिसि

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

और इन्डस्ट्री में भी रॉ मैंटीरियल के तौर पर काम आती हो उसमें भी कन्सेशन होना चाहिये जिससे उनको क्षति न हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इलैक्ट्रो-कैमिकल थर्मल इन्डस्ट्री ऐसी समझी जाती है जिसमें इलैक्ट्रिसिटी रॉ मैंटीरियल बन जाती है उसमें एक्स्ट्रा बर्डन न बढ़े इसकी सुविधा की गई। मेरे ख्याल से और उद्योगों पर वज़न भारी पड़ेगा, पर साथ-साथ उस कैटेगरी जिसमें रॉ मैंटीरियल इलैक्ट्रिसिटी है, यह आसानी से नहीं कहा जा सकता है इसलिये बन्द किया गया है। पर कोई चीज़ ऐसी सामने आवेगी तो सरकार उस पर अलग से उसके गुणावगुण को देख कर विचार कर सकती है। आज जो स्थिति सरकार के सामने थी उसको लक्ष्य में रखते हुए एक प्रकार का निर्णय किया गया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि हिन्डौन से आने वालों ने वहां की पत्थर की खानों को लीज पर देने के बजाय वहां पर जो पहले सिस्टम चला आ रहा था उसके लिये कहा। उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है आज बहुत से परमिट लेना नहीं चाहते। अगर रायल्टी कलैक्शन करदें तो हुकम आज हो सकता है पर इसमें काफ़ी लीकेज होता है इसलिये लीज़ पर देने के बारे में आगे क़दम उठाया जा रहा है।

इस प्रकार का मार्ग अगर हो और वे हमारे सम्बन्धित अधिकारियों से और उप-मन्त्रीजी से विस्तार में बात करके वे सुझाव बता सकें जिससे राजस्थान सरकार की आमदनी में भी फ़र्क़ न हो और काम आगे चालू रहता हो तो सहानुभूतिपूर्वक उनके सुझावों पर विस्तार से उचित तौर से विचार किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। पर देखना यह है कि राजस्थान सरकार को भी आमदनी हो जावे और साथ साथ एक व्यक्ति को देने से लाभ होता है और सरकार को आमदनी नहीं होती और लोगों को अवसर नहीं मिलता तो यह प्रश्न नहीं है। सिर्फ़ रॉयल्टी कलैक्शन में जो दुविधा होती है वह दूर हो सके, इसको बचाने वाली बात का प्रश्न ज्यादा आता है।

आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आइरन और की कोई माइन उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी में है। वह लाखों रुपया कमा रही है और राजस्थान सरकार उस पर ज्यादा टैक्स लगावे और आमदनी करे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेजर मिनरल का जहां तक सवाल है, राजस्थान सरकार उसकी रॉयल्टी निश्चित नहीं करती। माइनर मिनरल में सरकार कुछ कर सकती है। पर मेजर मिनरल की रॉयल्टी आल इण्डिया बेसिस पर यूनीफ़ार्म है, फ़िक्स्ड है। भारत सरकार द्वारा फ़िक्स्ड तरीक़े से ही वह ली जाती है। उसी के आधार पर हमें लीज़ें देनी होती हैं इसलिये उसके अन्दर हम रॉयल्टी बढ़ावें यह सम्भव नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं ने भारत सरकार के सामने एन. डी. सी. के अन्दर भी कई बार मामला रखा कि राजस्थान में और शायद कुछ और स्टेटों में जहां मेजर मिरनल हैं वहां रॉयल्टी को बढ़ाया जाना चाहिये, क्योंकि माइनर को तो अपने यहां अपनी कन्डीशन्स के मुताबिक परिवर्तन कर सकते हैं, पर मेजर मिनरल में नहीं कर सकते। मैं इस बात को अगर यहां स्पष्ट करूं तो ग़लती नहीं होगी कि मुझे दुख है इस बात का कि

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

भारत सरकार ने निर्णय किया है कि जिप्सम की रॉयल्टी को और कम कर दिया जाय। मैं समझता हूं, उनको हमने लिखा भी है, और जिप्सम के बारे में रॉयल्टी कम करने के बजाय और बढ़ाना चाहिये क्योंकि राजस्थान इसमें मोनोपोली रखता है और क्योंकि आज दूसरी फ़ैक्ट्री पब्लिक सैक्टर में चलती हैं मुझे इसमें ऐतराज़ नहीं कि पब्लिक सैक्टर में चलती हैं तो उनको उचित मुनाफ़ा क्यों हो, पर एक्स्ट्राआर्डिनरी प्रॉफ़िट भी नहीं करना चाहते। पर साथ में एक बड़े डिपोज़िट का उचित लाभ भी राजस्थान को प्राप्त हो यह आवश्यक है।

कॉपर के अन्दर और दूसरी दो-तीन चीज़ों में रॉयल्टी को रिवाइज़ किया है और इसकी वजह से जो बजट में आंकड़े दिये हैं उनमें बढ़ोतरी भी होगी इस ६३-६४ में। यह एक परिणाम निकला है।

(६.०० म. प.)

मैं यह आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में हम अपनी तरफ से जिस प्रकार भी इसमें आमदनी बढ सकती है वह आमदनी बढाने का प्रयास करेंगे। माननीय सदस्यों के सामने भी अगर ऐसे सुझाव आयें कि जिन सुझावों से किसी जिले में या किसी कान्स्टीट्यूएन्सी में वह समझते हों कि कोई क्षेत्र ऐसा पडा हुआ हो कि जहां काम नहीं चल रहा है और लोग काम करना चाहते हैं, और उससे सरकार को आमदनी बढती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आधार मैंने आपके समक्ष रखा है उसको सामने रखते हुए हम स्वयं चाहते हैं कि हमारे यहां ज्यादा माइनिंग बढे। ज्यादा माइनिंग बढने का मतलब है ज्यादा एम्पलायमेन्ट बढना। इसका मतलब प्रोसपेरिटी ज्यादा बढना और राजस्थान में आमदनी ज्यादा बढना और इसके लिए हम जितना अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील हो सकते हैं वह प्रयत्नशील होंगे, ऐसा मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कट मोशन्स यहां प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें माननीय सदस्य वापिस लेंगे और इस डिमाण्ड को एक राय से स्वीकृत करेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): सदन का समय बढाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय प्रस्तुत मांग पारित की जाय तब तक के लिये बढाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय प्रस्तुत मांग पास किये जाने तक बढाया गया।

श्री रामकिशन (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहाडपुर के बारे में तो कोई जवाब नहीं दिया और....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह क्वेश्चन आवर बनाया जायेगा तो ठीक नहीं रहेगा।

श्री रामकिशन: जवाब नहीं दिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा: हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं होता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : साल्ट पिट्स का आपने अभी एक प्रश्न रखा। आपने कहा कि किसी को नहीं दिया तो मैंने ३ उदाहरण दिये कि ३ को दिया गया है।

श्री रामकिशन : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जो इलाका ३० मील से ज्यादा बचा वह दे दिया, लेकिन यह जो सेक्रेट्री श्री ए. के. राय ने चिट्ठी लिखी सेठी को कि गडबडी कर रहे हैं, पिलर्स नहीं लगे हैं। मैंने ३१ दिसम्बर की चिट्ठी पढ़ी थी कि पिलर्स नही लगे हैं कुछ इलाके के ठेकेदारों से रह गये थे·······

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसमें मतभेद जैसी बात नहीं है। डिमार्केशन हो चुका है तो पिलर्स लगा दिये जायेंगे।

श्री रामकिशन : तो यह तो तीन साल हो गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री के बारे में कट मोशन था उसके नेशनलाइजेशन के लिए·······

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि बहुत सी सूचनायें आज मिली हैं उनके क्वेश्चन आवर में फिर सवाल पूछ लें। फिर जवाब लेने का मौका है। कुछ तो मियाद होनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चेयर की तरफ से पहले ही यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि जो कट मोशन्स मूव हुए हैं·······

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हम इसको नेशनलाइज कर दें तो राजस्थान गवर्नमेन्ट के पास असेम्बली का कानून तो उसको नेशनलाइज नहीं कर सकता। जो कुछ कमेटी की रिपोर्ट है वह भारत सरकार के सामने है और भारत सरकार ऐसे मामलों में जो भी निर्णय लेगी वह सवाई माधोपुर के ऊपर भी लागू हो जायेगा।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया था कि सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने गुलाबसिंह की लीज के रिन्युअल के लिए कहा था। मैं इस बात को क्लेरीफाई करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि मुख्य मंत्री जी के पास में इस लीज के रिन्युअल के बारे में एक बार भी नहीं गया। जरूर इस इन्डस्ट्री के कोल के कोटे के बारे में गया था·······

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने कहा था कि उनकी जानकारी में है।

श्री नाथूराम मिर्धा (खनिज मंत्री): इसमें कोई खास बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन का बहुत थोडा समय लूंगा क्योंकि काफी समय हो चुका है फिर भी कुछ मुद्दों की बातें जो माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव में उठाई हैं उनके बारे में कुछ कहना आवश्यक समझता हूं।

बड़ी खुशी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जो सदन के सामने मेरा मंत्री महोदय ने तीन मांगें पेश कीं उनके बारे में सदन के माननीय सदस्यों ने बडी दिलचस्पी ली। इससे अहसास होता है कि उन्होंने खूब कटौती के प्रस्ताव रखे और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करीब २५०-३०० कट मोशन्स थे और ५०-६० माननीय सदस्यों ने यह सब प्रस्ताव रखे। लेकिन समय कम था इसलिये बहस करने का अवसर सब माननीय सदस्यों को नहीं मिल पाया। फिर भी जो कटौती प्रस्ताव रखे मैं तो मान लेता हूं कि सब सदस्यों ने उनको मूव किया जैसा कि चेयर की तरफ से सुबह आज्ञा हुई थी। जैसा मैंने अध्ययन किया ४ हिस्सों में उनको विभाजित कर सकते हैं। पहले, कटौती के प्रस्ताव तो इस बारे में हैं कि जो पलाना कोलियरी से संबंधित कटौती के प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को दो प्रकार की चिन्ता थी। एक तो चिन्ता इस प्रकार उन्होंने जाहिर की कि जो पुराने जमाने में पलाना की खान में कोयला निकालने का काम चल रहा था वह भी अब बन्द हो गया और दूसरी चिन्ता यह थी कि इस पलाना के बारे में ओपन कास्ट का बड़ा प्रोजेक्ट बना कर जल्दी ही इसको चालू करना चाहिये। इसके बारे में जो कुछ सरकार को कदम उठाने चाहियें उनमें शिथिलता बरती जा रही है। यह दो प्रकार के कटौती प्रस्ताव इस मद से संबंधित थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कई बार इस सदन में इस के बारे में कुछ डिटेल्स में बातें माननीय सदस्यों के सामने रखी थीं। पलाना कोलियरी जो उसमें लिग्नाइट एक महत्वपूर्ण खनिज है और वैसे मैं इस बात को मानता हूं कि राजस्थान में फ्यूअल एनर्जी की काफी कमी है और हमारा पलाना का लिग्नाइट एक काफी महत्वपूर्ण योग हमको इस कमी को पूरा कर देने में दे सकता है। परन्तु जिस प्रकार का लिग्नाइट वहां खानों में से उपलब्ध है उसके बारे में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रकार का इस स्टेज में पका हुआ कोयला है कि उसको जमीन के बाहर निकालते ही जो कि कई लेयर्स में, बड़े टुकड़ों में निकलता है, अगर उसको तुरन्त थोड़े ही समय में जो कि ४–५–७ रोज का समय हो सकता है, उस कोयले को किसी काम में उपयोग में नहीं करें तो वह कोयला अपनी जगह पर पड़े-पड़े स्वयं जलने लगता है। छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर कर धीरे धीरे उसकी शक्ति भी समाप्त होने लगती है। इसलिये उस कोयले का उपयोग जल्दी से जल्दी किया जाये चाहे वह भट्टी जलाने का काम में लाया जाये चाहे बड़े कामर्शियल एन्जिन्स को चालू करने उसको काम में लाया जाये—उसकी उपयोगिता एक समय के अन्दर होने से ही वह फ्यूअल एनर्जी पैदा करने के काम को पूरा कर सकता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से इस कोयला का काम जिसके इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है मैं आपको एक बात बताता हूं कि वहां के ग्रामीण लोग जो कुआ खोद रहे थे बीकानेर स्टेट के समय इसके बारे में छानबीन की गयी और कुछ लोगों को रोजगार देने के दृष्टिकोण से वह पावर हाउस को चलाने के दृष्टिकोण से इस काम के वास्ते चालू किया गया जो कि पिछले कई वर्षों से चल रहा था। इसमें पिट्स होल बनाये जाते हैं और उनके जरिये आदमी खानों में जाते हैं और खोदने का काम करते हैं और यह काम शुरू होकर इस स्टेज पर चलने लगा कि हजार, ८०० और कभी कभी ११०० आदमी कोयले की खान में काम करते थे। यह पहले भी बताया गया कि जब तक इन पिट्स होल से एक महीने का उत्पादन ५००० टन कोयला नहीं हो, इस कोयले का एक अमुक समय में जहां कहीं

(श्री नाथूराम मिर्धा) का उपयोग हो सकता है अगर जल्दी नहीं पहुंच जाये तो यह कोयले की खान नफे के अन्दर चलना बहुत मुश्किल काम है। इतनी लेबर संख्या से ५००० टन कोयले को निकाला जाये तब यह जाकर कुछ थोडा सा लाभ सरकार को दे सकती है।

फिर जैसा मैंने कहा इस कोयले को ले जाने के लिये हमको वैगन की तकलीफ हमेशा से रही है और हर वक्त कोशिश करते करते भी बहुत सा कोयला पिट से निकला हुआ मौके पर पडा रहता है और मौके पर पडा हुआ अपने आप जलता है और राख के रूप में परिणित होता है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : कभी नहीं हुआ कि अपने आप जला हो वरना खान बरबाद हो जाती।

श्री नाथूराम मिर्धा : रोज जलता है आपने कभी देखा नहीं पलाना। देखा है कभी पलाना आपने? इसलिये माननीय उपाध्यक्षजी,.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): उपाध्यक्षजी,....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बैठिये, शर्म छिपाने की आवश्यकता नहीं है। इस कोयले को जो जानते हैं, जिन्होंने इसका उपयोग किया है वे जानते हैं। मैंने इस खान को काफी डिटेल में देखा है, समझा है समझने की कोशिश की है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जलकर राख नहीं होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पांच हजार टन कोयले का लक्ष्य जिस किसी साल में हमने पूरा कर लिया उस साल हमको किसी साल एक लाख का, किसी साल सवा डेढ लाख का नफा रहा और जब तक पिट होल्स खान में काफी मात्रा में मिले, उपलब्ध हुए ठीक तरीके से डिस्पोजल की व्यवस्था चली जाती थी—सुचारु रूप से चल सकी, चली। जिस किसी वक्त में सारे काम में किसी न किसी स्टेज पर रुकावट आती उस साल में कोयले में कमी आती गई और जैसा कि अभी थोडे दिन पहले माननीय सदस्यों ने पढा होगा, उन्हें मालूम हुआ होगा, पिछली बार भी निवेदन किया था कि यह कमी पिछले पांच छ: साल से पिट्स में चल रही हैं, और इसकी हालत ऐसी पहुंच गई थी कि ज्यादा से ज्यादा गर्म हो रही थी और आग लग रही थी इसलिये बहुत सी जगह काम बंद करना पडा। बहुत सी जगह, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा इसमें पूरी शक्ति है, काम किया जा सकता है पर मैंने स्वयं, उपाध्यक्ष महोदय अंदर जाकर, खान में चारों तरफ, सब तरफ घूम कर देखा है। कई जगह इस प्रकार लोड ऊपर से आ चुका है, कई जगह बल्लियां टूट रही हैं, कई जगह टूट गई हैं, और आज कोई नहीं कह सकता कि किस वक्त लोड कितने फीट पर, किस स्टेज पर गिर जाये और भीतर काम करते हों तो काम करते वहीं रह जाय। उन्होंने कहा कि टैक्निकल बात के लिए माइनिंग फोरमैन जो अजमेर में रहते है उनसे सैन्कशन इसको बन्द करने की नहीं ली है में उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की राय ले ली है, स्वीकृति भी ले ली है। अब इन माइन्स में काम करना खतरे की बात है इसलिये यह निर्णय लिया कि इस माइन में काम करके

(श्री नाथूराम मिर्धा)
खतरा मोल नहीं लेना चाहिये क्योंकि किसी भी वक्त जान माल का नुकसान हो सकता है।

इसके साथ साथ माननीय सदस्य ने कहा कि जो दो पिट होल्स नये बनाये जा रहे हैं वे ऐसे टाइम में क्यों नहीं पूरे किये कि जब तक इनका काम बन्द होता उनको चालू कर दिया जाता। मैं इस बारे में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को एक माइनिंग इंजीनियर थे, मिस्टर फैल जो अब रिटायर हो चुके हैं उन्होंने सोचा था और बोर करना चालू किया था। ५० फीट बोर हो चुका था, उन गैलरीज को जो अगले चल रही हैं उनके साथ जोड कर उनके बीच का कोयला निकालेंगे तब तक ओपन कास्ट का बडा काम चालू हो जायगा। नजदीक से नजदीक जाने की कोशिश की है वहां कोल की थिकनेस ८ से ९ फीट है, वहां कोशिश की। उनका ख्याल था कि दोनों को मिलाने से कोल मिल जायगा और जो इकानामिक रिटर्न्स मिलेगा तो कुछ सालों तक चलने के लिये काम देगा। उनका कैलकुलेशन गलत निकला। वे अब रिटायर हो चुके हैं। जो दूसरी गैलरीज कन्टीन्यू थीं उनको देखा १५० फीट तक ऐसा डिस्टेन्स है जिसमें कोयला नहीं है रेत ही रेत है। इस प्रकार की गलती जो नैक्स्ट मैनेजर आये उन्होंने हमारे सामने रखी . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आप जिन महानुभाव की राय पर अपने विचार आधारित कर रहे हैं उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि वे फर्स्ट क्लास डिग्री लिये हुए हो सकते हैं लेकिन कोल माइन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियन्स उनको नहीं है। बंगाल और बिहार की कोल माइन्स का जिनको अनुभव रहा है, मैं विवाद के लिये नहीं कहता, लेकिन आप उनको बुलावें और उनसे राय लें। वर्तमान मैनेजर बहुत निकम्मे हैं इस मायने में।

श्री नाथूराम मिर्धा: जो आप संज्ञा दे रहे हैं उनको, मैं उसमें नहीं पडता लेकिन एक दूसरे एक्सपीरियेन्स्ड इंजीनियर हैं मि० घोष जो यहां पर कई दिनों से काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियेन्स तो आप मानते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा: मानते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: वे कहते हैं पिट्स गलत बन रहे हैं उनसे लाभ नहीं होगा; ऐसी जगह बनाना चाहिये जहां ठीक नतीजा निकलता हो। पहले एक ही एरिया में वर्क किया जा रहा था। अब डिपोजिट्स, ८ लाख मिलियन टन्स के डिपोजिट्स जो एक जगह थे उसको प्रूव करते करते बी. सी. में दो तीन जगह प्रूव करते करते अब लिग्नाइट करीब २२।। मिलियन टन्स प्रूव किया जा सकता है। मि० घोष का कहना है कि दो पिट्स नये बनाये जाने चाहिये और जो पोइन्ट सामने रखा है उसे मैं भी माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। इस प्लान को दो दृष्टिकोण से देखना होगा—एक तो यह कि क्या ओपन कास्ट प्रोजैक्ट को हाथ में लेना चाहिये ? अगर इसको लेते हैं तो २।।-३ करोड की लागत लगेगी। इस साल मि० घोष चीफ इंजीनियर ने कहा है कि १ करोड की मशीनरी तो इसी साल बैठानी चाहिये और १०.१५ लाख रुपये उसके लिये मकान आदि के लिये आवश्यक होंगे इस तरह से सवा करोड रुपयों की इसी साल मांग कर रहे हैं। जैसाकि आपने देखा होगा, हमारे वित्तीय साधन बहुत कम हैं जिनके बारे में तीन चार रोज तक सदन ने चर्चा की है। साधन बढाने चाहिये और साधन बढाने के लिये वित्त मंत्रीजी ने इसके लिये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्रश्न रखा था उससे माननीय सदस्यों ने परेशानी महसूस की थी। बहुत बडा बोझ जनता पर आ रहा है जिसको बर्दाश्त करने की क्षमता आम लोगों में नहीं है। इससे किसानों और मजदूरों को मुश्किल होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राजस्थान में बडे से बडे प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है और आने वाली पीढी को लाभ पहुंचाना है तो लाभ का दृष्टिकोण आपको सामने रखना चाहिये। मैं इसको मानने वालों में से हूं। इसलिये हमको ज्याद बोझ उठाना पडेगा, यदि हमें राजस्थान में प्रॉजैक्ट्स को पूरा करना है। अभी जो प्रोविजन किया गया है उसको देखेंगे तो १२.२० लाख का प्रोविजन किया गया है। इसमें कम से कम एक करोड रुपया चाहिये तब मशीनरी मंगा सकते हैं। तृतीय पंच वर्षीय योजना के आखिर में और चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में ओपन कास्ट प्रोग्राम को ले सकते हैं जो दो तीन हजार टन कोयला उत्पादन करके दे सकेगा। जो उत्पादन करें उसका कोआर्डिनेशन इस प्रकार करें कि उस वक्त राजस्थान नहर का पानी और पलाना का लिग्नाइट इनको इस प्रकार कर लें कि एक पावर हाउस वहां पर लगा सकें जो राजस्थान के उन इलाकों में जहां भाखरा और चम्बल का पावर नहीं पहुंच सकता, आपके बीकानेर का कुछ इलाका, जैलसमेर, बाडमेर, नागौर, जोधपुर के ऐसे कई इलाके हैं जहां न तो चम्बल का पावर पहुंच सकता है और न भाखर का पहुंच सकता है उसको पूरा करने के लिये कम से कम चौथी पंच वर्षीय योजना के पहले, दूसरे व तीसरे साल में कम से कम ५०-५० मैगावाट के दो तीन पावर स्टेशन डाल सकें। तब जो कोयला उत्पादन करें, उसका उपयोग थर्मल सैट के लिये कर सकें। जिससे कि हम बिजली पैदा करके राजस्थान के उस इलाके में बिजली दे सकें। इस सारे प्रोग्राम को कोआर्डिनेट करने की दृष्टि से हमने इस प्रोग्राम को हाथ में लिया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की पहली साल तक राजस्थान नहर की चालीस पचास क्यूसेक की कैपेसिटी की कैनाल यहां पलाना तक आ जाय और उससे बीकानेर और पलाना को पानी दे सकें। उसी प्रकार इंजिन भी उस वक्त तक दिमाग में रख कर चलें जिससे सौ मैगावाट पावर जैनरेट करने की हैसियत हो सके। इस दृष्टिकोण से ओपन कास्ट में ज्यादा लिग्नाइट निकालने का करना है। इसमें एम्पलायमैन्ट पोटैन्शियल है वह बहुत कम है। क्योंकि उसमें मशीनों से काम चलेगा, मशीन ही कोयला खोदे, और मशीन के द्वारा ही कोयला दूर फैंका जाय। तो उसमें एम्पलायमैन्ट पोटैन्शियल दो सौ आदमियों का है, जिनसे इतने बडे काम को करना है। जब कि आज हजार बाहर सौ आदमी काम कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से अगर एम्पलोयमैन्ट पोटेंशियल को चालू रखना है, उसे आगे बढाना है तो उसके साथ साथ पिट होल्स के तरीके को कायम रखना होगा, जो नफे का प्रोजैक्ट नहीं है बल्कि घाटे का प्रोजैक्ट भी नहीं होगा। तो इस दृष्टिकोण से चलना है, अगर ज्यादा लोगों को एम्पलोयमैन्ट दिया जाय तो उस हिसाब से प्रोग्राम को हाथ में लेकर चलना होगा। तो कुछ बातें पलाना के बारे में, एक लम्बे दृष्टिकोण से कैसे सोचना है, किस तरह करना है वह मैंने कही . . .

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टोरी बताई रिगार्डिंग

(श्री मोतीलाल चौधरी)

पावर हाउस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पावर हाउस बना हुआ है चार बायलर्स का। लिग्नाइट निकलता है उसके बेसिस पर बना हुआ है लेकिन इस पावर हाउस को मैक्सिमम दस पर्सेन्ट लिग्नाइट सप्लाई किया है जब कि ९० प्रतिशत बंगाल कोल सप्लाई किया है। पॉवर हाउस वहां बना हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप विराजिये। यह बात ठीक है कि कोयले में दिक्कत नहीं हो, इसको सप्लाई करने में दिक्कत नहीं हो पावर हाउस में। लेकिन यह अलग प्रश्न है, इसके बारे में पावर मिनिस्टर कह सकते हैं, जब आप अलग से पूछेंगे। वैसे मैं इस समय भी इत्तला दे सकता हूं और आपको कन्विन्स कर सकता हूं लेकिन टाइम कम है····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : टाइम ख़राब है?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब मैं शूगर फ़ैक्ट्री के बारे में कुछ कह दूं। शूगर फ़ैक्ट्री के बारे में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा····

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मन्त्री महोदय शूगर फ़ैक्ट्री के बारे में बतायें मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि इस साल आपने सिर्फ़ साढ़े बारह लाख का प्रॉवीज़न किया है और जैसा आपने बताया कि एक करोड़ के क़रीब चाहिए; तो उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा रुपये का प्रावधान करेंगे। और अब सदन के माननीय सदस्य जिस तरह से बजट पास करने जा रहे हैं····

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमारा सुझाव था······

श्री नाथूराम मिर्धा : उससे हमें उम्मीद है कि हम ज्यादा पैसा लगा सकते हैं····

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमारा सुझाव था कि शहर की जो लैन्डेड प्रोपर्टी है, उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाय तो दो करोड़ की वसूली हो जायगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो आपका सहयोग मिल रहा है उससे हमें आशा बंध रही है कि कुछ न कुछ पैसा मिलेगा।

मैं शूगर फ़ैक्ट्री के बारे में निवेदन कर दूं, वैसे सदन के माननीय सदस्यों का जो सहयोग है और उन्होंने जिस प्रकार के सुझाव दिये हैं उनसे जो कुछ हमने सोचा था, कुछ ज्यादा कर गुज़रने की आशा है····

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं जानकारी करना चाहूंगा····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गुज़रेंगे कब?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी चार-पांच साल का मौक़ा दिया है, उसमें से पहला साल निकला है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उससे पहले गुज़र जायेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : तब गुज़रेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : सारे विश्व में अगर कहीं लिग्नाइट का डवलपमेन्ट हुआ है तो वह जर्मनी में हुआ है। तो पब्लिक सैक्टर के दृष्टिकोण से कोलोबोरेशन लेने की कार्यवाही करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना कोलोबोरेशन करने की आवश्यकता है वह सब कर रहे हैं सब तरह से कर रहे हैं जर्मनी का भी ले रहे हैं, फ्रान्स का भी ले रहे हैं, और जितने वैज्ञानिकों का लेने की आवश्यकता है वह ले रहे हैं।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था शूगर फ़ैक्ट्री के बारे में। मेरे पास स्टेट एन्टरप्राइज़ का काम चार छः महीने से आया है और तभी से इस काम को देखने का मौका मिला है। शूगर फ़ैक्ट्री की हालत उस समय से काफ़ी तरक्क़ी पर है और आगे बढ़ रही है। अभी भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जिस समय मैंने यह काम हाथ में लिया था, मैंने दो तीन, चार कमियां महसूस की–एक तो वहां बहुत ज्यादा स्टाफ़ लगा हुआ है। जितने स्टाफ़ की काम के लिये ज़रूरत है उससे ज्यादा स्टाफ़ लगा हुआ है। इसलिये उस चीज़ के बारे में सोचता हूं कि इस सीज़न के बाद किस प्रकार रेशनलाइज़ किया जाय . . .

श्री सतोषचन्द्र अग्रवाल : भारत सरकार के गृह मन्त्रालय जैसा है, वहां भी बीस पर्सेन्ट सरप्लस हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। नेशनल सैक्टर भारत सरकार का है, उस पर भारत सरकार सोचे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कुछ मन्त्री भी सरप्लस हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी बात मैंने सोची कि जो प्लान्ट लगा हुआ है, उसकी छः सौ टन क्रशिंग केपेसिटी थी, उस वक्त का है, अब एक हजार की क्रशिंग केपेसिटी हुई है, तो उसे ज्यादा बढ़ायें। इसके लिए जैसा रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गन्ने की वैराइटी ख़राब हो गई है, बीज ख़राब हो गया है और बीमारी लग गई है . .

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तो पांच साल से कह रहा है सारे गंगानगर का क्षेत्र।

श्री नाथूराम मिर्धा : पांच साल से? आप तो अभी आये हैं। आप साल भर से आये हैं। पांच साल से कह रहे हैं, हमने तो सुना नहीं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : बाहर के लोगों की आवाज़ के लिए क्या कान बन्द रहते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे कान तो रोज़ खुले रहते हैं। माननीय सदस्य ने मुझे भी नहीं कहा, लेकिन मैंने तो बिना कहे ही सुन लिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एग्रीकल्चर एग्ज़ीबीशन में आपको कहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : गन्ने की वैराइटी में सुधार हो, अच्छा बीज लगायें, बीमारी को मिटाया जाय, ज्यादा गन्ना क्रश किया जाय, शूगर केन गुड़ के लिए भी बच जाय और तब भी ज्यादा क्रश हो–इन सारे फ़ैक्टर्स का कोआर्डिनेशन करके ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में गन्ने की क्वालिटी पर कन्सन्ट्रेट किया जाय, इस प्रोग्राम को हाथ में ले लिया है . . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : करप्शन के सम्बन्ध में क्या है?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिये। आपको करप्शन ही दिखता है। आपने करप्शन का चश्मा लगा रखा है।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं करप्शन की बात कह देता हूं····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरे चश्में से··

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बैठ जायं। जब आप बोल रहे थे मैं तो नहीं खड़ा हुआ, उचक-उचक कर।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि करप्शन··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह "उचक-उचक कर" क्या लफ्ज़ है?

श्री नाथूराम मिर्धा : 'उचक-उचक कर' मायने 'जल्दी जल्दी'। मारवाड़ी शब्द है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मोस्ट पार्लियामेन्टरी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप उचक-उचक कर जवाब दे सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जैसा उन्होंने माल ख़रीदने के लिए कहा कि उसमें घोटाला है। मेरे पास जानकारी आई है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है उसके सम्बन्ध में जानकारी आई है—प्रश्न का उत्तर तो आगे आयेगा लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि छः सौ टन की केपेसिटी से एक हज़ार टन की केपेसिटी हो गई इसलिये उस शूगर फ़ैक्ट्री में कुछ मशीन और कुछ पार्ट्स ख़रीदे गये, उसके अन्दर करप्शन हुआ है, कुछ घोटाला हुआ है, यह इन्होंने कहा। मेरे पास जो सूचना आई है। ये कहते हैं कि मैंने पहले कहा था, लेकिन मैं ने पहले सुना नहीं··

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप सदन की रिपोर्ट पढ़ लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : सदन की रिपोर्ट मेरे सम्मुख नहीं है, मैंने देखी नहीं है। लेकिन मेरे कानों से मैं ने पहली बार सुना है····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उस रोज़ कान में तेल डाल रखा था क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से इस तरह तो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते हैं····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, ये ग़लत कह रहे हैं। ख़ुद मुख्य मन्त्रीजी जब गंगानगर गये थे तो उनके सामने यह रिप्रेज़ेन्टेशन किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ज़रूरी कार्यवाही की जायगी··

श्री नाथूराम मिर्धा : आश्वासन···

श्री मोहनलाल सुखाडिया : क्या यह आपकी जानकारी में है कि तुरन्त उसकी इन्क्वायरी की गई और इन्क्वायरी का नतीजा आया उसके अनुसार दो को सस्पेन्ड कर दिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, ४४ हज़ार का सामान ख़रीदा गया, नियमित तरीक़े से जो टेन्डर मांगने चाहियें, वे टेन्डर मांगे गये। क़रीब पन्द्रह बीस फ़र्म के टेन्डर आये, नौ-दस फ़र्म से माल ख़रीदा गया और एक फ़र्म से ३५-३६ हज़ार का माल ख़रीदा··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑडिट आब्जेक्शन्स का जवाब दे दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जवाब दे देंगे। ऑडिट आब्जेक्शन्स हज़ारों की तादाद में पेन्डिग रहते हैं, रोज़ जवाब देते हैं। ऑडिट ऑब्जेक्शन्स की क्या बात कर रहे हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : इतनी इरेंगुलेरिटीज़ होती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर आपका दोष नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको जो घोटाला नज़र आता है, मेरे ख्याल से हमें एक भी घोटाला नज़र नहीं आया। अगर आप विशेष तौर पर किसी घोटाले की बात कहें तो हम छान-बीन कर सकते हैं और आपको पूरी तसल्ली करवा सकते हैं कि कहीं घोटाला नहीं है। सब ठीक चल रहा है।

शूगर फ़ैक्ट्री के बारे में काफ़ी सुधार करने की गुन्जाइश है, काफ़ी सुधार हुआ है इस साल। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सोचा था कि १८ लाख टन गन्ना इस साल में पीसेंगे....

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मन ।

श्री नाथूराम मिर्धा : १८ लाख मन इस साल पीसेंगे, यह सर्वे किया था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पीसेंगे या पेलेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गुड़ के अन्दर चला जाय तो भी १८ लाख मन पीस डाले, यह गुड से कम्प्टीशन हुआ है ।

इसके अलावा पर्सेन्टेज आफ़ रिकवरी के लिए कहना चाहता हूं कि इस साल १५ पर्सेन्ट सब चीज़ों में रिकवरी हुई है। इसके अलावा इस साल शूगर मिल के मैनेजमेन्ट के बारे में मुझे एक आदमी ने भी शिकायत नहीं की है। कोयले के कन्ज़म्प्शन की बात कही, वह एक-चौथाई हो गई है।

इसके बाद में मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि बेलास्ट काम में नहीं लिया गया। यह बात सही नहीं है, सारा बेलास्ट काम में लिया और जो बच गया वह पड़ा हुआ है।

इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि सभी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष, मैंने ये कुछ फ़ैक्ट शूगर फ़ैक्ट्री के बारे में आपके सामने रखे हैं।

तीसरी बात सोडियम सल्फ़ेट की है, जिसकी चर्चा की गई। सोडियम सल्फ़ेट के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले एक समय सदन में मैंने वायदा किया था कि इसका प्रॉडक्शन शुरू कर देंगे। इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि सितम्बर–अक्टूबर तक प्रॉडक्शन शुरू कर देंगे और अक्टूबर के महीने तक तो निश्चित तौर से इसका प्रॉडक्शन शुरू कर देंगे। और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो फ़िगर्स दिये गये हैं उनको एचीव करेंगे। पहले जो कमियां रही हैं उनके बारे में भी मेरे दिमाग में है, और उनके लिये भी कर रहे हैं।

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेंगे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (उद्योग मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में बड़े उद्योगों, लघु उद्योगों की बातें हुई हैं ग्रौर बेचारा इससे भी छोटा ग्रामोद्योग है ग्रौर वह खादी रह गया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें ग्रापके सामने रखना चाहता हूं। मैंने देखा कि जितनी ज्यादा संख्या में कट मोशन्स बड़े बड़े उद्योगों पर ग्राये उसके मुकावले में ४-५ ही कट मोशन्स ग्राये हैं।

श्री मानसिंह महार (ग्रामेर) : ग्रापकी तन्दुरुस्ती को देख कर।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : धन्यवाद।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : खादी उद्योग की भी ऐसी ही तन्दुरुस्ती होगई है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने यह देखा कि जब कभी खादी उद्योग की बात ग्राती है तो मैं ग्रक्सर यही देखता हूं कि खादी उद्योग के मुतल्लिक माननीय सदस्यों को सही जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि मैं माननीय सदस्यों के सामने थोड़े समय में इसकी जानकारी रखूं। मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा समय नहीं लिया जाय क्योंकि यह छोटा उद्योग है इसलिये थोड़ा ही समय लिया जाना चाहिये।

इसके लिये ऐसा माना जाता है कि जो डेटा दिया जाता है कि यह राजस्थान सरकार देती है। मगर मैं ग्रापको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का एक पैसा भी सहायता या ऋण में नहीं लिया जाता है। जितना पैसा ग्राता है वह खादी कमीशन से ग्राता है। राजस्थान सरकार का एक पैसा भी नहीं इसमें लगता है।

श्री भैरोंसिंह : लाएबिलिटी किस की है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सब बता देता हूं ग्रापका पूरा समाधान कर दूंगा। ग्रगर नाथूरामजी १६ ग्राना कर सकते हैं तो मैं २० ग्राना कर दूंगा।

ग्रच्छा तो जो राजस्थान सरकार खर्चा उठाती है वह खादी बोर्ड है उसके ग्रॉफिस का ग्रौर इसके बारे में यह भ्रम है कि बहुत सारा रुपया लगता है ग्रौर इसमें बड़ा भारी स्टाफ है। मैं ग्राज जाकर ग्राया हूं। दिन प्रति दिन वहां का खर्चा कितना कम हो गया है कि ग्राप इस बात का चार्ज लगा सकते हैं कि इतने कम खर्चे में कैसे काम चला सकते हैं। या तो इसके लिये ग्राप तारीफ करें कि इतने खर्चे में हम काम चला रहे हैं।

(विराम)

या यह कहिये कि जनता की ज़िम्मेदारी को देखते हुए स्टाफ कम है इसके लिये ज्यादा स्टाफ देना चाहिये। मैं ग्रापके सामने कुछ ग्रांकड़े पढ़ कर सुनाता हूं जिससे ग्रापको मालूम हो जाएगा कि पोज़ीशन क्या है? ग्रांकड़े बहुत लम्बे-चौड़े नहीं हैं। सन् १९५५-५६ में कुल काम हुग्रा—राज्य का ऋण ग्रौर सहायता दोनों शामिल हैं २,२०,०००) दिये गये। इसमें खर्चा हुग्रा वह २५,१६० जो ११ प्रतिशत था।

धीरे धीरे ग्रौर भी ग्राप देखगे कि खर्चा कम होता जा रहा है। सन् ५६-५७ में कुल काम हुग्रा १८,७७,१५०) ग्रौर खर्चा हुग्रा वह १,२४,०००) का जो ७ प्रति सैकड़ा हुग्रा। ये तो ग्रांकड़े मौजूद हैं जो मैं बोल रहा हूं। सन् ५७-५८ में, १७,५८,०००)

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)
रुपये दिये गये और १,१२,०००) दफ्तर पर खर्चा हुआ। जो ६ प्रतिशत था। पहले ११ प्रतिशत, फिर ७ और फिर आप देखेंगे कि ६ प्रतिशत आया है। सन् ५८-५९ पर आवें तो आप देखेंगे कि ५८-५९ में १८,०७,८४०) का काम हुआ जिसमें से १,३८,७२६) खर्च हुए। यहां कुछ प्रतिशत बढ़ा है। ७ पर्सेन्ट होता है। इसमें खर्चा हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : कोई बात नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ५९-६० में १,६०,०००) रु० खर्चा हुआ जो ७ प्रतिशत था।

६०-६१ में ६२,०६,५७०) रु० का काम हुआ जिसमें १,६८,६०६) रु० खर्च हुए जो २॥ प्रतिशत है।

६१-६२ में ६२,७१,०००) का काम हुआ और जिसमें १,७६,०००) रु० खर्च हुए।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह काम क्या हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हाउस में एक बात का फैसला करना होगा या तो स्टाफ बढ़ाइये या अपव्यय की जो शिकायत आती है वह नहीं की जावे।

श्री मानसिंह महार : ६२ लाख का क्या काम हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : यह टर्न ओवर हुआ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि जितना रुपया इसमें लगाया गया है उसका पूर्ण रुप से उपयोग हुआ है और आज जो काम इतने लोगों को मिल रहा है यदि आप उसकी संख्या देखेंगे तो आपको मालूम हो जावेगा कि कितने लोगों को काम मिला है। आंकड़े बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह सबको मालूम है। आंकड़े तो खादी-पत्रिका में दिये हुए हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप इसका अध्ययन करें। ६२ लाख रुपयों का आप खर्चा कर रहे हैं उसमें ऋण है सहायता कम है, फिर भी वे आज ७५ हजार को काम दे रहे हैं। ८ हजार बुनकरों को पूरे टाइम का और ३५ हजार और लोगों को काम दे रहे हैं। अगर मिलों को देखें तो आपको मालूम होगा कि इससे दस गुना ज्यादा पैसा लगाने पर भी इतने लोगों को वह काम नहीं दे सकती है। तो बडे कारखानों के मुकाबले में यह कहा जाता है कि अनाप-शनाप खर्च हो रहा है यह उचित नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : करोड रुपया तो यों ही खर्च हो रहा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुछ नहीं हो रहा है।

दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि बडे-बडे महल बना लिए हैं खादी भंडार के लिए, यह कहा गया। तो इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां खादी

Page No 148

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)
मंडार दिखते है वे खादी मंडार ने नहीं बनाये हैं । ये किराये के मकान हैं......

श्री मानसिंह महार : यह गलत इन्फोर्मेशन है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इसका भी जवाब देता हूं, आप सब्र रखेंगे तो आपकी जितनी शंकाएं हैं उनका समाधान कर दूंगा । तो वे तो किराये के मकान हैं अलबत्ता उनको सजाया गया है । क्यों सजाया गया है ? इस बात की कोशिश की जा रही है कि खादी अमीरों में ही पॉपुलर नहीं है, विदेशों के लोग भी इसके महत्व को समझे हैं, पुरानी भारतीय कला आज भी जीवित है, यह बताने के लिए कांच की अलमारियां वगैरह लगा दी हैं, कोई तुर्रे थोडे ही लगाये हैं । जयपुर में जो माननीय सदस्य जाते हैं वे समझते होंगे कि ये महल खादी वालों के महल हैं—ये तो किराये के मकान हैं ।

खादी वालों ने गांवों में इमारतें बनाई हैं, जिनकी टीनों की छत है, पत्थर की पक्की दीवारें हैं और ऊपर टीन पडे हुए हैं—वे खादी के कारखाने और गोदाम हैं, सीधी सादी इमारतें हैं । माननीय सदस्य जिन्होंने शिकायत की है वे तो रोज वहां से आते जाते हैं, उनके पास ही है ।

श्री मानसिंह महार : तभी तो शिकायत करता हूं । महल है, आप मेरे साथ चलिये आमेर में......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आमेर के महल तो पहले राजा महाराजाओं ने बनाये थे ।

श्री मानसिंह महार : आपके महल हैं जरा जाकर देखिये ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आमेर को छोडिये पर अजमेर वाले बता दीजिये कि कितने के हैं और किसके हैं ? अजमेर का बतायेंगे क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : ढाई दिन का झोंपडा ?

श्री भैरोंसिंह : ढाई दिन का झोंपडा नहीं, अजमेर में रोड पर बने हुए हैं । ग्रामोद्योग से पैसा मिला हुआ है—खादी भवन का महल ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अजमेर में जितने खादी भंडार चल रहे हैं किराये के मकान में हैं ।

श्री भैरोंसिंह : सब्सिडी दी है न भवनों में, किराये के मकानों के लिये कितनी सब्सिडी दी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : महल हैं कि नहीं, यह तो मैंने स्पष्ट कर दिया ।

अब इस पर आता हूं खादी कमीशन के नियमानुसार जितना रुपया पाने का अधिकार है वह रुपया दिया जाता है और उसी काम में उपयोग उसका होता है । उसमें ही उपयोग होता है या नहीं, यह देखने की बात है । मैं शब्दों पर अडना नहीं चाहता ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे साथ चल कर देखिये महल है कि नहीं ? हटूंडी जैसे हैं कि नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हटूंडी में भी महल दिख रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : देखे नहीं, सुने ही हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बात आपके सुनने में आई है तो साफ कर दूं । केन्द्रीय सरकार की बहुउद्देशीय योजना है उसके नीचे कर्जा दिया है, किसी ने जेब से नहीं दिया है । ३० साल में वह कर्जा ब्याज सहित लौटाया जायेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लौटायेगा कौन ? राइट ऑफ हो जायगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो हटूंडी में महल नहीं हैं, उसमें माननीय सदस्य की भी लडकियां हो सकती हैं, वे लडकियां रहती हैं । न दा साहब रहते हैं और न दा साहब के बच्चे रहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : लडकियों के लिये नहीं, हाथी के लिए चाहिये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : फिनिशिंग प्लांट की बात कही थी·····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसी ने नहीं कही । किसने कहा, बताइये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय भीमसेनजी ने कहा था, मेरे पास यह रहा नोट । तो फिनिशिंग प्लांट बीकानेर में मौजूद है, वह कम पडता है, दूसरे प्लांट का आयोजन हो रहा है ।

श्री भैरोंसिह : आपने वह कट मोशन देखा कि नहीं । खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में कट मोशन है, जिसको आप दबा कर बैठे हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दबा कर नहीं बैठा ; पूरी कार्यवाही की जा रही है । मैं आखिरी आदमी होऊंगा इस सदन में जो करप्शन की बात को दबा कर बैठेगा ।

श्री भैरोंसिह : आप यह बताइये उस रिपोर्ट पर क्या किया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कार्यवाही हुई है ।

श्री भैरोंसिह : क्या कार्यवाई हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो चार्ज या बात ऐसी कही गई जिस पर कि एक्शन नहीं लिया जा सकता, उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, न लिया गया है और न लिया जायेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस स्टेटमेंट के बाद तो आप चीफ मिनिस्टर बनने के लायक हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कार्यवाही बहुत जोरदार है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो सही बात है, सही कही जायगी, और जो गलत है, वह गलत होगी । गलत के खिलाफ कार्यवाही की जायगी । तो यह कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यदि कोई सही है तो भी उसे सजा दे दी जाय और किसी की गलती है उसे बचा लिया जाय ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : तो क्या एण्टीकरप्शन वालों ने गलत रिपोर्ट दे दी ?

(विराम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जोडी खूब मिली, साहब । एक कहता है मैं समझता ही नहीं, दूसरा कहता है मैं सुनता ही नहीं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने दूसरी जगह के आंकडें भी मंगाने की कोशिश की है कि दूसरी सरकारें कितना रुपया लगाती हैं और कितना ऑफिस आदि का खर्चा होता है । मैं आपकी तसल्ली के लिए बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में उनसे ज्यादा खर्चा नहीं है । ऑफिस को चलाने के लिए एफिशियेन्टली और भी स्टाफ बढाने की आवश्यकता है ।

अब एक चीज शिक्षा विभाग के संबंध में.......

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : शिक्षा विभाग आज नहीं है ।

श्री **मानसिंह महार** : आज बजट की बहस का उत्तर नहीं है । आप बजट की बहस का उत्तर समझ बैठे थे क्या ?

श्री **हरिभाऊ उपाध्याय** : इन्हीं शब्दों के साथ में भी दूसरे और मंत्री साथियों के साथ लघु उद्योग, ग्रामोद्योग की दुबली-पतली आवाज है उसे लगाता हूं कि माननीय सदस्यों को इससे संतोष हुआ होगा ।

श्री **भैरोंसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं । खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, एक्ट की धारा ४ के तहत बोर्ड को खर्च का तिमाही स्टेटमेंट देना पडता है तो क्या सरकार को आज तक ऐसा कोई स्टेटमेन्ट दिया गया है ? इसके संबंध में मेरा कट मोशन है ।

श्री **हरिभाऊ उपाध्याय** : ऑफ हेंड प्रश्न करते हैं । कैसे जवाब दे सकता हूं ?

श्री **उपाध्यक्ष** : अलग प्रश्न कीजिये ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष, मंत्री महोदय ने खादी कमीशन के बारे में ९२ लाख के फीगर बताये कि लोन और सहायता दी तो मैं जानना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों में बीकानेर के ऊन उद्योग के लिये खादी बोर्ड से एक करोड की स्वीकृति हुई जो साढे चार पर्सेंट के इन्ट्रेस्ट से दिया और उसको बीकानेर की संस्थाओं को नहीं दिया और बैंक में रख कर साढे ६ पर्सेन्ट के व्याज का फायदा उठाया ।

श्री **उपाध्यक्ष** : ज्यादा अच्छा तो यह हो कि प्रश्न में पूछ लें ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अन्त में यही बता दें कि यह जवाब किसने लिख कर दिया है ?

श्री **हरिभाऊ उपाध्याय** : दफ्तर से ही लिख कर देते हैं, दफ्तर में जिम्मेदार गजटेड ऑफिसर होते हैं । वे ही स्टेटमेंट आदि बना कर देते हैं, आप समझते हैं कि मंत्री तालिकाएं बना कर लाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं सरकार की तरफ से जितना स्पष्टीकरण हो गया है उससे माननीय सदस्यों को संतोष हो गया होगा । ऐसी दशा में जितने कटौती प्रस्ताव हैं उनको माननीय सदस्य वापिस लेने के लिये तैयार रहेंगे ।

क्या सदन की अनुमति है कि वे कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये जायं ?

श्री **रामकिशन** (वैर) : खनिज विभाग के बारे में जो भ्रष्टाचार संबंधी प्रस्ताव हैं उनको तो वापिस नहीं लेते साहब ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, सदन की इन्फामल कन्सल्टेटिव कमेटी जैसी कि पार्लियामेंट में बनी हुई है उसी तरह की हमारे यहां भी माइनिंग और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के संबंध में हाउस की एक कन्सल्टेटिव कमेटी बनाई जाय । इसके संबंध में कोई राय जाहिर नहीं की है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका स्वागत करता हूं । अभी एडवाइजरी बोर्ड है जो मिनरल्स और इंडस्ट्रीज के संबंध में सरकार को एडवाइज देता है । पर पार्लियामेंट में जिस तरह कन्सल्टेटिव कमेटी होती है वैसी यहां भी बनाई जायगी, यही में कहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : तो मैं अब यह समझूं कि सारे कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये गये हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : भ्रष्टाचार वाला नहीं लिया गया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : जेब में रख लो ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

एक माननीय सदस्य : डेटा हिन्दी में मिलेगा या नहीं ? अंग्रेजी का जो लिट्रेचर मिलता है वह नहीं मिलना चाहिए । अंग्रेजी का प्रश्न तो नहीं आवेगा ?

श्री रामकिशन : अंग्रेजी की बात तय हो जाय । बड़ी असुविधा होती है इन लोगों को ।

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव वापिस लिये गये ।

मांग संख्या १४, मांग संख्या २१, मांग संख्या ४२;

प्रश्न यह है कि इन तीनों मांगों को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १४, मांग संख्या २१, मांग संख्या ४२ स्वीकार की गई ।

(विराम)

सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक १९ मार्च, १९६३ प्रातः ११ बजे तक के लिए म.प. ६-५१ बजे स्थगित हुई) ।

संक्षिप्त विवरण

सोमवार, १८ मार्च, १९६३

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

पलाना कोलेरी के मजदूरों को ले-ग्राफ।

एक अध्यापक पाठशाला खोलना।

सहकारी समितियां नीम-का-थाना।

पंचायत में गबन—तहसील मालपुरा।

सार्वजनिक तालाब खोदने हेतु दी गई राशि-तहसील रायपुर।

राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन।

सिकराय तहसील के अग्नि पीडितों को सहायतार्थ दी गई धनराशि।

बन्दोबस्त आयुक्त।

वाडमेर में कॉलेज।

खर्च में कटौती के कारण कर्मचारियों की कमी।

कन्या माध्यमिक शाला-रामगढ अलवर।

पंचायत समिति पाटन की कैश बुक।

जागीर कमिश्नर के फैसलों के विरुद्ध राजस्व मंडल में पेश की गई अपील।

स्टीमर चलाने के प्रयास में दुर्घटना।

नगरपालिकाओं का पंचायतों में और पंचायतों का नगरपालिकाओं में परिवर्तन।

कुर्कियों की तामीलें-तहसील भादरा और नोहर।

एस. डी. ओ. भीनमाल का भीनमाल एवं सांचोर में हैडक्वार्टर।

तहसील सराडा के काश्तकारों की भूमि का मुआवजा।

तहसील लाडपुरा द्वारा भूमि-हीन किसानों को अलॉट की गई भूमि।

पंचायतों को इन्तकाल दर्ज करने के अधिकार।

चूरू जिले के अध्यापक।

अलवर जिले को उद्योग विभाग द्वारा दिया गया ऋण।

जिला सवाई माधोपुर में अग्नि-काण्ड।

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति।

मोबाइल एक्स-रे प्लाण्ट स्कीम।

नील बनाने वाले फेब्रिकेटर्स-भरतपुर।

भोपाल सागर शुगर मिल द्वारा गन्ने की खरीद।

चित्तौड सैनिक स्कूल में राजस्थानी विद्यार्थियों का अनुपात तथा छात्रवृत्ति।

सीकर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की योजना।

गंगानगर शुगर मिल में सरकारी लागत तथा गन्ने की खरीद।

२. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री मोतीलाल चौधरी, सभापति, प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ ने समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया :—

(१) यातायात विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति, १९६२–६३ का पहला प्रतिवेदन

(२) राजस्थान स्टेट रोडवेज (यातायात का राष्ट्रीयकरण) से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ का दूसरा प्रतिवेदन।

(३) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ का चौथा प्रतिवेदन।

(४) प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ का पांचवां प्रतिवेदन जो शिक्षा विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति १९६१-६२ के २१ वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है।

(५) प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ का छठा प्रतिवेदन जो समाज कल्याण विभाग विषयक प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ के १९ वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है।

३. आयव्ययक, १९६३-६४

प्रथम अवस्था-साधारण वाद विवाद

आयव्ययक, १९६३-६४ पर की गई बहस का उत्तर आज सरकार की ओर से श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री ने दिया।

आयव्ययक १९६३-६४ द्वितीय अवस्था।

अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

अध्यक्ष महोदय ने अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के लिये उपलब्ध समय को विभिन्न दलों एवं वर्गों में बंटवारा करते हुए सदन को सूचित किया।

(१) मांग संख्या-१४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग।

(२) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग।

(३) मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत।

उपरोक्त तीनों मांगें मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया द्वारा प्रस्तुत की गई।

इन मांगों पर प्रस्तुत कटौती-प्रस्तावों पर की गई बहस का उत्तर सरकार की ओर से श्री चन्दनमल वैद, उप-मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री, श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षा मंत्री, ने दिया। तत्पश्चात् कटौती-प्रस्ताव वापस लिये जाकर उपरोक्त तीनों मांगे सदन द्वारा स्वीकार की गई।

सदन की बैठक ६ बजकर ५१ मिनट पर मंगलवार, दिनांक १९ मार्च, १९६३ को प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक १९ मार्च, १९६३ की कार्य-सूची।

(१) प्राक्कलन समिति १९६२-६३ के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन।

(२) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त नवीं रिपोर्ट, १९५९-६० का उपस्थापन ।

(३) याचिका का उपस्थापन ।

(४) विधेयकों का पुरस्थापन ।

(क) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

(ख) राजस्थान मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

५ (क) मांग संख्या २२-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य ।

(ख) मांग संख्या ३५-विविध ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६८ का उत्तर देखिये)

	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१
(क) ले ऑफ के दिनों की संख्या ..	०	१०	७५	३७	६६	४७	८६
(ख) ले ऑफ का कितने मजदूरों पर प्रभाव पड़ा	०	११	१०	२४	९५	६५	१२०
(ग) भुगतान किये गये ले ऑफ कम्पनसेशन की रकम	०	१६७)	१०७२)	१४३१)	१३३५)	५१८१)	८४१४)
(घ) ले ऑफ के कारण कितने टन कोयला न निकल सका	०	कोल कटर्स को ले ऑफ नहीं दिया गया।	—	९० टन	३०७३ टन	२९७ टन	२८५६ टन
(ङ) कोयला विक्रय की दर प्रति टन ..	१७	२०॥) (२६-५-५६ से)	२०॥)	२०॥)	फॉर बीकानेर एफ० ओ० आर० पलाना २५) पिट माउथ बीकानेर से बाहर २४) एफ० औ० आर० पलाना पिट माउथ	 २५) २४) २१) २०)	 २५) २४)
(च) नये भर्ती किये गये मजदूरों की संख्या	२९	३१	२१	१०८	२६	२७४	२६

[३१२३

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ का उत्तर देखिए)

क्रम संख्या	नाम समिति	ऋण जो सन् ६१-६२ में मिला	तारीख मिलने ऋण	ऋण के ६२–६३ में मिला	तारीख मिलने ऋण	प्रकार ऋण
१	२	३	४	५	६	७
१.	पुरानावास ग्राम सेवा सहकारी समिति	६५०००)	१२-७-६१	--	--	अल्पकालीन
२.	सिरोही ग्राम सेवा सहकारी समिति	३३००)	२८-११-६१	--	--	मध्यकालीन
	,, ,, ,, ,, ,, ...	२५४००)	८-२-६२	--	--	अल्पकालीन
३.	नयावास ग्राम सेवा सहकारी समिति	२०००)	२८-९-६१	--	--	मध्यकालीन
	,, ,, ,, ,, ,, ...	४८००)	१०-३-६२	--	--	अल्पकालीन
४.	झालरा वहुधंधी सहकारी समिति	३०००)	२८-९-६१	--	--	मध्यकालीन
५.	भगोट ग्राम सेवा सहकारी समिति	११००)	२-१२-६१	--	--	मध्यकालीन
६.	कोटडा ग्राम सेवा सहकारी समिति	७५००)	२-१२-६१	--	--	मध्यकालीन
	,, ,, ,, ,, ,, ...	२८०००)	१९-१-६२	--	--	अल्पकालीन
७.	मोढका ग्राम सेवा सहकारी समिति	४७००)	६-६-६२	--	--	अल्पकालीन
८.	ढाणी खातीयान ग्राम सेवा समिति	१२५०)	११-६-६२	--	--	अल्पकालीन
९.	ढाणी लापवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति	९००)	१८-६-६२	--	--	अल्पकालीन
१०.	ढाणी माडेला ग्राम सेवा सहकारी समिति	३५००)	१८-६-६२	--	--	अल्पकालीन
११.	ठाणी झाटिण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति	--	--	१९००	६-९-६२	अल्पकालीन

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०८ का उत्तर देखिये)

राजस्थान राज्य वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन के संचालकों की सूची

मनोनीत राज्य सरकार

१.	सचिव सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर (श्री आर० के० चतुर्वेदी)	अध्यक्ष
२.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर (श्री विष्णुदत्त शर्मा)	संचालक
३.	संचालक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर (श्री टी० सी० काला) ..	,,
४.	उप-सचिव, वित्त विभाग-२, राजस्थान, जयपुर (श्री मंगलबिहारी)	,,
५.	श्री प्रकाशमल चतुर, उपाध्यक्ष, क्रय-विक्रय संघ, जयपुर एवं संचालक, सेण्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उदयपुर, फतेहनगर	,,

मनोनीत केन्द्रीय भण्डार गृह व्यवस्था निगम—

६.	श्री एस० जी० सेठ, उप-सचिव एवं कोषाध्यक्ष, स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली	संचालक
७.	कैप्टेन जयसिंह, अध्यक्ष, मार्केटिंग सोसायटी, केकडी (अजमेर) ..	,,
८.	श्री रतनलाल गोठवाल, प्रबंध संचालक, कोटा स्टेट क्रय-विक्रय संघ, बारां (जिला कोटा)	,,
९.	श्री रघुराजस्वरूप, राजभवन, मुजफ्फरनगर	,,
१०.	श्री मोतीलाल चौधरी, सचिव, राजस्थान राज्य सहकारी संघ, जयपुर	,,
११.	श्री पुरुषोत्तमलाल सुखवाल, प्रबंध संचालक, राजस्थान राज्य वेअर-हाउसिंग कारपोरेशन	प्रबंध-संचालक

अन्य पदाधिकारी—

१. सेक्रेटरी, श्री कुन्दनलाल कपूर, बी. ए, एल. एल. बी. .. ..

२. स्टोरेज एवं निरीक्षण अधिकारी, श्री सत्यनारायण शर्मा, एम. कॉम.

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ४१३ का उत्तर देखिए)

सरकारी खर्चे में कमी करने हेतु विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में कमी करने में विषयक सूची :—

मद जिसमें कमी की गई		राजपत्रित अधिकारी	तकनीकी एवं अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग	कार्यालय कर्मचारी वर्ग	चतुर्थ श्रेणी	योग
१		२	३	४	५	६
९.	राजस्व एवं भूमि कर	३७	७	२५७	३१	३३२
१०.	राज्य-आबकारी ..	—	—	—	—	—
११.	गाड़ी-कर ..	१	—	६	३	१०
१२.	बिक्री-कर ..	४	३	—	—	७
१३.	अन्य कर	—	—	—	—	—
१४.	टिकट	—	—	—	—	—
१५.	पंजीयन	—	—	—	—	—
१८.	लोक सभा एवं राज्य विधान	१	—	—		१
१९.	सामान्य प्रशासन ..	२	२४	१२५	३५७	५०८
२१.	न्याय प्रशासन ..	..१२	.. ..	२७	२०	५९
२२.	जेल	..	६५	९	१६	९०
२३.	पुलिस	३	११२	८	५७	१८०
२६.	विविध विभाग ..	२	३०	१४	१९	६५
२७.	वैज्ञानिक विभाग ..	—	—	१	—	१
२८.	शिक्षा	२५	८	७०	६१	१६४

Page No 159

१	२	३	४	५	६
२६. चिकित्सा	१५५	१६	४	६७	२४२
३०. जन स्वास्थ्य ..	१०	४	१५	१३	४२
३१. कृषि	१६	८७	३३	७३	२०६
३३. पशुपालन ..	१७	७	८४	३६	१४४
३४. सहकारिता ..	३	—	१३	२२६	२४२
३५. उद्योग	६	८६	५८	१६७	३५०
३७. सामुदायिक विकास	—	—	—	—	—
३८. श्रम एवं रोजगार ..	२	५३	४	२	६१
३९. विविध सामाजिक एवं विकास संगठन	१६	८०	२३	३८	१५७
४२. बहुद्देशीय नदी योजनाएं	..	२२	२	४	२८
४३. सिंचाई (व्यापारिक)	—	—	—	—	—
४४. सिंचाई (अव्यापारिक)	३	३३	११	२	४६
५०. सार्वजनिक निर्माण ..	१४	७५	९२	५०	२३१
५७. पथ एवं जल-वहन योजनाएं	—	—	—	—	—
६४. अकाल सहायता ..	१	—	२	१	४
६८. स्टेशनरी एवं छपाई ..	—	५०	२	—	५२
७०. वन	..	—	२	६१	६३
७१. विविध	२	१३	३३	३०	९८
योग ..	३३२	७७८	८९५	१३६४	३३६९

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ का उत्तर देखिये)

क्र. सं.	नाम जागीरदार	मांली आय	जागीर की कुल आय	प्रस्तुत करने की तारीख	अपील के कारण	विथड्रा करने की तारीख	विथड्रा करने का कारण
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	श्री भवानीसिंह महनसर (झन्झुनू)	४६६०–५५	४९५२–४४	१३-८-५९	काश्त भूमि बिक्री की आय पर अपील की गई	२-९-५९	दावे में काश्त जमीन की बिक्री की आय शुमार न होने पर बाद जांच अपील विथड्रा की ।
२.	श्री संग्रामसिंह, गहाला (सीकर)	१२७७०–५६	१३६३३-५८	१३-८-५९	,,	२-९-५९	,,
३.	श्री यतेन्द्रसिह, नवलगढ़ (झुन्झुनू)	२९५०-०२	२१४४६-८०	२-४-५९	काश्त भूमि बिक्री की आय जो आबादी के लिए बेची गई मुआवजे के लिये अमान्य होने के कारण अपील की गई ।	९-७-६०	राज्य सरकार द्वारा बाद में यह आदेश जारी होने पर कि काश्त की जमीन यदि आबादी के लिए बेची गई तो उसकी रकम मुआवजे के लिये शुमार की जा सकती है–सरकार द्वारा की गई अपील विथड्रा की गई ।
४.	श्री जसवन्त सिंह पाडली (टोंक)	२४०३६-३७	२४६३८-२९	१२-१-६०	दावे में शुमार की गई अन्य आय के विरुद्ध	३०-४-६०	जागीर के दस्तावेजात की पुनः जांच करने पर मुआवजे दावे में

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
					अपील की गई।		शुमार की गई अन्य आय उचित प्रतीत हुई अतः अपील विथड्रा की गई।
५.	श्री जयसिंह मंडावा	९४१७२-३१	११२९९५-४३	२२-४-६०	काश्त भूमि बिक्री की आय मुआवजे के लिए अमान्य होने के कारण अपील की गई।	१६-११-६०	अपील में चेलेन्ज की गई रकम को जागीर कमिश्नर ने दावे का रिव्यू कर कम करदी अतः अपील विथड्रा की गई।
६.	श्री रूप सिंह चीमरोली (अलवर)	७०६५-०५	७०६५-०५	२९-६-६०	स्टे पीरियड की रकम दावे में से काटी जाने के लिये अपील की गई।	१९-८-६०	राज्य सरकार के आदेश हो जाने पर कि रिट वेकेट होने के पहले जिन जागीरों को खाल्सा की तारीख नियुक्त नहीं हुई उनसे रकम न काटी जावे। अतः अपील विथड्रा की गई।
७.	श्री कायम सिंह मूडादेवल (टोंक)	१०१४७-३०	११५७६-९४	१२-८-६०	अन्य आय जो दावे में शुमार की गई उसके विरुद्ध अपील की गई।	१७-७-६१	जागीर के दस्तावेजात की पुनः जांच करने पर जो अन्य आय दावे में शुमार की गई वह सही पाई गई। अतः अपील विथड्रा की गई।
८.	श्री भवानी सिंह लांयियां (टोंक)	३५५१-५०	३९३१-७५	२६-११-६०	"	२३-१०-६१	"
९.	श्री संग्राम सिंह डिग्गी (टोंक)	८२५०१-५५	११००९४-८७	२२-२-६१	"	३-७-६१	"

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
१०.	श्री धार्मिक जागीरदार शीला माताजी आमेर (जयपुर)	१०३०२-०८	१०३९०-०१	१-७-६१	भूमि बिक्री की आय जो दावे में शुमार की गई उसके विरुद्ध अपील की गई।	३०-१-६२	जागीर के दस्ता „ विथड्रा की गई
११.	श्री हरिसिंह सिरमुख (चूरू)	२४९२६-९३	२६६९२-७८	१-११-५८.	चराई व गैर काश्त की आय के विरुद्ध अपीलें की गई।	२७-४-५९	जागीर की आय का तस्दीक कोर्ट आफ वार्डस के रेकार्ड से हुआ था अतः अपील उठानी पडी क्योंकि कोर्ट आफ वार्डस का रिकार्ड सरकारी माना गया है।
१२.	श्री नरेन्द्रसिंह आंतडा (बूंदी)	१४०६५-०७	१५१०३-९३	२७-३-५९	काश्त भूमि बिक्री की आय पर अपील की गई।	२-५-५९	जागीर कमिश्नर ने दावे का रिव्यू करके अमान्य आय को कम कर दिया अतः अपील विथड्रा करनी पडी।
१३.	श्री केशव सिंह बम्बूला कलां (कोटा)	१७७७६-८१	२०५१५-६३	९-२-५९	गैर काश्त की तथा भूमि बिक्री की आय को अमान्य किये जाने के लिए अपील की गई।	२-३-५९	„
१४.	श्री खंगारसिंह सिरयारी (पाली)	१२३१०-१७	१५५७८-७४	१९-११-५९	माली आय को सेटलमेन्ट रेट पर दिये जाने के लिये अपील की गई।	३-७-६१	माली आय धारा ७ की जांच के अनुसार ठीक पाई गई अतः विथड्रा की गई।
१५.	श्री इन्द्रविक्रमसिंह पडासनी (जोधपुर)	२५४११-७९	२६७९१-३७	२६-११-५९	काश्त की भूमि बचान	२२-१-६०	जागीर कमिश्नर ने दावे का रिव्यू

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
					की आय विरुद्ध अपील की गई।		करके अमान्य आय को कम कर दिया अतः अपील विघड़ा की गई।
१६.	श्री लक्ष्मण सिंह भैरूगढ़ (सिरोही)	९९८-४१	१०९२-२७	२०-३-६१	चराई की आय जागीर खालसा हो जाने के बाद जिस कदर सरकार को हो रही है उस औसत पर शुमार की गई थी जो कि नियम विरुद्ध है अतः अपील की गई।	४-१०-६१	अपील में चेलेन्ज की हुई रकम छोटी होने के कारण व इतनी सी आय जागीरदार को होना स्वाभाविक मानते हुए, उसे व्यर्थ में मुआवजा मिलने में देरी होने से बचाने के लिये अपील उठाली गई।
१७.	श्री केशरी सिंह लनवा (नागौर)	५२३५-४६	५२६७-७०	२२-३-६१	,,	४-१०-६१	,,
१८.	श्री मेघसिंह नरादरा (सिरोही)	१४२०-९४	१५३९-१४	६-४-६१	,,	२५-१०-६१	,,
१९.	श्री परबत सिंह, बाघसीन (सिरोही)	१८५९-०६	१९६१-५०	८-४-६१	,,	४-१०-६१	,,
२०.	श्री जवानसिंह जैतपुरा (सिरोही)	७९५-०६	८८०-२४	१३-५-६१	,,	६-१०-६१	,,

[३१३१]

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
२१.	श्री विरध सिंह, राडबर (सिरोही)	३१३-०६	४१०-४५	१३-५-६१	,,	१३-१०-६१	,,
२२.	श्री घोंकल सिंह, दुवाना (सिरोही)	६९४-३४	७८९-८४	१३-५-६१	,,	२५-१०-६१	,,
२३.	श्री घोंकल सिंह, सपनी (जालोर)	८८५-४९	९३०-४९	२५-५-६१	,,	१३-१०-६१	,,

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२१ का उत्तर देखिये)

तहसील सराढा तालुक ग्रामों की भूमि उदयपुर हिम्मतनगर रेल्वे लाइन के लिये समाप्त हुई उसकी लिस्ट :

न. शु.	नाम ग्राम	क्या पेमेन्ट होना बकाया है	कुएं बकाया है	एवज़ाना देना यदि है तो क्यों,
१	२	३	४	५
१	देवड़ा खुर्द	बाक़ी है (ए) ४ आसामी	नहीं	
२	बदवास	गवर्नमेन्ट लैण्ड है	नहीं	
३	बोड़ा	पेमेन्ट हो चुका (ए) २ आसामी	नहीं	
४	सिगटवाड़ा	पेमेन्ट अब होगा (बी)	पेमेन्ट होना बाकी (सी)	
५	मालडीया	पेमेन्ट हो चुका है	नहीं	
६	रेवातलाइ	पेमेन्ट अब होगा (बी)	होना बाकी (सी)	
७	पाड़ला	पेमेन्ट होचुका	होना बाकी (सी)	
८	देवपुरा	पेमेन्ट हो चुका है	होना बाकी है (सी)	
९	महुवाड़ा	पेमेन्ट होचुका	नहीं	
१०	पावडीया	पेमेन्ट हो चुका है	नहीं	
११	पीलाघर	पेमेन्ट हो चुका	नहीं	
१२	जाडोल,	पेमेन्ट हो चुका	नहीं	
१३	धाणी	पेमेन्ट हो चुका (डी)	नहीं	
१४	डीगरी	पेमेन्ट हो चुका	नहीं	
१५	केरपुरा	पेमेन्ट हो चुका	नहीं	
१६	बाणा	पेमेन्ट हो चुका	नहीं	
१७	उदपुरिया	पेमेन्ट हों चुका	नहीं	

१	२	३	४	५
१८	बेहुती	पेमेन्ट हो चुका	नहीं	
१६	सेकड़ी	पेमेन्ट हो चुका	नहीं	
२०	बढगांव	पेमेन्ट हो चुका	नहीं	
२१	धाना खुर्द	पेमेन्ट हो चुका	नहीं	
२२	धाना कलां	पेमेन्ट हो चुका	नहीं	
२३	सुरढंढखेड़ा	पेमेन्ट हो चुका (इ)	होना बाकी (सी)	
२४	कुराड़िया	पेमेन्ट अब होगा	होना बाकी (सी)	
२५	गतोढा	पेमेन्ट अब होगा	होना बाकी (सी)	
२६	जालमपुरा	पेमेन्ट अब होगा	नहीं	
२७	नारायणपुरा	तमाम गवर्नमेन्ट लैण्ड है	नहीं	
२८	अंवारा	पेमेन्ट अब होगा	नहीं	
२६	सगतडी	पेमेन्ट अब होगा	होना बाक़ी (सी)	
३०	घोरी	पेमेन्ट अब होगा	नहीं	
३१	घोणी	पेमेन्ट अब होगा	नहीं	
३२	बली	पेमेन्ट होवेगा	नहीं	
३३	कुन्डा	पेमेन्ट अब होगा	होना बाकी (सी)	
३४	तेजपुर	एवार्ड अब जारी होवेगा	नहीं	

नोट :—उधर जो संकेत बतलाये गये हैं जो इस प्रकार हैं :—

: ए : एलाइनमेन्ट में रद्दोबदल होने से वैल्यूएशन बनाना बकाया है, ।

: बी : पेमेन्ट अब होवेगा, इन के एवार्ड हाल ही में जारी हुए हैं जिनका पेमेन्ट अख़ीर मार्च पहले पहले इसी साल में होगा ।

(सी) कुवे के एस्टीमेट रेल्वे विभाग को बनाने के लिये लिखा जा चुका है सो आनेपर पेमेन्ट होगा।

(डी) लाइन के रद्दोबदल होने से इस ग्राम के चंद आसामियों को फ़सल का एवज़ाना दिया जाना बक़ाया है जिसके देने की कार्यवाही जारी है।

(इ) लाइन के रद्दोवदल होने से एवार्ड हाल में और जारी हुए जिनका पेमेन्ट अब होगा।

परिशिष्ट ७

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले (प्रश्नोत्तर)।

तारांकित प्रश्न

अलवर जिले को उद्योग विभाग द्वारा दिया गया ऋण

४२६. श्री **जयकृष्ण** (थाना गाजी)— क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) अलवर जिले को गत ५ साल से कितना ऋण उद्योग विभाग द्वारा उद्योग धंधे चलाने को मिला है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या जिन लोगों को ऋण मिला है उन लोगों ने उद्योग धंधे लगा लिये हैं? यदि हां, तो कितने लोगों ने? यदि नहीं, तो सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठा रही है?

(३) क्या ऋण दिये गये उद्योग धंधों को सरकार से किसी वस्तु का कोटा दिया जाता है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या सरकार इस बात की जांच पड़ताल करवाती है कि जिन लोगों को कोटा दिया जाता है वे अलवर में उत्पादन कर सकते हैं? यदि नहीं, तो सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

गत ५ वर्षों से अलवर जिले को उद्योग धन्धे चलाने के लिए १,५७,६०० रु० का ऋण दिया गया है। जिसकी सूची निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	वर्ष	संख्या संस्थान	धन राशि
			रु०
१.	१९५७-५८	४	११,०००
२.	१९५८-५९	१२	१८,५००
३.	१९५९-६०	१०	१८,०००
४.	१९६०-६१	१६	६८,५००
५.	१९६१-६२	१९	४१,६००
	जोड़	६१	१,५७,६००

उपरोक्त ६१ संस्थानों में से ५ के अलावा सभी ने इस का उपयोग कर लिया है जिन्होंने ऋण उपयोग नहीं किया उनके खिलाफ ऋण की वसूली की कार्यवाई की जा रही है।

जी हां, इनमें से तिलवार लोहा उत्पादक सहकारी समिति को ५ टन लोहा दिया गया है।

जी हां, जिला उद्योग अधिकारी ऐसी जांच करते हैं।

प्रश्न

जिला सवाई माधोपुर में अग्निकांड

४२७. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६२ में जिला सवाई माधोपुर में कितने अग्निकाण्ड कहां कहां पर तथा कौन कौन सी तहसीलों में हुए?

(श्री श्रवणलाल)

(२) प्रत्येक स्थान पर कितना-कितना नुकसान हुआ है तथा सरकार द्वारा उनके लिये कितने कितने रुपये की धनराशि अनुदान में दी गई है ?

(३) जहां पर अनुदान की रकम नहीं दी गई है उनके लिए सरकार क्या सोच रही है और अब उनके लिए कितनी कितनी धनराशि दी जा रही है ?

(४) यह भी बताएं कि किस किस जगह उक्त अग्निकाण्डों में मशीनरियों को नुकसान हुआ है और उनके लिए भी सरकार क्या सोच रही है ?

उत्तर

जिला सवाई माधोपुर में १९६२ में जिन तहसीलों में अग्निकान्ड हुए उन की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

अग्निकान्ड से प्रत्येक स्थान पर अनुमानित हानि हुई उसका विवरण भी गांव के नाम के सामने सूची में अंकित कर दिया गया है।

जिला कार्यालय से निम्न ग्रामों में अग्नि पीड़ितों को सहायता दी गई :—

ग्राम बोंली तहसील बोंली	ग्राम डुकमो खेडा तहसील हिन्डौन
५०० रुपये	१००० रु०

अग्निकान्ड सहायता संबंधी प्रार्थना-पत्र पंचायत समिति अथवा नगरपालिका क्षेत्र द्वारा प्राप्त होने पर फन्डस् होने की दशा में उन पर जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है तथा बड़े अग्निकान्डों में सरकार द्वारा सीधी भी सहायता प्रदान की जाती है।

जिलाधीश सवाई माधोपुर के प्रस्तावानुसार दस हजार रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है इस जिले में गत वर्ष ग्राम इब्राहिमपुर तहसील हिन्डौन में अग्निकान्ड से चक्की को हानि हुई जिसको सहायता प्रदान करने के लिये नियमानुसार विचार किया जायगा।

सन् १९६२ में जिला सवाई माधोपुर की तहसीलों में हुए अग्निकान्ड की ग्रामवार सूचि :

नाम तहसील	नाम ग्राम (स्थान)	तादाद अग्निकान्ड	अनुमानित नुकसान
१	२	३	४
			रुपये न.पै.
सवाई माधोपुर	फलौदी	१	९९२९.००
	गम्भीरा	१	६७९.००
बोंली	बोंली	१	२४५६.५०
	मलारना डूंगर	१	१२३.००
गंगापुर . .	मिर्जापुर	१	२३२३.००
	नया गांव	२	३०००.००
	कुमरगढ़	६	६५००.००

१	२	३	४
गंगानगर	वज़ीरपुर	२	६०.००
	उदईकलां	१	१५०.००
	ऊमरी	२	३३५.००
	आईखेड़ा	१३	५१३०.००
	उदई खुर्द	१	५००.००
वामनवास	बागडा	१	७७५८.००
नादौती	लालसर	१	४७८.००
	सिकन्दरपुर	१	२०००.००
करौली	मटकापुरा	१	२५५०.००
सपोटरा	अमरवा	१	४५८.५०
	सिदपुर	१	८८२१.००
	भाडा	१	३४५८.५६
हिन्डौन	धन्धावली	१	३४३.००
	हुकमखेड़ा	१	४८८७.००
	हिन्डौन	१	५००.००
	सोमला	१	१००.००
	मुहइब्राहीमपुर	१	३५०.००
	मुन्डावरी	१	८१३३.००
	मुकरावली	१	२७५०.००
	समेट	१	१४०५.००
	बहादुरपुर	१	३७०.००
	गद्दीपुरा	१	४२६.००
टोडाभीम	साकड़वाड़ा	१	५०० ००
	झाडीसा	१	१८०.००
	ताल	१	२७७६८.००
	मन्नोज	१	६०.७० मन अनाज
	मदलपुर	१	७३६.००
	शेलपुर	१	५००.००
	बालघाट		
महुवा	मोपुरसापुर	१	४८५०.००
	सरबली	१	.. ..
	पावटा	१	.. ..
	बालाहेड़ी	१	५६५.००
	मोहनपुर	१	१६०६.००

प्रश्न

सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के छात्रों की छात्रवृत्ति

४२८. **श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल,** (जौहरी बाजार, जयपुर)–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर के कुछ छात्रों को गत वर्ष छात्रवृत्ति दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इन छात्रों को इस वर्ष की छात्रवृत्ति की राशि अभी तक भी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि प्रिंसिपल महोदय ने कई बार रिमाइन्डर्स सरकार को भेजे हैं ? यदि हां, तो कितनी बार ?

(४) उक्त छात्रवृत्ति दिये जाने में क्या बाधाएं आ रही हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सभी छात्रों को जुलाई ६२ से दिसम्बर, ६२ तक की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। माह जनवरी व फरवरी, ६३ का बिल खजाने भेजा जा चुका है। शीघ्र ही भुगतान कर दिया जावेगा।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न

मोबाइल एक्स-रे प्लान्ट स्कीम

४२९. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत,** (भीम):–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि एनीमल हस्बेन्डरी विभाग ने मोबाइल एक्स-रे प्लाण्ट की स्कीम चालू की है ?

(२) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत अभी तक क्या क्या काम किये जा चुके हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

(३) दूसरे राज्यों के मुकाबले में इस स्कीम के अन्तर्गत हमारी सफलताओं की क्या स्थिति है ?

उत्तर

जी हां।

इस मोबाईल एक्स-रे प्लाण्ट द्वारा देहातों में (जहां से सूचना मिलती है वहीं पर) पशुओं का फोटो (एक्स-रे) लिया जाता है, तथा आज तक जितने फोटो खींचे गये हैं उनसे पशुओं के रोग के निदान और इलाज में पूर्ण मदद मिली है। संसार में रूस के अतिरिक्त जयपुर में ही पहला स्थान है जहां यह एक्स-रे प्लाण्ट है।

दूसरे राज्यों से तुलना करने का सवाल ही नहीं उठता।

प्रश्न

नील बनाने वाले फेब्रिकेटर्स–भरतपुर

४३०. श्री रामकिशन (वैर)–क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) भरतपुर में नील बनाने वाले

(श्री रामकिशन)

कितने नेफेब्रिकेटर्स हैं ? इनको किस किस चीज का कब से कितना कितना कोटा मिल रहा है ?

(२) क्या सरकार ने कभी इन फेब्रिकेटर्स का उत्पादन कभी चैक किया है ? यदि हां, तो वहां कितना कितना माल तैयार होता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) भरतपुर में नील बनाने वाला कोई कारखाना नहीं है। अतः कोटा मिलना या अन्य सम्बन्धित प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न

भोपालसागर शुगर मिल द्वारा गन्ने की खरीद

४३१. श्री **सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भोपालसागर शुगर मिल्स द्वारा गत वर्ष के सीजन में गन्ने की माहवारी खरीद किसानों से कितनी कितनी हुई और उसके लिये माहवारी कितना कितना पेमेन्ट किसानों को किया गया ?

(२) दिसम्बर सन् १९६२ के अन्त तक किसानों का कितना रुपया शुगर मिल्स में बाकी था ?

उत्तर

१. भोपालसागर शुगर मिल्स द्वारा १९६१-६२ के सीजन में किसानों से माहवारी गन्ना निम्न प्रकार से खरीदा गया व उसकी माहवारी रकम चुकाई गई:

माह	गन्ना खरीदा (क्विन्टल)	रकम चुकाई गई (रुपयों में)
दिसम्बर, १९६१ से		
जनवरी, ६२	३०२६३५	३,३७,८९८.००
फरवरी १९६२	१९९०६५	५,६०,७२५.००
मार्च, १९६२	२२१५८३	८,८३,१९५.००
अप्रेल, १९६२	६९०१८	९,२४,७५८.००

२. दिसम्बर सन् १९६२ के अन्त तक गन्ने की बकाया रकम जो शुगर मिल्स से किसान नहीं ले गये वह १३,३७९ रुपये थे।

प्रश्न

चित्तौड़ सैनिक स्कूल में राजस्थान विद्यार्थियों का अनुपात तथा छात्रवृत्ति

४३२. श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चित्तौड़ सैनिक स्कूल में नियमानुसार राजस्थानी विद्यार्थियों का परसेन्टेज कितना होना चाहिये तथा अभी राजस्थानी किस अनुपात से हैं ?

(२) पंजाबी विद्यार्थी इस स्कूल में किस अनुपात से हैं ?

(३) क्या यह सही है कि पंजाबी विद्यार्थी इस स्कूल में इसलिए अधिक हैं कि वहां की सरकार इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देती है तथा राजस्थानी विद्यार्थी इसलिए कम हैं कि राजस्थान सरकार कोई छात्रवृत्ति नहीं देती है ?

(श्री विजयसिंह झाला)

(४) इस संकटकालीन स्थिति में जब सैनिक शिक्षा की आवश्यकता है, सरकार इस ओर क्या कदम छात्रवृत्ति के लिए उठाना चाहती है ?

उत्तर

(१) नियमानुसार ६७ प्रतिशत होना चाहिये तथा अभी ५४ प्रतिशत है ।

(२) पंजाबी विद्यार्थी इस समय करीब ३४ प्रतिशत है ।

(३) पंजाब सरकार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके माता पिता की आय को ध्यान में रख कर देती है लेकिन राजस्थान सरकार आर्थिक कठिनाई के कारण विद्यार्थियों के माता-पिता की आय को ध्यान में रखते हुये विद्यार्थियों की निश्चित संख्या पर ही छात्रवृत्ति देती है ।

(४) जिन विद्यार्थियों के माता पिता की आय कम है ऐसे ६७ प्रतिशत विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार छात्रवृत्ति देती है ।

प्रश्न

सीकर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की योजना

४३३. **श्री स्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सीकर जिले में प्रारंभ होने वाले औद्योगिक क्षेत्र योजना को सहसा बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या सीकर जैसे प्रगतिशील नगर के लिये ऐसी योजना का बन्द किया जाना अत्यधिक हानिप्रद है और बढती हुई बेकारी की समस्या को और अधिक जटिल करने वाला है ?

(३) क्या योजना को केवल आर्थिक कारण से बन्द किया है ?

उत्तर

१. जी हां । सीकर में औद्योगिक क्षेत्र है । औद्योगिक सम्पदा का रूप अब बदल कर सहायक औद्योगिक सम्पदा कर दिया गया है और इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त सहायतायें भूमि व ऋण तथा पानी व बिजली के रूप में दी जाती हैं ।

२. प्रश्न नहीं उठता ।

३. प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न

गंगानगर शूगर मिल में सरकारी लागत तथा गन्ने की खरीद

४३४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगानगर शूगर मिल में सरकार की कुल कितनी लागत लगी हुई है तथा उस में अब तक कुल कितना लाभ व हानि प्रति वर्ष हुआ है ? ब्योरा सदन की मेज पर रखें ।

(२) गत वर्ष इस मिल द्वारा कुल कितने रुपये का कितना गन्ना खरीदा गया तथा उसका औसतन प्रति मन क्या भाव पड़ा ?

(३) इस गन्ने में कुल कितने मन शक्कर तैयार हुई तथा उस पर प्रति मन क्या लाभ रहा ?

उत्तर

१. वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

२. १९६१-६२ में कुल २४,८९,३१६ मन गन्ना खरीदा गया जिसके लिए कुल रु० ३९,३८,८५९ का भुगतान किया गया। प्रति मन औसत भाव रु० १.५८ पडा।

३. १९६१-६२ में कुल २,०१,५८५ मन शक्कर तैयार हुई। चूंकि लाभ हानि, मिल में शक्कर के वार्षिक विक्रय पर निकाला जाता है, न कि शक्कर के वार्षिक उत्पादन पर अतः शक्कर के प्रति मन उत्पादन पर इस वर्ष क्या लाभ रहा यह बताना कठिन है। वैसे १९६१-६२ में मिल को कुल १,४३,७४५ रुपये का लाभ हुआ।

सूची

गंगानगर शुगर मिल में सरकार की लागत

प्रिफरेन्स शेयर्स	४,२५,२००.००
साधारण शेयर्स	१३,९७,८५०.००
डिवेन्चर लोन	१५,००,०००.००
	३३,२३,०५०.००

गंगानगर शुगर मिल का वार्षिक लाभ

१९५६-५७	६,०४,७६१
१९५७-५८	८,६२,३४७
१९५८-५९	२,७९,३२६
१९५९-६०	५,९३,६२२
१९६०-६१	४,६८,८७४
१९६१-६२	१,४३,७४५

१

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १८ मार्च, १९६३)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२८१५	१२	सुराना	सुराणा
२८१६	१	लकर	लेकर
२८१६, २८१७	१६, १	सुराना	सुराणा
,,	१६		will
२८१९	२४	पंजी	पूंजी
२८२०	१३	चुकाये पर	चुकाये जाने पर
२८२२	४	कायवाही	कार्यवाही
२८२९	१८	करई	कराई
२८३१	११-१२	सिककराय	सिकराय
,,	२१	श्रणी	श्रेणी
२८३४	१०	करेंग	करेंगे
,,	११	बताय	बताये
,,	१६	व	वे
,,	२७	करन	करने
,,	२९	अवाल	अग्रवाल
२८३५	५	लकिन	लेकिन
,,	१२	स्वय	स्वयं
२८३८	१४	हरिप्रसद	हरिप्रसाद
,,	२३	एसे	ऐसे
,,	६	के पेज	के २ पेज
२८४६	१०	न की गई	की गई
,,	१५	गूंजायश	गुंजायश
२८४७	७ व २४	मॆं	में
,,	२२	रामप्रसाम	रामप्रसाद
,,	२६	अश्वासन	आश्वासन
२८४८	स्कम्भ संख्या	२८४७	२८४८
,,	१४	म	में
,,	३२	थ	थे
२८४९	१ और २	उप-मंत्री राजस्थान केनाल	(श्री दौलतराम सारण)

१	२	३	४
		प्राजेक्ट १. श्री दौलत-राम सारण	
२८४६	२५ व ३०	रजिस्ट्रशन	रजिस्ट्रेशन
२८५१	८	देन	देने
२८५२	७	भैरोंसहि	भैरोंसिह
२८५३	१	भरोंसिह	भैरोंसिह
२८५४	२०	सराणा	सुराणा
२८५६	४	विश्नोई	बिश्नोई:
„	६	हैडक्वाटर	हैडक्वार्टर
२८५७ से २८६१	शीर्षक	१६ मार्च	१८ मार्च
२८७८	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	प्रतिवेदनों का उपस्थापन
२८७२	१३	बाकयात	वाकयात
२८८४	१८	Vessel	Vessels
„	२२	makes	make
„	३०	Sir, want	Sir, I want
२८६१	शीर्षक	माच	मार्च
२८६५	११	जायजा	जायचा
„	१२	जायजे	जायचे
२८६६	१०	रिसोसेज	रिसोर्सेज
२८६७	२६	रिसोसेज	रिसोर्सेज
२८६८,	शीर्षक	अग्रतर	अग्रेत्तर
२८६६	२०	privilage	privilege
२९००	८	वाली	वाली
„	१६	समझ में नहीं आया	"समझ में नहीं आया"
„	२४	बालकृण	बालकृष्ण
२६०१	३६	determind	determined
२६०८	२१	अयक्ष	अध्यक्ष
२६११	७	अपा	आप
„	६	पर्सन्ट	पर्सेन्ट
२६२१	„	ह	हैं
२६२४	३३	हरिप्रशाद	हरिप्रसाद
२६२५	२५	मांग संख्या १४	—
२६२६	शीर्षक	माच	मार्च

१	२	३	४
२६३३ व २६३५	१	योगेन्दनाथ	योगेन्द्रनाथ
२६४०	१६	Industɹsie reduced	Industries be reduced
२६४३	२०	१८	२७
२६४४	१४	मूख्य	मुख्य
२६४६	१०	रिर्पोट	रिपोर्ट
२६५४	७	कंपिलक्ट	कन्फ्लिक्ट
२६६२	११	राधकृष्ण	राधाकृष्ण
२६७१	शीर्षक	मर्च	मार्च
२६७२	१३	माहार	महार
२६६५	१	तेजराम	तेजाराम
३००५	८	ी	दी
,,	६	ान	खान
३०१४	२१	प्रोत्हसाहन	प्रोत्साहन
३०१५	२३	भैरलाल	भैरवलाल
३०१७	शीर्षक	माच	मार्च
३०२२	१	इंडस्टीज	इंडस्ट्रीज
,,	१३	दृष्टिग्रोणों	दृष्टिकोणों
,,	१५	यथीशीघ्र	यथाशीघ्र
३०२७	नीचे से ३	Sahrvanlal	Sarvanlal
३०५६	५	करें	से करें
३०६३	नीचे से २	हाडा	हांडा
३०६६	नीचे से २	b	be
३०६६	,, ,, १०	फ्रेंच	फ्रेंच
३०७५	शीर्षक	६६३	१६६३
३०८०	८	चाहत नो	ने चाहता
३०८२	८	टैम्प्रेररिली	टैम्पोरेली
३०६०	१४	करने उसको	करने में उसको
३०६७	१६	हं	हैं
३११५	नीचे से ५	रामकिशज	रामकिशन
३११६	३	लिट्रचर	लिट्रेचर
३११७ –१८	शीर्षक	ग्राय व्ययक, १६६३-६४ पर ग्रग्रेतर सामान्य वाद-विवाद	संक्षिप्त विवरण
३१२३	२	देखिय	देखिये
३१२५	शीर्षक	ग्राय-व्ययक १६६३-६४ पर ग्रग्रेतर सामान्य वाद-विवाद	

१	२	३	४
३१४०	१६	विजसिंह	विजयसिंह